(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 7] सप्तम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का पांचवां दिवस [संख्या 5

शुक्रवार

दिनांक 9 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भैरूंलाल मीणा।

राज्य के पंचायत क्षेत्रों में पेयजल सुविधा

130. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है जिन पंचायतों में जलदाय विभाग द्वारा पानी की टंकियां बना दी गई हैं, उन पंचायत क्षेत्र में सरकार ने हैण्ड पम्प नहीं लगाये हैं ? यदि हां, तो क्या पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को जल सुविधा दी जा रही है ?

(2) क्या पंचायत कडवारु, पंचायत टीडी आदि में पीने के पानी की सुविधा पूरे पंचायत क्षेत्र को दी जा रही है ? यदि हां, तो कितने लोगों को कनेक्शन दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह):(1) विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था ग्रामवार की जाती है न कि पंचायत क्षेत्रवार। जिन गांवों में पम्प एवं टैंक अथवा पारम्परिक स्रोत क्षेत्रीय जलप्रदाय व अन्य योजनाएं हैं उनमें सामान्यतया हैण्ड पम्प नहीं लगाये जाते हैं।

(2) पंचायत कडवारु अथवा कडवारु नाम का कोई गांव 1971 की जनगणना पुस्तिका में उपलब्ध नहीं है। पंचायत टीडी के समस्त गांवों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। गांव टीडी में पम्प एवं टैंक योजना के अन्तर्गत 13 कनेक्शन दिये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी बताया कि गांवों में कनेक्शन दिये हैं। ढाणी अलग होती है। जो कनेक्शन

Page No 2

(2)

(श्री भैरू लाल मीणा)

दिया गया है वह केवल एक मोहल्ले में दिया गया है बाकी कहीं भी कनेक्शन नहीं दिया गया है। जिन गांवों के लिए आपने बताया कि हैण्ड पम्प नहीं लगे, उनके लिए क्या सुविधा होगी, क्या व्यवस्था होगी ?

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर इस सदन में कई दफा बहस हो चुकी है। राजस्थान में करीबन 34 हजार गांव हैं। जहां तक ढाणी का प्रश्न है, अभी तक इस संबंध में सरकार निश्चित नहीं कर पायी है। वैसे हैण्ड पम्प लगाने के लिए सरकार विचार कर रही है। कडवारु गांव ही नहीं है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, जिस जगह....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री भैरू लाल मीणा : वह तो गलत छपा है। शहर से लगा गांव है। आदिवासी लोग ढाणी में रहते हैं वहां न तो नल की व्यवस्था है और न ही कोई हैण्ड पम्प लगा हुआ है। उनको हैण्ड पम्प की सुविधा दी जाय या नल की सुविधा दी जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उत्तर आने दीजिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : मेरी सूचना के अनुसार वह गांव नहीं है जो आप बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, शहरों में जहां जल योजना है वहां पर सरकार ने हैण्ड पम्प लगाये हैं और जहां गांवों में कोई भी जल योजना नहीं है वहां आप पी. एण्ड टी. स्कीम लागू कर रहे हैं। अभी वहां पर कोई पानी की सुविधा नहीं है। सरकार शहरों में हैण्ड पम्प लगाती है और गांवों में नहीं लगाती है। जो पी. एण्ड टी. योजना चल रही है उसके आधार पर क्यों नहीं हैण्ड पम्प लगाये जायं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, उत्तर आने दीजिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैंने यह बताया कि सामान्यतया हैण्ड पम्प नहीं हैं। जहां तक पी. एण्ड टी. स्कीम का प्रश्न है, गांवों में पी. एण्ड टी. स्कीम नहीं है। वहां पर तो टी. एस. स्कीम लागू है। खास तौर से जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में टी. एस. स्कीम का गवर्नमेन्ट ने यह निर्णय लिया है। 500 की आबादी वाले गांव में हैण्ड पम्प लगाने की सरकार की नीति है उस आधार पर कई जगह लगाये भी गये हैं।

श्री सी० पी० जोशी : टी. एस. स्कीम....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया एक गांव में एक स्कीम लागू है और गांव में स्कीम लागू नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर स्कीम लागू है वहां पर कोई सुविधा नहीं है। एक स्कीम एक गांव में लागू है और दूसरी स्कीम दूसरे गांव में लागू है इस प्रकार दोनों स्कीम आपने लागू कर रखी है।

दूसरा प्रश्न आपने बताया कि जिन गावों में पी. एण्ड टी. स्कीम चालू की थी वह ढाणी हो या गांव, वहां पर हैण्ड पम्प आपने लगाये हैं। उदाहरण के तौर पर काकड़िया, मूण्डवा जहां कि आपने....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री महाराम चौधरी : जैसा आपने फर्माया कि 500 आबादी वाले गांव में हैण्ड पम्प लगाते हैं। आपका यह कथन गलत है, 250 आबादी वाले गांव में भी हैण्ड पम्प लगाये गये हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : जहां की स्कीम सैंक्शन की हुई है वहां 250 आबादी वाले गांव में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। जहां की स्कीम सैंक्शन की हुई नहीं है वहां 500 आबादी वाले गांव में हैण्ड पम्प लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : गांवों में खारा पानी है, पीने योग्य पानी नहीं है। गांवों में कोई सुविधा नहीं है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। आप तो प्रश्न पूछिये।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज : मेरा प्रश्न यह है कि मेरे क्षेत्र जयपुर जिले में कई गांव ऐसे हैं जो समस्याग्रस्त गांव हैं परन्तु सरकार द्वारा समस्याग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं। सरकार द्वारा समस्याग्रस्त घोषित करवायें।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, राजस्थान में 34 हजार गांव है। कई गांव समस्याग्रस्त भी हैं। जब तक उनको पूरा नहीं कर लें दूसरी जगह नहीं करेंगे। इसके बाद जो समस्याग्रस्त गांव रह जायेंगे उनको घोषित करके लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, ये समस्याग्रस्त घोषित करने में राजनैतिक भेदभाव से काम ले रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय ये लोग....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री दाऊदयाल जोशी। अगला प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। भाषण नहीं होंगे....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। अंकित न हो।

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आगे पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सी. एल. कंवरिया : एक मिनट रुकिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रश्न संख्या 131

कोटा नगर परिषद् की फिक्स डिपाजिट राशि

131. **श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)**। क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर परिषद् द्वारा गत दो वर्षों में किन-किन बैंकों से कितनी-कितनी फिक्स डिपाजिट्स राशि निकलवाई गई? यह फिक्स डिपाजिट्स कब से किन-किन बैंकों में जमा थी?

(2) यह फिक्स डिपाजिट्स क्यों और किन कारणों से निकलवाई गई? किन कारणों से परिषद् का खर्चा चलाने में कठिनाई आ रही है? कृपया विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्न-सिंह) : (1) कोटा नगर परिषद् द्वारा गत दो वर्षों में दिनांक 1-7-81 से 31-8-83 तक फिक्स डिपाजिट्स विभिन्न बैंकों से निकलवाई गयी जिसकी सूची संलग्न है।

(2) फिक्स डिपाजिट की राशि बैंकों से निकलवाने का मुख्य कारण परिषद के विकास कार्यों का भुगतान जनहित में किया जाना है। नगर परिषद के सामने वित्तीय, प्रशासनिक अन्यथा अन्य कोई कठिनाई की स्थिति नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय जो 26/5/81 को पैसा जमा कराया गया था, 6 लाख रुपया वह कितने साल के लिये जमा था, 1982 में 15 लाख 59 हजार 43 रुपये जमा करवाये थे वह किन किन बैंकों के खाते में जमा थे....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित किया गया।

Page No 5

(5)

श्री दाऊदयाल जोशी : इसी का भाग है। यह सूची है फिक्स डिपाजिट कराते हैं तो उसमें एक लिमिट होती है कि इतने साल के लिये करा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 1981 में फिक्स डिपाजिट कराया, 1982 में कराया, 1983 में कराया वह कब कब कितने समय के लिये कराया, कौन-कौन से बैंक में जमा था और अवधि पूरी होने से पहले कितना कितना रुपया किस किस बैंक से निकलवाया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सूची मेरे पास नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्यों नहीं है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वही मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह भी पूछ लेते अगर आप तो मैं यह भी जानकारी दे देता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में नहीं आया है। आपने पहले नहीं पूछा।

श्री दाऊदयाल जोशी : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमेंट्री प्रश्न बनाता है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : करेंट अकाउंट का तो अलग से खाता हो सकता है फिर उस पैसे को क्यों निकाला गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब रुपया खर्च से अधिक होता है तो फिक्स डिपाजिट में कराया जाता है ताकि ब्याज का ज्यादा लाभ हो। प्रश्न यह था कि प्रिमेच्योर कितना रुपया निकलवाया गया। मैं निश्चित रूप से तो बता नहीं सकता हूं लेकिन जो सूची उपलब्ध है मेरे पास, जो सूचना है, जब रुपया निकलवाया और जब रुपया जमा करवाया उसके बीच का जो पीरियड है, 26/5/81 को जमा करवाया और उसको विथड्रा किया 8/6/82 को। मेरा यह अनुमान है कि यह एक साल के लिए फिक्स डिपाजिट करवाया गया होगा। लेकिन कौनसा प्रिमेच्योर ही निकलवा लिया, यह सूचना नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 1983 में जो रुपया जमा करवाया गया है वह एक महीने के बाद ही निकलवा लिया गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर जनहित में रुपयों की आवश्यकता होगी तो पैसा निकलवाया जायेगा। उस कार्य को रोका नहीं जा सकता है। यह नहीं है कि फिक्स डिपाजिट का पैसा निकलवाया ही नहीं जा सकता है। और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि मेच्योर होने से पहले ही विथड्रा करवा ली गयी, तो आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रश्न यह है कि नगर परिषद् के प्रशासक ने 48 लाख रुपये मुख्य मंत्रीजी के स्वागत के लिये मर्करी लगाने और डिस्को फव्वारा लगाने के लिये खर्च कर दिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, यह अलग प्रश्न है। इस तरीके से पूछे लेते तो इस प्रश्न का भी उत्तर आ जाता।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तीन दिन पहले का अखबार है। 48 लाख रुपये

Page No 6

(श्री दाऊदयाल जोशी)

खर्च किये गये हैं।

श्री हीरालाल आर्य : मुख्य मंत्रीजी के स्वागत के लिये यह पैसा खर्च किया गया है।

श्री अध्यक्ष : किसी का नाम न लें। ऑर्डर ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने फर्माया, 48 लाख माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्वागत सम्मेलन के लिये मर्करी लाईट के लिये खर्च किया गया, यह बिल्कुल गलत है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह सही है। अखबार देखें।

एक माननीय सदस्य : यह आपका अखबार है, आप जैसी ही खबर छपती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। अंकित न हो।

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। अव्यवस्था न फैलायें।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें। आसन पैरों पर है। अंकित न हो।

(व्यवस्था)

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य, उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं। यह बहुत दुःख की बात है कि हमारे साथी अपनी बात तो कह देते हैं किन्तु जब उत्तर देने की बारी आती है तो तीन चार सदस्य खड़े हो जाते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं। क्या यह लोकतंत्र की परम्परा के अनुकूल है ?

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : लोकतंत्र को ***तो खतम कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो सालों के अन्दर फिक्स डिपाजिट में से जो 60 लाख रुपये विथड्रा किये गये, उनका ब्यौरा इस प्रकार है; 20 लाख रुपए तो पी. एच. ई. डी. को दिये गये सीवरेज के लिए, 19 लाख 95 हजार पी. डब्ल्यू. डी. को दिये गये सड़कों के लिए—यह तो हुआ 40 लाख रुपयों का ब्यौरा, 10

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

***शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लाख रुपये के हिसाब में है हमारा स्टाफ बढ़ा है, महंगाई भत्ता राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया था तो नगर परिषद् के कर्मचारियों को भी दिया गया था, कोटा शहर की बढ़ती हुई आबादी है, जिसके लिए सड़कों का निर्माण, बिजली इत्यादि पर व्यय हुआ; 4–5 महीने से जे. के. सिन्थेटिक्स, जिससे नगर परिषद् को चुंगी की आमदनी हो रही थी, के बंद होने से चुंगी की आमदनी समाप्त हुई। फैक्ट्री के कर्मचारियों को जो भुगतान किया जाता था और मार्केट में आता था उससे क्रय शक्ति बढ़ती थी, वह समाप्त हुई, जिससे कोटा के अन्दर माल आना कम हुआ और उसकी आमदनी में कमी हुई। इतने पर भी यह कहते हैं कि 48 लाख रुपये मुख्य मंत्रीजी के स्वागत में खर्च कर दिये....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। कृपया बैठ जायें।

अंतिम पूरक प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जे. के. सिन्थेटिक्स का सवाल तो 7 महीने से है। तीनों सालों में यह दिवालिया होने की बात आयी, राज्य सरकार इसका वाजिब एक्सप्लेनेशन दे सकती है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप काम बिलकुल मत करिये, निर्माण कार्य को रोक दीजिए....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कौनसा जवाब दे रहे हैं ? 3 साल में ही हो रहे हैं काम ? ××× मैं, मंत्री महोदय, आपको कहना चाहता हूं कि जो तरीका आपने अपनाया उससे कोटा नगर परिषद् ने जो फिक्स डिपाजिट करा रखी है, उसको दिवालिया कर दिया आने के पश्चात्।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए कहता हूं कि आज भी 62 लाख रुपये फिक्स डिपाजिट हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 122 लाख रुपया जमा था, 60 लाख खर्च कर दिये अब बाकी 62 लाख बचे हैं। यह क्या आपके कारण जमा हुआ था ? किसके कारण जमा हुआ ? किसकी नगर परिषद् थी ? वह किसने जमा किया ? 60 लाख रुपये खतम कर दिये।

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : वहां पर सड़कें बनाई जा रही हैं, लाईट लग रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम जनहित में इस पैसे को खर्च करेंगे, मैं यहां घोषणा करता हूं।

श्री बालचन्द आर्यवीर : वहां जो गिट्टी डाली वह और डामर बहता रहा....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। अव्यवस्था बहुत कर रहे हैं।

शासन पैरों पर है। अंकित न हो।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपोज किया जाय। इन्होंने आरोप लगाया है तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री पर।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। इस सम्बन्ध में कार्यवाही के विवरण में जो आया है, उसको देखने के पश्चात् इस पर कार्यवाही करूंगा।

अगला प्रश्न। श्री सी. एल. कंवरिया

सांभर साल्ट में नमक उठाने का ठेका

132. **श्री सी एल. कंवरिया (दूदू)।** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सांभर साल्ट लि., साम्भर द्वारा बनाया हुआ करोड़ों रुपए का नमक जुलाई, 83 के अन्तिम सप्ताह की वर्षा में इसलिए बह गया कि नमक अधिकारियों की लापरवाही व हठ-धर्मी से नमक को समय पर उठाकर नहीं रखा गया ?

(2) यदि हां, तो सरकार को कितनी राशि का नुकसान हुआ है और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष नमक को उठाने का ठेके का कार्य राजपूताना साल्ट सोर्सेज कोआपरेटिव एण्ड सेविंग सोसायटी को मय रेटों के स्वीकृत किया जा चुका था लेकिन फिर भी जान बूझकर बदनीयती से इस सोसायटी को वर्क आॅर्डर नहीं दिया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस आशय की एक शिकायत दिनांक 24-6-83 को उक्त सोसायटी ने मुख्य मंत्रीजी को पेश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? कौन कौन अधिकारी दोषी पाये गये और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न साम्भर साल्ट्स लि० से सम्बन्धित है, जिसका मैनेजमेन्ट और कण्ट्रोल भारत सरकार का है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री सी.एल. कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, यह जोइंट अंडरटेकिंग है, इसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के शेयर्स हैं। भारत सरकार के इसमें 60 प्रतिशत शेयर्स हैं। इसके बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्स में हमारा भी प्रतिनिधि है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि 40 प्रतिशत तो क्या अगर 10 प्रतिशत शेयर्स भी हमारे हो तो हमको क्वेश्चन करने का राइट है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : 49 प्रतिशत हैं।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि इस संस्थान का प्रशासनिक प्रबन्ध भारत सरकार के हाथ में है इसलिए यह प्रश्न....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, कल सांभर सांल्टस लि. की रिपोर्ट पेश की गयी है। यदि यह भारत सरकार के हाथ में होता तो वह रिपोर्ट पेश कैसे करते। जैसा कंवरिया जी ने कहा इसमें हमारे 40 प्रतिशत शेयर होने के कारण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारा प्रतिनिधि होने के कारण हमको हमारे इन्ट्रेस्ट को वाच करना होगा। भारत सरकार जवाब देगी, यह बात सही है लेकिन अपना धन लगा है, उसकी सेफ्टी के लिए, उसके अन्दर लाभ-हानि हो रही है, क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं या राजस्थान सरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू प्रयत्न कर सकती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने जो कहा वह सही कहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे नॉमिनीज हैं। एक कम्पलेन्ट माननीय मुख्य मंत्रीजी को प्राप्त हुई थी, उद्योग मन्त्रालय के जो अपने दो नॉमिनीज हैं, उनको इस बात के निर्देश दिये हैं कि जो नुकसान वहां हुआ, उसको बोर्ड की मीटिंग के अन्दर उठायें। इस बात के निर्देश दिये जा चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बता दीजिए, कितने नमक का नुकसान होने के मामले में जांच करने के निर्देश दिये हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे पास जो कम्पलेंट है, उसकी कॉपी मैं लाया नहीं, इसलिए नहीं लाया कि बोर्ड में यह सवाल उठाया जायेगा इसलिए इसका उत्तर देना है या नहीं देना है। यह बात सही है कि सांभर साल्टस लि० में 40 प्रतिशत शेयर हमारा है, हमारे दो नॉमिनीज हैं, लेकिन सांभर सॉल्ट्स का कण्ट्रोल और मैनेजमेंट भारत सरकार के हाथ में है। हमारे हाथ में नहीं है। इस कारण यह मेरे लिए सम्भव नहीं होगा कि मैं यहां पर इसका उत्तर दे सकूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या इस अभियोग की प्रति में आरोप लगाया गया है कि नमक नहीं उठाये जाने के कारण एक करोड़ रुपये की हानि हुई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह प्रश्न में ही दिया हुआ है, 24-6-83 को उक्त सोसायटी ने मुख्य मंत्रीजी को पेश की थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभियोग पत्र देखा होगा ? मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, वे ही जवाब दे देंगे कि एक करोड़ का नमक बह गया, इसके कारण हानि हुई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं निवेदन करूं कि जो कम्पलेन्ट की गई थी, उसके अन्दर निश्चित रूप से यह नहीं लिखा है कि कितने का नुकसान पाया गया। यह है कि नुकसान हुआ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इसमें संवैधानिक स्थिति है वह मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दी, इसका कण्ट्रोल भारत सरकार के हाथ में है....

श्री सी. एल. कंवरिया : कंट्रोल हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष : बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में....

श्री सी. एल. कंवरिया : चाहे हमारा 40 प्रतिशत शेयर है और चाहे उसमें काम करने वाले अधिकारी, बाबू लोग भारत सरकार के अण्डर में काम करते हों लेकिन कण्ट्रोल हमारा भी माना जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर रिपोर्ट पेश की है, क्या उस पर चर्चा नहीं करेंगे ? रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी है, उस पर चर्चा हो सकती है। आप आज्ञा दें, सवाल उठा सकते हैं, मंत्री महोदय उसका जवाब दे सकते हैं। रिपोर्ट रख दी तो वह सदन की प्रॉपर्टी हो गयी।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी, जैसा मंत्री जी ने कहा, मैनेजमेण्ट भारत सरकार के हाथ में है। संचालक मण्डल में हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं। जो सूचना मंत्री महोदय के पास उपलब्ध थी वह सदन को उपलब्ध करा दी। इसमें अब आगे पूरक प्रश्न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मैं अगला प्रश्न पुकारता हूं।

(व्यवधान)

प्रश्न नहीं उठता है। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

अजमेर में विदेशी शराब के लाइसेन्स

133. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में शराबबन्दी नीति समाप्त होने के बाद दिनांक 14-5-1982 से विदेशी शराब को नीलामी पद्धति से लाइसेन्स देने की नीति के तहत अजमेर नगर के लिए 5 थोक एवं 33 परचूनी दुकानों को लाइसेन्स देने हेतु थोक दुकानों की न्यूनतम नीलामी बोली 5 लाख तथा परचूनी दुकान की न्यूनतम बोली एक करोड़ 98 लाख रुपये निश्चित की गयी थी ? यदि हां, तो इस निश्चय का क्या मापदण्ड या आधार था एवं कितनी थोक व परचूनी दुकानों के लाइसेन्स किस-किस न्यूनतम बोली पर दिये गये ?

(2) क्या इस निश्चित संख्या से कम दुकानों की बोली के टेण्डर आने पर विभाग द्वारा और अधिक दुकानों की बोली के टेण्डर प्राप्त करने के प्रयत्न किये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि 1983-84 एवं 1984-85 के लिए थोक एवं परचूनी दुकानों की संख्या एवं न्यूनतम बोली तय करने के मापदण्ड ठीक नहीं रखे जाने से राज्य सरकार को घाटा देने वाली

(श्री कैलाश मेघवाल)

दुकानों की कम संख्या एवं न्यूनतम बोली रखी गयी ? यदि नहीं, तो इन वर्षों के लिए थोक व परचूनी दुकानें कितनी-कितनी निश्चित की गई ? उनकी न्यूनतम बोली क्या तय की गई ? और उसका मापदण्ड क्या रखा गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि 1983-84 एवं 1984-85 के लिए पांच थोक दुकानों के लाइसेन्स प्राप्ति हेतु टेन्डर प्राप्त होने के बावजूद एक ही थोक दुकान का लाइसेन्स दिया जा सका है और उस एक थोक दुकान के गोदाम दो जगह स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है जो कि एक अजमेर नगर परिषद् की सीमा में है और दूसरा अजमेर नगर परिषद् की सीमा के बाहर है ? यदि हां, तो 5 थोक दुकानों के लाइसेन्स के लिए किस किस ने टेन्डर दिये और वे क्यों खारिज किये गये तथा एक थोक दुकान के 2 गोदाम किन नियमों के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं ?

आबकारी मंत्री (श्री वृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां, 15-5-1982 से एकाकी विशेषाधिकार पद्धति में विदेशी शराब की 5 थोक एवं 33 खुदरा दुकानों को अजमेर शहर में अनुज्ञा-पत्र दिये गये थे। थोक दुकानों की न्यूनतम राशि 96,400/–तय की गई थी। 5 दुकानों के 4,82,000/– निर्धारित हुये थे। उसी प्रकार 33 दुकानों की न्यूनतम राशि 1,98,06,600/–निर्धारित की गई थी।

दुकानों की आरक्षित राशि निर्धारित करने हेतु वर्ष 1981–82 के दिसम्बर एवं जनवरी महीनों में प्राप्त लाइसेन्स फीस एवं परमिट फीस की आय को 6 से गुणा कर वार्षिक आय निकाली गई और उस पर 40 प्रतिशत ट्रेन्ड इन्क्रीज लगाया गया। 5 थोक दुकानों और 14 परचूनी दुकानों को अनुज्ञा–पत्र जिन राशि पर दिये गये थे उनकी सूचना संलग्न सूची में दे दी गई है।

(2) पड़त दुकानों की नीलामी हर 15 दिन बाद रखी गई। 5 बार नीलामी रखी गई थी परन्तु दुकानें नहीं उठने पर गंगानगर शुगर मिल्स को शहर में अपनी दो रिटेल दुकानें चलाने का आदेश दिया। परन्तु न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण दिनांक 18–1–1983 के बाद ही स्थगन निरस्त होने पर गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा एक दुकान चलाई जा सकी।

(3) जी नहीं। वर्ष 1982–83 में चालू थोक एवं परचूनी दुकानों की संख्या के आधार पर ही वर्ष 1983–84 एवं 1984–85 के लिए संख्या निर्धारित की गई थी। वर्ष 1983–84 के एवं 1984–85 के लिए अजमेर शहर में नियमानुसार आरक्षित राशि निर्धारित की गई जो पिछले वर्ष प्राप्त आय से कम नहीं है :–

		आरक्षित राशि
थोक 4	—	4,82,800/-
परचूनी 14	—	1,05,25,200/-

Page No 12

(12

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

(4) जी हां, परन्तु वर्ष 1983–84 एवं 1984–85 के लिए केवल 4 थोक दुकानें ही स्वीकृत थीं जिनके लिये निम्न व्यक्तियों द्वारा टेण्डर दिये गये थे :—

क्र० सं०	नाम थोक दुकान	आरक्षित राशि	नाम टेण्डर दाता	टेण्डर की राशि
1.	अजमेर थोक नम्बर 1	1,20,700/-	श्री सुभाष पुत्र जोरावरमल टांक नसीराबाद रोड, अजमेर	1,61,000/-
2.	अजमेर थोक नम्बर 2	1,20,700/-	श्री सी.पी. दत्ता पुत्र ए.आर. दत्ता बनीपार्क, जयपुर	1,60,000/-
3.	अजमेर थोक नम्बर 3	1,20,700/-	श्री दिलीपकुमार पुत्र बालाबक्ष टांक, अजमेर	1,31,111/-
4.	अजमेर थोक नम्बर 4	1,20,700/-	श्री रामेश्वरलाल पुत्र पुखराजजी मेवाड़ा सरक्यूलर रोड, अजमेर	1,21,501/-

प्रथम तीन टेण्डरदाताओं ने निर्धारित अवधि में धरोहर राशि जमा नहीं कराई अतः उनके अरनेस्ट मनी की राशि जब्त कर ली गई और उनके टेन्डर खारिज हो गये। इसके बाद 4 बार नीलामी करवाई गई परन्तु ये दुकानें नहीं उठीं।

गोदाम (बोण्डेड वेयर हाउस) स्वीकृति के सम्बन्ध में अलग से कोई नियम नहीं हैं। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा आवेदन-पत्र निर्धारित फीस के साथ जमा कराने पर अनुमति दी जाती है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष

(श्री कैलाश मेघवाल)

महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है उसमें विरोधाभास है, गलत तथ्य दिये हैं उनकी तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा उन्होंने जवाब दिया, "जी नहीं, वर्ष 1982-83 में चालू थोक एवं परचूनी दुकानों की संख्या के आधार पर ही वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 के लिए संख्या निर्धारित की गई।" "15-5-82 से एकाकी विशेषाधिकार पद्धति से विदेशी शराब की 5 थोक एवं 33 खुदरा दुकानों को अजमेर शहर में अनुज्ञा पत्र दिए गए थे। थोक दुकानों की न्यूनतम राशि 96, 400 तय की गई थी। 5 दुकानों के 4, 82, 000/– निर्धारित हुये थे।" "दुकानों की आरक्षित राशि निर्धारित करने हेतु वर्ष 81-82 के दिसम्बर एवं जनवरी महीनों में प्राप्त लाइसेन्स फीस एवं परमिट फीस की आय को 6 से गुणा कर वार्षिक आय निकाली गई और उस पर 40 प्रतिशत ट्रेन्ड इन्क्रीज लगाया गया।" यह आपने जवाब दिया है इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जब दुकानों की आरक्षित राशि निर्धारित करना तय किया कि उसको आरक्षित राशि निर्धारित तय करेंगे तो वर्ष 1982-83 में इस मापदण्ड से40 पर्सेन्ट ट्रेंड इन्क्रीज जोड़ा जाय तो इस साल के साढ़े दस महीने और 1983-84 के 12 महीने हो गये तो वह राशि एक करोड़ रुपये होती है उसमें 40 पर्सेन्ट ट्रेंड इन्क्रीज जोड़ दें तो 1 करोड़ 40 लाख रुपये की आय अतिरिक्त होनी चाहिये। लेकिन आपने बतायी है 4 लाख 82 हजार रुपये वह 5 दुकानों की बतायी है इसमें अगर 40 पर्सेन्ट ट्रेन्ड इन्क्रीज जोड़ा जाय तो वह साढ़े पांच लाख होनी चाहिये।

दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि पड़त दुकानों की नीलामी हर 15 दिन बाद रखी जाना बताया, 5 बार नीलामी रखी गई और दुकानें नहीं उठने पर गंगानगर शुगर मिल्स को दो रिटेल दुकान चलाने का आदेश दे दिया। तो दुकान नहीं उठने के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन वगैरह दिये या नहीं दिये? यह बताने का प्रयत्न कीजिये।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ा तथ्य इन्होंने इसलिये छिपा दिया। "1983-84 एवं 1984-85 के लिये पांच थोक दुकानों के लाइसेन्स प्राप्ति हेतु टेन्डर प्राप्त होने के बावजूद एक ही थोक दुकान का लाइसेन्स दिया जा सका और उस एक दुकान के गोदाम दो जगह स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है जो कि एक अजमेर नगर परिषद् की सीमा के बाहर है।" यह किस आधार पर दी गई? इस प्रकार के कोई नियम नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 लाख रुपये की राजकीय आय का नुकसान हुआ है सेल्स टैक्स में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही व्यक्ति को 4 दुकानें किस आधार पर दे दी गई....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य....

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, इर्रेलेवेन्ट प्रश्न तो मैं पूछ नहीं रहा....

श्री अध्यक्ष : लेकिन समय कम है ..

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार यदि सतर्क होती तो यह नुकसान नहीं होता। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि दुकानों की स्वीकृति 1982–83 को आधार मानते हैं, 4 लाख 82 हजार में दुकानें क्यों गईं ? इसका जवाब बता दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कीमत फिक्स करने का ताल्लुक है चूंकि शराबबन्दी खत्म हो गई उसके बाद नये तरीके से ही रिजर्व प्राइज तय करेंगे। इस साल उनमें 40 प्रतिशत ट्रेण्ड इन्क्रीज करेंगे, नेक्स्ट ईयर 10 पर्सेन्ट रेट इन्क्रीज कर उसकी रिजर्व प्राइज फिक्स होगी। अब सवाल यह आता है कि 5 दुकानें थीं उनमें से चार ही साल भर चलीं। इसलिये चारों दुकानों की पोजीशन यह आई कि 12–13 दिन बाद रिटेल वाली उठ गई। जो ठेकेदार थे इन्होंने सोचा, एक आदमी, जिसके पास से वह लेंगे, के पास सारी की सारी दुकानें आयेंगी। इसलिये उसका थोक माल बिकेगा हमारा तो नहीं बिकेगा इसलिए वह दुकानें उन्होंने नामन्जूर कर दीं अपनी अर्नेस्ट मनी जब्त करवा कर। इसके बाद इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि दुबारा दुकानें नीलाम कराई जावें। इसलिए एक ही आदमी के पास चली गईं। अगस्त तक इसकी बोली लगी। नीलामी के लिए जो भी तरीका है नोटिफिकेशन वगैरह निकलवाने का यह नोटिफाई करवाया गया कि फलां–फलां तारीख को अजमेर में दुकान नं. 1, 2, 3 नीलाम की जायगी। जब बोली नहीं लगती है तो अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाती है। इसलिए मैं यह नोटिस में लाना चाहता हूं, मान लीजिये थोक बिक्रीदार एक ही है तो जो भी शराब की बिक्री होगी उससे 1 रुपया 55 पैसे के हिसाब से लेते हैं और लाइसेंस फीस अलग ली जाती है। इस हिसाब से कोई दो लाख रुपया रहता है। जैसा मैंने निवेदन किया लास्ट ईयर जो पैसा आया उससे अधिक पैसा आ रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : आप एक बात बताइये, एक थोक की दुकान तो नगर परिषद् की सीमा के भीतर और दूसरी आपने बाहर खोल दी। जिससे सैल्स टैक्स की चोरी हो सके, इसकी स्वीकृति देने के क्या कारण हैं ?

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर की जो मन्जूर शुदा दुकानें हैं उसको अजमेर के बाहर देने का नियम नहीं है और पांच पर्सेन्ट नगरपालिका का टैक्स है और अजमेर के थोक व्यापारी राजस्थान भर को सप्लाई करते हैं। जब दुकान नगरपालिका सीमा से बाहर होगी तो नगर पालिका को लाखों रुपयों की हानि होगी। यह जो नियम विरुद्ध दुकान दी गई है उसके लिए क्या कहना है आपको ?

दूसरा यह कि अजमेर नगर में 33 दुकानें होनी चाहिये जिनमें से 14 दुकानें उठाई गईं तो बकाया दूकानें क्यों नहीं उठाईं ? अगर बकाया दुकानें नहीं उठायी जाती हैं तो नियम है कि या तो सरकार चलाये या गंगानगर शुगर मिल चलाये। प्राइवेट पार्टी पचास पर्सेन्ट प्राफिट लेती है

(श्री भूपाल सिंह)

और गंगानगर शुगर मिल 10 पर्सेन्ट। ये बाकी दुकानें बन्द रहीं इससे सरकार को भी करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ और व्यापारियों को आपने लूट की छूट दी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बोण्डेड वेयर हाउस का ताल्लुक है उसका अकाउन्ट हमारे आदमी के पास रहता है। बाहर से जितनी शराब आती है और जितनी बाहर निकलती है उसकी एण्ट्री की जाती है। शहर के बाहर रहने के कारण अगर ऐसा है तो उसके लिये नियम बना देंगे। ये दुकानें रिटेल की होती हैं लेकिन यह होलसेल का मामला है। अगर एक जगह कम पड़ती है तो दूसरी जगह से भी आकर बेच सकते हैं। उसका ताला-चाबी और अकाउन्ट रहना चाहिए, यह हमारा आदमी रखता है। आप शायद देशी मदिरा की बात कर रहे हैं। विदेशी मदिरा में गंगानगर शुगर मिल डील नहीं करता है।

श्री भूपाल सिंह : मैं देशी शराब की बात कर रहा हूं। नगरपालिका के बाहर लाइसेंस देकर आपने सरकार का करोड़ों रुपयों का नुकसान कर दिया। 14, 15 दुकानें उठी नहीं उनकी भी शराब बिकवायी। ये दुकानें बन्द क्यों रहीं? लोग आज भी चलाने की स्थिति में हैं। इससे सेल्स टैक्स का भी नुकसान हुआ है। आप वित्त मन्त्री जी हैं, आपके पास सेल्स टैक्स भी है और एक्साइज भी। इससे सेल्स टैक्स का नुकसान होता है और एक्साइज का भी नुकसान होता है। इसमें करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है, उसको दबाने के लिए आप स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। नगरपालिका के बाहर कैसे आपने दुकानें दे दीं जब कि एक्साइज एक्ट में यह प्रावधान नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक्साइज एक्ट के तहत जो भी एक्साइज वसूल करने योग्य होती है वह वसूल कर ली गई। सेल्स टैक्स चाहे शहर के बाहर हो या अन्दर वह वसूल हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बालचन्द आर्यवीर, श्री अनंगकुमार।

गुराड़िया जोगा जिला झालावाड़ के आयुर्वेद औषधालय में नर्स का रिक्त पद

134. श्री बालचंद आर्यवीर (डग)/ एवं श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि झालावाड़ के गुराड़िया जोगा आयुर्वेद औषधालय से नर्स का ट्रान्सफर माह जून, 1983 में होने के बाद अभी तक पद रिक्त चल रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र होने से महिलाओं को प्रसव तथा उपचार में दिक्कत अनुभव हो रही है? यदि हां, तो क्या रिक्त स्थान को भरने का सरकार विचार रखती है?

राज्य मन्त्री आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी): जी नहीं। झालावाड़ के गुराड़िया जोगा आयुर्वेदिक औषधालय से नर्स के परिवर्तन आदेश के साथ ही माह जून, 1983 में ही

(श्री दिनेश डांगी)

पद की पूर्ति कम्पाउण्डर से कर दी गई थी। महिलाओं को प्रसव तथा उपचार में दिक्कत की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। विभाग के औषधालयों में कम्पाउण्डर/नर्स के पद होते हैं, जिनके विरुद्ध कम्पाण्डर अथवा नर्स कोई पदस्थापित किया जा सकता है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि कम्पाउण्डर या नर्स किसी को भी लगाया जा सकता है, तो क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि कम्पाण्डड औरतों का इलाज कर सकते हैं ?

श्री दिनेश डांगी : हमारे आयुर्वेद विभाग में कम्पाउन्डर या नर्स, जो भी अवेलेबल होता है, उपलब्ध करा दिया जाता है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : कम्पाउन्डर औरतों के इलाज के लिए क्या करेंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्त्रियों के प्रसव के लिए नर्सेज की जरूरत होती है, अध्यक्ष महोदय, और ये कहते हैं कि मेल नर्स लगा दिया है। मन्त्री महोदय, अपना दिमाग साफ करिये।

श्री दिनेश डांगी : मेरा दिमाग तो साफ है × × × उसे साफ करिये। इस पोस्ट पर....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह × × × इसको आप पार्लियामेन्ट्री रखना चाहें तो रखें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे को इन्होंने × × × बनाया, इनके × × × कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैं पहले इस प्रोसीडिंग्स को देखूंगा। उसके बाद में अगर शब्द असंसदीय होगा तो मैं उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो × × ×।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस शब्द को आप सदन की कार्यवाही से निकाल दें। आप इनको ताड़ना दीजिये, मन्त्रीजी को।

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मेडिकल विभाग और आयुर्वेद विभाग में ऐसी हालत है कि जहां पर नर्स की जगह होती है वहां पर कंपाउन्डर भेज देते हैं और जहां पर कम्पाउन्डर की जगह होती है उसकी जगह नर्स या दाई भेज देते हैं। यह मैं न केवल आयुर्वेद विभाग के ही लिये कह रही हूं बल्कि मेडिकल विभाग के लिये भी कह रही हूं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को इस के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं जहां तक सवाल माननीय सदस्या का है उनके लिये तो आप कम्पाउन्डर की व्यवस्था करा दें और माननीय मन्त्री के लिये नर्स की व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले अपने उत्तर में बता दिया है कि हमारे आयुर्वेद विभाग में मेल और फीमेल नर्स के लिये कोई अलग से पोस्ट नहीं है। जहां भी कोई जगह खाली होती है वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त नर्स या कम्पाउन्डर, जो भी अवेलेबल होता है, को भेज देते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भवानी मण्डी क्षेत्र में छोटे से गांव, जहां कोई बड़ी जगह नहीं है, के लिये कह रहे हैं। वहां कम्पाउन्डर भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्री हंसराज शर्मा, श्री रामकिशोर मीणा, सुश्री पुष्पा जैन।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता

135. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर), **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) एवं **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता पद के कौन-कौन अभियन्ता कब-कब से कहां नियुक्त है ?

(2) मुख्य अभियन्ता के इन पदों का कब-कब सृजन हुआ ?

(3) मुख्य अभियन्ता के इन पदों में कौन-कौन से पद अभियन्ताओं की नियुक्ति नहीं होने के कारण खाली पड़े रहे और क्यों ?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) सूचना परिशिष्ट–क में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूचना परिशिष्ट–ख मे सदन के पटल पर रख दी गई है।

(श्री चेतराम मीणा)

(3) मात्र राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के मुख्य अभियन्ता (सिविल) का पद दिनांक 24-9-82 से 3-8-83 तक अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया के कारण रिक्त रहा।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : यह किस कारण से खाली पड़ा रहा ?

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : यह सूचना सदन के पटल पर मांगी नहीं गई है फिर भी सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है इसका क्या कारण है ? जब, अध्यक्ष महोदय, मांगी ही नहीं गयी है सूचना तो सदन की पटल पर क्यों रखी गई है ? आपने क्योंकि हाउस की टेबल पर रख दी है तो आप इसको पढ़कर सुनाओ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर रखने के लिये मांग ही नहीं की गयी है फिर भी सूचना सदन पटल पर रख दी गई है इसलिये आप मन्त्री महोदय को निर्देश दें कि वह इसको सदन के माननीय सदस्यों को पढ़ कर सुनायें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आप सदन पटल पर रख कर क्या गोपनीय रखना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी, आप इसको पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार है :—

मुख्य अभियन्ता का नाम	पदस्थापन का स्थान	कार्यभार सम्भालने की दिनांक
1	2	3
1) श्री एल० बी० बक्षी	जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रति नियुक्ति पर	3–8–83 से बीमार होने के कारण अवकाश पर
2) श्री एम.एम.एस. माथुर	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जयपुर।	6–8–83
3) श्री एम० सी० शर्मा (पथ)	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जयपुर।	3–8–83

(श्री चेतराम मीणा)

1		2	3
4)	श्री अखेयराज माथुर	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में प्रतिनियुक्ति पर	4–8–83
5)	श्री पी० के० लोरिया	आवासन मंडल में प्रति-नियुक्ति पर।	3–8–83
6)	श्री सी० वी० माथुर	राजस्थान राज्य पुल निगम में प्रतिनियुक्ति पर।	3–8–83

उपरोक्त मुख्य अभियन्ताओं के अतिरिक्त श्री के० के० सरीन, भारत सरकार में अतिरिक्त महानिदेशक (रोड्स) के पद पर, श्री बी० के० गुप्ता विदेश में प्रतिनियुक्ति पर एशियन बैंक मनीला में हैं और श्री जे० एम० मल्होत्रा, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर में पदास्थापित है।

परिशिष्ट 'ख' की सूचना इस प्रकार है :—

	स्थान	पद का नाम व संख्या	पद सृजन करने का दिनांक
1)	सार्वजनिक निर्माण विभाग	मुख्य अभियन्ता (भवन व पथ)	15–5–49
2)	सार्वजनिक निर्माण विभाग	मुख्य अभियन्ता (पथ)	21–7–83
3)	आवासन मंडल	आवासन आयुक्त	17–4–79
4)	जयपुर विकास प्राधिकरण	निदेशक (अभियान्त्रिक)	14–7–82
5)	पुल एवं निर्माण निगम	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक	8–2–79
6)	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल।	मुख्य अभियन्ता (सिविल)	24–9–82

(25)

(श्री चेतराम मीणा)

अध्यक्ष महोदय, पहले पी. डब्ल्यू. डी. में एक मुख्य अभियन्ता का पद था उसके बाद में दो किये गये थे, पर बाद में वित्तीय संकट होने के कारण कम कर दिये गये पर बाद में 24-9-82 को और काम बढ़ जाने के कारण पोस्ट क्रियेट हुई पर वह खाली रही।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि 15-5-49 से एक मुख्य अभियन्ता था। उसके बाद 1966 में सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कें बनाने हेतु एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की पोस्ट क्रियेट की गयी। सन् 1970 में वह चीफ इंजीनियर सर्किल सड़क में परिवर्तित कर दी गयी। 21-5-75 को एक अतिरिक्त चीफ इंजीनियर रोड्स का पद क्रियेट किया गया पर बाद में वित्तीय भार के कारण यह उचित नहीं समझा गया और समाप्त किया गया। इसके बाद में 21-7-83 को एक पोस्ट और सृजित की गयी पर यह पोस्ट 3-9-83 तक खाली रही। इसका कारण यह था कि आर. एस. ई. बी. में एक पोस्ट चीफ इन्जीनियर की खाली थी। इसका कारण यह रहा कि आर. एस. ई. बी. में जिस व्यक्ति को लेना चाहते थे वह व्यक्ति विशेष को देने में विभाग को आपत्ति थी। उसके बाद में दूसरे आदमी को ट्रान्सफर कर दिया गया इसलिये नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी हुई।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है क्योंकि बाद में जो पोस्ट क्रियेट की गयी वह एक व्यक्ति विशेष के लिये क्रियेट की गयी। एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये एक पोस्ट को वेकेन्ट रखा गया। बाद में उनको उस पर अपाइन्ट किया गया। वह व्यक्ति विशेष और कोई नहीं हैं, मुख्य मन्त्रीजी के भाई छैल बिहारी माथुर हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल असत्य है।

श्रीयदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल असत्य कह रहे हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो कहा है वह बिल्कुल असत्य है। पद इसलिये खाली रहा कि पदस्थापन की प्रक्रिया में देरी लगी।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : तो वह पद बिल्कुल खाली क्यों रखा गया ?

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो रेफरेन्स दिया है वह ठीक नहीं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह 24.1.82 को किया गया है यह तो कान्ट्राडिक्ट्री है। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग क-2 अंकेक्षण प्रकोष्ठ क्रमांक 405/कार्मिक क-5/ख 80 दिनांक 28-8-81 में पदोन्नति द्वारा आवश्यक

(श्री यदुनाथसिंह)

अस्थायी नियुक्ति दिया गया है। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अस्थाई पदोन्नति नहीं की जायेगी।

मेरिट के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर आवश्यक अस्थायी नियुक्ति नहीं की जायेगी। अस्थायी पदोन्नतियां केवल ऐसे पदों पर ही की जायेंगी जो केवल वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ही आते हैं। तो क्या यह मुख्य अभियन्ता की पोस्ट वरिष्ठता के आधार पर भरी गई थी या मेरिट के आधार पर? इसकी डी.पी.सी. नहीं हुई जबकि हाइएस्ट लेवल की पोस्ट पर नियुक्ति के लिए डी.पी.सी. होना आवश्यक है?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रेफरेन्स 28.8.81 के कार्मिक विभाग के आदेशों का दिया है, माननीय सदस्य के पास शायद 8.9.81 का यानी उसके पश्चात् का आदेश है F 6(3) DOP/AV/AAG/79 दिनांक 8.9.81। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस आदेश के तहत Making of urgent and temporary appointments" बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। इस तरह के पदों पर नियुक्ति की जा सकती है इसलिए कोई गलती नहीं हुई है।

श्री यदुनाथ सिंह : सर्विस रूल्स के अगेन्स्ट? अध्यक्ष महोदय, मैं सर्विस रूल्स के रूल 24 का सब रूल 7 पढ़ना चाहूंगा, जरा सुनाने की कृपा करें :

'Selection or promotion to the highest post in the State Service shall always be made on the basis of merit alone"

तो क्या मुख्य मंत्रीजी या सरकार सर्विस रूल्स में बिना कोई अमेंडमेंट किए इस तरह से कोई आदेश प्रसारित कर सकती है?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं सर्विस रूल्स में किसी तरह की एम्बीग्युइटी होती है, उसके लिये समय-समय पर आदेश निकाले जाते हैं। इसके संदर्भ में जो माननीय सदस्य ने पढ़ा है, मैं उपरोक्त संदर्भ को पढ़ना चाहता हूं। इस आदेश का सब्जेक्ट है :

"Making of urgent and temporary appointments : Para 3 :— The matter has been examined by Government and in partial Notification of this Department's Circular No. F 1(16) Karmik/Ka-II/67 dated 31st August, 1967, It has been decided that here-in-after, the promotion even on urgent/temporary basis on a post or posts, shall be made in accordance with the provisions contained in the relevant service rules, i.e. where a post to be filled in partially by merit or on the basis of merit alone promotion on urgent/temporary basis shall be made accordingly".

Page No 22

२२

(श्री चेतराम मीणा)

इसके तहत इनका हुआ है, कोई अनियमितता नहीं की गई है।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं कह रहा हूं वही सही है ना ? इसका मतलब यही हुआ जो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब अलग कहां हो गया ?

श्री चेतराम मीणा : इसमें आप पढ़िये पैरा 3, उसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। जहां इस तरह की बात हो, पैरा 3 में अपाइंटमेंट किया जा सकता है।

श्री यदुनाथ सिंह : किस आधार पर ?

श्री चेतराम मीणा : इसी आधार पर।

श्री यदुनाथ सिंह : कौन से आधार पर ? नहीं, आप गलत इन्टरप्रेट कर रहे हैं। रूल्स के आधार पर नहीं हुआ है। मैं किताब से बोल रहा हूं, आप टाइप किया हुआ बोल रहे हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कहीं रूल्स में कोई एम्बीग्युइटी होती है उस एम्बीग्युइटी को मिटाने के लिए समय समय पर आर्डर्स निकाले जाते हैं। ऐसी एम्बीग्युइटी है, जहां कहीं ऐसी इमर्जेन्सी आ जाती है....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कौनसे डाक्यूमेंट को आप आथेंटिक मानेंगे ? यह देखिए, फिर ऐसे क्या कारण हो गए कि मुख्य मंत्री महोदय को 28-8-81 को ऐसे आदेश प्रसारित करने पड़े ? ऐसी कौनसी आवश्यकता राजस्थान में आ गई ? जो आपने नाम पढ़कर सुनाए, जहां सिर्फ एक दो चीफ इंजीनियर होते थे वहां क्योंकि सी. बी. माथुर सबसे नीचे आते थे इसलिए चीफ इंजीनियर पर चीफ इंजीनियर बनाते चले गये। यह सिर्फ इसलिए किया गया रूल्स के बिना। मैरिट की हाइएस्ट पोस्ट पर किसी भी आधार पर रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, आप अमेंडमेंड करिए अगर करना चाहते हैं तो। डी. पी. सी के माध्यम से और मैरिट के माध्यम से करना ही पड़ेगा, सलेक्शन से आप नहीं लगा सकते।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : व्यक्तिगत नहीं लगा रहा हूं।

श्री चेतराम मीणा : मैं निवेदन करना चाहूंगा जो कुछ हुआ है, अकार्डिग्ग टु रूल्स हुआ है।

श्री यदुनाथ सिंह : कौनसे रूल्स के तहत हुआ है ?

श्री चेतराम मीणा : सुन लीजियेगा। मैं यहां सार्वजनिक निर्माण विभाग के एडीशनल चीफ इंजीनियर्स की सीनियोरिटी लिस्ट पढ़ना चाहूंगा जिसके द्वारा यह क्लियर हो जायेगा कि हमने कोई अनियमितता नहीं की।

(1) श्री के. के. सरीन।

(श्री चेतराम मीणा)

(2) श्री बी. के. गुप्ता।

(3) श्री जे. एम. मल्होत्रा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पढ़ने दीजियेगा। ऑर्डर आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं सुना देता हूं, है हमारे पास।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं सुना देता हूं। श्री के. के. सरीन, श्री बी. के. गुप्ता, श्री जे. एम. मल्होत्रा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। कृपया धैर्य रखें। आर्डर आर्डर। शांत रहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो सीनियोरिटी लिस्ट है, It has nothing to do with merit.

श्री चेतराम मीणा : मैं कहना चाहता हूं कि इनका अपाइंटमेंट कैसे हुआ। गलत हुआ या गलत बता रहे हैं उसको मैं सफाई दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर ऑर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तर्क दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे बातें न करें।

श्री चेतराम मीणा : (1) के. के. सरीन, (2) श्री बी. के. गुप्ता, (3) श्री जे. एम. मल्होत्रा, (4) श्री एल. बी. बक्षी (5) श्री अक्षेय राज माथुर, (6) श्री मन मोहन स्वरूप माथुर, (7) श्री एम. सी. शर्मा, (8) श्री पी. बी. लोरिया। (9) श्री सी. बी. माथुर। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीरियल नं. 8 तक सबको पहले प्रमोशन्स दिए जा चुके थे। हमारे पास जो अवेलेबल पोस्ट थी, उस पर नियुक्ति करनी थी इसलिए जो एलिजेबल व्यक्ति था, उसकी नियुक्ति की है, जो नियमानुसार है।

श्री यदुनाथ सिंह : उसके लिए पोस्ट क्रियेट की। मुझे तो एक बात बता दें, किस रूल के तहत आपने अपाइन्टमेंट किया?

अनेक माननीय सदस्य : बता तो दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : कहां बता दिया, किधर बता दिया, इस किताब में ढूंढ़कर बतायें, सर्विस रूल्स की किस धारा के तहत आपने अपाइंटमेंट्स किये?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

एक माननीय सदस्य : चीफ इंजीनियर के लिये लगेगा एलीजेबल है तो इसमें यह क्या बात हुई।

(व्यवधान)

Page No 24

(२५)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अव्यवस्था न फैलायें। माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : मुख्य मंत्री के भाई हैं तो बना दो ?

श्री माणक मल मेहता : अगर वह सीनियोरिटी में है तो होगा, यह क्या बात नई हुई ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : यह तो मानी हुई बात है, माथुर साहब ने आने के बाद माथुरवाद पनपाया है ?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया नियमों का ध्यान रखिये। अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 26 माथुर लगाए हैं और बिल्कुल अनियमितता से लगाए हैं। एक माथुर नहीं 26 माथुर इसी तरह से लगाए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जितने भी एम एल. ए और ये जन प्रतिनिधि हैं, उनके सारे रिश्तेदारों को राजस्थान से बाहर निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री महेंद्र कुमार। वन राज्य मंत्री जी।

कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

जिला डूंगरपर में अवैध कब्जेदारी के मामलों का निराकरण

136. **श्री नाथूराम** (डूंगरपुर) [श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर) अनुपस्थिति में] : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में वर्ष 1970 से पूर्व के भूमि पर अवैध कब्जेदार के पर्याप्त मामले बकाया थे ? क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने उन्हें नियमित करने संबधी आदेश भी जारी किये थे ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने मामलात में से कितने निपटाये गये और कितने शेष हैं तथा उन्हें नियमित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राज्य मंत्री, वन(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर) : जी हां, दिनांक 31–12–70 तक डूंगरपुर जिले में वन भूमि पर 293 अवैध कब्जे के मामले हैं।

राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों व गाइड लाइन्स के अनुसार उक्त मामलों में से 185 मामले जिला स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 1977–78 में नियमित किये गये एवं शेष 108 मामले नियमन योग्य नहीं पाये जाने से नियमित नहीं किये गये। इन शेष रहे मामलों का विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा पुनरावलोकन किया जा रहा है।

श्री नाथू राम : डूंगरपुर जिले में मंत्री महोदय ने 293 कुल केसेज बताये उनमें से 185 का फैसला कर दिया गया और 108 बाकी हैं। यह सत्य है कि जिन किसानों ने भूमि पर कुएं खोदे हैं, नहरें बनाई हैं, मकान बनाए हैं और जिनका

(श्री नाथूराम)

उस पर कब्जा है उसके बावजूद भी बारबार वे लोग दंडित होते हैं, उनके नाम का कोई रेगुलराइजेशन नहीं होता और उनके नाम जमीन नहीं की जाती है । आप जब डूंगरपुर जिले में पधारे थे उस समय भी इस तरह की बातें बताई थीं, शायद लिस्टें भी वन विभाग से बताने के लिए कहा था, वह पहुंची हों या नहीं पहुंची हों, काफी नाजायज कब्जे रेगुलराइज नहीं हुए हैं, ये कब तक किए जायेंगे, इस बारे में मंत्री महोदय बताने की कृपा करें ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसेज पर निर्णय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। मैंने आज ही आदेश दिये हैं कि दो महीने में सारे ऐसे केसेज डिसाइड करके सूचित करें ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी का फैसला डूंगरपुर जिले के लिए होगा या सारे उदयपुर डिवीजन के लिए होगा ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक को जवाब दे दूं आप फिर पूछ लेना ।

यह जो कमेटी बनाई गई है राजस्थान में जंगलात की भूमि के ऊपर जितने भी अतिक्रमण हैं 1–1–71 के पहले के, उन सभी केसेज को देखेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल ।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सन् 1970 के पहले 293 मामले जंगलात भूमि पर नाजायज कब्जे के थे जिनमें से आपने 185 मामले खतम कर दिये, 108 बाकी हैं। क्या यह सही है जो कि वन विभाग की भूमि पर 181 मामले ऐसे हैं जो न्यायालय में चल रहे हैं महज इसलिए कि आदिवासियों का आपने 1970 के पहले कब्जा नहीं माना, परिणामस्वरूप उनको न्यायालय में जाना पड़ा और आज तक उनकी यह हालत है, आज तक फैसला नहीं होने के क्या कारण हैं ? क्या यह बात भी सही है कि उन लोगों से संबंधित अधिकारी ने जो कुछ मांगा, चाहा उसके हिसाब से पूर्ति नहीं की गई ?

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 108 मामले ऐसे पाये गये थे जो नियमन के योग्य नहीं थे ।

श्री नन्दलाल मीणा : 1970 के पहले के थे फिर नियमन योग्य कैसे नहीं माने गये? सन् 1970 के पहले उन्होंने कब्जे किये फिर उनको नियमन योग्य क्यों नहीं माना ? नियम यह था कि 1970 के पहले के जितने थे उन सबको रेगुलेराइज कर दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि 293 मामले डूंगरपुर जिले के 1.1.71 के पहले पाये गये उनमें से 185 मामले निर्णीत कर दिये गये और बाकी के 108 मामले और जो बाकी बचे थे उनको उस कमेटी ने नियमन योग्य नहीं

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

पाया। लेकिन सरकार ने कहा कि एम.एल.ए. साहबान वगैरह की एक कमेटी बनवा कर उन केसेज का वापस खुलवाकर, इन मामलों को दुबारा देखें, अगर कहीं थोड़ी सी भी इस प्रकार की साक्षी है जैसे कि उस पर कोई मकान बनवा लिया, कुएं के ऊपर लोन ले लिया, सहकारी समिति का उस पर कोई लोन है या कोई....

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, जो 108 मामले थे, वह 1970 के पहले के हैं जो नियमन होने चाहिए थे। आपने अब तक नहीं किये इसके क्या कारण हैं? कमेटी जो बनाई है उसके सदस्य कौन-कौन हैं? यह आप बता दें। आपने कमेटी कब बनाई है और कमेटी इन मामलों का कब तक निपटारा कर देगी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री आमलिया पूरक प्रश्न पूछेंगे। माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द आमलिया : माननीय वन मंत्रीजी, पिछली बार डूंगरपुर गये थे तब आप आश्वासन देकर आये थे जिला प्रमुख और जिलाधीश को कि जितने मामले बाकी हैं उनको आप इतने समय में निपटायेंगे। उसके बाद में क्या प्रगति रही, यह आपने जानकारी की है क्या? सन् 1970 से लेकर अब तक कितने मामले डूंगरपुर में पेंडिंग हैं? जंगलात केसेज की आपके पास कोई रिपोर्ट आयी है क्या?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, 108 मामले थे डूंगरपुर में जैसा मैंने पहले बताया, उन केसेज में से 37 केसेज का पुनरावलोकन किया जा चुका है और बाकी का किया जा रहा है। जैसा मैंने अभी सदन को आश्वासन दिया, दो महीने में इन सारे केसेज के बारे में निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल।

श्री भैरूंलाल : अध्यक्ष महोदय, वो कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी कि बहुत से किसानों के जैसे आराजी जमीन पर नाजायज कब्जे होते हैं वह आराजी एक ही होती और उसमें से पटवारी अलाटमेंट कर देते हैं, इतनी बीघा फलां के नाम, इतनी बीघा फलां के नाम और पटवारी जी मौके पर पेन्सिल से मार्क कर देते हैं, पेन्सिल से आराजी नम्बर में मार्क कर देते हैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य, समय हो गया है।

श्री भैरूंलाल : एक मिनट में।

फिर क्या होता है पेन्सिल मार्क हटा दिया जाता है और उसी आराजी जमीन का अलाटमेंट दूसरे के नाम हो जाता है। कमटी इस बात का ध्यान रखे कि इस तरह से जो डबल नामांकन, अलाटमेंट हो जाते हैं। उसका ध्यान रखे जिससे किसानों को आसानी हो सकें।

श्री बहादुर सिंह : मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कुल कितने केसेज ऐसे बने हुए हैं, 1.1.71 के पूर्व जिन लोगों ने नाजायज

(श्री बहादुर सिंह)

कब्जे किये हैं, उन लोगों ने दण्ड, पैनल्टी भरी है उनको रसीद नहीं मिली। उसका क्या सबूत है, क्या प्रूफ है आपके पास ? एक।

नम्बर दो, माननीय मंत्री महोदय यह भी बतायें कि हर जिले में क्या ये कमेटियां नियुक्त की गई हैं और उन कमेटी में कौन-कौन अधिकारी और जन प्रतिनिधि सदस्य, हैं ? कृपया यह भी बतायें.?

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़। अंतिम पूरक प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगलात की भूमि पर नाजायज कब्जे बहुत पुराने हैं। यह सवाल बार-बार विधान सभा में भी आता है, आदिवासियों का यह आम मसला है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो 1971 के पहले के मामले डूंगरपुर जिले के थे जिसमें 185 तो कम्पलीट कर दिये, नियमित कर दिये और 108 बाकी रहे। क्या ऐसे मामले आपके ध्यान में लाये गये हैं जिनमें सन् 1965 से पहले का कब्जा है, जिनके कुएं खुदे हुए हैं मकान बने हुए हैं लेकिन आपके जंगलात विभाग वाले कभी वहां गये नहीं और आज की तारीख में भी, अध्यक्ष महोदय, उनके नये कब्जे आज से मानकर उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही है ? क्या कमेटी और आपके अधिकारी तुरन्त मौके पर जाकर फिजीकली देख करके फिर फैसला देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं वन विभाग की भूमि पर जिन आदिवासियों ने कब्जा कर रखा है, क्या वन विभाग कायम होने से पहले उनके पूर्वजों की कोई जमीन थी ?

श्री नन्दलाल मीणा : जिला स्तर की कमेटियां नियुक्त की हैं, वह कमेटी कब तक अपना फैसला दे देंगी ? जिस दिन कमेटी ने एक्शन नहीं लिया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यह बता दें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सवाल किये हैं उनके सम्बन्ध में जहां तक अलाटमेंट का सवाल है पटवारी उसमें कुछ लाइन खींचते हैं और मिटा देते हैं इसके लिए जो कमेटी बनी हुई है, उसको मैं निर्देश दे दूंगा, वह इस सम्बन्ध में ध्यान रखें।

एक बात यहां पर कही कि कमेटी में कौन-कौन से सदस्य हैं। इस सम्बन्ध में जो डूंगरपुर के लिए कमेटी बनाई गई है उसमें असिस्टेन्ट फारेस्टर, सेटलमेंट आफिसर वहां के असिस्टेंट कन्जरवेटिव ऑफ फारेस्ट और रेंज आफिसर ये तो उन मामलों के लिए हैं जो पहले से कमेटी बनी हुई थी। जो सरकार के आदेश से हर जिले में है उसमें कलेक्टर उसका पदेन चेयरमेन होता है, वहां का एस.डी.ओ. उसका मैम्बर होता है और जिला प्रमुख भी उसका मेम्बर होता है। ये तीन आदमी ऐसे सारे केसेज का निर्णय करते हैं कि कौन-कौन से केस 1.1.1971 के पहले के कब्जे हैं, नियमन करने के योग्य हैं या नहीं।

Page No 28

(28)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय असत्य बयान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें।

श्री महाराम चौधरी : आदिवासी बहुत मुसीबत में हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अंकित न हो।

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, आप व्यर्थ में समय ले रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है। भाषण नहीं होंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था फैला रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर अंकित न हो।

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी में क्या मंत्री महोदय जन प्रतिनिधियों को रखने की भी इच्छा रखते हैं ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक बात का आश्वासन दिला दें। क्या मंत्री महोदय इस तरह का आश्वासन देंगे कि जब तक यह मामला सैटल होता है तब तक उनकी फसल को नष्ट नहीं किया जायेगा, उनकी झोंपड़ियां नष्ट नहीं की जायेंगी ? क्या इस तरह का आप आश्वासन देने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुजानसिंह यादव : क्या मंत्री महोदय इस कमेटी में जन प्रतिनिधियों को रखने की भी इच्छा रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने सुना नहीं।

श्री सुजानसिंह यादव : क्या मंत्री महोदय जो कमेटी बनाई है उसमें जन प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व कायम करेंगे या रखेंगे उसमें ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य। मैंने प्रश्नकाल समाप्त कर दिया।

श्री सुजानसिंह यादव : यह बहुत अहम् मसला है। इसमें सब अधिकारी शामिल कर दिये, इसमें जनता........

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी मैंने इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ('आर्डर' आर्डर)। प्रश्न-काल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, आप तो अनुभवी हैं।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ज्वलंत समस्या है, इश्यू है। ट्राइबल एरिया का जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना जरूरी है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां जिला प्रमुख........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो अनुभवी हैं।

श्री पीरूराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एम० एल० ए० या कन्सर्न्ड एरिया का आदमी शरीक किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : इसमें जन प्रतिनिधि जरूरी है, साहब।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी इलाके में आदिवासी परेशान हैं। आप कभी वहां पधारें तो देखेंगे कि आदिवासी फटेहाल हैं। जंगलात वालों ने उनकी क्या हालत की है वह मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यही कहें कि वहां के स्थानीय जन प्रतिनिधियों को शामिल करेंगे। इससे उनकी समस्या सुलझ सकती है। या मुख्य मंत्रीजी इस बात का आश्वासन दे दें कि उनकी खड़ी फसल को नष्ट नहीं करवायेंगे। फसल पकने को आई है वह नष्ट नहीं करायेंगे........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सदन के नेता।

श्री मेघराज तावड़ : ठीक है, मंत्री महोदय खड़े होकर कह दें, आपको पता नहीं है। मुख्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन दे दें कि खड़ी फसल को नष्ट नहीं करवायेंगे।

(व्यवधान)

आप तो ××× हो........

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। सदन के नेता कुछ कहना चाहते हैं कृपया ध्यानपूर्वक सुनें।

मुख्य मंत्री श्री शिवचरण (माथुर) : माननीय सदस्यों की इच्छा और भावनाओं को समझाते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कमेटी में जन प्रतिनिधियों को भी शामिल करने पर विचार किया जाएगा। दूसरी बात इस समिति द्वारा जो कुछ भी राय आयेगी उस पर निर्णय लेने से पहले खड़ी फसल को नष्ट नहीं किया जायेगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चौमू तहसील के गांवों में पेयजल योजना

170. **श्री तेजपाल यादव (चौमू) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की तहसील चौमू के किन-किन ग्रामों में पेयजल योजना चालू है और किन-किन ग्रामों में पेयजल योजना स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है? कितने गांव अभी तक पेयजल योजना के अन्तर्गत नहीं लिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि किशनपुरा, नरसिंहपुरा, मलिकपुर, मन्ढा-भिण्डा, बावड़ी गोपीनाथ, सिरस्यावगड़ी, गुडलिया आदि ग्रामों के लिये जल प्रदाय योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इन गांवों में पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की तहसील चौमू में जिन-जिन ग्रामों में पेयजल योजना स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है उसकी ग्रामवार सूचना क्रमशः प्रपत्र "अ" और "ब" में संलग्न है। अगस्त, 83 तक 35 ग्राम किसी भी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि ये समस्यारहित ग्राम हैं।

(2) ग्राम किशनपुरा में पम्प एवं टैंक योजना निर्माणाधीन है और शेष ग्राम समस्यारहित ग्राम हैं व राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार केवल समस्याग्रस्त ग्रामों के लिये पेयजल योजनायें बनायी जाती हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

मेजा बांध से भीलवाड़ा नगर की टंकी तक पाइप लाइन

172. **श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) एवं श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा नगर के वाटर वर्क्स की टंकी तक मेजा बांध से पाइप बिछाने की योजना स्वीकृत हुये कितनी अवधि हो गई ?

(2) उक्त योजनार्थ आज तक-किस साइज का किस-किस किस्म का कितनी

(श्री बंसीलाल पटवा)

इंची पाइप किन से किन शर्तों पर किन-किन तिथियों में कितनी कीमत पर खरीदा गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें। यह योजना कब तक पूरी होगी ?

उत्तर

(1) यह योजना अगस्त 1982 में स्वीकृत की गई थी।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इस योजना पर कार्य धन उपलब्धि के अनुसार वर्ष 84–85 में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जिला बीकानेर में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जलप्रदाय योजनायें

173. श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) एवं श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की भू-जल विदोहन योजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले में नलकूप निर्माण व खुले कुओं की बोरिंग का कार्य नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या बीकानेर सूखा संभाव्य क्षेत्र नहीं है ? यदि हां, तो उसमें नलकूप व खुले कुओं की बोरिंग नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या चालू वित्तीय वर्ष में बीकानेर जिलान्तर्गत तहसील कोलायत के नलकूप निर्माण व खुले कुओं की बोरिंग कराने की सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) बीकानेर जिले में भू-जल विभाग द्वारा जल-प्रदाय विभाग के लिए व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों व बोरिंग द्वारा गहरे खुले कुओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बीकानेर जिला भी सूखा संभाव्य क्षेत्र में है। बीकानेर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण के आधार पर कोई भी ऐसे पोटेन्शियल-जोन नहीं मिले, जिनमें भू-जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो सकें। अतः भू-जल विदोहन की कोई योजना नहीं बनाई गई।

(2) जी नहीं।

(3) बीकानेर जिले में भू-जल विभाग द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 6 (छः) नलकूप एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 11 (ग्यारह) नलकूपों का निर्माण किया गया, की सूची सदन के पटल पर (संलग्न) रख दी गई है। उक्त अवधि में बोरिंग द्वारा कोई खुले कुओं को गहरा नहीं किया गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ग्राम रूण्डल (आमेर) में पेयजल योजनाएं

174. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

Page No 32

(32)

(सुश्री पुष्पा जैन)

(1) क्या यह सही है कि आमेर तहसील के ग्राम रूण्डल में पेयजल योजना मंजूर हुई है ? यदि हां, तो कब और कौन-सी योजना स्वीकृत की गई है और अब तक इसे कार्य रूप में परिणत क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना हेतु ग्रामवासियों ने अग्रिम राशि जमा कराई है ? यदि हां, तो कितनी राशि कब से जमा है ?

(3) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही ग्रामवासियों के पेयजल की समस्या सुलझाने हेतु उक्त योजना को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इसे चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां । आमेर तहसील के ग्राम रूण्डल में वर्ष 1981–82 में पम्प एण्ड टैंक योजना स्वीकृत की गयी थी और कार्य प्रगति पर है ।

(2) जी हां । इस योजना के अन्तर्गत जन सहयोग के रूप में 17,500/- रु. जमा कराये हैं, जिसमें से 2,500/- रु० मार्च 1973 से एवं 15000/- रु० अगस्त, 1981 से जमा हैं ।

(3) जी हां । आंशिक रूप से जल वितरण इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है ।

सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति

175. **श्री कैलाश मेघवाल**(अजमेर पूर्व) एवं **श्री गुलाबचन्द कटारिया**(उदयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ताओं के पद पर आदेश दिनांक 23-11-1979 के द्वारा पदोन्नतियां की गई थीं ? यदि हां, तो किस किस की ? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश के तहत दिनांक 3-3-1979 व 25-5-1979 को उप अभियन्ता की केडर से कनिष्ठ अभियन्ता की केडर में परिवर्तित व्यक्तियों की पदोन्नति की गई हैं ? जब कि इनसे वरिष्ठ केडर परिवर्तित कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति नहीं की गई ? यदि हां, तो किन किन को, किन किन कारणों से ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार वरिष्ठ केडर परिवर्तित कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के आदेश दिनांक 16-3-1983 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थानान्तरण पदस्थापन सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर कार्यकारी व्यवस्था के रूप में किये गये हैं ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(5) क्या सरकार उपरोक्त आदेश में उल्लेखित व्यक्तियों को सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति लाभ देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वश्री भगती लाल व गुरू सेन्द्र सिंह को पदोन्नत किया गया था। आदेश दिनांक 23-11-79 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। परन्तु किसी भी केडर परिवर्तित वरिष्ठ/कनिष्ठ अभियन्ता को पदोन्नति से वंचित नहीं रखा गया है। इनसे कनिष्ठ कनिष्ठ अभियन्ताओं का मामला विचाराधीन है।

(3) नियमानुसार पदोन्नत की जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां।

(5) जी हां आदेश दिनांक 16-3-83 में उल्लेखित व्यक्तियों को पदोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

भारम्सर-भारेवाला जिला जैसलमेर की ग्रामीण योजना

176. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जैसलमेर जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजना भारम्सर-भारेवाला के अन्तर्गत अब तक कितना कार्य पूर्ण करा दिया गया है ?

(2) उक्त योजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) उक्त योजना के पूर्ण होने तक कितनी धनराशि अनुमानित व्यय की जावेगी व यह योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) इस योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन का कार्य लगभग पूर्ण होने पर है व शेष कार्य प्रगति पर है।

(2) उक्त योजना पर अब तक प्रथम चरण में 37.58 लाख रुपये, द्वितीय चरण में 20.40 रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(3) उक्त योजना के पूर्ण होने तक करीब 72 लाख रुपये की अनुमानित राशि व्यय की जाएगी तथा इस योजना का प्रथम चरण वर्ष 83-84 व द्वितीय चरण वर्ष 84-85 के अन्त तक पूर्ण कर क्रियान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

फागी के बांध राणीसागर का निर्माण

177. **श्री राम कंवार बैरवा** (फागी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री राम कंवार बैरवा)

(1) क्या यह सही है कि तहसील फागी के बांध राणीसागर के सुधार के लिए एक लाख पिचहत्तर हजार रुपये मंजूर किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि आधी रकम भी खर्च नहीं की गई तथा काम को अपूर्ण रख दिया गया है, जब कि 50 प्रतिशत धनराशि लैप्स हो गयी ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त बांध के अधूरे कार्य को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । तहसील फागी में रानी सागर (लसाड़िया) बांध के लिए जुलाई, 1981 की बाढ़ से हुई क्षति के लिए राहत विभाग द्वारा वर्ष 1981–82 में 2,95,000 रूपये की स्वीकृति दी गयी थी । तथा यह निर्देश थे कि केवल मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु ही व्यय किया जाये ।

[2] जी नहीं । बांध की पूर्ण मरम्मत की जाकर बाढ़ से पूर्व की स्थिति में ला दिया गया है । सहायता विभाग द्वारा जयपुर जिले के लिए स्वीकृत धनराशि में से कोई राशि लैप्स नहीं हुई है ।

[3] सहायता विभाग द्वारा सिर्फ बांध की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु धन राशि उपलब्ध करायी गयी थी एवं यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है । अतः शेष कार्य का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

जिला जैसलमेर में जल वितरण योजनायें

178. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जैसलमेर जिले में वर्ष 1981–82, 1982–83 में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पाइप से जल वितरण करने की कितनी योजनायें स्वीकृत की गईं ?

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से कितनी योजनाएं पूर्ण कर दी गई हैं व कितनी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है ?

(3) उक्त योजनाओं से कितने ग्रामों में जल वितरण सुचारु रूप से किया जा रहा है ?

(4) उक्त योजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? कृपया योजनावार विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में वर्ष 1981–82 में 19 क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं व वर्ष 1982–83 में 32 क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

(2) सभी योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) उक्त योजनाओं से 37 ग्रामों में जल वितरण सुचारु रूप से किया जा रहा है।

(4) इन योजनाओं पर अब तक 227.94 लाख रु० की राशि व्यय की जा चुकी है। योजनावार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

दीगोद विधान सभा क्षेत्र के बान्धों का निर्माण

179. **श्री रूपलाल परमार** (खेरवाड़ा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा जिले के दीगोद, विधान सभा क्षेत्र के चारचोंमा, खातीखेड़ा एवं डारडा सिंचाई योजना का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ, परियोजना के तहत इन बांधों का कार्य कब तक पूर्ण होना था? वर्तमान में इन कार्यों पर कुल कितना व्यय हो चुका है, अब कितना कार्य बाकी है उस पर कितना व्यय होगा ?

(2) उक्त बांधों पर गत वर्ष 1982-83 एवं 1983 सितम्बर तक कुल कितना व्यय हुआ?

(3) अब इन बांधो से कब तक सिचाई प्रारम्भ हो जावेगी ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 3, 4, 5, 6, व 7 में दर्शाया गया है।

(2) विवरण संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 8 एवं 9 में दर्शाया गया है।

(3) चोमा व खातीखेड़ा से गत वर्ष की रबी से सिचाई प्रारम्भ हो गई है। दोहरा मे सिचाई शेष आवश्यक राशि की उपलब्धि पर रबी वर्ष 1984-85 में प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला बांसवाड़ा में हैण्ड पम्प

180. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल कितने हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं? उसमें से कितने चालू व कितने खराब पड़े हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं जहां एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा? यदि हां, तो कौन-कौन से और क्यों ?

(3) क्या सरकार अब इन गांवों में हैण्ड पम्प लगाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि जिस ठेकेदार ने हैण्ड पम्प लगाये थे उसने हैण्ड पम्पों को

(श्री फतेसिंह)

250 फीट गहरा करने के बजाय 100 फीट ही गहरे खोदे तथा 250 फीट गहरे की दर से रकम का भुगतान प्राप्त किया ? यदि हां, तो सरकार ठेकेदार के विरुद्ध, कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाडा जिले में कुल 2785 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं जिनमें से दिनांक 6.6.1983 को 2613 हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं और 172 हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, ऐसे 36 गांव हैं जहां एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा हुआ है, उसकी सूचना संलग्न है। हैण्ड पम्प लगाने का कार्य वर्षवार धन उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वित किया गया था।

(3) जी हां इन गांवों में हैंड पम्प वर्ष 1983-84 में लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

(4) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के किये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जनजाति, उपयोजना क्षेत्र की जलप्रदाय योजनायें

181. **श्री थानसिंह** (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1980–81, 1981–82 1982–83, 1983–84 में कितनी-कितनी जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई और अन्य इलाकों में कितनी जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जलप्रदाय योजना में भेदभाव बरता गया है ?

(3) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्र सलूम्बर में एक भी जलप्रदाय योजना गत 3 वर्षों में स्वीकृत नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

चम्बल सिंचाई परियोजना में लिफ्ट इरिगेशन

182. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चम्बल सिंचाई परियोजना में

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

लिफ्ट सिंचाई द्वारा कितनी भूमि को सिंचित करने का प्रावधान था ?

(2) क्या लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल निगम को लिखा गया है ? यदि हां, तो कब और उसकी क्या प्रगति है ?

(3) क्या केन्द्रीय जल निगम ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कुछ सूचनाएं चाही हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार को कब लिखा गया है ?

(4) क्या सरकार ने वांछित सूचनाएं केन्द्रीय जल निगम को प्रेषित कर दी हैं ? यदि हां, तो कब ?

(5) इन लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर सामान्य रूप से प्रति एकड़ कितना व्यय सम्भावित है ?

(6) सामान्य रूप से फ्लो इरिगेशन हेतु नहरों के निर्माण पर प्रति एकड़ कितना व्यय अनुमानित है ?

उत्तर

(1) चम्बल की 1954 की परियोजना रिपोर्ट में दायीं व बाईं मुख्य नहरों से लिफ्ट सिंचाई द्वारा 22,800 हैक्टेयर (57,000 एकड़) में सिंचाई का प्रावधान था।

(2) जी हां। लिफ्ट सिंचाई योजना का विस्तृत तखमीना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1979 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया था, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों का उत्तर समय-समय पर प्रेषित किया जाता रहा है। अप्रेल व जुलाई, 1983 में प्राप्त टिप्पणियों का उत्तर शीघ्र भेजा जायेगा।

(3) उक्त तखमीने की जांच करते हुए केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न निदेशालयों से दिनांक 28.9.79, 29.12.79, 1.12.80, 30 7.81, 29.4.82, 20.4.83 व 25.7.83 को टिप्पणियां राज्य सरकार को प्राप्त हुई। इनमें से प्रथम पांच टिप्पणियों का उत्तर दे दिया गया है।

(4) भाग तीन में वर्णित प्रथम पांच टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 8.5.81, 9.10.80, 8.5.81, 30.12 81 एवं 20.11.82 को केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किये गये।

(5) प्रस्तावित तखमीने के अनुसार चम्बल कमाण्ड में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्यों पर व्यय 951 से 1528 रुपये प्रति एकड़ की लागत आयेगी। यह लागत 1980 के बेसिक शिड्यूल आफ रेट्स पर आधारित है।

इसके अतिरिक्त इन योजनाओं पर पानी को लिफ्ट करने हेतु रेकरिंग व्यय भी प्रति वर्ष करना होगा।

(6) सामान्य रूप से समान धरातल वाले क्षेत्र में प्रवाह सिंचाई हेतु नहरों के निर्माण पर 1500/- रुपये प्रति एकड़ 1980 के बी. एस. आर. के अनुसार आती है।

हैण्ड पम्पों की निजी ठेकेदारों से खुदाई का आदेश

183. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 23 जुलाई, 1983 के एक आदेश द्वारा हैण्ड पम्पों को निजी ठेकेदारों से खुदाई कराने के निर्णय की सूचना प्रसारित की है? यदि हां, तो कृपया ऐसे पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखे ?

उत्तर

जी हाँ। पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(पत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखे)

कुम्हेर में उद्योग स्थापित करने की योजना

184. **श्री हरीसिंह** (कुम्हेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे व आस पास के ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान हेतु व औद्योगिकरण हेतु कुम्हेर में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई योजना सरकार अथवा रीको के विचाराधीन है अथवा भविष्य में बनाये जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। भरतपुर जिले में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि०, द्वारा दो औद्योगिक क्षेत्रों भरतपुर और डीग की स्थापना की गई है। कुम्हेर कस्बा भरतपुर व डीग के मध्य स्थित है। चूंकि अभी तक भरतपुर एवं डीग औद्योगिक क्षेत्रों में ही औद्योगिक भूखण्ड रिक्त पड़े हुए हैं अतः कुम्हेर जैसे छोटे कस्बे मे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना अभी औचित्य पूर्ण प्रतीत नहीं होता।

फिर भी यदि कोई उद्यमी कुम्हेर में उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन करेगा तो राज्य सरकार द्वारा उसे हर सम्भव सहायता प्रदान की जावेगी।

जिला विकास अभिकरण पाली द्वारा विकास कार्य

185. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला विकास अभिकरण, पाली द्वारा पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में जून, 1980 से जुलाई, 1983 तक कितने विकास के कार्य सम्पन्न किये व कितने चालू हैं ? कृपया पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न मदों के तहत उक्त पंचायत समितियों में कितनी ऋण सुविधायें सुलभ कराई गईं। कृपया पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा जून, 80 से जुलाई, 83 तक की

(विशिष्ट योजना मंत्री)

अवधि में एकीकृत ग्रामीण विकास, सूखा संभावित क्षेत्रीय विकास योजना एवं मरु विकास योजनान्तर्गत कुल 34 कार्य स्वीकृत किये गये थे जिनमें 7 कार्य हो चुके हैं और 27 कार्यों में कार्य चालू हैं। सूची संलग्न है।

(2) जिला विकास अभिकरण द्वारा कोई ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है क्योंकि अभिकरण स्वयं किसी प्रकार का ऋण नहीं देता है। बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधाओं का पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है :

अ–एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

पंचायत समिति	संख्या	ऋण राशि (लाखों में)
मारवाड़ जंक्शन	1414	32.36
रानी	1493	31.78
देसूरी	1868	39.56
कुल योग :—	4775	103.70

वर्ष वार विवरण संलग्न है।

ब–नलकूप हेतु ऋण

पंचायत समिति	संख्या	ऋण राशि (लाखों में)
मारवाड़	17	2.93
रानी	....	....
देसूरी	....	....

स–बायोगैस

पंचायत समिति	संख्या	ऋण राशि (लाखों में)
मारवाड़ जंक्शन	13	0.435
रानी	17	0.705
देसूरी	5	0.145

द–पंचायत वार रिकार्ड एकत्र किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की योजना

187. **श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)** : क्या सांख्यिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में कितने-कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे ? कुल जनसंख्या का यह क्या-क्या प्रतिशत था ?

(2) लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ? छठी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

(3) गरीबी रेखा के माप के क्या आधार हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष वार यह सूचना अनुमानित नहीं की जाती। योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के अनुमान वर्ष 1977-78 में बनाए गये थे, जिसके अनुसार राजस्थान राज्य में 33.75 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र एवं 33.80 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में है।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की दशा सुधारने हेतु राज्य के समस्त 236 विकास खण्डों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2.10.1980 से लागू किया गया है इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट योजना, अनुसूचित जन जाति उपयोजना आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है जो गरीबी कम करने में सीधे सहायक हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के लिए इस प्रकार के अनुमान नहीं बनाये गये हैं।

(3) योजना आयोग के दिशानिर्देश पत्र (Guidline) के अनुसार 1977-78 के भावों पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 65 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोक्ता व्यय जो कि कम से कम 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समकक्ष है, से नीचे जीवन यापन करने वालों को गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के लिए 75/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह पारिवारिक उपभोक्ता व्यय (House-hold Consumer Expenditure) जो कि 2100 केलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, को गरीबी की रेखा माना गया है।

दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस

189. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में हाल ही में किसी कमरे को तोड़ा गया ?

(2) क्या कमरे को तोड़ते वक्त वहां कोई विधायक निवास करते थे, जिनका कीमती सामान बाहर फिकवा दिया गया ? यदि हां, तो यह सामान क्या था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कमरा नं० 3 व कमरा नं०4 के बीच की दीवार के एक हिस्से को राज्यपाल महोदय के लिए सूट (Suite) बनाने व दरवाजा निकालने के लिये तोड़ा गया।

(2) कमरे की दीवार का एक हिस्सा तोड़ते समय कोई विधायक नहीं ठहरे हुवे थे अतः उनके सामान को बाहर फिकवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम बांदर सिन्दरी, जिला अजमेर में वेश्यावृत्ति

190. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बांदर सिन्दरी, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के बस स्टेण्ड पर नट जाति की महिलाओं द्वारा वेश्यावृत्ति की जाती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बांदर सिन्दरी ने एस. पी. अजमेर को इस संबंध में अनेक शिकायती पत्र लिखे हैं? यदि हां, तो इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के उप पुलिस अधीक्षक ने इन वेश्याओं के अड्डों पर छापे मार कर इनको गिरफ्तार भी किया था?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बांदर सिन्दरी में इन नट जाति की महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि वे वेश्यावृत्ति करती हैं?

(4) क्या यह सही है कि अनेक मासिक पत्रों में बांदर सिन्दरी के बस स्टेन्ड पर खुले आम वेश्यावृत्ति होने के समाचार छपे हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि अनेक समाचार-पत्रों व ग्राम पंचायत बांदर सिंदरी के सरपंच ने वहां के हैड कांस्टेबल पर यह आरोप लगाया है कि वह इन वेश्याओं से कमीशन लेता है।

उत्तर

(1) ग्राम बान्दर सिंदरी के बस स्टेण्ड से कुछ फासले पर नट जाति के मकान कच्चे व पक्के बने हुए हैं जहां उनकी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती हैं।

(2) जी हां। पुलिस उप अधीक्षक किशनगढ़ ने वेश्यावृत्ति के खिलाफ इन पर छापा मार कर धारा 109 जा. फौ. की कार्यवाही समय समय पर की है।

(3) इस प्रकार की कोई सूचना रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

(4) इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(5) जी हां। पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हैड कान्स्टेबल श्री भंवर खां के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उप अधीक्षक पुलिस, किशनगढ़ ने जांच की तो उक्त शिकायतें झूठी पाई गईं।

Page No 42

(42)

रीको की अजमेर स्थित वॉच असेम्बल यूनिट में सेवामुक्ति आदेश

191. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रीको की अजमेर स्थित वाच असेम्बलिंग यूनिट के प्रबन्धकों ने गत दिनांक 6-10-82 को पांच महिला वॉच टेक्निशियन को मनमाने ढंग से सेवामुक्ति आदेश जारी किये थे ? यदि हां, तो कृपया सेवामुक्ति आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कार्य स्तर के जिन मापदण्डों के आधार पर इनके कार्य को असन्तोषजनक माना है, उन्हीं मापदण्डों के नीचे के कार्यस्तर की कई महिला वाच टेक्निशियन वहां पर सेवारत हैं ? यदि नहीं, तो दिनांक 1-4-1982 से दिनांक 30 9-1982 की छः माही के सभी वाच टेक्निशियनों की परफार्मेन्स रजिस्टर की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इन पांच सेवामुक्त महिला कर्मचारियों में से एक कुमारी ज्योतिका विल्सन ने लिखित में शिकायत की है कि इस यूनिट में सुपरवाइजरी स्टॉफ एवं ग्रुपलीडर महिला कर्मचारियों को अनैतिक कार्य के लिये प्रेरित करते हैं, और वैसा नहीं करने पर एक विंग से दूसरी विंग में स्थानान्तरण करके तथा अन्य तरीकों से परेशान कर परफार्मेन्स असन्तोषजनक होने की रिपोर्ट कर देते हैं तथा नियुक्तियों में भी उनकी इच्छापूर्ति करने वाली लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं ? यदि हां, तो कृपया शिकायत की एक प्रति एवं उस पर की गई जांच का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इन पांच सेवामुक्त की गई महिला कर्मचारियों में से तीन का दिनांक 23-4-1983 को पुनः चयन कर लिया गया ? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम ने पांच महिला टेक्निशियनों को अनुशासनहीनता एवं कार्य अकुशलता के कारण सेवा मुक्त किया था। इन सभी टेक्निशियनों के संबंध में रीको वाच असेम्बलिंग कर्मचारी संघ ने क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त, अजमेर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किए थे। इनमें से श्रीमती शारलेट बेदी एवं सुश्री पुष्पा शर्मा ने अपनी त्रुटियां स्वीकार करते हुए एवं इस प्रकार की त्रुटियां पुनः न करने का आश्वासन देते हुए निगम को नियुक्ति हेतु निवेदन किया था। अतः उनके पूर्व के अनुभव को देखते हुए, औद्योगिक इकाई में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु सुधार का एक और मौका देते हुए उन्हें निगम द्वारा की गई नई भर्ती के समय नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

अन्य तीन महिला टेक्निशियनों के संबंध में परिवाद क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त ने खारिज कर दिये हैं। इनमें से एक कुमार ज्योतिका विल्सन की ओर से धारा 80 सी. पी. सी. का नोटिस प्राप्त हुआ है।

(उद्योग मंत्री)

(2) यह सत्य नहीं है। उत्पादकता को एकमात्र मापदंड नहीं माना जाता है। उत्पादनकर्ता के साथ साथ अनुशासन, आचरण एवं उपस्थिति आदि के मापदण्डों को भी ध्यान में रखना होता है। यह ज्ञातव्य है कि जिन पांच टेक्निशियनों को सेवा मुक्त किया गया था उनमें उत्पादन के लक्ष्यों की कमी के अलावा अनुशासनहीनता, अनुपस्थिति आदि के कारण भी शामिल थे।

(3) सुश्री ज्योतिका विलसन ने अपनी नियुक्ति के संबंध में एक शिकायत प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने उक्त शिकायत का उल्लेख किया था। प्रबन्धकों द्वारा उक्त शिकायत पर विचार करने के पश्चात् यह पाया कि सुश्री ज्योतिका विल्सन की शिकायत वास्तविकता से परे है, अत: शिकायत की जांच करना प्रशासनिक कारणों से उचित नहीं समझा गया। शिकायत की प्रति संलग्न है।

(4) यह पूर्णतया सत्य नहीं है। पांच निकाले गये टेक्निशियनों में से केवल दो को ही नियुक्ति प्रदान की गई है। इन दोनों ने दिनांक 12-3-83 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। चयन समिति ने इनके अनुभव को देखते हुए तथा पूर्व की सभी त्रुटियों के लिए लिखित में क्षमा याचना करने एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने का आश्वासन दिए जाने के कारण इनका चयन किया ताकि उन्हें अपनी भूल सुधारने का एक और मौका दिया जा सके व औद्योगिक इकाई में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखा जा सके। (शिकायत के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

छठी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय प्रावधान

192. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु जो वित्तीय प्रावधान निर्धारित थे, उन पर मुद्रास्फीति व बढ़ती हुई महंगाई का क्या प्रभाव पड़ा ?

(2) क्या उक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुये छठी पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित वित्तीय साधनों से पूरा किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो, किस-किस कार्यक्रम पर क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर

(1) राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जो वित्तीय प्रावधान निर्धारित थे उन पर मुद्रा स्फीति व बढ़ती हुई महंगाई का कुछ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और जिसके कारण छठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित पहले के वर्षों में पूर्ण किये जाने वाले कुछ कार्य छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक एवं छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में पूर्ण होने वाले कुछ कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में पूर्ण हो पायेंगे।

(आयोजना मन्त्री)

किन्तु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यों के निर्धारित लक्ष्य, अनुत्पादक व अनार्थिक कार्यों पर व्यय में कमी करके तथा नियुक्तियों एवं अनावश्यक वस्तुओं के क्रय पर रोक लगाकर पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) अधिकांश महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र (Priority section) तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से सम्बन्धित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की पूरी सम्भावना है। निश्चित रूप से कार्यक्रमवार मुद्रा स्फीति का क्या प्रभाव होगा, यह बहुत हद तक वर्ष 1984-85 की वार्षिक योजना के आधार पर निर्भर करेगा जो अभी अनिश्चित है इसलिए कार्यक्रमवार निश्चित रूप से जानकारी देना सम्भव नहीं है।

जिला बाड़मेर जैसलमेर में तस्करी की वारदातें

193. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जैसलमेर व बाड़मेर में 1981-82 व 1982-83 में पाकिस्तान से कितना तस्करी का माल पकड़ा गया ?

(2) उक्त तस्करी में लिप्त कितने भारतीय नागरिक एवं कितने पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए ? कृपया नामवार व थानेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में वर्ष 1981-82 व 82-83 में क्रमशः 280455/-रुपये व 269425/-रुपये की कीमत का माल जिला बाड़मेर में वर्ष 1981-82 व 82-83 में क्रमशः 99931/-रुपये व 774034/-रुपये की कीमत का पाकिस्तान से तस्करी का माल पकड़ा गया।

(2) उक्त अवधि में 50 भारतीय, एक पाक नागरिक पकड़े गए। नामवार व थानेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

महानिरीक्षक/महानिदेशक आदि द्वारा थानों का निरीक्षण

194. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महानिरीक्षक/महानिदेशक एवं विभिन्न रेंज के उप महानिरीक्षकों तथा जिले के अधीक्षक आरक्षियों द्वारा 1 अप्रेल सन् 1981 से किस किस रेंज, जिला, वृत्त अधिकारी एवं थाने का निरीक्षण किया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे निरीक्षणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा विभाग की ओर से किस प्रकार के निर्देश हैं ? कृपया ऐसे निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

Page No 45

(45)

(गृह मन्त्री)

(2) विभाग की ओर से निर्देश जारी किये हुए हैं जिसकी प्रति संलग्न है।

(सूची व निर्देश के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन

195. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):** क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर के वर्ष 1978-79 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में बताया गया कि श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, महाप्रबन्धक द्वारा देवास सूटिंग को 5.50 लाख रु. का अधिक भुगतान कर दिया जो अभी तक वसूल नहीं किया जा सका है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस घोटाले की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटा नगर परिषद् के प्रशासक एवं आयुक्त की शिकायतें

196. **श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** :-क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर परिषद् के प्रशासक एवं आयुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं घोटालों की शिकायतें विभाग को मिली हैं ? यदि हां, तो विभाग ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगर परिषद् के वाहनों का दुरुपयोग किया जा रहा है ? क्या अभी कुछ दिनों पूर्व नगर दण्डनायक कोटा का स्थानान्तरण होने पर नगर परिषद् की कार नगर दण्डनायक को गंगानगर छोड़कर आई है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(3) क्या परिषद् की गोशाला के धन का भी अधिकारियों ने मिलकर दुरुपयोग कर लिया है और गोशालाओं की हालत बड़ी खराब कर दी है ? यदि हां, तो विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, जिलाधीश से जांच करवाई जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) अभी ऐसी कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

मारवाड़ जंक्शन में नगरपालिका या ग्राम पंचायत का अभाव

198. **श्री भेरूंसिंह गुर्जर (खारची) :** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़

46

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

जंक्शन (जिला पाली) में वर्तमान में नगरपालिका या ग्राम पंचायत कार्यरत नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि उक्त दोनों संस्थाओं के अभाव में यहां के नागरिकों को राशन कार्ड बनवाने, भू-खण्ड आवन्टन कराने एवं अतिक्रमण रुकवाने में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा किसे शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार यहां ग्राम पंचायत या नगर पालिका दोनों में से किसी को भी कार्यरत करने के लिए कोई प्रयत्न कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 3-9-82 द्वारा मारवाड़ जंक्शन नगरपालिका घोषित की गई थी, किन्तु उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 24-9-82 के अनुसार वर्तमान में कार्यरत नहीं है।

(1) उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नागरिकों को कठिनाई हो रही है। मामले में शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। इसके लिए उच्च न्यायालय में पैरवी कर शीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जा रहे हैं।

उदयपुर नगर परिषद् का निर्माणाधीन टाउन हाल

199. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) व **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर नगर परिषद द्वारा निर्माणाधीन टाउन हाल पर पिछले 25 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो अब कितने वर्ष उसे तैयार होने में और लगने वाले हैं ?

(2) क्या इस हाल में लगाई जाने वाली कुर्सियों के लिए समय-समय पर विज्ञापनों द्वारा टेण्डर मांगे गये ? यदि हां, तो कब–कब व किस–किस ने टेण्डर भर के दिये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस समय जिस आदमी या फर्म को ठेका मिला है वह लकड़ी की कुर्सी लगा रही है ? यदि हां, तो फाइबर की चेयर लगाने में क्या आपत्ति थी ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1983 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) जी हां, जिनके द्वारा टेण्डर भर कर दिये गये थे, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिस फर्म को ठेका दिया गया था वह लकड़ी एवं लोहे की बनी गद्दीदार कुर्सियां लगा रही हैं, फाइबर की कुर्सियों

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

को नगर परिषद् द्वारा आरामदायक नहीं पाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

सिमको वैगन फैक्ट्री के सामान की चुंगी

200. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर नगर परिषद् द्वारा भरतपुर में स्थित सिमको वैगन फैक्ट्री द्वारा नगर परिषद् की सीमा में लाने वाले सामान पर चुंगी ली जाती है ? यदि हां, तो किस सामान पर किस दर से ली जाती है ?

(2) क्या दिनांक 1–4–1980 से अब तक चुंगी वसूल किये जाने की एक ही दर रही है ? यदि नहीं, तो विभिन्न दरें क्या-क्या रहीं ?

3) वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में उक्त सामान पर सिमको वैगन फैक्ट्री से कितनी-कितनी चुंगी वसूल हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। निम्नलिखित सामान पर उसके सम्मुख उल्लिखित दर से :-

1. वैगन कम्पोनेंटस रुपये 1.50 सैकड़ा

2. अन्य सामान पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत चुंगीकर अनुसूची के अनुसार।

(2) दिनांक 1-4-1980 से 14-11-81 तक वैगन-कम्पोनेंटस की चुंगी रु. 2.50 प्रति क्विंटल तथा दिनांक 15-11-81 से 1.50 प्रतिशत की दर से तथा शेष सामान पर उत्तर एक के अनुसार।

(3) वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में क्रमश 3,76,800.00, 7,83,690.00 एवं 11,41,237.00 सिमको फैक्ट्री से चुंगी वसूल हुई है।

अजमेर नगर परिषद् में अनियमिततायें

श्री कैलाश मेघवाल(अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर के उद्यान एवं बिजली विभाग के प्रभारी अधिकारी श्री पदम कुमार जैन ने इन्टरमिडियेट परीक्षा पास होने का प्रमाण-पत्र दे रखा है ? यदि हां, तो इन्टर-मिडिएट परीक्षा पास करने एवं इसके पूर्व मैट्रिक पास करने के प्रमाण-पत्र की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) श्री पदम कुमार जैन ने नगर परिषद् अजमेर में सर्वप्रथम नौकरी कब प्रारम्भ की ? उस समय उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या थी और उस शैक्षणिक योग्यता एवं जन्म तिथि के बारे में इन्होंने क्या प्रमाण प्रस्तुत किये थे ? कृपया प्रतियां सदन की मेज पर विवरण सहित रखें।

(2) विधान सभा में दिनांक 2.4.1981 को अतारांकित प्रश्न संख्या 230 के उत्तर

(श्री कैलाश मेघवाल)

में दिये गये आश्वासन के अनुसार क्या श्री पदमकुमार जैन को कान्जी हाउस के बाहर की खुली भूमि आवंटित किये जाने में हुई अनियमितताओं की जांच पूरी की जा चुकी है ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रमाण पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्री पदम कुमार जैन ने नगर परिषद् अजमेर मे दिनांक 21.2.51 को सेवा प्रारम्भ की थी। उस समय इनकी शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल पास थी। जन्म-तिथि के बारे में हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। जांच कार्यवाही जारी है।

(प्रमाण-पत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

चौकड़ी रामचन्द्र जी (जयपुर) में किराये अथवा लीज पर दिये गये भू-खण्ड

202. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : एवं **श्री बाल चन्द आर्यवीर** (डग) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर परिषद् द्वारा चौकड़ी रामचन्द्र जी में कितने भूखण्ड किन किन का किराये अथवा लीज व लाइसेन्स पर दिये हुए हैं ? किरायेदार लीज व लाइसेन्सधारी का नाम, पिता का नाम, भूमि की माप, भूमि किस तिथि को किराये पर दी गई, किराया, लीज व लाइसेन्स फीस देते समय कितनी निश्चित की गई और अब कितनी ली जाती है ? यह विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या परशुराम मार्ग स्थित घेर-अचलपुरा में भी कोई भूखण्ड किराया, लीज अथवा लाइसेन्स पर दिया गया है ? यदि हां, तो किसको ? नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, दिये गये भू-खण्ड की माप की सूचना दें।

(3) क्या घेर-अचलपुरा का उक्त किरायेदार जितनी भूमि दी गई है उतनी ही माप के भू-खण्ड का उपयोग कर रहा है ? यदि नहीं, तो अधिक भू-खण्ड उपयोग के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यह भू-खण्ड किस काम में लिया जा रहा है ?

(4) नगर परिषद् द्वारा किन शर्तों पर उक्त भू-खण्ड किराये पर दिया गया था ? किरायेदार द्वारा लिखी गयी शर्तों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या किरायेदार द्वारा शर्तों के अनुसार ही भूमि का उपयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो परिषद् प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर परिषद् द्वारा चौकड़ी रामचन्द्र जी में किराये, लीज अथवा लाइसेंस पर दिये गये भू-खण्डों का विवरण किराये-

(राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन)

दार, लीज होल्डर या लाइसेंसधारी तथा भू-खण्ड व लाईसेंस फीस से सम्बन्धित सूची संलग्न कर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। इनमें से कुछ किरायेदारों ने लीज पर दी गई भूमि से अधिक पर कब्जा कर लिया। इस बावत सीमांकन कार्यवाही प्रारम्भ करने पर ये लोग न्यायालय में चले गये। किरायेदार विशिष्ट के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्न अस्पष्ट है।

(3) शर्तों का विवरण संलग्न है। सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) जी नहीं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

डूंगरपुर नगर में नाजायज कब्जे तथा निर्माण कार्य

203. **श्री गोविन्द श्रामलिया (चौरासी):** क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर नगरपालिका बोर्ड के चुनाव वैधानिक तरीके से हुए हैं? यदि हां, तो क्या उसकी कार्य प्रणाली विधिवत् चल रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर-पालिका के चुनाव के बाद से नगर में नाजायज कब्जे तथा नाजायज निर्माण कार्य ज्यादा हुए हैं? चुनाव के एक वर्ष पूर्व के तथा बाद के ऐसे नाजायज कब्जों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

बीकानेर नगर विकास न्यास में विचाराधीन भूमि अवाप्ति के मामले

204. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :** क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर नगर विकास न्यास द्वारा नगर पालिका सीमा के पास की भूमि किस किस खसरा नम्बर व व्यक्ति की कितनी-कितनी भूमि किस प्रयोजन से अवाप्त करने का प्रस्ताव किस-किस दिनांक को राज-पत्र में अधिसूचना जारी कर प्रस्तावित किया गया तथा उसमें से कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई? कृपया नाम, पता, खसरा नम्बर अधिसूचना की तिथि सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या अवाप्त भूमि का नगर विकास न्यास ने कब्जा लेकर जिस प्रयोजन हेतु अवाप्त की है, वह कार्य प्रारम्भ कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री देवीसिंह भाटी)

(3) विभाग के पास ऐसे कितने भूमि अवाप्ति के मामले विचाराधीन हैं जिनमें अभी तक राज-पत्र में अधिसूचना जारी नहीं की गई है ? कृपया कारण सहित रोहीवार नाम, पता खसरा नम्बर रकबा व अवाप्ति के प्रयोजन सहित विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या 1972 से अब तक अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा संबंधित व्यक्तियों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? किस-किस व्यक्ति को कितनी भूमि का कितना-कितना मुआवजा दे दिया गया है व किस-किस को कितनी-कितनी भूमि का कितना मुआवजा देना बाकी है ? कृपया अवाप्त भूमिवार नक्शे में स्थल इंगित कर विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर नगर विकास न्यास द्वारा नगरपालिका सीमा के पास की भूमि जयनारायण व्यास नगर योजना एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए अवाप्त की गयी। राजकीय अधिसूचनाओं, जिसमें राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का दिनांक, भूमिधारियों का नाम, पता और खसरा नं० इत्यादि दिये हुए हैं, की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (सूची संख्या 1, 2 व 3)

(2) अवाप्त हुई भूमि जयनारायण व्यास नगर योजना के सैक्टर 6 व 7 तथा ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के विकास हेतु कार्य आरम्भ हो चुका है।

(3) न्यास की विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाएं नगर विकास न्यास अधिनियम, 1959 के तहत तैयारी की स्टेज पर हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर इन योजनाओं की सीमा में आने वाली निजी व्यक्तियों की भूमि को नियमानुसार अवाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(4) सम्बन्धित व्यक्तियों को दिये जाने वाले मुआवजा तय करने की कार्यवाही जिलाधीश बीकानेर के यहां विचाराधीन है। ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में जो भूमि अवाप्त की गई है उसका नक्शा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत सुडाला जिला पाली को नगरपालिका के आदेश

205. **श्री असलम खां** (बाली)। क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या ग्राम पंचायत, सुडाला, पंचायत समिति, बाली जिला पाली को नगरपालिका बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है ? क्या इस आदेश का गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है ? यदि हां तो कब और अभी तक इसकी क्रियान्विति किन कारणों से नहीं की गई व अब कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत खुड़ाला पंचायत समिति बाली जिला पाली को नगरपालिका बनाने के संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 6 के अन्तर्गत आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु उद्घोषणा दिनांक 3-12-82 को जारी की गई थी। इसके राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन सम्बन्धी सूचना राजकीय मुद्रणालय से दि. 6-9-83 को प्राप्त हुई है। नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में प्रकरण परीक्षणाधीन है।

अजमेर नगर परिषद् द्वारा शहर में प्रकाश व्यवस्था

208. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद्, अजमेर के क्षेत्राधिकार में परिषद् के विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 1-4-1980 से 31-3-1983 तक कुल कितनी मर्करी लाइटें, ट्यूब लाइटें, बल्ब आदि प्रकाश व्यवस्था हेतु खरीद किये गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कालखण्ड में कितनी मर्करी लाइटें, ट्यूब लाइटें एवं बल्ब की टूट-फूट हुई अथवा फ्यूज हुए और उन्हें बदला गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर पर रखें।

(3) नगर परिषद् अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 1-4-1980 से 31-3-1983 तक प्रति माह कितना कितना बिल का चुकारा किया गया ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) प्रतिमाह बिजली के बिल की चुकाई गई राशि का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

कोटा जिले में आबकारी विभाग की निष्क्रियता

209. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ामालानी) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982-83 में कोटा जिले में आबकारी विभाग की कितनी कितनी राशि बकाया है ?

(2) क्या यह सही है कि यह राशि अन्य वर्षों की तुलना में अधिक है ?

(3) क्या यह भी सच है कि जिला आबकारी अधिकारी की निष्क्रियता के कारण भी यह राशि शेष रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया था किन्तु रहस्यात्मक ढंग से निरस्त हो गया ?

(श्री हेमाराम चौधरी)

(5) क्या यह भी सच है कि इस अधिकारी ने अफीम डोडे का लाइसेन्स भी एक ही व्यक्ति को दिया जिससे विभाग को राजस्व हानि हुई है ?

उत्तर

(1) वर्ष 82-83 के फाइनल लेखे तैयार किये जा रहे हैं। सही वस्तुस्थिति लेखे तैयार होने पर ही ज्ञात हो सकेगी। बाकियात की अनुमानित राशि निम्न है :—

विदेशी मदिरा 39.17 लाख

देशी मदिरा 18.47 लाख

(2) जी हां।

(3) बकाया की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उक्त अधिकारी की निष्क्रियता पाई जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

(4) श्री केशवलाल अरोड़ा, वर्तमान जिला आबकारी अधिकारी का कोई स्थानान्तरण आदेश न ही जारी हुआ था न कोई स्थानान्तरण आदेश निरस्त हुआ।

(5) आबकारी जिला कोटा के अन्तर्गत डोडा पोस्त की दुकानों के अनुज्ञापत्र एक ही अनुज्ञाधारी को नहीं दिये गये हैं। दुकाने नीलामी से उठाई गई हैं। इसमें राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

राज्य कर्मचारियों को बीमा पालिसी पर बोनस देना

210. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कर्मचारियों को बीमा पालिसी पर बोनस दिया जावेगा ? यदि हां, तो उपरोक्त सुविधा कब से मानी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1975 से 31 मार्च, 1980 तक की अवधि का बोनस दिया जावेगा ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को उपरोक्त सुविधा के अन्तर्गत कितनी धन राशि का लाभ मिलेगा ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत जारी समस्त बीमा पालिसियां लाभ सहित हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी बीमा योजना नियम 1953 की धारा-9 के अन्तर्गत बीमा निधि का मूल्यांकन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार कराया जाना आवश्यक है। इस नियम के अन्तर्गत मूल्यांकन दिनांक 31-3-53, 31-3-59, 31-3-63, 31-3-66, 31-3-70, 31-3-75 एवं 31-3-80 तक 7 बार कराया जा चुका है, जिसके परिणामस्वरूप समय-समय पर बोनस की घोषणा की गई है। अंतिम मूल्यांकन अवधि 1-4-75 से 31-3-80 तक की है। बीमा निधि का मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जो बोनस की

(वित्त मन्त्री)

दर की घोषणा की जाती है, उसका भुगतान उन समस्त बीमा पालिसियों पर देय है जो राज्य सरकार के आदेश के दिनांक को चालू हैं, अर्थात् जिन पालिसी का राज्य सरकार के आदेश के दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है। जो पालिसी मूल्यांकन अवधि में स्वत्व में परिणत होती है, उन पर बोनस पूर्व बोनस की घोषणा के समय घोषित अन्तरिम बोनस की दर के आधार पर किया जाता है।

(2) बोनस का प्रावधान जब से बीमा योजना लागू की गई है तब से नियमों में उपलब्ध है।

गंगानगर शुगर मिल से आबकारी विभाग द्वारा शराब और स्प्रीट की खरीद

211. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक गंगानगर शुगर मिल से किस-किस किस्म की शराब या स्प्रीट किस-किस मूल्य पर आबकारी विभाग द्वारा क्रय की गई है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) आबकारी विभाग द्वारा किस-किस किस्म की शराब ठेकेदारों को किस-किस मूल्य पर दी गई है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) इस मूल्य में कौन-कौन सा कर सम्मिलित है? यदि नहीं, तो किस-किस किस्म की शराब के मूल्य पर किस-किस प्रकार का कर, कितना-कितना देय है?

उत्तर

(1) मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स को राज्य में सप्लाई की जाने वाली देशी मदिरा (स्प्रीट) की कीमत दिनांक 1.4.80 से अब तक निम्न दरों पर चुकाई गई है :—

प्लेन स्प्रीट

दिनांक 1.7.79 से 30.6.80
रु. 1.60 प्रति एल. पी. एल.

दिनांक 1.7.80 से 30.6.81
रु. 4.25 प्रति एल. पी. एल.

दिनांक 1.7.81 से 30.6.83
रु. 2.52 प्रति एल. पी. एल.

(प्रोविजनल) स्पाइस्ड लिकर

दिनांक 1.7.79 से 30.6.80
रु. 6.32 प्रति बल्क लीटर

एवं इसके पश्चात् भी उपरोक्त दर पर प्रोविजनल बेसिस पर भुगतान किया जा रहा है।

(2) आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित किस्म की मदिरा समय-समय पर अनुज्ञाधारियों को संलग्न मानचित्र में दर्शाई गई कीमत पर इश्यू की गई है।

(2) प्रश्न संख्या 2 के प्रति उत्तर के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये निर्गम मूल्य में आबकारी शुल्क सम्मिलित किया हुआ है। वाणिज्य कर दिनांक 1.4 80 से

(54)

(आबकारी मन्त्री)

60 प्रतिशत की दर से मदिरा के निर्गम मूल्य पर वसूल किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न नगर पालिकाओं द्वारा अपनी-अपनी दरों पर अलग से चुंगी वसूल की जाती है।

(मानचित्र के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

पशुपालन एवं डेयरी विकास निदेशालय का बीकानेर जिले में स्थानान्तरण

212. **श्री सुरजाराम टाक** (नोखा): क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पशुपालन एवं डेयरी विकास धन्धा मुख्यतया पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले में अधिक है, जब कि निदेशालय जयपुर में है ?

(2) क्या सरकार निकट भविष्य में निदेशालय को बीकानेर जिले में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पशुपालन तथा डेयरी विकास की गतिविधियां पूरे राजस्थान में व्याप्त हैं। निदेशालय का कार्य पूरे राजस्थान से सम्बन्धित है, किसी जिले विशेष में नहीं। अतः इसका जयपुर रहना ही उचित है।

(2) राज्य सरकार का निदेशालय को बीकानेर में स्थानान्तरण करने का कोई विचार विचाराधीन नहीं है।

फालना (पाली) में दुग्ध अवशीतलन केन्द्र का निर्माण

213. **श्री असलम खां** (बाली) : क्या पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा फालना, जिला पाली में दुग्ध अवशीतन केन्द्र का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ व कब तक पूरा हो जाना चाहिए था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवशीतन केन्द्र निर्धारित समय में बनकर तैयार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(3) उक्त अवशीतन केन्द्र के बनकर तैयार होने पर कितनी धन राशि व्यय होनी थी और अब इसके पूरा होने में हो रहे अप्रत्याशित विलम्ब से कितनी और धन राशि की आवश्यकता होगी ?

(4) क्या यह सही है कि अवशीतन केन्द्र के अब तक पूरा न होने से दुग्ध का संकलन किसी प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज या आइस फैक्ट्री में किया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां व अब तक इसके लिए कितनी धन राशि का भुगतान किया गया ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। फालना में अवशीतलन

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

केन्द्र के निर्माण का कार्य मार्च 1980 में प्रारम्भ हुआ, भवन निर्माण व संयंत्र लगाने का कार्य वर्ष 1982 के अन्त तक पूरा होना चाहिए था।

(2) जी, हां। भवन निर्माण में कुछ देरी ठेकेदार द्वारा विलम्ब करने से हुई व सेन्ट्रल एक्साइज विभाग द्वारा कम्प्रेशर हेतु लाइसेन्स नहीं दिए जाने के कारण, संयत्र लगाने का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(3) उक्त प्रवशीतन केन्द्र के निर्माण पर लगभग 29.00 लाख रुपये व्यय होनें का अनुमान था। विलम्व होने से फेडरेशन पर ज्यादा आर्थिक भार नहीं पड़ेगा क्योंकि भवन निर्माण पर अधिक व्यय का भार ठेकेदार को वहन करना होगा तथा संयंत्र हेतु पूर्व में अनुबन्ध हो चुका है अत: उस मद में अधिक व्यय होने की सम्भावना नहीं है।

(4) जी, हां। पाली संघ द्वारा दिनांक 14.7.81 से मैसर्स अग्रवाल आइस फैक्ट्री, फालना में दूध ठंडा कराया जा रहा है, इसके लिए किये भुगतान का वर्षवार विवरण संलग्न हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 26 देखें).

डेयरी संघ पाली द्वारा किये गये विकास कार्य

215. **श्री भेरू सिंह गुर्जर** (खारची) : क्या डेयरी विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जून 1980 से जुलाई, 1983 तक डेयरी संघ, पाली द्वारा पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में क्या-क्या विकास के कार्य किये गये ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पाली द्वारा पशुपालकों को दूध विपणन व दुग्ध उत्पादक वर्धन कार्यक्रम की सुविधा देने हेतु पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में 2 ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का जून 1980 से जुलाई 1983 तक गठन किया गया। पंचायत समिति देसूरी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है। जून 1980 से पूर्व में पंचायत समिति मारवाड़ व रानी के क्षेत्र में क्रमश: 10 व 5 समितियों का गठन किया गया था। जून 80 से जुलाई 83 तक गठित समितियों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

किसान विश्राम गृह रामगंजमण्डी

216. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कृषि उपज मंडी, रामगंज मंडी का किसान विश्राम गृह खाली पड़ा रहता है और इसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है ? क्या किसान भी इसमें नहीं ठहरते हैं ?

(श्री हरीश शर्मा)

(2) उक्त मण्डी समिति पर कितना ऋण कौनसे बैंक का बकाया है? क्या समय पर ऋण की किस्तें चुकाना मण्डी के लिए बहुत भारी पड़ रहा है?

(3) क्या उक्त मण्डी समिति ने अपने गोदाम, दुकानें किराया या लीज पर दे रखी है? यदि हां, तो किस व्यापारी को कितने समय के लिए? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या समाज कल्याण छात्रावास हेतु किसान विश्राम गृह को किराये पर देने हेतु विभाग से मांग की गई है? यदि हां, तो क्या इसे किराये पर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मण्डी प्रांगण में दो कृषक विश्राम गृह स्थित हैं 1. कृषक एवं पशु विश्राम गृह-यह विश्राम गृह गोदामों के पीछे स्थित है एवं इसमें 12 कमरे बने हुए है। कृषक इस विश्रामगृह में नहीं ठहरने के कारण इसके कमरे मण्डी के कर्मचारियों को अस्थाई रूप से निवास हेतु आवंटित किये हुए हैं। 2. कृषक विश्राम गृह-यह विश्राम गृह मण्डी कार्यालय के सामने स्थित है, इसमें 8 कमरे हैं। इसमें कृषकों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। साधारणतया कृषक इसका पूर्ण समय तक सदुपयोग नहीं करते एवं शाम को अपने गांव लौट जाते हैं।

(2) मण्डी समिति पर सैंट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, रामगंज मण्डी का 27 लाख रुपया ऋण का बकाया है। मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति अच्छी है एवं ऋण की किस्तें समय पर ही जमा करा दी जाती हैं। संलग्न "अ" प्रपत्र किस्तें जमा कराने का विवरण।

(3) जी हां। मंडी समिति द्वारा व्यापारियों को दुकान व गोदाम किराये पर दिए हुए हैं जिनकी सूची संलग्न प्रपत्र "ब" पर है। कियायानामा के अनुसार व्यापारी एक माह का नोटिस देकर दुकान / गोदाम खाली कर सकता है एवं मंडी समिति भी शर्तों का उल्लंघन होने पर एक माह का नोटिस देकर दुकान / गोदाम खाली करवा सकती है।

(4) जी हां। किसान विश्राम गृह कृषकों के ठहरने हेतु निर्मित करवाये गये हैं अतः समाज कल्याण छात्रावास के लिए किराये पर दिया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

सवाई माधोपुर कृषि मण्डी द्वारा सड़क का निर्माण

117. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर कृषि मण्डी द्वारा गत 4 वर्षों में उसके क्षेत्रों में सड़क बनाने हेतु राशि दी गई है? यदि हाँ, तो किस किस रोड के लिए कितनी कितनी राशि किस के माध्यम से दी?

(2) क्या यह भी सही है कि आज भी

(श्री हंसराज शर्मा)

उपरोक्त रोड अपूर्ण पड़े हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक रोड की अलग क्या क्या लागत (अनुमानित) थी और कितनी राशि दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि जो रोड अपूर्ण पड़े हैं उन्हें अब पूर्ण कराने हेतु काफी लागत आयेगी ? यदि हां, तो उसकी शेष लागत की राशि व जो ज्यादा खर्चा आयेगा उसकी जिम्मेदारी किसकी है ? ये अब पूर्ण कब तक करा दी जावेंगी ?

उत्तर

(2) जी हां। सम्पर्क सड़क ग्राम खिरनी से बौंली वास्ते आठ लाख रुपये तथा खंडार से ग्राम तलवाड़ा वास्ते 10.25 लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजे गये हैं।

(2) जी हां। खिरनी से बौंली व खंडार से ग्राम तलवाड़ा की अनुमानित लागत क्रमशः 8 व लाख 11 लाख रुपये थी। दी गई राशि क्रमशः लाख 8 व 10.25 लाख रुपये हैं।

(3) इन सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। इस बारे में उनसे जानकारी चाही गई है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। जानकारी मिलने के उपरान्त ही सूचना दी जानी सम्भव हो सकेगी।

राज्य में कृषि उपज मण्डियों द्वारा सड़क निर्माण

218. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा दिनांक 1.4.1982 से 31.3.1983 तक कितनी सड़कों का निर्माण किया गया ? उन पर कितना व्यय हुआ तथा कितने कितने किलोमीटर सड़क निर्मित की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों की तथा इससे पूर्व में कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत व देखभाल की जिम्मेदारी किस संस्था या विभाग की है और इन सड़कों की मरम्मत पर दिनांक 1.4.1982 से 31.3.1983 तक कितना व्यय हुआ ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 82–83 में 83 सड़कों का निर्माण किया गया। वर्ष 82-83 में सड़कों के निर्माण पर व्यय 698.61 लाख रुपये हुआ तथा 620 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं।

(2) यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है। अभी तक मरम्मत पर कोई धनराशि व्यय नहीं हुई है।

कृषि उपज मण्डी, निवाई द्वारा पुलिया का निर्माण

219. श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई) :

(श्री द्वारका प्रसाद बैरवा)

क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि उपज मंडी, निवाई के समीप नगरपालिका नाके के साथ ग्राम रास्ते पर क्या पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कितनी धन राशि इस पर व्यय होगी तथा कब तक पुलिया का निर्माण हो जायेगा ?

(2) क्या कृषि उपज मंडी, निवाई परियोजना की स्वीकृत राशि की आखिरी किस्त लगभग 10 लाख रु. का मंडी के विकास हेतु भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हाँ। मंडी समिति की खराब आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुलिया का निर्माण फिलहाल स्थगित कर रखा है।

यदि इस कार्य को कराया गया तो वर्तमान अनुमानित की लागत लगभग 3.00 लाख रु. आयेगी व इसको पूर्ण कराने में कार्य आदेश होने के पश्चात् सम्भवत: 8 माह लग जायेंगे। (2) बैंक आफ बड़ौदा द्वारा राजकीय प्रत्याभूति की मांग की जा रही है। राजकीय प्रत्याभूति का विषय वित्त-विभाग में विचाराधीन है। राजकीय प्रत्याभूति प्राप्त होने के उपरान्त बैंक द्वारा 10 लाख रु. का भुगतान सम्भव हो सकेगा।

कृषि उपज मण्डी, सोजत रोड व रानी द्वारा स्वीकृत विकास कार्य

220. श्री भेरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सोजत रोड व रानी द्वारा जून, 1980 से जुलाई 1983 तक मण्डी क्षेत्रों में कितने विकास कार्य प्रारम्भ व स्वीकृत किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मारवाड़ जंक्शन व राणावास में मण्डी यार्ड बनाने हेतु अब तक क्या कार्य-वाही की गई है एवं ये यार्ड कब तक बना लिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन मंडी यार्डों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 29 देखें)

आयुर्वेद औषधालय, चन्दन निवास, अजमेर में कार्यरत परिचारिका

221. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या आयुर्वेदिक राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेद औषधालय, चंदन निवास, अजमेर में कार्यरत नर्स गत करीब 10 वर्ष से इसी औषधालय में पदस्थापित है ?

Page No 59

(59)

(श्री फतेसिंह)

(2) क्या यह सही है कि उक्त नर्स के विरुद्ध जयपुर के किसी थाने में वेश्यावृत्ति करवाने के मामले में कोई एफ. आई. आर. दर्ज हुई है एवं किसी एक अबला ने उक्त नर्स के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की प्रार्थना भी की थी ?

(3) सरकार अब उक्त नर्स के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विधायकपुरी पुलिस थाना जयपुर में एक एफ. आई. आर. दर्ज कराई जिस पर मुकदमा 341 (I. P. C.) आई. पी. सी. के तहत दर्ज किया गया। एक अबला बसन्ती देवी नामक युवती ने इस विभाग को लिखित शिकायत प्रस्तुत की।

विभाग द्वारा उक्त शिकायत पर जिला अधिकारी, अजमेर से जांच कराने पर आरोप सही नहीं पाये गये। पुलिस द्वारा भी मुकदमा एवं चालान 341 (I. P. C.) आई. पी. सी. में किया गया है।

तहसील चौमू के आयुर्वेदिक औषधालय

222. श्री तेज पाल यादव (चौमू) :- क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले की तहसील चौमू में विभिन्न श्रेणियों के आयुर्वेदिक औषधालय कितने हैं एवं उनमें दवाइयों का कितना-कितना बजट स्वीकृत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विगत 3 वर्षों में स्वीकृत बजट के अनुसार उक्त तहसील के विभिन्न श्रेणी के औषधालयों में दवाइयां उपलब्ध नहीं हुई हैं ? गत तीन वर्ष में प्रत्येक औषधालयों में कितने मूल्य की दवाइयां उपलब्ध कराई गईं ?

उत्तर

(1) इस तहसील में विभिन्न श्रेणी के 31 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं। वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक स्वीकृत औषध बजट का विवरण संलग्न परिशिष्ट में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) औषधियों की उपलब्धता एवं प्राप्त मांग पत्र को ध्यान में रखकर स्वीकृत औषध बजट की सीमा तक अधिक से अधिक दवाइयां उपलब्ध करायी जाती हैं। किन्तु विगत तीन वर्षों में दवाइयों की कमी के कारण स्वीकृत बजट के अनुसार दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 30 देखें)

निवाई विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये वृक्ष

223. श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

निवाई विधान सभा क्षेत्र से झिलाय गांव से बोली गांव तक कितने वृक्ष लगाए

(श्री द्वारका प्रसाद बैरवा)

गये और उनकी देख रेख का कोई प्रबन्ध है ? यदि, हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

निवाई विधान सभा क्षेत्र में झिलाव गांव से बोली गांव तक सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा कोई वृक्ष नहीं लगाया गया है।

वन विभाग में सतर्कता अनुभाग

224. **श्री भूपालसिंह** (निम्बाहेड़ा) एवं **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वन विभाग, राजस्थान के सतर्कता अनुभाग ने सन् 1978 से अब तक किन-किन अधिकारियों के खिलाफ जांच कार्य पूरा कर राज्य सरकार को मुकदमा चलाये जाने की सिफारिश की है ?

(2) वन संरक्षक, बीकानेर के अधीन किन-किन वन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की सतर्कता अनुभाग ने सिफारिश की है ? क्या सतर्कता अनुभाग की सिफारिश पर मुकदमा नहीं चलाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सतर्कता अनुभाग द्वारा आरोपित किन-किन वन अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है ?

उत्तर

(1) सतर्कता (वन) विभाग द्वारा वर्ष 1978 से अब तक किसी भी वन अधिकारी विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश राज्य सरकार को नहीं की गयी है। क्योंकि वन कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध प्राप्तशुदा परिवादों में जांच पूर्ण होने पर अपराध की गंभीरता और नीयत को देखते हुए मुकदमा निदेशक द्वारा संबंधित पुलिस थाने/भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज कराये जाते आ रहे हैं। वर्ष 1978 से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता (वन) विभाग द्वारा मुकदमे दर्ज कराये गये हैं :–

1. श्री ओ. पी. गुप्ता, रेंजर, तत्कालीन उप वन संरक्षक, 2. श्री रघुनाथ राम, वन रक्षक, 3. श्री प्रेमचंद, वनपाल, 4. श्री अश्विनीकुमार वनपाल, 5. श्री शंकरलाल, कैटलगार्ड, 6. श्री एस. पी. टंडन, रेंजर 7. श्री भंवरसिंह, सहा.वनपाल, 8. श्री दान सिंह, वन रक्षक, 9. श्री फरीदखां, वनपाल, 10. श्री रामेश्वर लाल, रेंजर, 11. श्री हनुमानपुरी, वनपाल, 12. श्री मानसिंह, वनपाल, 13. श्री विजय कुमार मित्तल, रेंजर, 14. श्री राधेयाम, वनपाल, 15. श्री दुर्गासिंह राव, रेंजर (सेवानिवृत्त), 16. श्री बाबूलाल, वनपाल, 17. श्री करणसिंह, वन रक्षक, 18. श्री वी. के. पुरी, भूसंरअ, (सेवानिवृत्त), 19. श्री रमेशचन्द्र जैन, क. लेखाकार, 20. श्री रामजीसिंह, फील्डमैन, 21. श्री हेमसिंह, वनपाल।

(2) सतर्कता (वन) विभाग ने बीकानेर वन संरक्षक के अधीन बीकानेर वृत्त

Page No 61

(61)

(राज्य मन्त्री, वन)

के सर्वश्री रामेश्वरलाल पारीक. हनुमानपुरी, एवं मानसिंह, वनपाल के विरुद्ध फर्जी मस्टररोल बनाने के सम्बन्ध में मुकदमा चलाने की सिफारिश की की थी जिन पर मुकदमा चलाया गया।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 31 देखें)

राष्ट्रीय मरु उद्यान में पशु पक्षियों की संख्या

225. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना से लेकर 15 अगस्त, 1983 तक उद्यान में गोडावन पक्षी, चिंकारा, हिरण व अन्य जानवरों व पक्षियों की गणना की गई है? यदि हां, तो कृपया विगतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पूर्ण गणना नहीं की गई है। केवल 400 मीटर चौड़ी पट्टी में विभिन्न समयों पर देखे गये वन्य जीवों की संख्या को रिकार्ड किया गया है। वह निम्नानुसार है :—

	मई 81 पट्टी की लम्बाई 464 कि० मी०	मई 82 पट्टी की लम्बाई 539 कि० मी०	मई 83 पट्टी की लम्बाई 366 कि० मी०
1	2	3	4
1. चिंकारा	1205	1240	2226
2. डेजर्ट फोक्स	40	80	113
3. डेजर्ट कैट	1	13	25
4. खरगोश	12	65	40
5. पाटागोह	7	41	18
6. नेवला	11	46	26
7. झाउमूसा	36	68	28
8. सेही	2	....	....
9. सांडा समूह	19	131	139
10. गोडावण	21	80	51

(राज्य मंत्री, वन)

1	2	3	4
11. संड ग्राउज	252	455	490
12. तीतर	195	454	326
13. बाज	72	134	114
14. चील/काइट	83	116	93
15. गिद्ध	201	325	598
16. इजिप्शियन बलचर	7	26	46
17. मोर	368	631	400

राज्य में नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति

226. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में 1.4.1983 से 31.7.1983 तक कितनी नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति सरकार ने प्रदान की है और उन पर कितनी धनराशि व्यय होगी ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों के निर्माण की स्वीकृति किस आधार पर दी गई है ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण की जाने वाली नवीन सड़कों जिनकी स्वीकृति 1.4.83 से 31.7.83 तक प्रदान की गई, का जिलेवार विवरण प्रपत्र "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त सड़कों की स्वीकृति राजस्थान नहर परियोजना के तहत सिंचित क्षेत्र के विकास हेतु दी गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 32 देखें)

श्रीकेशोरायजी के मन्दिर का जीर्णोद्धार

227. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) एवं श्री बालचन्द आर्यवीर(डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि केशवरायपाटन, जिला बूंदी में श्रीकेशोरायजी के मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत राशि अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण

(श्री गोपाल पचेरवाल)

विभाग, बूंदी के पास काफी समय से पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु दी गई कुल 98000/- रुपये की राशि में से 86500/- की राशि व्यय की जा चुकी है और शेष राशि का कार्य भी 15 दिवस में पूर्ण किये जाने की संभावना है।

बयाना व भरतपुर से रूपवास सड़क की मरम्मत

228. **श्री रामप्रसाद** (रूपवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बयाना से रूपवास तथा भरतपुर से रूपवास की सड़क वर्षा के कारण खराब हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मत कराना चाहती है ?

(2) यदि हां, तो उक्त सड़कों का कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जावेगा और कब तक पूर्ण हो जायेगा ? कृपया सविवरण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 एवं 2) वर्षा में खराब हुई बयाना से रूपवास तथा भरतपुर से रूपवास सड़कों की साधारण मरम्मत आवश्यकतानुसार करा दी गई है। विशेष मरम्मत का कार्य वर्षा ऋतु के बाद हाथ में लिया जाकर मार्च, 1984 तक पूरा किया जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 8 के आड़े नाले के मोड़ को कम करने हेतु सर्वे

229. **श्री भेरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 उदयपुर से रतनपुर बारां एवं पहूना गांव के बीच में आड़ा नाला है जिसके पुल पर मोड़ होने के कारण दुर्घटनायें होती हैं, कई ट्रक नाले में जा गिरे व जानमाल की भी हानि होती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस आड़े नाले के मोड़ को कम करने हेतु कोई सर्वे की गई है ? यदि हां, तो क्या इस मोड़ को कम करने की कार्यवाही हो रही है ? यदि हां, तो इस मोड़ को कब तक ठीक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस कार्य के निर्माण की स्वीकृति राजस्थान पुल निगम को दे दी गई है।

ग्रामदानी ग्रामों को सड़क से जोड़ने हेतु प्राथमिकता

230. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राम कंवार बैरवा)

(1) क्या यह सच है कि चाकसू से 10 कि.मी. दूरी पर अनुसूचित जाति बैरवों का गांव ग्रामदानी गांव जयप्रकाशपुरा स्थित है ? यदि हां, तो इसे सड़क से नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार ग्रामदानी गांवों को सड़क से जोड़ने में प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम जयप्रकाशपुरा को प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । धनाभाव के कारण गांव को सड़क से जोड़ने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

(2) यह ग्राम पंचायत मुख्यालय होने के कारण मास्टर प्लान में सड़क से जोड़ने हेतु प्रस्तावित है ।

भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ जोधपुर में मारपीट

231. **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की क्या करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 4 अगस्त, 1983 को जोधपुर भारतीय जनता पार्टी के नगर पार्षदों को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया ?

(2) यदि हां, तो यह पीटने वाले कितने और कौन-कौन व्यक्ति थे ? सरकार ने अब तक इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस हंगामे में नगर परिषद् के कतिपय कर्मचारियों ने उपद्रवियों का साथ दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कर्मचारियों को दण्डित किया ? यदि हां, तो किस-किस को ?

उत्तर

(1) दिनांक 4.8.83 को श्री कान्तिलाल जसमतीया भा० ज० पा० के नगर पार्षद ने भा० ज० पा० के पार्षदगण दामोदर बंग, शुभराज लोढ़ा, नरपत सिंह गहलोत व सुरेन्द्र सिंह के मारपीट होने की रिपोर्ट की थी । जिस पर मु० नं० 96/83 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323 व 452 भा० दं० सं०, थाना सदर बाजार, दर्ज किया गया ।

(2) इस मुकदमे में 16 व्यक्ति अपराधी होना पाये गये । जिनकी सूची संलग्न है । इन 16 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को मौके पर ही धारा 151 जा० फौ० के तहत गिरफ्तार कर पेश अदालत किया गया व मुकदमे की तफ्तीश पूर्ण कर 16 ही व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 353, 332, 451, 325 व 323 भा०दं०सं० में दिनांक 12.8.83 को चालान पेश अदालत कर दिया गया है ।

(3) इस घटना में तफ्तीश से नगर परिषद् के दो हरिजन कर्मचारी श्री मदनलाल, श्री ओम प्रकाश ऊंटवाल शरीक जुर्म होना पाये गये । जिनका भी चालान किया गया है । विभागीय कार्यवाही हेतु पुलिस द्वारा नगर परिषद् को सूचित किया जा चुका है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 33 देखें)

Page No 65

(65)

पंचायत समिति अन्ता के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति काचरी के पदाधिकारियों के त्याग-पत्र

232. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी): **श्री बालचन्द आर्यवीर**(डग) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला की पंचायत समिति अन्ता के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति काचरी के समस्त पदाधिकारियों ने अपने त्याग पत्र दे दिये हैं? यदि हां, कब किस तारीख को ?

(2) क्या पदाधिकारियों द्वारा त्याग-पत्र देने के बाद किसी प्रशासक की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां तो किसको नियुक्त किया गया व कब किया ?

(3) क्या प्रशासक एवं पदाधिकारी नहीं होने से किसानों को न तो ऋण मिल सका न अन्य सुविधाएं ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 8.4.83 को।

(2) जी हां, श्री रमेशचन्द जैन, निरीक्षक (कार्यकारी) को 30.8.83 को प्रशासक नियुक्त किया गया।

(3) जी नहीं, संस्था द्वारा अन्य सुविधाओं के साथ खरीफ फसल हेतु दिनांक 31.8.83 तक 76,770/- रुपये का ऋण वितरण किया जा चुका है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है :-

(1) श्री राजबहादुर – गंगा नदी पर टेहरी बांध से राजस्थान की मांग के अनुसार 3 हजार क्यूसेक्स पानी राजस्थान को उपलब्ध न होने के विषय में।

(2) श्री दाऊदयाल जोशी—राज्य के आयुर्वेदिक कालेजों के लिए नये वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने की घोषणा कार्यान्वित न करने के विषय में।

(3) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नी लाल जेलिया – सवाई माधोपुर हायर सेकन्डरी स्कूल में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त न होने के विषय में।

(4) श्री हीरालाल आर्य—बूंदी जिले में फूलसागर से लेकर जैतपुरा गांव तक गेम सैंक्चुरी लगाये जाने के कारण पशुओं को चरने की अनुमति न देने के विषय में।

(5) श्री हरीश शर्मा – राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित इंजीनियरों की नियुक्ति सिंचाई विभाग द्वारा न करने के विषय में।

(6) श्री महाराम चौधरी – नागौर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोक-

(श्री अध्यक्ष)

थाम के लिये पिछले 3 सालों में कोई कार्यवाही न करने के विषय में ।

(7) श्री छीतरलाल आर्य – अटरू निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या के विषय में ।

(8) श्री बालचन्द्र आर्यवीर–झालावाड़ जिले से सिंचाई विभाग के सर्वे डिवीजन तोड़ दिये जाने के विषय में ।

(9) श्री मेघराज तावड़–गत 28 मई को अलवर जिले के भिवाड़ी विद्युत मंडल में एक श्रमिक श्री संतोष शर्मा की पत्नि के साथ बलात्कार व तेल छिड़कक र उसकी हत्या कर देने के विषय में ।

(10) श्री नाथूसिंह – जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था बिगड़ जाने और यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार होने के विषय में ।

(11) श्रीमती विद्या पाठक – जयपुर में आमागढ़ पहाड़ी में चालीस वर्ष का खनन पट्टा दिये जाने के उपरान्त खनन कार्य रोकने से 3 हजार अनुसूचित जाति के लोगों के बेरोजगार होने के विषय में ।

(12) श्री बंशीलाल पटवा – गत 24 जुलाई को भीलवाड़ा स्टेशन चौराहे की दुकानों में कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ करने के विषय में ।

(13) श्री राधेश्याम बंसीवाल – राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ बाबा रामदेव के मेले हेतु प्राईवेट बसों की व्यवस्था न होने से यात्रियों को परेशानी होने के विषय में ।

(14) श्री देवीसिंह भाटी – बीकानेर के मुख्य स्टेडियम को स्थानान्तरित कर देने से बीकानेर की जनता में रोष होने के विषय में ।

(15) श्री भैरोंसिंह शेखावत – पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में करोड़ों रुपये की लागत से खुदवाये गये हैण्ड पम्पों में से कइयों में विशेषकर जोधपुर नगर में उपलब्ध पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और बीमारियां पैदा करने वाला है, इस विषय में ।

(16) श्री भंवरलाल शर्मा – बस्सी तहसील के चार गांवों में गत बुधवार की रात्रि को हुई डकैती के विषय में ।

(17) श्री गुलाबचन्द कटारिया – उदयपुर नगर परिषद की लापरवाही से नगर में प्रकाश, सफाई व सड़कों की व्यवस्था ठीक न होने के विषय में ।

(18) डा. उजला अरोड़ा – जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई गई मुरलीपुरा व विद्याधर नगर में चिकित्सा सुविधा न होने से पिछले 3 माह में 7 बच्चों की अकाल मृत्यु होने के विषय में ।

(19) श्री महावीरप्रसाद जैन – प्रशासन शहरों की ओर अभियान के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिकाओं को भूमि न देने के विषय में ।

(श्री अध्यक्ष)

(2) जयपुर जिले में बस्सी के चार गांवों में डाके की घटनाओं के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मैं इन्हें राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा रहा हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव भी अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और इन पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी :–

(1) श्री रामकंवार बैरवा – प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शालायें खोलने में गैर सत्तारुढ़ दल के अनुसूचित जाति के विधायकों के क्षेत्रों के नागरिकों के साथ भेदभाव।

(2) श्री घनश्याम तिवाड़ी – प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ने की स्थिति में।

(3) श्री अनंगकुमार जैन – झालावाड़ शहर में कालीदास गृह निर्माण समिति के नाम एक व्यक्ति द्वारा राज्य कर्मचारियों से धोखा देकर ठगी के विषय में। यह एक व्यक्तिगत मामला है।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री भंवरलाल शर्मा–अलवर जिले के 3 पुलिस अधिकारियों द्वारा तफ्तीश के लिये जाने पर नेपाल सरकार द्वारा उन्हें तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में भारत सरकार से कार्यवाही हेतु निवेदन किया है और उन्होंने सूचना दी है कि इन पुलिस अधिकारियों को नेपाल पुलिस की हिरासत से शीघ्र छुड़ाकर भारत लाने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) श्री दाऊदयाल जोशी – बूंदी नगर में डकैती के सिलसिले में एक चपरासी की हत्या। सरकार ने सूचित किया है कि मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे अभियुक्त की तलाश जारी है।

(3) श्री जीतमल जैन – गत 9 अगस्त को भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में पिटाई से एक श्रमिक की मृत्यु। सरकार ने विस्तृत सूचना देते हुए बताया है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा आगजनी व हमला करने की घटना के कारण मुकदमे पंजीबद्ध किये हैं और 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा इस मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(4) श्री कमलेन्द्रसिंह – सामे, कमला, अम्बा परियोजना के ठेकेदार पटेल द्वारा उनके बिलों का भुगतान न होने पर उनके द्वारा भूख हड़ताल। सरकार ने सूचित किया है कि ठेकेदार द्वारा अपूर्ण कार्य छोड़ जाने के कारण कुछ बिलों को रोका गया है और उनका भुगतान करना विभाग अथवा सरकार के हित में नहीं होगा।

(5) श्री दाऊदयाल जोशी–कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के अवसर पर केन्द्रीय वित्त मंत्री के लिये सरकारी विमान का उपयोग। सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री की यह यात्रा उक्त

(श्री अध्यक्ष)

समारोह तक ही सीमित नहीं थी, किन्तु राज्य हित के कई विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाना था और विमान का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।

(6) श्री बंशीलाल पटवा – भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल द्वारा यकायक तालाबंदी। सरकार ने सूचित किया है कि नियोजकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है जिसका उत्तर आना शेष है।

(7) श्री रघुवीरसिंह कौशल – कोटा क्षेत्र की दाई मुख्य नहर में जमीन का मुआवजा किसानों को न चुकाने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि भुगतान में विलम्ब का कारण आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त न होना, मुआवजे की रकम पर किसानों का सहमत न होना आदि है। शेष भुगतान का चुकारा शीघ्र करने की कार्यवाही की जा रही है।

(8) श्री नाथूसिंह एवं सुश्री पुष्पा जैन–श्री अम्बे प्रसाद जैमन द्वारा जयपुर में तीन शादियां करना। सरकार ने सूचित किया है कि सम्बन्धित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है अथवा उनकी अग्रिम जमानत न्यायालय द्वारा ले ली गई है। अनुसंधान जारी है।

(9) श्री हाजी चाव खां – भरतपुर में फसलों के सूखने के बावजूद सेराबा रेग्युलेटर बन्द करना। सरकार ने सूचित किया है कि इस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण पानी अधिक छोड़ा गया था और पम्पों से अतिरिक्त पानी निकाल दिया जायेगा।

(10) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी – जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की पिटाई। सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले पर 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा गया है और तफ्तीश जारी है।

(11) श्री घनश्याम तिवाड़ी – राज्य के बीस बड़े उद्योग तालाबंदी के शिकार हो जाने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि केवल तीन उद्योगों में तालाबन्दी है। कृष्णा मिल्स को चालू रखने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(12) श्री समर्थ लाल – सरिस्का गेम सेंक्चुरी में से तीर्थ स्थानों को जाने वाले यात्रियों से कर वसूली करना। सरकार ने सूचित किया है कि इन यात्रियों से किसी प्रकार का प्रवेश अथवा वाहन शुल्क न लेने के विषय में निर्णय लिया गया है और इसके लिये नियमों में संशोधन किया जा रहा है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं आज कार्य सूची काफी लम्बी है। सदन की कार्य सलाहकार समिति ने आज की कार्य सूची में जो विषय निर्धारित किये हैं वह शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट और विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर

(श्री अध्यक्ष)

विचार आदि हैं। इसके अलावा पांच किसी न किसी माध्यम के प्रस्ताव हैं इसलिये समय का अभाव है। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि अस्वीकृत प्रस्तावों पर सदैव माननीय सदस्यों को जो सुविधा रहती थी दो-दो मिनट बोलने की, आज इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे। एक विषय और भी है। विपक्ष के नेता महोदय ने कल उठाया था कि कई तरह के विशेषाधिकार के प्रश्न भी आसन के समक्ष विचाराधीन हैं। उन पर भी आज आसन की ओर से निर्णय दिया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा कि आज सीधे ही जो वक्तव्य या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं वे विषय ले लिये जायें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक विशेष सुविधा के लिए अनुमति चाहूंगा। मैंने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया था आपने उसको राज्य सरकार के पास भेज दिया। वह प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति से सम्बन्धित नहीं है....

श्री अध्यक्ष : कौन सा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने दिया था, जोधपुर में पानी के अन्दर जहर पिलाया जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई गम्भीर मसला नहीं हो सकता जिसका सीधा सम्बन्ध वहां की चार लाख जनता से है, पांच लाख जनता से है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : साढ़े पांच लाख।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साढ़े पांच या छः लाख, आप कुछ भी मान लीजिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है........

श्री अध्यक्ष : यह कब दिया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैंने आज दिया है। यह दोनों लैटर्स यदि आप पढ़ लें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की विधान सभा में इससे बड़ा गम्भीर मसला....

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव तो मेरे समक्ष अभी आया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने साढ़े नौ बजे दिया है।

श्री अध्यक्ष : पहले स्थगन प्रस्ताव आते हैं उसके पश्चात्....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहा हूं। मैंने कोई विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं दिया है। मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मैं, अध्यक्ष महोदय, दोनों लैटर आपको दे देता हूं, आप सदन में पढ़ कर सुना दीजिये, सदन के सदस्यों की गम्भीरता कितनी है इसका अनुमान लगा लीजिये। ये दो लैटर हैं। मैं अनुमति नहीं चाहता। आप समझें उचित है, यदि यह मामला ऐसा है कि कमजोर है, किसी मतलब का नहीं है तो मैं नहीं उठाऊंगा। दोनों लैटर्स आप पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष : आपने देखा होगा, आज मैंने लगभग 30-35 स्थगन प्रस्तावों पर

(श्री ग्रध्यक्ष)

व्यवस्था दी है। ग्रब इन सभी पर चर्चा ग्राज तत्काल हो जाये यह सम्भव नहीं लगता क्योंकि ग्राज की कार्य सूची भी काफी लम्बी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, जैसा माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा है, राज्य सरकार के बड़े ग्रधिकारियों के पत्र हैं जिससे पानी के बारे में सारी स्थिति स्पष्ट हो रही है, उसके परिणाम स्पष्ट हो रहे हैं। मैं ग्रापसे ग्रनुमति चाहता हूं। जोधपुर की साढ़े पांच लाख जनता के साथ इतना बड़ा ग्रहित किया जा रहा है। ग्रगर यह सामने नहीं ग्राया ग्रौर राज्य सरकार ने काग्निजेंस नहीं लिया तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, यह इन पत्रों से स्पष्ट हो जायेगा। मैं ग्रापसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। ठीक है ग्राज की कार्य सूची काफी लम्बी है, लेकिन इस विषय को विधान सभा में रखने की ग्रनुमति दें। ग्राप इन पत्रों को पढ़ दें, सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इन पत्रों का ग्रध्ययन कर लूंगा जब मैं वेश्म में जाऊंगा। जन स्वास्थ्य मंत्री हैं वे जोधपुर के हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वे जोधपुर के हैं, ग्रध्यक्ष जोधपुर का है तो ग्राप कैसे समझते हैं हमारी इसमें रूचि नहीं होगी ? हम भी देख लेते हैं। इस बारे में मैं बाद में व्यवस्था दूंगा।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, भरतपुर नगर का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुग्रा है। मुझे विश्वास दिलाया गया था कि उस पर स्टेटमेंट होगा। जो प्रकोप है दैवी प्रकोप नहीं है वह मैनमेड प्रकोप है। साजिश ज्यादा हो सकती है कर्मचारियों की। मोरियां बन्द कर दी हैं लोगों ने, जो गेट्स निकाले थे वे बन्द कर दिये हैं। मैं तो कुछ कहना चाहता था।

श्री ग्रध्यक्ष : यह पांचना बांध है क्या ?

श्री राजबहादुर : यह पांचना बांध ग्रलग चीज है। पांचना बांध तो ग्रलग है। गम्भीर नदी पर पांचना बांध बांधा गया है। ग्राडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि यह गलत बांधा गया है। भरतपुर शहर के बारे में ग्रापने फरमाया था कि स्टेटमैंट दिया जायेगा ग्रौर ग्राज उस पर कहने का मौका मिलेगा।

एक यह था, विशेषाधिकार का नहीं बल्कि मेरा तो खाली एडजोर्नमैंट मोशन है। मुख्य मन्त्रीजी ने गोली कांड के सम्बन्ध में एक विश्वास दिया था सदन को कि वह हाई कोर्ट जज से इन्क्वायरी करायेंगे। ग्राज तक एस्टैब्लिश नहीं हुई। ये दोनों मामले बहुत गम्भीर हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री राजबहादुर, ग्रापकी ग्राधे घण्टे की चर्चा यमुना नदी के पानी में से राजस्थान का हिस्सा निर्धारित कराने के लिए है।

श्री राजबहादुर : उसके लिए ग्राभारी हूं लेकिन जहां तक भरतपुर शहर में बाढ़ ग्राने का सवाल है यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि इस सभा में दो सौ माननीय सदस्य हैं........

श्री राजबहादुर : कृपया आप सुन तो लें। कम से कम ये तो बतायें कि एक्शन लिया जायेगा, इस बाढ़ को दूर करने के लिए इतना तो आ जाय। कम से कम कोई तो बोले।

श्री अध्यक्ष : सम्भव नहीं होगा। समय का अभाव है।

श्री राजबहादुर : प्रभारी मंत्री बोलें, मुख्य मन्त्री बोलें, कोई तो बोले। शहर का हिस्सा डूबा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा सकें लोग तबाही के शिकार हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आधे घण्टे की चर्चा। श्री राजबहादुर!

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मुझे आश्वासन दिया गया था कि आपका जो प्रश्न है उसका आज जवाब नहीं दिया जायेगा और वह आधे घण्टे की चर्चा में लगा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए दुःख है कि जानबूझकर यहां लगाने के बाद आधे घण्टे की चर्चा काट दी गई है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि उसमें समय की बचत करने के लिए यह व्यवस्था....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्पेसिफिक प्रश्न पर आपने आदेश दिया था लेकिन मुझे दुःख है इस बात का कि उसको लिस्ट में लेने बाद काट दिया गया।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात तो सुनिये। मेरी बात सुनने का कष्ट कीजिए।

क्योंकि आज बिजली की मांग है इसलिए आपको इस सम्बन्ध में विशेष अवसर दिया जायेगा। राज्य सरकार को भी हमने सूचित कर दिया है इस सम्बन्ध में। यह मैंने आपसे निवेदन किया।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मेरा खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय की बचत करना चाहते हैं तो....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : मेरा खाद्य पदार्थों में मिलावट सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव है। यह खाद्य पदार्थ........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज आपका एक प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : मेरा स्थगन प्रस्ताव खाद्य पदार्थों में मिलावट सम्बन्धी है। हमारे खाद्य पदार्थ के मंत्री महोदय हैं उनका क्या उद्देश्य है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समय न लें।

अब जो आगे 4–5 स्थगन प्रस्ताव व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि आये हैं वह आ गये तो आ गये। अब कुछ नहीं हो सकता है।

श्री महाराम चौधरी : आबादी कम करने के लिए तुले हुए हैं क्या ? इस तरह से कम करना चाहते हैं क्या ? इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करते। प्रश्न यह है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : समय न लें, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह कहना चाहूंगी. पुस्तिका जो राज्य सरकार ने निकाली है इसको मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। इसमें लिखा है, अध्यक्ष महोदय....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे भिवाड़ी के दो स्थगन प्रस्ताव लगे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था कि सरकार से वक्तव्य दिलायें। गोली काण्ड हुआ था मजदूरों के ऊपर और जो मजदूर मारे गये सरकार की पुलिस की गोली से....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 295 के तहत....

श्री अध्यक्ष : इसमें भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री जीतमल जैन (अलवर) : × × ×

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था न फैलायें, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिन स्थगन प्रस्तावों के जवाब आये हैं उन पर तो आप दो–दो मिनट का समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री समरथ लाल : वह तो बहुत कम प्रस्ताव हैं जिन पर जवाब आया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी। आर्डर प्लीज।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, आज सारा अलवर बन्द है और हजारों लोगों की रैली निकाली जा रही है। पुलिस की गोली से शिकार हो गये, लोग मर गये आज तक उनका कोई फैसला नहीं। मैं आपसे चैम्बर में मिला, मैंने आपसे निवेदन किया कि सरकार से वक्तव्य दिलाया जाय....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री जीतमल जैन : × × ×

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन पर कार्यवाही थोप रहे हैं। व्यर्थ में समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप आज सी०बी०आई० से जांच कराने के लिए आश्वासन दिला दें मुख्य मंत्री महोदय से। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी तरह से और कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ..

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतने आवेश में, न आयें। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अंकित न हो। कृपया बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : आप आसन फर्मायें तब तो मैं सदन चलाऊं। मैं भाषणों की इजाजत नहीं दूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न

अस्वीकृत स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी मैंने निवेदन कर दिया कि मैं किसी भी स्थगन प्रस्ताव पर आज माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मेरे समक्ष जो वक्तव्य आदि रखे हुए हैं उनके बारे में माननीय सदस्य बोल सकेंगे। दो बजे तक इस तरह की सभी चर्चा समाप्त हो जायेगी। उसके पश्चात् रेगुलर बिजनेस ले लिया जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि आज सत्र का अन्तिम दिन है। आज के पहले एक व्यवस्था आपने सदा सर्वदा दी है कि जो प्रस्ताव रिजेक्ट करते हैं उन पर दो-दो मिनट का अवसर देते हैं। यह बात सच है कि जो कार्य सूची है वह बहुत लम्बी है। माननीय सदस्य और थोड़ी देर बैठ सकते हैं। आप दो-दो मिनट दे दें। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं।....

श्री अध्यक्ष : आप देख लीजिए। यह आप सोचिए कि यह सूची कितनी लम्बी है। 40 माननीय सदस्य दो-दो मिनट बोलें तो 80 मिनट हो गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान भर के माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की समस्या स्थगन प्रस्तावों के जरिये आपके माध्यम से सरकार के पास भेजते हैं। आपने रिजेक्ट किये हैं....

श्री अध्यक्ष : आप देखेंगे कि मैंने कई स्थगन प्रस्तावों पर ताकीद करके सरकार से जानकारी प्राप्त की और आपकी सेवा में वह जानकारी उपलब्ध करवायी। अब सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे दूं, यह सम्भव नहीं है वरना मैं अवश्य दे देता।

श्री बाऊदयाल जोशी : आधी रात तक बैठ जायेंगे। पिछले सत्र में भी जब बजट पास करवाया तब तो रात रात भर बैठते थे।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि फिर यह रेगुलर बिजनेस समाप्त करके मैं बैठने को तैयार हूं। और अवसर दे दूंगा....

एक माननीय सदस्य : इस पर अवधि फिक्स कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं मानता। इस तरह आधे घण्टे का समय तो इसमें ही चला गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करिये।

श्री समरथ लाल : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा, आप दो दो मिनट का समय दे दीजिए।

श्री राजबहादुर : मैं आपसे बहुत-बहुत नम्रतापूर्वक....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि मैं इतना अवश्य कर सकता हूं कि जितने भी दल हैं, एक-एक, दो-दो नाम लिख कर दे दें, सात या आठ से अधिक नाम नहीं हों, उसके लिए पन्द्रह मिनट का समय मैं दे सकता हूं। आप नाम के साथ अंकित कर दें, जो आज चर्चा में आए थे स्थगन प्रस्ताव उनमें से कौन-कौन के ऊपर बोलना चाहते हैं। मैं उनको यह सुविधा दे सकता हूं। सब को सुविधा देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, जैसी आपने व्यवस्था दी है....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने अपनी व्यवस्था में थोड़ा सा संशोधन किया है। मैं फिर अपील करना चाहता हूं कि जो विषय हैं अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र के, अलग-अलग विषय हैं। आज आपने रिजेक्ट किए उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। यह जरूर है कि पन्द्रह मिनट के बजाय घण्टा भर लग जाएगा लेकिन एक बार राजस्थान भर की सब समस्या सामने आ जाएगी। फिर रेगुलर बिजनेस ले लीजिए। इससे काम चल जाएगा। मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : बहुत अधिक संख्या है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा और कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष : यह सम्भव नहीं होगा। बहुत अधिक संख्या स्थगन प्रस्तावों की माननीय सदस्य है, इसलिए यह सम्भव नहीं होगा।

श्री महाराम चौधरी : एक-एक मिनट कर दें, साहब।

श्री अध्यक्ष : एक एक मिनट में नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : यहां पर गम्भीर प्रश्न उठते हैं....

श्री अध्यक्ष : कार्य सूची बहुत लम्बी है। समय बढ़ाने के बाद में भी पूरी कर

(श्री अध्यक्ष)

सकेंगे इसमें भी मुझे आशंका है। कृपया....

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, सदन के संचालन की बहुत गम्भीर समस्या है। आखिरकार हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, इस व्यवस्था के लिए गवर्नमेंट कुछ रेस्पॉन्स तो दे। गवर्नमेन्ट अगर रिलीफ नहीं दे, गवर्नमेन्ट से रिलीफ नहीं मिलता है तो रेस्पोन्स तो मिले।

श्री अध्यक्ष : मैं अधिक से अधिक दस माननीय सदस्यों को जो उनके स्थगन प्रस्ताव हैं उनके बारे में अनुमति दे सकता हूं। प्रत्येक माननीय सदस्य को....

श्री राजबहादुर : हम अपनी समस्या के बारे में क्या कहें। शहर में फ्लड आया हुआ है, शहर डूब रहा है उसके बारे में क्या होगा। आश्वासन मिलता है कि गोली-काण्ड की जांच होगी, हाई कोर्ट का जज करेगा जांच, उसके बारे में कुछ नहीं होता है तो क्या जवाब दिया जाएगा। कम से कम कुछ रेस्पोन्स तो आना चाहिए गवर्नमेन्ट से।

श्री मेघराज तावड़ : सरकार तो × × × होकर बैठी है। राजस्थान की जनता क्या करे ऐसी × × × सरकार को....

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण में संयम बरतें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता पर पुलिस राज हावी हो जाय, इसकी कोई परवाह नहीं हो, × × × सरकार बोल नही सकती........

(व्यवधान)

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा सा और उदार हो जायं। आज तो आखिरी दिन है। दो-दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया। दस माननीय सदस्यों, जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं, की मुझे यदि सूची दे दें तो मैं दो दो मिनट की इजाजत दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसमें आप हमारी लड़ाई करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब है कि आप सारी लड़ाई मेरे जिम्मे डालना चाहते हैं। जब आप के लिए सम्भव नहीं है तो मेरे लिए कैसे सम्भव होगा ?

श्री महाराम चौधरी : एक दो घण्टे और बैठ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : रात को बारह बजे तक चला लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहले जो निश्चित कार्य सूची है उसका

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

सम्पादन कर लेते हैं उसके बाद में बैठ जावेंगे। मैंने दस माननीय सदस्यों को अवसर देने का वायदा कर लिया वह भी आपको मंजूर नहीं है। प्रत्येक माननीय सदस्य, जिन्होंने स्थान प्रस्ताव दिये हैं, बोलना चाहते हैं। समय का अभाव है इसलिए सम्भव नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले भी रात तक बैठे हैं। रात को एक-एक, दो-दो बजे तक हाउस चला है।

श्री अध्यक्ष : पहले आप सहमति कर लें तब तक आधे घण्टे की चर्चा ले लेता हूं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप सभी को इजाजत दे दीजिए, लिमिट करके।

श्री अध्यक्ष : मुझे अफसोस है कि आज कल आपने पता नहीं क्या तय कर लिया है कि इस सत्र में कोई बात आई हो, आप हरदम खड़े ही रहते हैं। मुझे बहुत खेद है।

श्री महाराम चौधरी : समय नहीं लेंगे, हमारे क्षेत्र विशेष का मामला है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री महाराम चौधरी : हमारी समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं है। यहां मेरे क्षेत्र की समस्या को नहीं रखूंगा तो फिर आया किसलिए हूं।

श्री अध्यक्ष : आधा घण्टे की चर्चा है।

श्री राजबहादुर, यमुना नदी के पानी में से राजस्थान का....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कहना चाहती हूं कि यह किताब विभाग ने लिखी है जिसमें लिखा है कि मुरलीपुरा में सारी सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं लेकिन वहां चिकित्सा सुविधा न होने से मैंने आपको नाम दिये। मैंने आपको नाम दिये, मैंने बच्चों के नाम दिये....

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं दी है, माननीय सदस्या। आप किस माध्यम से बोल रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बोल रही हूं, औचित्य नहीं है, जिस तरह से विभाग काम कर रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं रूल 295 के तहत बोल रही हूं। अगर मैं औचित्यपूर्ण नहीं बोलूं तो आप निरस्त कर दीजिए....

श्री अध्यक्ष : यह सम्भव नहीं है, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुरलीपुरा में....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा । अंकित नहीं हो रहा है । आर्डर आर्डर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्या । व्यर्थ में समय ले रही हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव आपने अस्वीकार किया है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं दी है, माननीय सदस्य । कृपया ।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान पत्रिका में आया है कि मुख्य मंत्री ने....

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में सदन का समय न लें, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रणव मुकर्जी को आप वायुयान से लाये हैं कांग्रेस (आई) के सम्मेलन के लिए....

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में समय नहीं लें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान सरकार के वायुयान से....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो । आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : सदन के प्रांगण का दुरुपयोग कर रहे हैं, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए । अंकित नहीं हो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : ×××

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : ×××

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : गरीबों का ठेका है । +++

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : ×××

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री हीरालाल आर्य : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।
+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : एक सम्मेलन से घबरा गये। एक सम्मेलन से घबरा गये। एक सम्मेलन से घबरा गये....

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री) : कोटा गया आपके हाथ से, अब आ गया हमारे पास....

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सिंधी कहलाकर मंत्री पद ले लिया। इस पर शर्म शर्म आनी चाहिये।

(व्यवधान)

(1.02. म०प०)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : × × ×

श्री सभापति : कृपया शांत रहिये। आप बैठ जाइये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : × × ×

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : × ×

श्री सभापति : मैं आपको मौका दूंगा कृपया स्थान ग्रहण करें। आपको मौका दूंगा। आपको मौका दिया जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : × × ×

श्री महाराम चौधरी : × × ×

एक माननीय सदस्य : + + +

एक माननीय सदस्य : + + +

एक माननीय सदस्य : इस तरह से + +

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

एक माननीय सदस्य : + + +

एक माननीय सदस्य + + +

एक माननीय सदस्य : + + +

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हाउस में इस तरह का वातावरण पैदा करें, यह + + + बोलें, यह हाउस के डेकोरम....

श्री सभापति : इस तरह से बोलने से क्या मतलब निकलेगा। आप क्या बोल रहे हैं। सदन की जो गरिमा है वह तो आप लोगों को कायम रखनी चाहिये।

आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्रीमती ऊजला अरोड़ा : × × ×

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर) : भैरोंसिंह जी, इनको बैठा लो जरा।

× × × आसन के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : सदन की गरिमा रखना आप लोगों की और हम सब की जिम्मेदारी है। इस तरह से आप सब बोलेंगे तो सदन की कार्यवाही कैसे चल सकती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सत्ता पक्ष बोले जायेगा ?

श्री सभापति : यह किसी एक माननीय सदस्य के लिये नहीं है। सब के लिये है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय मंत्री महोदय असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह कहां तक आप उचित समझते हैं ? आप व्यवस्था फर्मा दीजिये। माननीय मंत्री महोदय इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप इसको कहां तक उचित समझते हैं ? आप व्यवस्था फर्मा दीजिये।

श्री सभापति : सदन के अन्दर....

श्री मेघराज तावड़ : उनका कहना ठीक है तब तो कोई बात नहीं। आप व्यवस्था दे दीजिये,कोई ऐसे कह सकते हैं....

श्री सभापति : मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा अगर कहीं पर....

श्री मेघराज तावड़ : असंसदीय शब्द बोल सकते हैं अगर यह व्यवस्था आपकी है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री सभापति : आसन के लिये कोई भी मंत्री हो या सदस्य सब बराबर हैं। अगर असंसदीय शब्द किसी ने काम में लिये हैं तो उनको कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो कुछ भी कहा जायगा वह चाहे असंसदीय हो, आप प्रोसिडिंग्स देख कर ही उसको एक्सपंज करेंगे। क्योंकि

श्री सभापति : नहीं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहा कि नहीं कहा, आप बताइये ?

श्री सभापति : किस ने कहा, किसने नहीं कहा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो कहा है, किसी ने कहा हो आप एक्सपंज कराइये।

श्री सभापति : अगर ऐसे कोई शब्द हैं तो वह एक्सपंज हो जायेंगे, एक्सपंज किये जायेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिस समय अध्यक्ष महोदय यहां चेयर पर थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने दस लोगों को स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी थी,मेरी बात के ऊपर वे फिर और विचार कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यवस्था दस लोगों को स्थगन प्रस्ताव पर दो-दो मिनट बोलने की दी है उस पर आप पुर्नविचार करें। कोई कठिनाई नहीं होगी, आज का आखिरी दिन है,लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहां आये हैं। विधान

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सभा के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने दो दो मिनट में उन समस्याओं को रखना चाहते हैं। यह बात सच है, कार्यसूची लम्बी है, थोड़ी देर हो जायेगी। दो दो मिनट अगर एक एक माननीय सदस्य द्वारा समस्या रखी जायगी तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें, दो दो मिनट का अवसर दें, यही मेरा निवेदन है।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय ललित जी ने यह कहा कि आज आखिरी दिन है। तो सरकार का आखिरी दिन है या सदन का आखिरी दिन है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह) : माननीय सभापति महोदय, चतुर्वेदी जी जो कह रहे थे इन्होंने पहली मर्तबा सभ्यता बरती है या आज से पहले भी सभ्यता बरती है ? आपने....

श्री बंशीलाल पटवा : + + +

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आपको न अध्यक्ष बनाने वाले हैं न मंत्री बनाने वाले हैं।

श्री सभापति : आपके दल से....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :....बोलने से कोई डरते हैं। आपसे डरता कोई नहीं है।

श्री सभापति : आप बोलना चाहते हैं ? आप फरमाइये।

श्री महाराम चोधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि नागौर निर्वाचन क्षेत्र में और नागौर जिले के क्षेत्र के अन्दर पिछले तीन साल से खाद्य पदार्थों में, तेलों में, खाने के तेलों में मिलावट का योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस तरह से कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मिलावट की जाये। कोई टोकने वाला वहां पर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, और कहीं पर कोई काम करने वाला नहीं है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है उसी के अनुसार कार्यवाही चलायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कार्य सूची भी बहुत लम्बी है। उन्होंने यहां पर यह कह दिया है....

श्री सभापति : ये लोकदल की तरफ से बोल रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लोकदल हो या भले ही कोई और दल हो....

(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपने व्यवस्था दी है उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं....

श्री मेघराज तावड़ : आप हमारे अधिकारों को चैलेंज नहीं कर सकते हैं ...

श्री छीतरलाल आर्य : यह सदन की, हाउस की प्रापर्टी है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान, ग्रहण करें ।

एक माननीय सदस्य : अधिकार है हमारा ...

(व्यवधान)

श्री छीतरलाल आर्य : माननीय सदस्यों का अधिकार है कि अपने क्षेत्र की बात कहें।

(व्यवधान)

आपकी यह + + +नहीं चलेगी ।

श्री सभापति : कृपया शांत रहें ।

श्री हरीश शर्मा :+ + +

श्री सभापति : कृपया शांत रहें ।

श्री छीतरलाल आर्य : माननीय सभापति महोदय, इस तरह से सरकार+ + + करे यह सरकार की+ + +चलने नहीं दी जायगी ।

श्री हरीश शर्मा :+ + +

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर :+ + +

हमारा अधिकार है बोलने का, जनता ने अधिकार दिया है....

श्री सभापति : इस तरह, माननीय सदस्य, आप सब लोग एक साथ बोलेंगे....

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

एक माननीय सदस्य : हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं । हमें इजाजत दें ।

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री हरीश शर्मा : आसन को निवेदन नहीं किया जा सकता है ।

श्री बंसीलाल पटवा : आसन की ओर से हाउस को ठीक प्रकार से चलाना चाहिए। अगर आसन ठीक प्रकार से नहीं चलाता है तो आसन के लिए यह ठीक नहीं है ।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करिये ।

श्री महाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, दो मिनट बोलने की स्वीकृति दी थी....

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक कुछ फर्मा रहे हैं....

श्री महाराम चौधरी : दो मिनट बाद खेतसिंह जी....

+ + +शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

Page No 82

(82)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था आज स्पीकर साहब ने जीरो आवर के लिये यह कहा था कि जिन जिन माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव हमने रिजेक्ट किये हैं उनको आज इसलिये अवसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि कार्य सूची बहुत लम्बी है, चार स्टेटमेंट हैं, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आयोग और बिजली बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार है इसलिये तय कर दिया था और श्री राजबहादुर जी का नाम भी पुकार लिया गया था। राज बहादुरजी खड़े भी हो गये थे उसके बाद में यह नया वापस शुरू कर दिया ?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मेरा नाम पुकार लिया है, इसलिये मैं बोल ही देता हूं। मैंने आधा मिनट बोल भी लिया। अब डेढ़ मिनट में मेरी बात कह देता हूं जिससे स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री जी भी सावचेत हो जायेंगे। इन्होंने यह रोड़ा शायद इसलिये अटकाया था कि शायद यह इस सम्बन्ध में कोई सुधार या प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, करने में असमर्थ हैं या जानबूझ कर मिलावट को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, इससे जो आबादी बढ़ रही है उस आबादी को कन्ट्रोल कर सकें। मैं यही निवेदन कर रहा था कि नागौर जिले के अन्दर पिछले तीन साल से अव्वल तो नमूने लेने का कार्यक्रम किया ही नहीं गया। अब जब कि रीसेन्टली आपने लोगों को आदेश दिये हैं उन आदेशों के आधार पर नये निरीक्षकों को लगाकर या और पावर देकर जो अब व्यवस्था कर रहे हैं उस व्यवस्था में सीधी अवहेलना की जा रही है और जो नमूने लिये जा रहे हैं उन नमूनों के अन्दर जैसे सीरियल नम्बर लगा कर पेपर तैयार किये जाते हैं उस तरीके से नहीं किये जाकर जैसे किसी बनिये की या व्यापारी की कोई दुकान हो और वहां जाकर सादे कागज पर लिख लाते हैं और और जो पांच पैसे देने वाला आदमी होता है उसका पेपर तो फाड़ दिया जाता है। उनके अलावा जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं जिनके पास एक ही मिल का जो माल तेल वगैरह आता है उनमें से एक का सेम्पल ले लेते हैं, दूसरे-दूसरे का सेम्पल वे नहीं लेते हैं। इस तरह से सेम्पल लेने की अब जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे, फुटकर, रिटेलर हैं उनके सेम्पल लेने की कार्यवाही कर रहे हैं। जो बड़े व्यापारी हैं और जो थोकबन्द माल खरीदते हैं उनसे इनकी मिलीभगत चल रही है। इस सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव के जरिये स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आप तुरन्त जांच करा करके उचित कार्यवाही करावें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजबहादुर।

व्यवस्था का प्रस्ताव

अस्वीकृत स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा का अधिकार

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, पहले मैं रिकार्ड पर यह लाना चाहता हूं कि गंभीर संकट है हमारे संचालन नियमों का। वह अपूर्ण हैं और या किस प्रकार की ऐसी व्यवस्था हो गई है जिससे जो मौलिक कर्तव्य है किसी सदस्य का वह कोई बात अपने क्षेत्र, अपनी कांस्टीट्यूएंसी की, अपने लोगों की रख सके, वह नही रख सकता है। कोई अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं रिकार्ड पर लाना चाहता हूं गंभीर रूप से देखा जाय कि हमारे नियम कहां हैं।

श्री सभापति : आप अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलें।

श्री राज बहादुर : स्थगन प्रस्ताव पर नहीं बोलूंगा। मैं रिकार्ड पर रखना चाहता हूंइससे पहले कि सदन में आधे घण्टे की चर्चा शुरू करूं। मैं यह कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता से सदन भी देखे और स्पीकर महोदय भी देखें, क्या हमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं करना है, कोई ऐसी नीति नहीं बनानी है जिसके जरिये से लोगों की बात कह सकें ? क्या हम इस हाउस को ज्यादा नहीं चलायें जिससे कि बात कहने के अवसर मिल सकें ? मैं यह रिकार्ड पर लाना चाहता हूं, गंभीर मसले हैं, कहां तक इसकी अनदेखी करेंगे। मैं इस पर आधे घण्टे की चर्चा करना चाहता हूं। मुझे स्थगन प्रस्ताव पर नहीं बोलना है।

(1-12 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दोध्यानाकर्षण प्रस्ताव और तीन स्टेटमेंट रखे हैं ये सब जनता से ही ताल्लुक रखते हैं। आपको अवसर इसीलिये दिया गया है वरना और हाउसेज में आप कहीं भी देखिये, एक ज्यादा से ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाता है। आप तो पालियामेन्ट्री मिनिस्टर रहे हुए हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है। एक ध्यानाकर्षण, एक वक्तव्य से ज्यादा कोई रखा ही नहीं गया है। हमने 4-4, 5-5 रखे हैं...

(व्यवधान)

इससे कोई राजस्थान का भला नहीं होने वाला है...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हर एक के खिलाफ चार्ज लगा दिया, हर एक के खिलाफ कुछ भी कह दिया, यह कोई तरीका नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No 84

(८४)

(श्री अध्यक्ष)

घनश्याम तिवाड़ी, श्री हंसराज, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको जो बात कहनी है वह ढंग से कहिये। मैं उनका जवाब दे रहा हूं। उन्होंने मुझे यह बात कही कि आप सदस्य को बोलने नहीं देते। मैं कह रहा हूं कानून की बातें और आप यहां उठ कर चार्ज लगाना शुरू कर दें, यह क्या बात हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कहता हूं ×××

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप इस तरह से हर एक के खिलाफ चार्ज लगाकर यह चाहते हो कि अखबारों के अन्दर यह आता रहे कि हम सब भ्रष्ट हैं और आप तो दूध के धोये हुए हो। अगर आप ऐसे भले थे तो आप कैसे चले गये वहां पर....

(व्यवधान)

यहां पर मसला दूसरा चल रहा है, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं....

(व्यवधान)

राजबहादुर जी ने जो बात बतायी थी मैं तो उसका जवाब दे रहा हूं और आप खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर आप ही हैं साहूकार? कोरी बातें करने से कोई मतलब नहीं निकलता। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे कितने ही चार्जेज लगायें पर यह कोई तरीका नहीं है। इसी पर कल इतनी बहस हुई, आपके नेताजी ने खुद ने यह माना, अगर आपको चार्ज लगाना है तो आपको लिखित में देना चाहिये। हम इसको दुबारा देखते। यह क्या तरीका है यह खा गये....

श्री अध्यक्ष : आपने समाप्त कर लिया?

श्री राजबहादुर : मैंने तो शुरू ही नहीं किया। मैंने एक बात कही थी कि हमारे संचालन नियमों में ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह दोहराने की आवश्यकता नहीं, मैंने सुन लिया है जो आपने इतनी देर तक कहा।

श्री राजबहादुर : मैं नही कहना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे खेद इस बात का है कि मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था 11.5.83 को....

श्री अध्यक्ष : आपने क्या यह मुद्दा छोड़ दिया कि नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है।

श्री राजबहादुर : वह मुद्दा मैंने छोड़ा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को और सदन को....

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री राजबहादुर : पहले अपनी बात कह लूं इस सम्बन्ध में। दो मिनट में बात समझा दूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। कल आपने व्यवस्था दी थी सदन के अन्दर किसी भी मन्त्री के ऊपर चार्ज....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था ना फैलायें, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा, कृपया माननीय सदस्य बैठ जायं। व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
श्री प्रद्युम्न सिंह, राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझ पर चार्ज लगाया गया है, मैं उसका स्पष्टीकरण दे दूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया अव्यवस्था न फैलावें। बैठ जायं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल से इन्होंने यह रवैया अपना लिया है कि असेम्बली के अन्दर इस प्रकार की अव्यवस्था फैलावें और किसी को बोलने नहीं दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

आपको स्पष्टीकरण के लिये भी दो मिनट दे दूंगा। कृपया इनको बोलने दें उसके पश्चात्।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल आपने सदन में अपना विनिश्चय दिया था कि मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाने से पूर्व सूचना दी जायेगी। आज पिछले 3–4 दिन से विपक्ष का यही रवैया रहा है। सरकारी पक्ष से कोई डिफैण्ड करने के लिये खड़ा हो, कोई वाजिब बात कहे, तो तुम 10 लाख खा गये, तुम 20 लाख खा गये, तुम 2 लाख खा गये, मर्जी आये वैसी अनर्गल बातें। अगर आज ये कुछ बोलने खड़े हों, इसी तरीके से फर्जी आरोप हम भी यहां पर लगावें तो सदन की क्या स्थिति बनेगी। मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। आज प्रश्नकाल के अन्दर भी तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री पर चार्ज लगाये, कोटा के मामले में। जब माननीय मुख्य सचेतक जी किसी प्रश्न के बारे में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में कुछ कह रहे थे, आपके विनिश्चय का यहां पर हवाला दे रहे थे, कि आप रुपये खा गये, इसके अंदर बैठकर 15 हजार रुपये खा गये। हम इनकी बातों से डरने वाले नहीं, हम दबने वाले नहीं हैं। अगर इसी तरह का रवैया रहा, इन्होंने यही बात कही तो हमारी जबान पर भी लगाम नहीं रहेगी। हम भी करेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री नारायणसिंह।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य; कृपया ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं । अगर इसी प्रकार की व्यवस्था सदन के अन्दर रही जिस प्रकार से यह पिछले पांच दिन से बौखलाये हुए हैं कोटा सम्मेलन के बाद से, यह इनकी मनोवृत्ति बताती है ..

(व्यवधान)

इनके जितने सदस्य कोटा डिविजन से जीत कर आये हैं वे यहां नहीं आ सकेंगे । इनकी राजनीति की जमीन निकल गयी हैं इसलिये बौखलाए हुए हैं....

(व्यवधान)

श्री नारायणसिंह का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह स्पष्टीकरण देना चाहते थे ।....

श्री नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य जब बोल रहे थे, जोश में बहुत तेजी से बोल रहे थे तब उन्होंने मेरे लिये यह कहा कि किस काम के लिये × × × यह उन्होंने कहा ।

मैं सदन में और आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सार्वजनिक जीवन में सन् 1957 से लगातार मैं प्रधान, प्रमुख एम.एल.ए. रहा हूं उसमें यह साबित कर दें कि मैंने किसी काम में पैसे खाये हैं तो मैं कोई असत्य बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं, यदि यह बात साबित कर दे । इस तरह की असत्य और मिथ्या बात कहना कोई ठीक नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने नारायणसिंह जी पर कोई आरोप नहीं लगाया है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हरएक के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं । यह इनका रवैया है । हम नहीं सुनना चाहते ।....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि जनहित के मसले हैं और बीच में आपने मेरे खिलाफ चार्ज लगा दिये । आपको शर्म आनी चाहिये । इस तरह से चार्ज लगा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । आसन पैरों पर है । श्री राजबहादुर ।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय खेतसिंह जी को पूरा राजस्थान जानता है । इन पर आप चार्ज नहीं लगा सकते ।....

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर । कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य ।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री चतुर्भुज : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इनको अवसर दिया गया है। कृपया बैठ जायें।

श्री राजबहादुर।....

श्री राजबहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री परसराम मदेरणा, सिंचाई मंत्री ने प्रश्न 11 का 5.9.83 को उत्तर दिया था उस उत्तर से जो मुद्दे उठते हैं उस सम्बन्ध में....

व्यवस्था

अस्वीकृत स्थगन प्रस्ताव

आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : मैं पहले व्यवस्था देना चाहूंगा आपने जो पहले प्रारम्भ में बात कही उस पर। आप स्थान ग्रहण करें। आसन परों पर है।

श्री राजबहादुर : इसके बारे में मेरे जो विचार हैं, दो बात कहना चाहता हूं। मैं अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप विराज जायें।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ समय पूर्व यह आपत्ति की कि यहां पर जो कार्यवाही चलाई जाती है, खास तौर से अल्प अवधि के माध्यमों से जो प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, थोड़े समय के लिए चर्चा करने हेतु जो प्रस्ताव दिये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में यहां व्यवस्था इस तरह की है कि सदस्यों को अपने क्षेत्र की बात कहने का अवसर नहीं मिलता है।

आप जानते हैं कि सदन में कौन सा कार्य लिया जाएगा, उस कार्य के बारे में सदन की कार्य सलाहकार समिति बनी हुई है। उसके पश्चात जो समय रहता है, प्रश्न काल को छोड़ दीजिये, शून्य काल रहता है, शून्य काल में आम तौर से, जिस तरह से प्रस्ताव आते हैं, इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में यदि आसन यह व्यवस्था देता है कि इन पर सरकार की ओर से कोई वक्तव्य दिया जायेगा तो उसकी व्यवस्था की जाती है। माननीय सदस्यों ने हमारी प्रक्रिया के नियम पढ़े हैं, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि एक दिन में एक से अधिक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं आयेगा। स्थगन प्रस्तावों के बारे में जो व्यवस्था है हमारे नियमों के अन्दर, वह यह है कि माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, उसी दिन प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात उन पर अध्यक्ष व्यवस्था देगा। और व्यवस्था के मायने यह हैं कि अध्यक्ष के पास दो विकल्प रहते हैं, या तो उनको सरकार के पास जानकारी हेतु भेजा जाये। यदि उनका उत्तर समय पर आ जाये तो उस उत्तर का अध्ययन करके यदि वह उचित समझे तो उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिला दे। आम तौर पर सभी जगह एकाध इस तरह के प्रस्ताव पर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन में हर रोज आया करता है। स्थगन प्रस्ताव में अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव की प्रथम अवस्था में, प्रस्तुत होने पर अथवा सरकार की ओर से उत्तर प्राप्त होने के बाद में उसकी व्यवस्था हो, उसके बाद में किसी माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य को बोलने का अधिकार हो। लेकिन माननीय सदस्यों की समस्याएं कई तरह की हैं। आज का समाज बहुत जटिल है। हमारा समाज भी कई तरह की पीड़ाओं से पीड़ित है इसलिए माननीय सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए नियमों में कुछ ढील देकर भी हमारे यहां पर यह व्यवस्था कर रखी है, उनमें से अधिकतर प्रस्ताव, जिनको प्रथम अवस्था में अस्वीकार किया जाता है, पर माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट तक बोलने का अवसर मिलता है। उसमें दो मिनट लेते हैं या अधिक समय लेते हैं इस बात से सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित हैं। द्वितीय अवस्था में आता है सरकार के उत्तर के बाद, यदि वह अस्वीकार कर दिया जाता है तो सरकार की ओर से उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिलाया जाता है तो उस स्थिति में भी माननीय सदस्य को दो-चार मिनट में अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। यदि अध्यक्ष या आसन के यह आदेश होंगे कि इसमें सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाया जायेगा तो वक्तव्य के लिए भी नियम हैं और प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत जो व्क्तव्य दिलाया जाता है, मंत्री या सरकार के वक्तव्य के बाद में उस पर चर्चा तुरन्त समाप्त कर दी जाती है, लेकिन उस पर भी जितने भी माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हों या अलग अलग प्रस्ताव दिये हों, करीब करीब दो-चार मिनट सब को बोलने का अवसर दिया जाता है अथवा प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। यह कहना तो, मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा कि अपने चुनाव क्षेत्र या अपने क्षेत्र या अपने राज्य के बारे में अल्प अवधि के माध्यमों से जो बातें लायी जा सकती हैं उनको लाने की कोई यहां सुविधा अपर्याप्त हो या नियमों में जो अधिकार माननीय सदस्यों को प्राप्त है उनको किसी तरह से कम यहां किया गया हो, ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि यदि नियमों का कठोरता से पालन करवाया जाये तो जो अधिकार अभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हैं, उससे थोड़े कम हो जायेंगे। मैं महसूस करता हूं कि स्ट्रिक्टली उनका इन्टरप्रिटेशन करने से माननीय सदस्यों को असुविधा होगी इसलिए ऐसा हाउस में पहले कभी....

(व्यवधान)

ऐसा है, विपक्ष के नेता महोदय और उप नेता महोदय आम तौर से यह कहते रहते हैं कि जितने भी ये स्थगन प्रस्ताव आते हैं वे बहुत अधिक संख्या में आते हैं और मेरे साथ सहानुभूति जताते हैं कि नहीं साहब, इतने आ जाते हैं, इतने अधिक नहीं आने चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। यह कहने की बात तो बिलकुल ठीक है। लेकिन सुबह मैंने आपके उप नेता महोदय से यह प्रार्थना की थी कि क्योंकि आज काफी लम्बी सूची थी स्थगन प्रस्तावों की, वे स्थगन प्रस्ताव जो प्रथम अवस्था में हैं, मेरे पास आये थे सरकार से ताकीद करके, क्योंकि आज अंतिम दिन था, उनका उत्तर मंगवाया गया और उन पर अध्यक्षीय व्यवस्था दी गई। मैंने निवेदन किया कि आज की कार्य सूची काफी लम्बी है और स्थगन प्रस्ताव भी काफी संख्या में हैं

(श्री अध्यक्ष)

इसलिए कृपया आप यह चयनित कर लें, 10 माननीय सदस्यों को विपक्ष की ओर से अपने अपने विषय पर बोलने की मैं अनुमति दे दूंगा। तो उसमें असमर्थता व्यक्त की, हम किस को चयनित करेंगे, किस को चयनित नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा होगा यदि आप यह व्यवस्था कर दें कि प्रत्येक दल में से इतने से अधिक स्थगन प्रस्ताव प्रति दिन नहीं दिये जायेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज के दिन कर दें।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं होगा तब तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज की, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, विपक्ष के नेता महोदय। आर्डर प्लीज।

यह कहना तो बहुत आसान है लेकिन इस नियम को इस कठोरता से पालन करवाना काफी कठिन कार्य है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए थोड़ा लिबरल होकर आसन की सदैव नियत रहती है कि अधिक से अधिक विषय सदन के समक्ष आ जायं। कल भी आपने देखा होगा, मैंने काफी लम्बी संख्या में वक्तव्य दिलाये थे, आज भी काफी लम्बी सूची वक्तव्यों की है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय सदस्य ने अपना स्थगन प्रस्ताव किसी का दिया हो, जैसा विपक्ष के नेता महोदय का कथन है, बहुत से स्थगन प्रस्ताव की परिभाषा में भी नहीं आते हैं तो परिभाषा में जब नहीं आते हैं तो उसके लिए इतनी खींचा तान की इस सदन में जरूरत क्या है। मुझे तो बड़ी खुशी होगी, एक दो प्रस्ताव मैं प्रति दिन रख दूं और जिन स्थगन प्रस्तावों को मैं अस्वीकार कर दूं, यह मानकर कि यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, उन पर अगर विपक्ष के माननीय सदस्य नहीं बोलें तो मैं समझता हूं, मुझे तो उसमें कोई कठिनाई आने की है नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं, कहने के बाद में उस नीति की पालना करवाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी लेकिन मेरे लिए यह लाजमी होगा कि जो कुछ तय करें उसका सदन में कारगर ढंग से पालन करायें। इसलिए मैं समझता हूं कि भरतपुर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, वह मुझे उचित प्रतीत नहीं होती है। नियमों की यदि व्याख्या की गई हो, उनका इन्टरप्रिटेशन किया है, जिस ढंग से उनको लागू किया गया है तो माननीय सदस्यों के हित में है। उसके पीछे ऐसी कोई मन्शा, कोई उदाहरण नहीं हो सकता जिसमें नियमों का कठोरता से पालन करवाने के कारण माननीय सदस्यों को किसी तरह की असुविधा हुई हो। इसके लिये तो हमारी जो सदा की कार्य सूचियां हैं उनको साक्ष्य के रूप में हम देख सकते हैं। तो इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना था, मैंने अपनी बात कह दी, मेरी ओर से हमेशा यही कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य के जो विषय है वह सदन के समक्ष ला सकूं और सरकार का उन विषयों में या उन समस्याओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या नीति है वह

(श्री अध्यक्ष)

भी सदन के समक्ष आ सके, यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। यह नाराजगी जरूर माननीय सदस्यों को होती है कि सभी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव नहीं आते, सभी को अपनी अपनी लगी रहती है तो मेरे हिसाब से देखिये, कितना कठिन कार्य आपका है। मैंने यथा सम्भव हर दल की ओर से किसी न किसी रूप में कोई प्रस्ताव आ जाय, यहां रखने की कोशिश की है और आगे भी यही कोशिश होगी। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सेशन लम्बा चले, वरना यह तो समस्या रहेगी, हमेशा रहेगी। सिर्फ 5 दिन सत्र चले इससे ज्यादा दुःख की बात और क्या हो सकती है। आप सरकार को मजबूर करें। कि सत्र कम से कम 15 दिन चले। वर्षाकालीन सत्र 5 दिन का और शीतकालीन सत्र....

श्री अध्यक्ष : पूरी कोशिश रहती है कि लम्बे से लम्बा सेशन चले, यही मेरी कोशिश रहती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात सही है।

श्री अध्यक्ष : अब अध्यक्षीय व्यवस्था की बात....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं चैन्ज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। एडजोर्नमेन्ट मोशन की आपके सामने समस्या है. इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। यह समस्या उस समय और जटिल हो जाती है जब एडजोर्नमेन्ट मोशन आपके सामने ज्यादा आते हैं तब आपके लिए यह निश्चित करना बहुत कठिन है कि कौन से एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बोलने का अवसर दिया जाय, किसको रिजेक्ट किया जाय और किस को सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा जाय। यह स्थिति उत्पन्न एक ही कारण से होती है। इन नियमों का आपने भी अध्ययन किया है और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इनका अध्ययन किया होगा, इनमें एडजोर्नमेन्ट मोशन के अतिरिक्त कई इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं अगर उन व्यवस्थाओं को लागू कर दिया जाय तो एडजोर्नमेन्ट मोशन रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : उदाहरण के तौर पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक एक बता दूं। अध्यक्ष महोदय, आप इस विधान सभा के जब से अध्यक्ष बने हैं, उस समय से लेकर अब तक केवल तीन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इस हाउस में मन्जूर हुए हैं। चौथा नहीं।

श्री अध्यक्ष : इस सत्र में कितने हुए हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सत्र में एक भी नहीं हुआ है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का कह रहा हूं। इसका कारण यह है कि जब माननीय सदस्य शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन दें, इसमें एक प्रोविजन लिखा हुआ है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सरकार चाहे तो उत्तर दे। लेकिन उसमें साथ ही एक व्यवस्था भी है कि वह प्रश्न निश्चित रूप से एक अवधि के अन्दर आ जायेगा। वह शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इस सदन में नहीं आते। दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, इसमें दो घण्टे डिबेट का प्रावधान है। किसी मसले को····

श्री अध्यक्ष : वह हमारे लिए और भी महंगी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपके लिए महंगी नहीं पड़ेगी। यह रूल्स यदि आपके लिए महंगे पड़ते हैं तो मेरी मजबूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो रूल्स की पालना करवाने के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप सुझाव दें। मैं तो दो-दो मिनट के लिए जिद करता हूं, अब आप दो घण्टे का और बता रहे हैं। अब कोई बकरी से राजी, तो उसको हाथी दे दें, तो यह सुझाव क्या हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं। आपने एक बात कही कि नियमों के पालन में यदि कड़ाई करेंगे तो माननीय सदस्यों को बोलने का अधिक अवसर नहीं रहेगा। मेरी यह मान्यता है, अध्यक्ष नियमों का पालन कड़ाई से करें तो विरोधी पक्ष के सदस्यों का बोलने का अवसर मिले या नहीं मिले लेकिन सरकारी पक्ष को उत्तर दिलाने के लिए आप विवश कर दें तो इन सारी समस्या का समाधान हो सकता है। इसीलिए मैंने निवेदन किया है।

दूसरा प्रश्न आता है दो घन्टे का विवाद। और तीसरा प्रश्न आता है रिजोल्यूशन का। मुझे आप बता दीजिये, इस हाउस में आपके कारण केवल एक बार प्राइवेट मेम्बर का डे आया है। आप कोई बता सकते हैं पार्लियामेन्ट या किसी दूसरी विधान सभा में प्राइवेट मेम्बर्स कोई डे कभी भी निश्चित नहीं किया जाता है। और कभी प्राइवेट मेम्बर्स की डे यहां निश्चित किया नहीं गया है, न शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आया, न दो घन्टे की डिबेट के लिए कोई चान्स मिला। आखिर आप और हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमसे पूछती है। हमारी समस्याओं का समाधान सरकारी पक्ष को सरकार में बैठकर करना है इसलिए उनके सामने इतनी समस्या नहीं रहती जितनी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के सामने समस्या रहती है। इस बात से वे सन्तोष रखते रहते हैं कि हमारा प्रश्न राजस्थान विधान सभा में उठकर राज्य सरकार का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकर्षित कर लिया, एक ही मसला और जब नहीं होता है तो एक एडजोर्नमेन्ट मोशन का तरीका है। उस एडजोर्नमेन्ट मोशन की मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि इसके लिए आप एक कमेटी को अपाइन्ट करिये। सदन के सभी विरोधीपक्ष के नेता बाकी सरकारी पक्ष के सदस्य, बैठकर उसमें निश्चित कर लेंगे कि कौन सा एडजोर्नमेन्ट मोशन इम्पार्टेन्ट है जिस पर आज बहस होनी है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें आपका आधे घन्टे का भाषण हुआ लेकिन हम उससे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रभावित नहीं हुए। रूल्स की पालना सदन के विरोधी पक्ष के सदस्य ही करें इतना ही आवश्यक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रूल्स की पालना अध्यक्ष और सरकार भी उसी तरह से करे तब तो सदन की गरिमा बढ़ेगी वरना एक पक्षीय कार्यवाही से कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने कुछ बातें कही, सुनने में बड़ी काफी आकर्षक लगीं। एक माध्यम है उसको सक्षम कर दें इसका नतीजा क्या होगा ? अभी जो तत्काल स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आ सकते हैं उसमें दो मिनट में भाषण भी हो सकता है। शोर्ट नोटिस क्वेश्चन में आप कितना समय समझते हैं 10 मिनट का....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारी जानकारी होती है, एक तरफा कार्यवाही नहीं होती सरकार को उत्तर देना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, आपको सब चीज मालूम है लेकिन आप केवल अपने हित में ही जो उपयोगी हो तत्काल उसी को ही प्रस्तुत करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहीं यह तो नहीं हो कि जो सरकार के हित में उपयोगी हो वह हम पर थोपी जाय।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, दो घण्टे वाला माध्यम और आधा घण्टे वाला, माध्यम, ये सब काफी महंगे पड़ते हैं न, इनको भी मैं कर दूंगा। यह मैं आपको बताता हूं शोर्ट नोटिस क्वेश्चन रोज कितने आयेंगे। एक या दो आयेंगे। इसके अलावा भी फिर स्थगन प्रस्ताव तो बच जायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं, आप कमेटी अपाइंट कर दीजिए, हम बैठेंगे और तय करेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। हमारी समस्या आप पूर्ण करें या न करें लेकिन आपके सामने जो संकट आयेगा उसका तो निराकरण करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मेरे दायित्व को मैं अधिक जानता हूं। विपक्ष के नेता महोदय, मेरी समस्या बढ़ेगी, जितने ज्यादा माध्यम होंगे उतने ही ज्यादा उस तरह के प्रस्ताव आयेंगे। यह तो बाधा है नहीं कि जो जो स्थगन प्रस्ताव दे वह शोर्ट नोटिस क्वेश्चन नहीं दे। क्योंकि इसका उपयोग अभी ज्यादा बढ़ा नहीं है। जिस दिन उपयोग बढ़ जायेगा उस दिन वह माध्यम सबके लिए सुलभ हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसको बन्द करने के लिए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : 295 है उसमें भी वो की वो बात आ जायेगी। लेकिन समय सीमित है, और समस्यायें अधिक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पार्लियामेन्ट में माननीय सदस्यों के साथ आप भी चले जायें, वहां दोनों सदनों में देखें, 295 में डेली रेफरेन्स होते हैं। हर वीक के एण्ड के ऊपर कौन से इम्पोर्टेन्ट मसले हैं, हर पार्टी की तरफ से एक-एक आदमी इम्पोर्टेन्ट मसले उठाता है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ताकि सरकार नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार हो जाये। मैं तो चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके साथ चलूंगा, खेतसिंह जी को भी साथ ले लें, अपन तीनों बैठकर वहाँ पार्लियामेन्ट की कार्यवाही देखकर आयें और उसको यहाँ पर लागू करने की बात करें तो ज्यादा ठीक होगा।

आधे घण्टे की चर्चा

जमुना नदी के पानी में से हिस्सा

(तारांकित प्रश्न संख्या 1)
दिनांक 5 सितम्बर, 1983

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मोशन रखा है....

श्री राधेश्याम : विपक्ष के नेता महोदय ने भाषण दिया। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि विपक्ष के नेता महोदय स्वयं अपनी पार्टी के लोगों को यह सजेशन दें तो, मेरे ख्याल से, यह हाउस बहुत अच्छी तरह चल सकता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : ×××

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारी समस्याओं को आप हल करेंगे, आपकी हम करेंगे। हम आपकी भी हल करते हैं। आपके जयदेव प्रसाद इंदोरिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। व्यर्थ में समय ना लें।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मैंने उठाया था उसके औचित्य-अनौचित्य के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आप नियम समिति के हैं और आपने मुझे उसका सदस्य बनाया है, मुझे इस सम्बन्ध में जो कुछ कहना है, वह मैं आपको अलग से कह दूंगा।

अब अगर आज्ञा हो तो मैं जमुना के बारे में कुछ बोलूं। मुझे खुशी है कि सिंचाई मन्त्री जी भी इस बीच में तशरीफ ले आये हैं उन्होंने जो....

श्री दिनेश डांगी : पहले नहीं थे क्या ? मैं राज्य मंत्री हूं।

श्री राजबहादुर : जी नहीं, पहले नहीं पहले नहीं थे। मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि यह प्रश्न उपस्थित हुआ और वे सदन में आ सके। जो प्रश्न मैंने किया था और जो उत्तर दिया गया, उसमें चार मुद्दे तो मैंने लिखकर दिये थे। उसमें एक दो मुद्दे और हैं, लेकिन मैं बहुत ही संक्षेप में कह दूंगा। पहला मुद्दा तो यह है कि उन्होंने कहा 24.4.81 को एक मुख्य मन्त्री स्तरीय मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि कोई नयी योजनाओं का परिचालन नहीं होगा, जो योजनाएं चल रही हैं, वह रोक दी जायेंगी और जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन इसकी अवहेलना हुई हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने

(श्री राजबहादुर)

भी बढ़ायी और राजस्थान के हिस्से को हड़पा। इसको कैसे लिया जायेगा, यह स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैंने यह चाहा, कि आप यह बतायें कि आखिरकार जमुना के अन्दर कितना पानी है, कितना इन लोगों से पहले उपयोग में ले लिया गया? इसके बारे में कोई उत्तर नहीं आया। एक प्रश्न यह करूं कि जो सी. एम्स. की मीटिंग सन् 83 में हुई, उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। अब सम्भावना यह है कि बैठक दुबारा होगी। मेरा मुख्य प्रश्न यह था कि आपकी ओर से कितनी पहल इसमें है, कितना दबाब डालते हैं। सन् 63 से यह सवाल चल रहा है। पहले-पहले नाथूराम मिर्धा ने मेरे अनुरोध पर कहिये या स्वतः ही, इस प्रश्न को उठाया था। उसके बाद रामप्रसाद लड्ढ़ा ने एक पत्र भी लिखा था क्योंकि हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें जमुना के पानी को हड़पने की बात की थी। उसके बाद पत्र में लिखा 3 मई, 70 को कि दो स्टेट इसकी बैठक नहीं कर सकते हैं, इसमें हम भी साझीदार हैं हमको भी बुलाया जाय। इस प्रकार का चल रहा है। लेकिन जब तक हम यह न महसूस कर लें और सभी महसूस करने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा जानबूझकर देर कर रहे हैं, तब तक मुझे अफसोस इस बात का है कि कहीं राजस्थान अपने हिस्से से वंचित न हो जाये और उनको यह आरग्यूमेंट न मिल जाये कि हमारा इन्फास्ट्रक्चर तैयार हो गया है इसलिये यह पानी हमको दिया जाय। जो आरग्यूमेंट आज पंजाब वाले रावी और व्यास के पानी को हड़पने के लिए दे रहे हैं, लेने के लिए वही आरग्यूमेंट उसमें लिया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक जमुना का पानी है, इन्होंने तो मात्रा नहीं बताई लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं इनके पास में आंकड़े होने चाहिए। जमुना में एवरेज एनुअल फ्लो है-9.5 मिलियन एकड़ फीट,. 1972 की रिपोर्ट के अनुसार है। ड्राई वैदर में है-1.5 मिलियन एकड़ फीट। जो अब तक इन लोगों ने हड़प किया है, इस्तेमाल कर लिया है वह है-4.5 मिलियन एकड़ फीट वेस्टर्न कैनाल से इस्टर्न आगरा कैनाल द्वारा, नये रेगुलेटर से नयी डिस्ट्रीब्यूटरी से इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी बचा है करीब करीब 5 मिलियन एकड़ फीट। उसमें हमारा हिस्सा कितना है? 4.5 मिलियन एकड़ फीट। उसमें कितना बढ़ा लिया, यह नहीं मालूम लेकिन यह निश्चित बात है कि अगर यही हाल रहा तो जिस प्रकार से हम गंगा के पानी का हक छोड़ चुके हैं और मान बैठे हैं, 75 के बाद सरकार ने कोई लैटर भी लिखा टेहरी के बारे में? टेहरी पर जो बांध बन रहा है, यह माना गया है कि मुख्यतः वह पानी, बिजली के उत्पादन के लिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक के लिए है तो उसके लिए मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। टेहरी बांध पर जो भागीरथ बांध है, उसका एनुअल फ्लो है-7.32 मिलियन एकड़ फीट का और टेहरी बांध में इम्पाउंड होगा 2.62 मिलियन एकड़ फीट, 5 मिलियन एकड़ फीट अब बचेगा। और बिजली में जब पानी इस्तेमाल होता है, तो पानी सूख जाता है। यत्रों आदि में

(श्री राजबहादुर)

प्लांट में, वह सारा पानी बाहर निकल जाता है तो उस पानी का उपयोग हो सकता है, होता भी है इसलिए कहा गया था इस पानी से अलवर, भरतपुर और लिफ्ट कैनाल के द्वारा झुंझुनू तक पानी पहुंचाया जा सकता है। उस पानी को आप क्यों नहीं लेते हैं ? सन् 1974 में मांग की गयी थी, 1973 में भी कुछ पत्र लिखे गये थे लेकिन उन पत्रों का कोई उत्तर नहीं आया, जो मेन लैटर था वह 1974 के अन्दर ही लिखा गया था। उसमें पता नहीं, आपको उत्तर प्रदेश से या भारत सरकार से यह जवाब मिला कि टेहरी बांध पर कोई पानी नहीं है और आप यह मानकर बैठ गये कि उसमें पानी नहीं है। जमुना का पानी नहीं मिलता है। अगर यह जमुना का बहाव नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है यहां जिक्र आता है सब चीजों का लेकिन इनकी न तो कोई पहल है न कोई चिट्ठी पत्री है और न ही कोई बात के लिए प्रेशर। प्रेशर क्या हो सकता है ? आपका तो बिजली का भी टेहरी में हक है। आपने मांग की है ? नहीं मांग की। क्योंकि आपने तो मान लिया कि गंगा में हमारा कोई हक नहीं है। इसलिए मैं विनती करूंगा, जहां तक इन प्रश्नों का सम्बन्ध है, मैं फिर उस प्रश्न पर आता हूं, आपने कहा था कि 24.7.81 को जो मीटिंग हुई, उसमें तय हो गया था कि अब नयी योजना चालू नहीं होगी और पुरानी योजना जो चल रही है वह बन्द कर दी जायेगी। क्या आपके पास सैक्शन है ? आप क्या करने जा रहे हैं ? क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं ? 24.7.81 को जो रेगूलेटर बनाया उसके बारे में बताना चाहता हूं कि गुड़गांवा चैनल से हरियाणा को पानी मिल सकता है और राजस्थान को मिल सकता है। उसने अपने हिस्से के लिये कई रेगूलेटर्स बना लिये हैं, कई नई डिस्ट्रीब्यूटरी बना लीं और बराबर जमुना के पानी को सोखते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार से हरियाणा वाले सारे जमुना के पानी को सोखना चाहते हैं और आप खामोशी से बैठे हुए हैं। दूसरा प्रश्न आपसे मैंने पूछा था....

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें। आधे घंटे की चर्चा है।

श्री राजबहादुर : मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : लेकिन सूची है मेरे पास, माननीय सदस्य जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं....

श्री राजबहादुर : मैं कोई रेलेवेंट बात न करूं तो आप मुझे फौरन बिठा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : रेलेवेन्सी का सवाल नहीं है।

श्री राजबहादुर : अच्छी बात है मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप कहने दीजिये लेकिन मैं तो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री राजबहादुर : यही मैंने कहा न कि कुछ न कुछ कमियां हैं हमारे नियमों में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जब सदन से स्वेच्छा से चले जायेंगे, उनके लिए मेरे लिए सम्भव नहीं होगा।

श्री राजबहादुर : आप अध्यक्ष हैं, मैं सदस्य हूं, मैं बता दूंगा कहां-कहां कमी है, कुछ रूल्स के सवाल हैं। हमारे जो नेता हैं विपक्ष के, उनको भी रूल्स कमेटी में कई दफा बुलाया लेकिन वे आये नहीं तो फिर कैसे कमियां दूर की जायं। इसलिए आपको सुझाव देता हूं कि आप इस कमेटी में जरूर आइए, यह बड़ी मौलिक कमेटी है।

दूसरा प्रश्न मैं अर्ज कर रहा था कि तकनीकी विशेषज्ञों की कमेठी बैठी उसने ड्राफ्ट रिपोर्ट दी उस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर आप सहमत थे। वह रिपोर्ट क्या थी? वह बता दीजिये। चूंकि वह रिपोर्ट नहीं मानी गयी, चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट अलग दी। वह रिपोर्ट क्या है? उसका भी कोई विश्लेषण नहीं है। फिर पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने जो पानी हड़प लिया है उसका इन्फास्ट्रक्चर बना लिया है, क्या आप इन्फास्ट्रक्चर को प्रिफरेन्स देंगे या क्या करेंगे? किस प्रकार से पानी वापस लेंगे? आपको तो यह सोचना चाहिए। सन् 1972 में केवलराम ने मीटिंग की थी, आपके यहां से मंत्री गये थे, शायद उस समय सिंचाई मंत्री लड्ढा जी थे, उसके अलावा बन्सीलाल जी थे, नारयाण दत्त तिवारी थे। वहां तय हुआ था कि 22 प्रतिशत तो किशाऊ डैम में से ही राजस्थान को मिलना चाहिए। उसको मनवाने के लिए आपने क्या किया? आज तक कोई चिट्ठी गयी? कोई पत्री गयी? किशाऊ डैम बनकर तैयार भी हुआ? तैयारी का कार्य आपने कुछ किया, उसके बारे में? ओखला पर री-मॉडलिंग हो रहा था, आप खामोश थे। मैंने कहा, इसमें आप शामिल नहीं होंगे तो भाखरा कैनाल से आपको जो पानी मिलता है, वह भी नहीं मिलेगा। मैं आप से कहता हूं कि हर मौके पर पहल करनी है तो किसी और को करनी है, सरकार की और से कोई पहल नहीं है। सरकार को पूर्वी राजस्थान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सौतेली मां का सा व्यवहार होता है, यही कारण है कि आज भरतपुर फ्लड से भरा पड़ा है। मैंने आप से कहा, बहुत बड़ा संकट है लेकिन कहीं कोई देखने को तैयार नहीं है। जो ड्रेन्स आपने बनाये थे, 12 करोड़ रुपया लगा था, उन ड्रेन्स में लोगों ने दुकानें बना ली हैं, ड्रेन्स को रोक लिया है, खेतों में पानी भर रहा है, लोग शिकायतें कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, त्राहि त्राहि हो रही है कोई देखने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है। आपके मोरे बन्द पड़े हैं, कैसे ड्रेन्स चलेंगे, कैसे इरिगेशन होगा? Is it administration?

(1.52 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

....न तो एडमिनिस्ट्रेशन है और न एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है। मैं तो कह रहा था, हमने राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि रेस्पांसिबिल शासन मिले, रेस्पांसिबिल शासन लाया जाय। रेस्पांसिव तो हो जाओ, रेस्पांसिबिल नहीं होते हो तो। रेस्पांस तो करो हमारी मांगों का। कुछ कहो तो सही कि हमें यह करना है, यह

(श्री राजबहादुर)

नहीं करना है। करना हो तो कहो कि करेंगे।

मैंने और बातों को न करते हुए, समय का ख्याल रखते हुए, अपनी बात को जितना संक्षेप में कह सकता था, कहा। मैं आशा करता हूं, माननीय मंत्री जी, किसी और विषय में, सहयोग के साथ कहना चाहता हूं, जो सहयोग लेना चाहें, देने को तैयार हैं लेकिन हकों को मत छोड़िये, पूरी तरह अपने हक के लिए लड़िए। जरूरत हो तो हम सबको उसके पीछे लगाइये। धन्यवाद।

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ... ...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इस में हम लोगों को भी भाग लेना है।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : आधे घण्टे की चर्चा है।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है, हम बोलेंगे ....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : सरकार के जवाब से पहले........

श्री सभापति : स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री आत्माराम चौधरी : माननीय सभापति महोदया, पानी का मसला है इसमें कोई दो राय नहीं है कि........

श्री सभापति : आपको आसन की ओर से अनुमति नहीं दी गयी है। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : पानी का मसला नहीं है। उस प्रश्न, जिसका सरकार ने उत्तर दिया है, के उत्तर के सम्बन्ध में यमुना नदी के पानी के बंटवारे का प्रश्न है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण हेतु चार मुद्दे उठाये हैं....

श्री राजबहादुर : 5-6 हो गये, कोई कान्सेंन्सस हुआ, वहां नहीं पहुंच पाये....

श्री परसराम मदेरणा : चार मुद्दे उठाये हैं। जो विधान सभा में लिखकर दिया है, जिसकी प्रतिलिपि हमको मिली है, उसमें चार मुद्दे हैं।

श्री राजबहादुर : इतना बता दीजिए, सम्भावनाएं क्या हैं? जो आपने कही।

श्री परसराम मदेरणा : इसके सम्बन्ध में आया माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है? मैं तो समझता हूं, नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। सभापति महोदया, हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इसी विषय पर है यमुना जल के बारे में। अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि आपको मौका देंगे। आप उसमें देख लीजिए, हम लोगों को समय मिल रहा है या नहीं। हमको अगर समय मिलना है तो आप बाद में उत्तर दें।

श्री परसराम मदेरणा : ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में कोई भी स्टेटमेण्ट नहीं दे रहा

(श्री परसराम मदेरणा)

हूं। एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया है, जिस पर माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यमुना नदी के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में जो 5 सितम्बर को....

सूचना

श्री महेश दीक्षित, कनिष्ठ लिपिक द्वारा आत्महत्या

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, बहुत जरूरी सूचना देना चाहती हूं। ऊपर से सन्दर्भ शाखा का कर्मचारी, जिसने एक चिट्ठी लिखी है, उसका बैग है, ऊपर से गिर गया। पत्स तो उसके हाथ में है नहीं। बाकी यहीं कहीं हो तो मैं कह नहीं सकती। बिल्कुल नीचे पड़ा है, मैं शिष्ट मण्डल से मिलने गयी थी– महेश दीक्षित, संदर्भ शाखा का कर्मचारी है, तिमंजिले से कूदा है, पड़ा है। चिट्ठी जो उसके पास पड़ी है उसमें लिखा है कि मैं संदर्भ शाखा में काम नहीं कर सकता, मेरा दिमाग खराब कर दिया गया है। मैंने कई बार कहा इसीलिए मैं काम करने में असमर्थ हूं। ऊपर से नीचे कूदा है। अब आपकी व्यवस्था है आप देख लीजिए। सूचना मैंने दे दी। उसका खून–वून सब पड़ा है, नीचे पड़ा है, तिमंजिले से नीचे कूदा है।

जमुना नदी के पानी में हिस्सा

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन चार मुद्दों को उठाया, उनमें पहला मुद्दा तो यह है कि 28 अप्रेल, 1981 को मुख्य मंत्रियों की बैठक में....

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आधे घण्टे की चर्चा पर बोल रहा हूं। आधे घण्टे की चर्चा उठा ली....

श्री सभापति : इस पर तो और भी कई लोगों ने प्रस्ताव दिये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : किस बात के प्रस्ताव ? आधे घंटे की चर्चा तो उन्होंने उठायी है।

श्री सभापति : इसमें 7 लोगों के नाम हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आधा घंटा तो लिखा हुआ है।

श्री त्रिलोक सिंह : आधा घण्टा तो यह खा गये।

श्री सभापति : मंत्री महोदय इसका जवाब दे दें। फिर जो प्रश्न हैं, वह पूछ लें।

श्री त्रिलोक सिंह : पहले हम बोलेंगे। यह क्या जवाब देंगे ? जवाब तो इनका 35 खेत का नक्शा है। हमारे खेत सूख गये हैं, हमारा प्रदेश सूखा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिना आसन की अनुमति से खड़े होकर नहीं बोलें।

श्री राजबहादुर : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। अगर किसी मोशन के ऊपर तीन जनों ने, चार जनों ने हस्ताक्षर किये हैं तो मंत्री के जवाब से पहले उनको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर नहीं किये हों तो बात दूसरी थी। ऐसा होना चाहिए, जिन लोगों ने दस्तखत किये हैं—ललित जी ने किये हैं, त्रिलोक सिंह जी ने किये हैं, उनको 4–4, 2–2 मिनट, जो भी बोलना चाहें, इजाजत दी जाये।

श्री सभापति : सबके प्रश्न आ जायें। जब सारे प्रश्न आ जायें तो आप फिर जवाब दें।

श्री यदुनाथ सिंह। माननीय सदस्य, रिपीट नहीं करें। जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं, उसके अतिरिक्त जो भी पॉइन्ट हों, आप बोलें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदया, सरकार तो बिलकुल बहरी है। रिपीट करें या नहीं करें, कोई बात कहें, मत कहें, एक ही बात है।

श्री सभापति महोदया, यह दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि इस देश में इतना जल मौजूद है, 400 करोड़ हैक्टेयर पानी मौजूद है, उसको अगर चैनलाइज किया जाय तो एक भी यूनिट बिजली की जरूरत नहीं है, एक भी कुएं की जरूरत नही है। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि एक दूसरे राज्य आपस में ऐसे व्यवहार करते है, जैसे दूसरा देश हो। बेशक हमारा पानी चाहे पाकिस्तान चला जाय, तबाही मचाता हुआ समुद्र में गिर जाय, लेकिन हमारी सरकारों में आज दिन तक यह अण्डरस्टैण्डिंग पैदा नहीं हो पायी है कि इस पानी को देश के, राष्ट्र के सर्वोच्च हित में प्रयोग किया जाय। सभापति महोदया, जहां तक प्रश्न है यमुना के पानी का, यमुना के पानी का बंटवारा किस आधार पर होना चाहिए, उसमें कौन कौन हकदार हैं, उसके आधार पर उसके बेसिन में कौन कौन कन्ट्रीब्यूट करते हैं? जहां तक यमुना के पानी के बेसिन का सवाल है, यमुना के कुल पानी 1 लाख 748 स्क्वायर मीटर पानी में से हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है 5783 स्क्वायर मीटर, उत्तर प्रदेश का है 2816 स्क्वायर मीटर, हरियाणा का है 33960 स्क्वायर मीटर, पंजाब का है 47 स्क्वायर मीटर, दिल्ली का है 1469 स्क्वायर मीटर और राजस्थान का है 31,743 स्क्वायर मीटर यानि यमुना के पानी के बेसिन में जो हिस्सा है, उसमें राजस्थान दूसरे नम्बर पर है। सबसे पहले हिस्सा आता है हरियाणा का। उसके बाद हिस्सा हमारा आता है। जहां तक हमारी हिस्सेदारी का सवाल है, हम दूसरे नम्बर पर आते हैं। सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस यमुना के पानी से हम राजस्थान कैनाल बनायें। हमारा राज्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राज्य है, जहां तक पानी का सवाल है। हम देश के दूसरे नम्बर के राज्य हैं और 13 प्रतिशत से अधिक भूमि हमारे राज्य में मौजूद है देश की, लेकिन सरफेस

(100)

(श्री यदुनाथ सिंह)

वाटर, अण्डर ग्राउण्ड वाटर, जो हमारे राज्य में पहुंचता है पूरे सोर्सेज से, उसका राजस्थान कैनाल सहित उपयोग करें तो कुल 6 मिलियन हैक्टेयर ही जमीन की सिंचाई हम कर पायेंगे। तो बाकी जमीन हमारी 5 करोड़ 30 लाख हैक्टेयर जो है उसको हम किस प्रकार से सिंचित कर पायेंगे, उसकी ओर हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यानि हम प्रतिवर्ष उस जमीन में से प्रति बीघा, प्रति एकड़ 2 क्विंटल भी अगर पैदा करें तो हमारे यहां दो हजार करोड़ रुपये का धान प्रतिवर्ष हो सकता है। इसलिये बहुत आवश्यकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में से कुछ पोर्शन पढ़कर सुनाना चाहूंगा....

श्री सभापति : आप टाइम का ख्याल रखें। सिर्फ रेलेवेन्ट पोर्शन ही सुना दें।

श्री यदुनाथ सिंह : रेलेवेन्ट पोर्शन ही लीजिये, सभापति महोदया, इसमें कहा गया है, पूरा नहीं पढ़ूंगा। हाई प्रायोरिटी सेक्टर दिया है :

"Work would be initiated for taking up projects for harnessing the Jamuna water for the benefits of the desert districts of churu and Jhunjhunu, as also for the districts of Alwar and Bharatpur."

यानि सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में इसके लिये प्रावधान किया गया, विचार किया गया – सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में इस पर काम किया जायगा। और आगे क्या कहते हैं? ये कहते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स :

"The new major projects proposed to be taken up in the 6th Plan period 80-85 are Thein, Gagrin, Nohar Feeder, Sidhmukh, Manoharthana, Jamuna Left Canal for Churu and Jhunjhunu and Jamuna Lift Canal for Alwar and Bharatpur districts."

यानि सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में इसका प्रावधान करने के बावजूद न किया जाना। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, जमुना से राजस्थान में दो छोटी छोटी नहरें आती हैं। एक गुड़गांवा कैनाल और एक भरतपुर फीडर। आप आश्चर्य करेंगी.... „

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, गुड़गांवा कैनाल से 1.25 लाख एकड़ जमीन और भरतपुर फीडर से 25 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था है तो, सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज दिन तक राजस्थान की सरकार एक्वायर्ड पानी के लिये, उस कैनाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया

(श्री यदुनाथ सिंह)

है। किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। हरियाणा लगातार वहां पर अपने सिस्टम दिन-प्रति-दिन बनाता चला जा रहा है। तो, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, पानी का मसला राजस्थान के लिए अहम महत्व रखता है। ऐसे विषयों पर, सभापति महोदया, यहां हाउस में चर्चा ही नहीं होती। एक बबूल का पेड़ काट लिया उस पर चर्चा हो रही है एक घण्टे तक। जो राज्य के हित के मसले हैं उन पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। न सिर्फ यमुना का बल्कि गंगा का पानी भी हमको राजस्थान में लाना होगा तभी इस राज्य का भाग्य सुधरेगा।

सभापति महोदया, आप देखिये, 20 वीं शताब्दी में सन् 29 तक 12 भयंकर अकाल इस देश में पड़े हैं और सन् 29 के बाद एक 59-60 का वर्ष एक ऐसा रहा जब राज्य में अकाल और अभाव न रहा हो। राज्य में कहीं न कहीं अकाल और अभाव रहा है, लगातार राज्य भूख से मर रहा है, जानवर मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, तबाही मची हुई है, जमीन सूखी पड़ी है। सभापति महोदया, इंडोगंग जैसी जमीन भगवान ने हमको दी है, प्रकृति ने जो जमीन हमको दी है, जो संसार के 6 जखीरे हैं, इससे ज्यादा पैदावार कहीं हो नहीं सकती है। इसलिये राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए यह है कि सूखी जमीन में आप पानी दें। योजनायें बन्द कर दीजिये, जरूरत नहीं। प्रायोरिटी में पहले जमीन को पानी दीजिये, हम इतना अन्न पैदा कर सकते हैं कि आपको किसी उद्योग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले सरकार पानी पर सोचे। पीने के पानी के लिये तरसते हैं, वह समस्या भी हल होगी। गंगा यमुना का पानी लाकर आप पूरे राजस्थान को सरसब्ज कर सकते हैं। शेखावाटी के इलाके की 4 लाख एकड़ जमीन पड़ी है। सभापति महोदया, उस जमीन की सिंचाई का कोई यमुना के पानी के अलावा साधन नहीं है। अलवर की जमीन, भरतपुर की जमीन 2.9 लाख एकड़ है, उसकी सिंचाई का और कोई साधन हो नहीं सकता जब तक यमुना का पानी नहीं आता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे स्थान जहां पर कोई पानी नहीं आवे, हमारा जो हिस्सा है उस हिस्से के लिए हर तरह से पूरा सदन आपके साथ है, पूरा राज्य आपके साथ है इसलिये इसमें इतनी ढिलाई कृपया न बरतें, आप इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पर कार्यवाही करें। इतना ही निवेदन इस बारे में करना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री भरोसीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री त्रिलोकसिंह। माननीय सदस्य, 5 मिनट मे अपनी बात समाप्त करें।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदया, यह पानी का मसला ऐसा मसला है जो हमारे खेतों से ताल्लुक रखता है और खेत वह चीज है जो हमें रोटी देता है। दुनिया के और काम बाद में, पहले बन्दे को रोटी चाहिये और रोटी पानी से पैदा

(श्री त्रिलोक सिंह)

होती है। राजस्थान की सूखी धरती को पानी चाहिये, राजस्थान के खेतों को पानी चाहिये। यह बात आज से नहीं, यहां जब राजाओं का राज था तब भी हम एक ही आवाज उठाते थे कि पानी की व्यवस्था करें। लेकिन जब से इस देश में यह नकली आजादी आई है और यह × × × सरकार आई है तब से लगातार इस प्रदेश का किसान एक ही मांग करता है कि खेतों को पानी चाहिये। परन्तु इतने दुःख की बात है और इतने खेद का यह विषय है कि इस 35 साल के अरसे में ये इतने बड़े-बड़े पोथे यहां रखते हैं कि हमने यह किया हमने वह किया लेकिन खेत आज इस बात का सबूत हैं कि खेतों को पानी नहीं दे सके। यही वजह है कि 35 साल से ज्यादातर इनके टाइम में भयंकर अकाल पड़ा है, आये साल रोटी की और चारे की समस्या रहती है, आये साल राजस्थान के लाखों मजदूर आदमी रोटी के लिये पंजाब हरियाणा, दिल्ली में भटकते हैं। दिल्ली में मैंने देखा कि एक नहीं राजस्थान की हजारों मां-बहिनें रोटी के लिए भटकती हैं, काम मांगती हैं। यह क्या है? यह इस सरकार की सबसे बड़ी अयोग्यता है। ये दावा करते थे कि हम यह करना चाहते हैं। यह नक्शा है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जमीन का यह नक्शा बताता है कि यह सरकार कितनी अयोग्य और किसान विरोधी है। 35 साल के अरसे में किसानों को पानी देने की व्यवस्था नहीं कर सकी। मैं इनको बिल्कुल कहना चाहता हूं कि पड़ोसी इलाके हरियाणा की सरकार हरियाणा के अन्दर खेतों को पानी दे सकती है, पंजाब की सरकार खेतों को पानी दे सकती है, हरियाणा के वह इलाके-लुहारू और भिवानी, जहां हमारी जमीन से भी रेतीली जमीन है वहां नहरें आ गई हैं, पानी है, खेत लहलाते हैं। पर ज्यों ही हम सीकर, शेखावटी में दाखिल होते हैं पानी नजर नहीं आता। गंगा और यमुना का पानी, भरतपुर, अलवर, झुंझनू, सीकर, चूरू, नागौर बल्कि गडरा तक जा सकता है, राजस्थान सरसब्ज हो सकता है, राजस्थान में नयी जिन्दगी आ सकती है, राजस्थान से भुखमरी खत्म हो सकती है, राजस्थान से बेकारी की हालत खत्म हो सकती है, राजस्थान का बन्दा रोटी के लिए आत्मनिर्भर हो सकता है, यह कितनी बड़ी बात होगी। पर क्या उम्मीद करें इस सरकार से, किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार में कुछ किसान सदस्य भी बैठे हैं। ये कैसे हैं, यह दुःख के साथ मुझे बताना पड़ता है कि महज इस सरकार को सलाम करते हैं। जो सलाम करने का काम करते हैं मिनिस्टरों को खुश करने का काम करते हैं वह किसानों के हित में काम नहीं करना चाहते। नहीं तो क्या वजह थी? और बात छोड़ दीजिये सबसे पहले राजस्थान की प्यासी धरती को पानी दो। हजारों साल से प्यासी जमीन को पानी मिलना चाहिये था। ये खाली कागज दिखाते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपमानित किया गया।

(श्री त्रिलोक सिंह)

हमें कागज नहीं चाहिये। हमें पानी चाहिये, हमारे खेतों को पानी चाहिये। खेतों को पानी मिलेगा तो देश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। यह बड़े ताजुब्ब की बात है यह बताने की जरूरत नहीं कि 35 साल की आजाद के बाद....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिलोक सिंह : राजस्थान की डेढ़ पर्सेन्ट जमीन को पानी मिला है साढ़े अट्ठयानवे परसेंट जमीन को पानी नहीं दिला पाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य. समाप्त करें।

श्री त्रिलोक सिंह : दो मिनट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पांच मिनट ले चुके हैं और यमुना वाटर पर आपने एक शब्द भी नहीं बोला। अब समाप्त करिये।

श्री त्रिलोक सिंह : अभी मैं घग्घर और यमुना की बात कह रहा था। वह कहां है? पाकिस्तान में है कि अमेरिका में?

मैं कह रहा था, गंगा यमुना का पानी हमारे खेतों को मिलना चाहिये, हमारे प्रदेश को मिलना चाहिये जिससे सरसब्ज हो सके। अभी मैं कह रहा था, गंगा यमुना का पानी भरतपुर, अलवर, सीकर, शेखावाटी, चूरू बल्कि गडरा तक जा सकता है–यह सब मैं कह रहा था।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि राजस्थान को गंगा यमुना का पानी मिलना चाहिये। राजस्थान की सरकार और सब कामों को खतम करके जयपुर को बेहतरीन बनाने के लिये लाखों रुपया खर्च करेगी और हमारे प्रान्त को पानी नहीं देना चाहती।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। आसन की व्यवस्था के बाद बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया सहयोग करें। स्थान ग्रहण करिये।

श्री त्रिलोक सिंह : यह आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं हम किसान के बेटे हैं, हम जानते हैं कि जब अकाल पड़ता है तो हमारे साथ क्या गुजरती है, ठीक है मैं आपका आदेश मानूंगा।

श्री सभापति : अपनी भावनायें आपने अवगत करा दीं। अब स्थान ग्रहण करें कृपया।

श्री बाबूलाल बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री चाव खां।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदया, मुझे दुःख है....

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मुझे दुःख है कि जिस प्रश्न के साथ राजस्थान के पचास लाख आदमियों का भाग्य जुड़ा हुआ है उस प्रश्न को इस प्रकार से सरकार ढिलाई के साथ लिये हुए है। अभी तक सरकार को जिस हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और दृढ़ता के साथ जमुना के पानी का हिस्सा मांगना चाहिये था अभी तक मांग नहीं सकी। इस प्रश्न को 26 साल से लगातार टाले जा रही है। यह प्रश्न यद्यपि हल हो जाना चाहिये था, जिस समय कि रियासतें थीं, लेकिन क्योंकि उस समय एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत थी और दूसरी तरफ रियासतें थीं इसलिए उस समय स्थिरता के साथ में हमारे राजा लोग ले नहीं सके। लेकिन आज जब हम भारतवर्ष के अंग बन चुके हैं, उस समय ही राजस्थान को जो कि 48 लाख घन फीट पानी यमुना का मिलना चाहिये उस पानी के लिए हम दृढ़ता के साथ केन्द्रीय सरकार के सामने जा नहीं रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, यह प्रश्न जब कभी भी उठा है, केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान की इस बात को माना है और राजस्थान जो भी योजना लेकर केन्द्रीय सरकार के सामने गया है यमुना का पानी उसको दिलवाया है। भरतपुर फ़ीडर, गुड़गांवा कैनाल, जब गुड़गांवा कैनाल की योजना बन रही थी तब, सभापति महोदया, केन्द्रीय आयोग के लाइब्रेरी हाल में तारीख 24.4.60 को इस सम्बन्ध में मीटिंग हुई और इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया कि यमुना के अन्दर राजस्थान का हिस्सा है। गुड़गांवा नहर के लिये राजस्थान और पंजाब के बीच में 1:2:5 के प्रपोर्शन में हिस्सा तय हुआ। पानी मिला, लेकिन आज हम देखते क्या हैं कि राजस्थान जो कि यमुना का पानी जितना ले सकता है जितना कि हमको उपलब्ध है, उस पानी को भी नहीं ले रहे हैं। भरतपुर फीडर के अन्दर 300 क्यूसेक्स पानी यमुना का आ रहा है, कम से कम बरसात के अन्दर वह पानी भी राजस्थान सरकार ले नहीं रही। मैं आपको निवेदन करूं कि 300 क्यूसेकस पानी लेना चाहिये। हमको नित्यप्रति हमारा जो भरतपुर फीडर है उसमें इस वर्ष 7.8.83 को 150 क्यूसेक्स पानी आ रहा था, वह 150 क्यूसेक्स पानी में टूट गई क्योंकि बेस का जो पुल बना रखा है उसमें से 150 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी निकाल नहीं सकते थे। वही हाल गुड़गांवा कैनाल का है। आपको यमुना का जो पानी अवेलेबल है उस पानी को आप ले नहीं रहे। जो पानी आपको मिलना चाहिए उस पानी का आप हक नहीं ले रहे। यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्या दिक्कत हो रही है राज्य सरकार को। यमुना वह नदी है जिसके द्वारा राजस्थान के भरतपुर जिले की 2.90 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है, चार लाख एकड़ अलवर जिले की सिंचाई हो सकती और चूरू और झुन्झुनू जिले हैं, उन जिलों की सिंचाई हो सकती है। 'किसी नदी के अन्दर पानी के हिस्से के लिए, सभापति महोदया, तीन बातों से अधिकार बना करता है। वह एरिया जिसमें पानी लिया जा रहा है, क्या इसके आवक क्षेत्र में आता है कि नहीं आता। यह तमाम जो क्षेत्र है–

(श्री सभापति)

भरतपुर का, अलवर का, झुन्झनू का और चूरू का, यह निश्चित रूप से यमुना के आवक क्षेत्र में हैं। यह बात सिद्धान्ततः सही है कि राजस्थान सरकार के कहने पर, अब तक की गयी मांग केन्द्रीय सरकार स्वीकार कर चुकी है। स्वीकार होने के बाद में पानी गुड़गांवा नहर के लिये और भरतपुर फीड़र के लिये मिला है। तब क्या दिक्कत है कि हम यमुना के अन्दर अपने पानी का शेयर तय नहीं करा पा रहे हैं? भरतपुर फीडर में और गुड़गांवा कैनाल के अन्दर क्योंकि हम शेयर तय नहीं करा पाये हैं अब तक, उसकी वजह से आपके लिये पानी हमें मांगना पड़ रहा है यू. पी. से। उनकी जब इच्छा हो ता है तब पानी देते हैं, इच्छा नहीं होती पानी नहीं देते हैं। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यहां जो चार जिलों का एरिया है, यह यमुना के आवक क्षेत्र में है इसलिए हम को पानी मिलना चाहिये।

दूसरा प्रश्न है कि उस नदी के पानी को हम कण्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे भरतपुर जिले का जो भी पानी सिंचाई से बचता है उससे ज्यादा पानी यमुना के अन्दर जाकर गिरता है। खारी नदी जाकर यमुना में गिरती है, चम्बल का पानी जाकर यमुना में गिरता है और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है, वह भी यमुना के अन्दर पानी को ले जाती हैं। पानी हम यमुना के अन्दर कण्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राजस्थान भी यमुना के कमाण्ड एरिया के अदर आता है और अब तक पानी वहां से लेते आये हैं। अब से नहीं, आज से सैंकड़ों वर्षों पहले से, भरतपुर के डीग के जल महलों में यमुना का पानी सैंकड़ों साल पहले से आता है तो यमुना का पानी तो हमारे यहां आता रहा है और हम उसके आवक क्षेत्र में हैं। हमारी सिंचाई वहां से हो सकती है, तब फिर क्या कारण है, सभापति महोदय, हम पानी को नहीं ले पा रहे हैं? तो मैं सरकार को निवेदन करना चाहूंगा, इस बात के लिए कि यह समयबद्ध कार्यक्रम बनायें। केन्द्रीय सरकार के सामने इस बात को लेकर जायें। जिस योजना पर है, जैसे नदबई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान के अन्दर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से यमुना लिफ्ट कैनाल, जो अलवर और भरतपुर को सिंचित करने जा रही थी, का प्रारूप था उसमें 81-82 के अन्दर 80 लाख रुपया खर्च होना था। ऐसा स्कीम, जो स्वीकृत स्कीम है, पर राज्य सरकार को व्यय करना चाहिये था, पर व्यय नहीं कर रहे हैं। मैं तो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य की इस बात से बिल्कुल निश्चित रूप से सहमत हूं कि सरकार पूर्वी राजस्थान की शत-प्रतिशत उपेक्षा कर रही है। भरतपुर और अलवर जिले में लोग पानी के लिये तरस रहे हैं, कोई साधन नहीं है, कोई दूसरा साधन हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर और कोई नदी नहीं है। यमुना वहां बह रही है। यमुना माइनर हमारे गांवों में होकर जाती है, सिंचाई करती है और गांव वाले उससे पानी लेते हैं। जब हमारे राजस्थान में होकर यमुना की माइनर्स जाती हैं तो यू. पी. के अन्दर का पानी

(श्री सभापति)

लेने के लिए क्या हमारा हिस्सा नहीं बनता है ? तो यमुना के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की पूर्वी क्षेत्र के सम्बन्ध में निश्चित रूप से उपेक्षा है उस पर जो पानी लेना चाहिये पानी ले नहीं पा रहे हैं, भरतपुर फीडर पर पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, मेन्टेन तक नहीं कर रहे हैं और वह टूटी हुई पड़ी है, तमाम पानी फैला हुआ है इधर-उधर एरिया के अन्दर लोगों को पानी के लिये तबाह कर रहे हैं। यमुना का पानी ले नहीं पा रहे हैं, सिचाई का हिस्सा क्रियेट नहीं कर रहे हैं तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, 35 साल किसी एरिया और उस एरिया, जिसके साथ 50 लाख आदमियों का भाग्य जुड़ा हुआ है, की अधिक उपेक्षा करना ठीक नहीं, उचित नहीं है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

(अनुपस्थित)

श्री सुजानसिंह यादव।

(अनुपस्थित)

माननीय मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्यों के इस सुझाव से बहुत सहमत हूं कि जो भी सरफेस वाटर राजस्थान में है या राज्य के बाहरी स्रोतों से जितना भी पानी हम ले सकते हैं, वह किसान के खेत में पहुंच सके, उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य की राय से मैं इत्तफाक करता हूं, जिसमें वह भी सम्मिलित हैं कि बबूल का पेड़ काट लिया, इस प्रकार के मामले में अपना समय जाया करते हैं जब कि पानी के यूटिलाइजेशन के सम्बन्ध में राज्य के अन्दर और राज्य के बाहर से आने वाले पानी के हमारे हिस्से के सम्बन्ध में जो एक महती इसकी उपयोगिता है, जो राज्य की बहबूदी के लिए परमावश्यक है, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा की जानी चाहिये।

यह बात भी सही है कि पानी से रोटी पैदा होती है। जैसा कि फतहपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं खुद इसे मानता हूं और सारा सदन भी इस बात से सहमत होगा कि बिन पानी सब सून। सभापति महोदया, पिछले चार वर्षों से राजस्थान में सूखे की समस्या हमारे सामने थी जिससे जितने भी सिंचाई के लिये साधन हमने निर्मित किये थे-क्योंकि पानी का अभाव था, क्योंकि बरसात नहीं हुई थी, क्योंकि पानी नहीं था इसलिये हम उस सिंचित एरिया में भी सिंचाई के लिये पानी नहीं पहुंचा सके। इसमें दो राय नहीं है कि पानी नहीं होगा और अगर बरसात नहीं होगी तो सिंचाई नहीं होगी। हमारे राजस्थान के पूर्वी इलाके, जो हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है, में भी अकाल की बहुत बड़ी समस्या राजस्थान के सम्मुख खड़ी हो जाती है। खासतौर से इस देश के अन्दर राजस्थान की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है इस देश का थार का दो तिहाई डेजर्ट हमारे प्रदेश में है। यहाँ की समस्या बहुत ही भिन्न प्रकार

(श्री परसराम मदेरणा)

की है। थार के डेजर्ट की जो समस्यायें हैं वे तो अपार हैं उनका पार ही नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में यमुना के पानी के बंटवारे को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा गया और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये थे। उस मुद्दे के साथ में और दूसरी बातें यहां पर हमारे सामने आयीं, इन्डो-गन्गेटिक प्लान की बात भी सामने आई और सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान के डाक्यूमेन्ट्स के उद्धरण भी सदन में प्रस्तुत किये गये और अन्य दूसरी बातें भी हमारे सामने आईं। जो प्रश्न पूछे गये उससे उत्पन्न चार मुद्दे हैं, मैं चाहूंगा पहले उसके सम्बन्ध में उत्तर दूं। पहला मुद्दा जो उठाया गया है वह भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि मुख्य मन्त्रियों की बैठक 28.4.81 को हुई उसमें यह निर्णय लिया गया था कि कोई भी नई परियोजना चालू नहीं की जायेगी और जो योजनाएं चालू हैं उनको भी रोक दिया जायेगा। लेकिन यू. पी. और हरियाणा ने अपनी योजनाओं को चालू रखा है और वे अपने पानी के उपयोग की मात्रा बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में सरकार वक्तव्य देना चाहेगी। दूसरी बात यहां पर यह कही गयी कि टैक्निकल एक्सपर्ट्स और चेयरमैन, सी.डब्ल्यू.सी. ने दो दो रिपोर्ट्स दी हैं उनमें सैलियेन्ट डिफरेन्स क्या है। उसमें बड़े-बड़े क्या फर्क है उनका मैंने यहां पर स्पष्टीकरण नहीं किया। उनका स्पष्टीकरण सरकार से चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि यमुना के पानी में 22 प्रतिशत राजस्थान का हिस्सा है। उसकी जो बात आयी है उसका भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। अन्त में उन्होंने इन्फास्ट्रक्चर, जो तैयार कर रहे हैं यू.पी. और हरियाणा, के सम्बन्ध में भी कहा कि अगर इन्फास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो फिर वह अवेलेबल पानी का कमिटेड यूज का दावा पेश करेगा, उसके सम्बन्ध में सरकार क्या सोच रही है, सरकार इन्फाट्रस्क्चर को तैयार करने से यू.पी. और हरियाणा को रोक लेगी? सभापति महोदया इन चार मुद्दों का स्पष्टीकरण मेरा इस प्रकार है कि 28.4.81 को मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि कोई नई परियोजना बिना स्वीकृति के शुरू नहीं की जायेगी एवं उन परियोजनाओं, जो बिना स्वीकृति से शुरू की जा चुकी हैं, पर कार्य चालू नहीं रखा जायेगा जब तक कि यमुना के पानी के एलोकेशन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। राजस्थान का हमेशा से यह मत रहा है कि अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी के उपयोग के लिये कोई भी योजना पानी का बंटवारा हुए बिना व स्वीकृति के बिना शुरू नहीं की जाय। यमुना नदी के पानी के बंटवारे के लिये बनाई गई टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी के विचार विमर्श में भी राजस्थान का मत रहा है कि ऐसी योजनायें,जो योजना आयोग व केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के बिना शुरू भी कर दी गई हैं, में उपयोग होने वाले पानी को अनकमिटेड यूज माना जाना चाहिये, ऐसे पानी को सरप्लस पानी की मात्रा में शामिल करना चाहिये। कमेटी ने भी इस सिद्धान्त को माना है। परन्तु अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हरियाणा के लिये अस्वीकृत उपयोग को

(श्री परसराम मदेरणा)

कमिटेड यूज माना है। इस पर ही हमारा हमेशा मतभेद रहा है। यह मामला केन्द्रीय सरकार के पास विचार विमर्श के लिये चल रहा है। अन्य राज्य सरकारें अस्वीकृत योजना चलाती भी हैं तो भी उनमें उपयोग में आने वाले पानी को अनकमिटेड मान लिया जाता है तो उसमें राजस्थान का अहित नहीं होता है।

दूसरा मुद्दा उन्होंने जो उठाया वह था कि दोनों कमेटीज की रिपोर्ट में जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट है और चेयरमैन सी. डब्ल्यू. सी. की रिपोर्ट में सेलियेन्ट डिफरेन्स क्या है? पानी की अवेलेबिलिटी के सम्बन्ध में दोनों रिपोर्ट में फर्क है। कमिटेड वाटर यूज और अनएप्रूव्ड प्रोजेक्ट के लिए भी पानी के उपयोग के लिए दोनों कमेटियों की रिपोर्ट में फर्क है। उसका परिणाम यह हुआ है कि सरप्लस अवेलेबल पानी का बंटवारा होना चाहिये पांच राज्यों में, उसके हिस्से में फर्क पड़ गया। वह पानी बंटवारे के लिये है उसमें भी पानी के लिये जो प्रायोरिटी निर्धारित की गयी है वह भी चेयरमैन ने बदल दी है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी एक सब कमेटी बनायी थी, उसने जो रिपोर्ट दी है टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने कन्सीडर की थी। चेयरमैन ने उस सब कमेटी की रिपोर्ट को कंसीडर ही नहीं किया है और फाइनल असेसमेंन्ट करते वक्त हरियाणा के हिस्से में पानी का जो असेसमेंट किया है, वह 2.869 एम. ए. एफ. करके फिर उसको राउण्ड आफ करके 3 एम.ए.एफ. कर दिया है। इस प्रकार 0.131 का इनडाइरेक्ट बेनिफिट हरियाणा को दे दिया है। इसलिये हमारी हमेशा यह आपत्ति रही है कि हम चेयरमैन की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट जब मुख्य मन्त्रियों के सम्मुख दुबारा प्रस्तुत होगी उसी को आधार मानकर यमुना के पानी का बंटवारा किया जायेगा।

यहां पर एक यह भी चर्चा की गयी है, 22 प्रतिशत पानी, जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बांध के निर्माण के सम्बन्ध में मन्त्री के तत्वावधान में राज्यों के अन्य मंत्रियों की एक बैठक दिसम्बर 1971 में हुई थी और उसमें विचार विमर्श होने के बाद पानी के हिस्से को प्रस्तावित किया गया था लेकिन वहां पर निर्णय नहीं हुआ था। जो प्रस्ताव दिया था, सी. डब्ल्यू. सी. के चेयरमैन ने जो सुझाव दिया, राजस्थान का प्रस्तावित 22 प्रतिशत पानी में और अन्त में इन्फ्रास्ट्रकचर के सम्बन्ध में बात कही। इन्फ्रास्ट्रक्चर के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि यमुना के पानी का बंटवारा जल्दी से जल्दी हो। भारत सरकार से भी यह निर्णय हुआ है कि योजनायें अस्वीकृत हैं उन पर कार्य चालू नहीं रखा जाय। फिर भी कुछ राज्य सरकारें अस्वीकृत योजनाओं पर कार्य चालू रखती हैं तो उन योजनाओं में पानी का उपयोग उतना ही हो सकेगा जितना राज्य को पानी का हिस्सा मिले क्योंकि यह बहुत बड़ा सिद्धान्त है और इसी प्रिन्सीपल पर नार्म्स जो डिसाइड करने के लिए कमेटी बैठाई गई थी, उसमें यह तय

(श्री परसराम मदेरणा)

करना था कि जो अनएप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स चाहे निर्माणाधीन हैं और चाहे निर्माण करने की इच्छा अन्य राज्य रखते हैं उनका कोई कमिटेड यूज नहीं माना जायेगा, उस पानी के इस्तेमाल को बंटवारे के अंदर कन्सीडरेशन में नहीं लिया जाएगा। जैसा कि मैंने उस दिन, 5 सितम्बर को एक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था, मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि 3 जून को केन्द्रीय सिचाई सचिव ने पांचों राज्यों के सिचाई सचिवों की मीटिंग बुलाई थी और उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि जो मिनट्स हमारे पास आये हैं, और एक मामला केन्द्रीय सिचाई मन्त्री जी के सम्मुख रख रहे हैं ताकि वह उसमें निर्णय दें, मैं समझता हूं केन्द्रीय सिचाई मन्त्री जल्दी ही इस सम्बन्ध में निर्णय लेकर मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलायेंगे ताकि मुख्य मन्त्रियों की बैठक में यमुना के पानी के बंटवारे के संबंध में अंतिम निर्णय हो सके।

जैसा कि सदन जानता है पानी स्टेट लिस्ट में है और सातवें शिड्यूल्ड का जो आइटम 56है उसमें जब पानी के बंटवारे के मामले में डिस्प्यूट हो तो इन्टर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर भारत सरकार ट्रिब्यूनल कन्स्टीट्यूट करती है। यहां पर हिस्सा मांगने वाली दूसरी सरकारें कैचमेंट एरिया की दूसरी अपनी बात करती हैं। जो कैचमेंट फिगर्स आप दे रहे थे वे आज उपलब्ध हैं लेकिन उपलब्ध होते हुए भी यदि हम उस संबंध में खुद बैठकर एकमत हो जाते हैं तो उस संबंध में जल्दी ही निर्माण का काम शुरू हो जाता है। जैसा कि यह सदन जानता है, जिन राज्यों के इन्टर-स्टेट पानी के बंटवारे के झगड़े रहे हैं, वे 10 साल नहीं 20–20, 25–25 साल तक चलते रहे हैं। इसी को मान कर भारत सरकार ने एक प्रस्ताव इरिगेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के अन्दर 1981 में रखा था कि नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेन्सी बनाई जाये। आज प्रश्न यह नहीं है, जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, लूनी और गंगा का ग्रिड बनाया जाय, गंगा और यमना का ग्रिड बनाया जाय इस प्रकार की चर्चायें आज नहीं, केन्द्रीय सरकार के स्तर पर आज से 10 साल पहले शुरू हो गई हैं। उन सबके जो रेलेवेन्ट डाक्यूमेंट्स हैं, वे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के पास हैं, उन्होंने मुझे उनकी प्रतिलिपियां दे दीं।

इन शब्दों के साथ मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सरकार प्रयत्नशील है। इसका निर्णय भारत सरकार के गुड आफिसेज से ही हो सकता है। भारत सरकार, मैं ऐसा मानकर चलता हूं, 3 जून की मीटिंग के बाद जल्दी ही मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलायेगी और उसमें जो निर्णय होगा, वह राज्य के हित को सेफ करते हुए लिया जाएगा।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, मैं दो तीन प्रश्न स्पष्टीकरण हेतु पूछना चाहूंगा। पहला यह कि इमीजिएट नीड भरतपुर फीडर और गुड़गांवा कैनाल के बारे में है जो एश्योर्ड वाटर सप्लाई था फ्लड सीजन का, कम से कम वह तो दिलाने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा

(श्री राजबहादुर)

है तो मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि आपने निर्णय लिया है कि जो सुपरिण्टेंडिंग इंजीनियर का डिवीजन था भरतपुर में इरिगेशन का, उसको वहां से हटाया जाय, इसलिए वह हटाया जा रहा है शायद सभी फ्लड प्राब्लम्स साल्व हो गई, इरिगेशन की प्रॉब्लम्स साल्व हो गए। मेरे पास एक तार आया है, भेजने वाले जिला प्रमुख आपके दल के हैं, यह डिवीजन भरतपुर से हटाया जा रहा है। यह क्यों हटाया जा रहा है जब कि यहां फ्लड और इरिगेशन की इतनी प्रॉब्लम्स हैं?

श्री यदुनाथ सिंह : यह बाद में बात कर लेना। मंत्रिमंडल के सदस्य बाद में बात कर सकते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप अपने प्रश्न जल्दी पूछें।

श्री राजबहादुर : मैं यह जानना चाहता था कि डिवीजन हटाने का क्या औचित्य है? डिवीजन न हटायें, यह मेरा सुझाव है।

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं, क्या मंत्रीजी के नोटिस में आया है कि प्लानिंग कमीशन के प्रमुख सदस्य एन. टी. के. मेनन बड़े साइंटिस्ट हैं और बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी साइंटिफिक वर्ल्ड में, उसने कहा है, Full use of irrigation potential होना चाहिए। उन्होंने कई प्रपोजीशंस किए हैं, मैं सारे नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि समय लग जायगा। लेकिन उनके प्रपोजीशन में है कि जो इरिगेशन स्कीम्स बन चुकी हैं उनका पूरा पूरा उपयोग किया जाए, बजाय इसके कि पानी समुद्र में चला जाय।

आपने कहा, 10 साल पहले ग्रिड की बात है, आपने कहा, कमिटेड को 10 साल पहले की बात है। आपका कहना ठीक है, ग्रिड की नेग्लेक्टेड स्कीम थी, वह चली थी, लेकिन उसके विस्तार में जाना आवश्यक नहीं है इस छोटी चर्चा में। मैं तो इतना जानना चाहता हूं कि आपकी तरफ से क्या क्या पहल की गई है, खुद अपने अन्त:करण से पूछ लें, क्या जवाब दिया है? क्या उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से मिले हैं, क्या उनसे कहा है? क्या उत्तर प्रदेश के नेताओं से मिले हैं, क्या जनरल कन्ट्रोलर से मिले हैं और क्या फ्लड कन्ट्रोल से बात की है और लगातार कितनी अरनेस्टनेस और परसिस्टेंस से बात की है? हम ही आपको याद दिलाते रहे, हम आपको चिट्ठियां लिखते रहे। कल आपने ओलमा दिया :

"Confussion has been created because of the letters of the members for the last 10 years."

अगर लैटर लिखना, परसराम जी, कोई गुनाह है तो मैं जरूर गुनहगार हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आपकी ओर से क्या पहल होगी? इसमें खाली भरतपुर का भला नहीं है, अलवर का भला नहीं है, सारे राजस्थान का भला है और इसमें आप इलाका भी आता है जिसको पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप कृपा करके इस प्रश्न को सोचें, इस प्रश्न को ज्यादा व्यापक बनायें। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि आपका मत तो यह है कि....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री राजबहादुर : हां, प्रश्न पूछ रहा हूं, मैडम, जरा गौर से सुन लें।

आपका मत यह है कि कमिटेड यूज नहीं माना जाना चाहिए, अनकमिटेड माना जाना चाहिए, सरप्लस मानना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, चेयरमैन ने किस आधार पर इसको कमिटेड बता दिया, किस आधार पर इसको सरप्लस नहीं माना, चेयरमैन का क्या नाम है, कौन है, कहां का है, उनका गंगा-यमुना प्राब्लम्स से कितना वास्ता है – यह तो मालूम हो जाए ? जब चेयरमैन अपाइंट हुए थे तो उनकी पार्शलिटी और इम्पार्शलिटी को राज्य सरकार ने देखा था? हमारे यहां के चीफ इंजीनियर चेयरमैन क्यों नहीं ? हमारे यहां का कोई अधिकारी क्यों नहीं ? अगर वह होता तो ठीक रहता। हमारे यहां का सिंचाई मंत्री है, हम नहीं कहते कि हमारे साथ पक्षपात करे, किसी और स्टेट के साथ अन्याय करे, लेकिन हमारा जो न्याय है वह तो हमें मिल जाय। न्याय दिलाने के लिए आप क्या पहल करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं। ये 3–4 प्रश्न हैं। आपने कहा, सेक्रेटेरी लेवल पर मीटिंग हुई थी, उसके अलावा आपने यह भी कहा कि मुख्य मंत्री लेवल की बैठक होने के लिए कान्सेंसस डवलप नहीं हुई इसलिए संभावना है कि मुख्य मंत्रियों की दूसरी बैठक हो। कब तक संभावना होगी, आपकी तरफ से क्या पहल होगी उसमें ?

एक आखिरी सवाल कर रहा हूं। क्या इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आगरा कैनाल से ही अगर उसमें लाइनिंग हो जाय तो कितनी सेविंग पानी की हो सकती है और इसका जो पानी हमें चाहिए, मिल सकता है। आगरा कैनाल से लाइनिंग कराने के बारे में कोई पहल की गई है ? क्योंकि उसमें वाइटल इन्ट्रेस्ट हमारा है, अगर आगरा कैनाल का लाइनिंग हो जाता है और बैराज हेडवर्क्स जल्दी बन जाते हैं तो गंगा कैनाल और भरतपुर फीडर दोनों का पानी मिल सकता है आसानी के साथ और उत्तर प्रदेश पर बहुत वजन नहीं पड़ने वाला है लेकिन यह काम कराने के लिए कुछ पैसा, कुछ समय लगाना पड़ेगा, कुछ परिश्रम और प्रयास भी करना पड़ेगा। मैं इन प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य की इस राय से 101 फीसदी सहमत हूं कि जो इरिगेशन का पोटेंशियल है, उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। हमारे पास में जो अवेलेबल पानी है उस पानी का बंधों से, एनीकट्स से, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के जरिए से ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए। अब तक जो सतही वाटर राजस्थान में है जिस पानी को बंधों से रोका जा सकता है और जो राजस्थान का मास्टर प्लान बना है, चार एम. ए. फीट पानी उसका उपयोग कर सकते हैं जिसमें आज के क्राइसेज का असेसमेंट हुआ है। जो उस पर खर्चा लगेगा वह 2000 करोड़ रुपए का है। जैसा कि आप जानते हैं, दो हजार करोड़ की कोई एक योजना

(श्री परसराम मदेरणा)

तो नहीं है, छठी योजना ही दो हजार करोड़ रुपये की है. उस प्लान के प्रावधान अलग-अलग मदों में अलग-अलग हैं। ऐसी हालत में बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। उसमें जो आप ग्रिड की बात करते हैं, गंगा ग्रिड की बात करते हैं, गंगा ग्रिड के लिए उस वक्त सोचा गया था जिस समय ग्रिड की बात थी कि बीस हजार करोड़ रुपये लगेंगे। यह कोई छोटी मोटी योजना नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे सामने और भारत सरकार के सामने जो वित्तीय साधनों की उपलब्धि का प्रश्न है वह ही सबसे बड़ा प्रश्न है।

यहां पर आपने दो तीन बातें कही। उनमें एक बात यह कही कि डिवीजन हटाया जा रहा है। मैं निवेदन करूं कि रेवेन्यू डिवीजन नहीं हटाया जा रहा है।

उन्होंने फ्लड कंट्रोल के संबंध में यह बात कही कि आपने क्या प्रयास किये उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से या अन्य राज्य के मन्त्रियों से आपने कभी कोई मंत्रणा की या नहीं। फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड गंगा-यमुना दोनों के बने हुए हैं, जिनकी अध्यक्षता केन्द्रीय सिचाई मन्त्री करते हैं, उसके सदस्य राजस्थान के मुख्य मन्त्री हैं। मुख्य मन्त्री जी जब नहीं जाते हैं तो सिंचाई मन्त्री उस बैठक में भाग लेता है। इन बैठकों में मैंने भाग लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो सिंचाई मन्त्री थे, गंगा फ्लड, गंगा तबाही मचाती है फरक्का तक, के बारे में वह कह रहे हैं कि मेरे राज्य में गंगा के पानी की एक बूंद ही सरप्लस नहीं है। इस प्रकार की बातें करते हैं और आप कहते हैं कि मैं जाकर उनसे चर्चा करूं? मेरी उनसे आॅल इण्डिया कांफ्रेंस फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड में चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं उसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता।

चेयरमैन के नाम के बारे में आपने पूछा। चेयरमैन मिस्टर घोष थे, उन्होंने यह रिपोर्ट जुलाई 1982 में दी है और उससे पहले जो टेक्निकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी, जो भिन्न है, उस वक्त भी वह उस कमेटी के चेयरमैन थे। हमारा एतराज है कि एज चेयरमैन आॅफ दि टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में जिन सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया गया था उससे डेवियट होकर और चेयरमैन ने जो खुद की रिपोर्ट दी है उसमें सेलियेंट डिफरेंस क्या है, यह क्यों हुआ। मुझे कहने में कोई एतराज नहीं कि अभी जो सचिवों की बैठक हुई थी उसमें सम्मिलित होने के प्रश्न के ऊपर हमने उच्च स्तर पर यहां पर विचार विमर्श किया कि हमको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री ने यह लिखा है कि चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के पांचों सदस्यों और छठा जो चेयरमैन है उनमें कांसेंसस नहीं बन सकी, इसलिए हमने चेयरमैन को कहा था कि वह रिपोर्ट दे। जब केन्द्रीय सरकार ने उनको कह दिया तो हमने कहा कि टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते। जब यह लिखित में आ गया हमारे पास आया तो हमने सारे सचिवों को इसको शार्ट आउट करने के लिए उस मीटिंग, जो केन्द्रीय सिंचाई सचिव ने बुलाई थी, में सम्मिलित होने

(श्री परसराम मदेरणा)

के आदेश दिए। इस संदर्भ में परि प्रेक्ष्य में जो कुछ उसनेंकिया जाना चाहिए था उसमें राजस्थान सरकार बहुत ही सतर्क और चौकस रही हैं और भविष्य में भी रहेगी, यह आश्वासनदे सकता हूं।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री चाव खां (कामां) : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उजीना कैनाल, जो हमारे कामां क्षेत्र से गुजरती हैं, यू पी में प्रवेश करती है, वहां सिर्फ पानी निकालने के लिए नाला बनाया गया है। मैंने परसों भी इस बात को उठाया था कि उजीना कैनाल में एक रेगूलेटर है उसके ठहरे हुए होने से, उसको रोक देने से हमारे कामां पहाड़ी इलाके की करीब लाखों एकड़ जमीन पानी से खतम हो चुकी है, धान खतम हो चुका है। 14-14 रुपए किलो का धान पंजाब से लाकर हमने बोया था। वह इलाका इससे तबाह हो गया है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सिर्फ प्रश्न पूछें। आप अपने भाषण के टाइम उपस्थित नहीं थे।

श्री चाव खां :उस नाले को खुलवाया जाये ताकि हमारा क्षेत्र पानी के सैलाब में न आये, हमारे गांव बरबाद न हो।

श्री परसराम मदेरणा : कौन-से रेगूलेटर की बात करते हैं ?

श्री चाव खां : खेड़ा रेगूलेटर की बात कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : खैरवा रेगूलेटर तो कामां पहाड़ी का है और अपने राज्य के अन्दर है। अपने राज्य में जो रेलेगूटर है उसको बन्द किसने किया है, वह खुले हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, आपने जिस रेगूलेटर ड्रेन का पानी बाहर निकालने की बात कही, जो हरियाणा में है ड्रेन नाम से है। राजस्थान में इसी ड्रेन को कामां पहाड़ी के नाम से, यू.पी. में गोरधन ड्रेन कहते हैं–इसमें तीन रेगूलेटर हैं एक हरियाणा और राजस्थान के बोर्डर पर हैं। आप पहले बैठिये, सुनिये। दूसरा, जो खैरवा है, वह आपका रेगूलेटर हैं जिसे कामां कहते हैं, उत्तर प्रदेश में इसको बरसाना का रेगूलेटर कहते हैं वह उत्तरप्रदेश में है राजस्थान की सीमा से तीन किलोमीटर आगे है। खैरवा अपना रेगूलेटर है, इस रेगूलेटर को बन्द करने का कोई प्रश्न नहीं है। अभी ड्रेन में पानी चल रहा है। हालांकि इसका सम्बन्ध सीधा इस इस प्रश्न से कुछ भी नहीं है। माननीय सदस्य ने क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं उसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं। यह अतिरिक्त प्रश्न है इसलिए अगर वह विस्तृत जानकारी इस सम्बन्ध में मुझ से लेना चाहते हैं तो वह मुझसे बात कर सकते हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

गोसुण्डा सिंचाई परियोजना का निर्माण रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

(श्री सभापति)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी । गोसुण्डा सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का एक ऐसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिसके कारण चित्तौड़गढ़ जिले के किसानों को एक भारी आघात पहुचा है । राजस्थान सरकार की किसान विरोधी नीति कैसी है, इसका पता राजस्थान की जनता को इससे लगा है । माननीय सिंचाई मंत्री अगर इस ओर ध्यान देंगे.... .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है । क्या कारण है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदया, इस विषय में इसलिए मैं माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, गोसुण्डा सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले के हजारों किसानों को लाभ देने वाली योजना बनी थी । 10 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई इस गोसुण्डा सिंचाई परियोजना से होनी थी । अभी तक राजस्थान सरकार का 83 लाख रुपया इस पर व्यय हो चुका है । बड़े आश्चर्य का विषय है कि आज के दो महीने पहले राजस्थान सरकार ने इस परियोजना भी समेट लिया है । आपने सारे अधिकारियों को वहां से हटा दिया है और जिक स्मैल्टर को उस परियोजना को सौंपने के नाम पर चित्तौड़ जिले के हजारों किसानों के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है । माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल और कठिनाई के बाद 78-79 में इस गोसुण्डा योजना का तेजी से काम शुरू हुआ था, बहुत बड़ी राशि सिंचाई विभाग से वर्तमान साल के बजट में इस पर व्यय करने का प्रावधान बना था । दो महीने पहले कौन-सा कारण हो गया । वह जो कारण है उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा । मैं चाहूंगा, माननीय सिंचाई मंत्री अपने जवाब में इन बातों को स्पष्ट करें । कहा जा रहा है कि जिक स्मैल्टर की यूनिट वहां लगने वाली है, उस इण्डस्ट्रियल यूनिट के लिए पानी चाहिए । उस पानी को उस इण्डस्ट्री के उपयोग में लाने के लिए किसानों का गला घोटने की चर्चा की गई है । माननीय सिंचाई मंत्री जी, आपको पता होगा, वैसे मुझे तो पता नहीं कि जिक स्मैल्टर कब आयेगा, क्योंकि खींचातानी राजस्थान के मुख्य मन्त्री कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह तो भविष्य की बात है पर अब स्थिति क्या बनी हुई है जब जिक स्मेल्टर ने पहली मांग की कि 500 मिलियन क्यूबिक फीट पानी हमको चाहिए । माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं, उनको याद भी होगा कि इस गोसुण्डा परियोजना में 2660 मिलियन क्यूबिक फीट पानी इकटठा होगा, यह सी.डब्ल्यू.सी. ने माना है और राजस्थान

Page No 115

115

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सरकार का उससे मतभेद है इसकी भी चर्चा करूंगा। 1976 से 1980 तक जो पानी आया वह पानी इस बात को साबित करता है कि 2660 मिलियन क्यूबिक फीट पानी नहीं है, केवल 500 मिलियन क्यूबिक फीट पानी बढ़ा है। इतना पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता था। किन्तु जिक स्मेल्टर ने पहले कह दिया, हमको 500 मिलियन क्यूबिक फीट पानी चाहिए, दुबारा बढ़ाकर उन्होंने कह दिया कि हमको 900 क्यूबिक फीट पानी चाहिए, तिबारा बढ़ाकर कह दिया कि 1400 क्यूबिक फीट पानी चाहिए और आज कह रहे हैं कि हमको पूरा का पूरा, 2660, मिलियन क्यूबिक फीट पानी चाहिए। यह उन्होंने अपनी एक के बाद एक चार मांगें प्रस्तुत की हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :....माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस जिंक स्मेल्टर की एक यूनिट देबारी में है। यह जो देबारी की यूनिट है, यह 45000 मैट्रिक टन जिंक प्रोड्यूस करती है और यह उदयसागर से पानी लेती है। आप स्टेटिस्टिक्स उठाकर देख लीजिए, 5 से 9 मिलियन क्यूबिक फीट पानी इस जिंक स्मेल्टर की यूनिट को प्रति महीने चाहिए। वहां के गेज आपको बतायेंगे। 45000 मैट्रिक टन जिंक प्रोड्यूस करने के लिए, जो देबारी के जिंक स्मेल्टर से पैदा हो रहा है, 5 से 9 मिलियन क्यूबिक फीट पानी चाहिए एक महीने का। 100 मिलियन क्यूबिक फीट पानी चाहिए अधिक से अधिक। यह जो जिंक स्मेल्टर चित्तौड़ में लगाने की बात कह रहे हैं, जिसके ऊपर शंका प्रकट की है वहां तो किसी भी हालत में नहीं लगेगा, लेकिन यह तो भविष्य बतायेगा यह मुख्य मंत्री जी एक तरह से राजनीतिक चाल चल रहे हैं....

श्री सी. पी. जोशी : कोटा में ले जाने का।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं बता रहा हूं, कहां ले जा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह जो एक यूनिट लगाने की कल्पना चित्तौड़ में है इसमें, माननीय सभापति महोदया, होगा क्या ? 70 हजार मैट्रिक टन जिंक प्रोड्यूस होगा और 35000 मैट्रिक टन लैड प्रोड्यूस होगा, कुल मिलाकर 1 लाख 5 हजार मैट्रिक टन यह दोनों लैड और जिंक, पैदा होंगे। यह 45000 से ढाई गुना है, कहने का मतलब यह है कि इनको ढाई गुना पानी चाहिए करीब 100 मिलियन क्यूबिक फीट पानी देबारी वाले प्रोजेक्ट के लिए उदयसागर से ले रहे हैं। मैं आपके सामने स्टेटिस्टिक्स दे रहा हूं और, माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय, आप अपने जवाब में इस बात को बतायेंगे····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य।

(श्री सभापति)

कृपया बात न करें। यह बोलने वाले का अपमान है। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ....100 मिलियन क्यूबिक फीट पानी देबारी में चाहिए और एक वर्ष में 2500 मिलियन क्यूबिक फीट चाहिए। अगर 40 पर्सेन्ट एवोपोरेशन का ले लें तो यह 750 मिलियन क्यूबिक फीट पानी चाहिए। अभी तो वह यूनिट आया ही नहीं। इस यूनिट की 50 पर्सेन्ट बढ़ाकर भी मान लेते हैं तो 750 मिलियन क्यूबिक फीट पानी चाहिए। 375 उसमें हो जायेगा तो 1125 इसका आयेगा। अब आप कहें कि और फैक्ट्रीज आयेंगी, तापघर आयेगा, उसको भी मिलायें तो 1135 मिलियन क्यूबिक फीट किसी भी कीमत पर जाये तो 15 साल में जाकर सारी स्थिति में लगाने की स्थिति में रहेंगे। हम सिंचाई की बात कर रहे थे जिसमें 83 लाख रुपया खर्च किया था। वह कहते हैं, 2600 मिलियन क्यूबिक फीट पानी आयेगा और हमको स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं कि 4 साल में पानी आयेगा। 5 हजार मिलियम क्यूबिक फीट पानी आ सकता है। माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय क्यों गला घोट रहे हैं हजारों किसानों का? इस योजना को जनता पार्टी के शासन में शुरू किया था। क्या कारण हो गया? क्या चाहिए? कौनसी रीति नीति अपनाना चाहते हैं जो सिंचाई विभाग द्वारा इस योजना को रोक दिया गया?

अभी एक सवाल किया था, भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक ने और जिसका जवाब दिया था मंत्री महोदय ने कि सर्वे का काम हो गया है इसलिए डिवीजन हटा दिया गया है। मैं आपको आर्डर दिखाना चाहता हूं कि एक नहीं आपने ऐसे 7 डिवीजन हटाये हैं। केन्द्रीय सरकार कहती है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी सिंचाई और बिजली को देना चाहते हैं। यह फर्स्ट प्रायोरिटी है क्या? यह आर्डर है डिप्टी सेक्रेटरी के। क्या शब्द हैं, यह आप ही देख लीजिए :

"Economy of the affected establishment of the Organisation of the Chief Engineer (Irrigation); I am directed to convey sanction of the Governor for the abolition of the following offices alongwith gazetted and non-gazetted officials as per statement 'A'."

आगे (ए) इस तरह से कहता है :

"Narvada Survey Division, Jalore, Flood Control Study Division, Jaipur,

कोटा का ही नहीं है, सिंचाई मन्त्री महोदय, यह आपके सिंचाई विभाग की प्रायोरिटी है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। जरा दर्शन तो करिये।

श्री सभापति : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इस लिए कहना चाहता हूं, मेरा तो आरोप है कि आपकी प्रायोरिटी सिंचाई की नहीं है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सरकार दिवालिया है, जिसका गोसुण्डा सबसे बड़ा नमूना है। चित्तौड़ जिले के साथ क्या कर रहे हैं ? मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि अगर यही चाहिए तो टैंक बनाइये, जिंक स्मेल्टर में पानी आयेगा नदी से और यह नदी जाती है मांडलगढ़ के पास। यह प्रक्रिया बन रही है कि मांडलगढ़ में एक और बांध बने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह है एक राजनैतिक चाल हमारे मुख्य मंत्री जी की। यह राजस्थान के मुख्य मन्त्री नहीं हैं, यह भीलवाड़ा के मुख्य मन्त्री हैं। क्या लेना-देना है इनको चित्तौड़ से ? यह बात है। यह राजनैतिक चाल है इसमें। इसलिए चित्तौड़ के सारे किसानों के साथ साजिश करने का उपक्रम किया जा रहा है। किसानों को फायदा पहुंचाने वाली इस प्रकार की योजना है उस योजना को खत्म किया गया है। उस योजना का बोरिया बिस्तर गोल किया गया है। मैं तो चाहता हूं कि मन्त्री महोदय अपने उत्तर में उस स्टेटिस्टिक को सामने रखकर बतायें, यह नहीं कि एक के बाद एक प्रोजेक्ट आयेगा और उसके लिए पानी चाहिए। यह किसान विरोधी नीति है।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय,

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : माननीय सभापति महोदया, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, जो पूर्व में सिंचाई मन्त्री भी रह चुके हैं, ने गोसुन्डा बांध के निर्माण कार्य को बन्द किये जाने से उत्पन्न कुछ मुद्दों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इन्होंने बहुत सी बातें कही, उनका तो मैं उत्तर बाद में दूंगा लेकिन बांध का निर्माण कार्य क्यों बन्द किया, इस सम्बन्ध में उनके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है :

गोसुण्डा सिंचाई परियोजना राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 3-1-80 को 709 लाख 50 हजार रुपये की ली गयी। इससे लगभग 7600 हैक्टेयर क्षेत्र में....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय, 5 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी का कह रहा हूं मैं।

श्री परसराम मदेरणा : ठहरिये, ठहरिये मिलियन पर आ रहा हूं।

इस योजना पर कार्य वर्ष 1980 में प्रारम्भ किया गया न कि जो आप कह रहे थे 1978 और 1979 में किया गया, जब आप तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे। वह बात सही नहीं है। 30 जून, 1983 को कार्य बन्द करने तक कुल लगभग 115 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। आप वाला आंकड़ा गलत है। मैसर्स हिन्दुस्तान लिमिटेड द्वारा....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसका तो ज्यादा बताया है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए कह रहा हूं ज्यादा बताया, आप वाला आंकड़ा गलत है ।

भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगुचा के अलौह खनिज नान फेरस खानों आधारित पर एक स्मेल्टर प्लांट चित्तौड़गढ़ के पास लगाने का प्रस्ताव किया गया । हिन्दुस्तान जिंक ने इसके लिए राज्य सरकार से कुछ सुविधाओं की मांग की जिसमें स्मेल्टर प्लांट, उनके कैप्टिव थर्मल प्लांट, तथा अन्य सहायक उद्योगों के लिये जल की निश्चित उपलब्धि की भी मांग की गई ।

राज्य सरकार ने इन मुद्दों पर विचार विमर्श कर केन्द्रीय खनिज सचिव को सूचित किया कि राज्य सरकार गोसुण्डा बांध के निर्माण का कार्य हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा कराये जाने के लिए निम्न शर्तों के साथ सहमत है :–

(1) बांध के निर्माण से सम्बन्धित सभी ड्राइंग्स व डिजाइन राज्य के सिंचाई विभाग दारा अनुमोदित करवाये जायेंगे,

(2) बांध की नींव का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि बांध को भविष्य में 4000 मिलियन घन फीट तक की भराव क्षमता के लिए ऊंचा किया जा सके । 2600 मिलियन घन फीट तक भराव क्षमता के प्रथम चरण का निर्माण हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा अपने खर्चे से किया जायेगा,

(3) बांध को ऊंचा उठाकर उसकी भराव क्षमता 2600 मिलियन घन फीट से 4000 मिलियन घन फीट करने का कार्य राज्य के सिंचाई विभाग द्वारा राज्य के खर्चे पर किया जावेगा,

(4) बांध के प्रथम चरण की भराव क्षमता 2600 मिलियन घन फीट में से 500 मिलियन घन फीट पानी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की आवश्यकता के लिए आरक्षित रखा जायेगा ।

चूंकि बांध का निर्माण कार्य अब मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाना है, अतः राज्य सरकार ने अपने सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए राज्य के योजना मद से चालू किये गये गोसुण्डा बांध के निर्माण कार्य को बंद करना उचित व उपयुक्त समझा ।

यहां अन्य कुछ ऐसे मुद्दे भी माननीय सदस्यों ने उठाये जिनमें मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो मांग हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने की है उस 2600 मिलियन घन फीट में से 500 मिलियन घन फीट पानी राजस्थान के स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये रिजर्व कर लिया गया है । इसका मतलब है, उनको पानी की आवश्यकता केवल 2100 मिलियन घन फीट रहेगी इसलिए उसकी क्षमता हमने 4000 मिलियन एकड़ घन फीट की जो शर्तें रखी है वह इसीलिये रखी है कि जो सरप्लस पानी स्टोर होगा उससे किसानों के खेतों को इर्रिगेट किया जा सकेगा ।

यहां पर डिवीजन के एबोलिशन की दूसरी बात की गई कि कार्य बन्द कर

(श्री परसराम मदेरणा)

दिया गया है। जब इसका निर्माण हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को करना है जो पहले खर्चा हुआ है वह भी उनको रीएम्बर्स करना है तो इस कार्य को आगे रखने में क्या तुक था, मैं समझ नहीं पाया। सिंचाई मंत्री रहे हैं, इन्होंने बहुत सूझ बुझकर की और आगे इनकी नेकर का इजाफ पड़ता है कई वर्षों के आगे क्योंकि क्या कोई योजना चुपके-चुपके बनती है जो उसका पानी माण्डलगढ़ में ले जायेंगे? इस प्रकार की काल्पनिक दुनियां में माननीय सदस्य विचर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सत्र के अन्दर आप लोगों ने निश्चित एक मत बना लिया है कि जितने आरोप लगा सको, ऐन केन प्रकारेण लगाते जाओ दनादन। यह जो आपने एटीट्यूड अख्तियार किया है, माननीय सभापति महोदया, यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ट्रेडीशन्स के अनुरूप नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अन्तिम दिन संयम बरतें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर कहीं ऐसा आरोप लगाना, मैं समझता हूं....

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, विषयांतर नहीं हों।

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी सदस्य सदन में बोलने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, निर्वहन नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको अप बालस्टर करके तिल का ताड़ बनाने की जो प्रवृत्ति देखी गई है....

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदया, मैंने अपने वक्तव्य में....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं....

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदया, मैंने चार आंकड़े दिये। माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर को 2100 मिलियन क्यूबिक फीट पानी चाहिये। मैंने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि पहली मांग 500 की, दूसरी मांग 900 की तीसरी मांग 1400 की और चौथी मांग 2100 की थी। मंत्री महोदय ने उन सब बातों को स्पष्ट नहीं किया। पहली मांग 500 की थी, मैं चाहता था, माननीय मंत्री महोदय, इस बात को स्पष्ट करेंगे। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, किसानों का हित और इण्डस्ट्रीज, यह दोनों विचारधारायें हैं। लेकिन डिक्टिंक्शन यह है कि इण्डस्ट्रीज देश के लिये आवश्यक हैं at wast cost। यही विचार करने की बात

128

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है। 500 मिलियन क्यूबिक फीट का जो तर्क मैंने दिया था, मैं चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय उन तर्कों के आधार पर बतायें। मैंने देबारी का उदाहरण देकर आंकड़े आपको दिये उनको किसी भी कीमत में 700 मिलियन क्यूबिक फीट से अधिक पानी नहीं चाहिये। माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहीं इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि कौन से आधार थे। मैं आपके माध्यम से फिर मंत्री महोदय से सवाल करना चाहता हूं, मंत्री महोदय बतायें कि अन्त में चार प्रश्न आते रहे और चीफ सैक्रेटरी के साथ बैठकर मीटिंग हुई उसमें दूसरे विभाग के अधिकारी क्यों कुछ कह नहीं सके ? इस प्रकार का आर्डर बिल्कुल एकदम कर दिया जिसका आधार वहां सिंचाई विभाग के पास नहीं था। आपने कहा कि 2600 के ऊपर जो आयेगा 4000 तक प्राबेबिलिटी कितने साल है उसको मैंने भी कहा था कि 4500 मिलियन क्यूबिक फीट आ सकता है किन्तु प्रावेबिलिटी वन्स इन ए फोर ईयर्स है। किसानों के हक का पानी आप छीन रहे हैं इण्डस्ट्रीज को दे रहे हैं यह मेरा आरोप है। इस आरोप की चर्चा कर रहा हूं, मुझे समझ आ गई, आप जिंक स्मेल्टर में छोड़ दीजिये, इण्डस्ट्रीज में छोड़ दीजिये किन्तु इण्डस्ट्रीज के लिये उपयोग कर रहे हैं एट दी कास्ट आफ किसान, किसानों के एक्सपेन्स के ऊपर। इसीलिये मैंने आरोप लगाया था कि यह किसान विरोधी नीति का परिचायक है। यह स्पष्ट नहीं किया मंत्री महोदय ने। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इसको स्पष्ट करें कि जो आंकड़े मैंने बताये हैं, मैं चाहता हूं कि 1966 से जो पानी लिया जा रहा है देवारी जिंक स्मेल्टर में, जो आंकड़े मैंने बतायें हैं आप उन आंकड़ों के आधार पर तय करें कि किस प्रकार 2600 क्यूबिक फीट पानी चाहिये। 50 प्रतिशत यह आयेगा, फिर 50 प्रतिशत बढ़ायेंगे, फिर थर्मल पावर बनायेंगे, फिर एसोसियेटेड इण्डस्ट्रीज आयेंगी। केवल इण्डस्ट्रीज के नाम पर किसान तड़फता रहे ? यही मेरा आरोप है इसलिए मैंने कहना चाहा था किसानों के हित का लाभ नहीं देखा और इसको बन्द किया।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, पहले गोसुण्डा बांध में पानी की भराव क्षमता का जो असेसमेन्ट किया गया था, जिस वक्त इस योजना को प्रारम्भ किया गया, वह 3600 मिलियन घन फीट था और अनुपयोगी भराव क्षमता 2332 थी। उसके बाद 3-4 वर्षों में पानी की आवक देखी तो हमने सी. डब्ल्यू सी० को लिखा कि इसकी भराव क्षमता 4000 एम० सी० एफ० टी० है लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना और कहा कि आप और स्टडी कीजिए। राज्य का सिंचाई विभाग अभी भी उस प्रस्ताव को सी० डब्ल्यू० सी० से अनुमोदन कराने के लिए प्रयत्नशील है। इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य में भी इस बात को कहा है कि ओरिजिनल भराव क्षमता का जो अनुमान था उससे ज्यादा पानी वहां पर अवेलेबल है। आपने बार-बार हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की मांग के बारे में कहा कि पहले तो 500 एम० सी० एफ० टी० थी, फिर

(श्री परसराम मदेरणा)

1400 हो गयी और फिर 2660 हो गयी। उनकी जो मांग है वह मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए तो 500 मिलियन घन फीट है और यह मांग उन्होंने रासायनिक खाद के कारखाने के लिए बढ़ायी है, जो सल्फरिक एसिड और राक फास्फेट के आधार पर निर्मित होगा। उसके लिए उन्होंने 1200 एम. सी. एफ. टी. पानी की आवश्यकता बतायी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने मेरी बात को सिद्ध कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के थर्मल प्लान्ट के लिए 400 एम. सी. एफ. टी. की मांग थी जो अब हमने 500 एम. सी. एफ. टी. की है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि केवल जिंक स्मेल्टर के लिए ही पानी की आवश्यकता है। खाद के कारखाने की भी बहुत बड़ी योजना है 500 करोड़ रुपये की, कोई छोटी-मोटी योजना नहीं है। जब राजस्थान में 500 करोड़ रुपये की सैन्ट्रल अण्डरटेकिंग का निर्माण करने जा रहे हैं तो जिन सुविधाओं की वह मांग करते हैं उसमें प्रथम सुविधा पानी की मांग कर रहे हैं। जहां तक कैप्टिव थर्मल प्लान्ट लगाने का प्रश्न है, उन्होंने स्वीकार किया है कि 90 मेगावाट का कैप्टिव थर्मल प्लान्ट हम लगायेंगे और उसके लिए भी पानी की आवश्यकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर पानी की इतनी आवश्यकता बनी है। फिर भी हमने उनसे सहमति में भी कहा है कि इसका डिजाइन, ड्राइंग और फाउण्डेशन 4000 एम. सी. एफ. टी. के आधार पर होगा। 2600 तक तो जिंक स्मेल्टर बनायेगा और उसके ऊपर का बांध राजस्थान का सिंचाई विभाग बनायेगा और उस पानी का उपयोग हम कर सकेंगे। इसलिए औद्योगिक विकास के लिहाज से अगर आप देखें तो इतनी बड़ी योजना आज राजस्थान में आ रही है। उसको घुमा फिराकर किसी नदी नाले के जरिये आप माण्डलगढ़ ले जाना चाहते हैं। यह जो बात माननीय सदस्य ने कही है, मैं समझता हूं, यह सही नहीं होगा। हमने आज पानी का जो कुछ आकलन किया है वह उनके फारेन कन्सल्टेन्ट्स के साथ बैठ कर, राय करके किया है, उसमें जो आवश्यकता पानी की उन्होंने बतायी है, उस आवश्यकता का आकलन करके पानी का रिजर्वेशन करने की बात आयी है और उस योजना का खर्चा उनके द्वारा वहन करने की बात है। इसलिए गोसुण्डा परियोजना जिसकी बात कर रहे हैं, आपके तमाम तर्क कि बार-बार पानी की डिमाण्ड बढ़ा दी, मैने स्पष्ट कर दिए। जब आप प्रारम्भ में सिंचाई मंत्री थे तो उस वक्त आपने भी भराव क्षमता 2300 एम. सी. एफ. टी. मानी थी। यह तो सिंचाई विभाग अब मानता है कि उसकी भराव क्षमता 4000 एम. सी. एफ टी. है इसलिए उसके डिवीजन के एबोलिशन के बारे में आपने जो पढ़ा, यह सही बात है, डिवीजन इकानामी में एबोलिश जो किये गये क्योंकि यह योजना बन्द कर दी गयी है और बन्द करने के बाद में दूसरी जगह प्लान्ट का उपयोग किया जाना चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : साफ है।

श्री परसराम मदेरणा : हां, वह भी ग्राप ठीक कह रहे हैं। मैं उनके वर्णन का प्रतिवाद या डिनाई नहीं करता हूं कुछ डिवीजन एबोलिश किये गये हैं। इन शब्दों के साथ यह निवेदन करूंगा कि यह योजना राजस्थान की बहबूदी लाने वाली है। यह बात निश्चित है कि किसानों का इन्ट्रेस्ट भी सेफगार्ड किया जाना चाहिए। इसीलिए योजना में हमने शर्त रखी है कि कल इसका निर्माण 4000 एम. सी. एफ. टी. की भराव क्षमता वाला होगा, ग्रौर जो ग्रधिक पानी होगा वह जिंक स्मेलटर के ग्रलावा भी इस्तेमाल में लिया जायेगा। जिंक स्मेलटर, खाद के कारखाने की ग्रावश्यकता के ग्रलावा थर्मल पावर प्लान्ट की ग्रावश्यकता के ग्रलावा वह पानी निश्चित तौर पर किसानों को दिया जायेगा।

श्री भैरों सिंह शेखावत : एक क्वेश्चन। मन्त्री महोदय, यदि ग्राप प्रयत्न करें कि जो काम्प्लीकेशन्स क्रिएट हो गये हैं वह न हो ग्रौर यह कारखाना यदि ग्राप ग्रागुचा में लगवा दें तो मैं समझता हूं कि सारी प्राब्लम सोल्व हो जायेंगी ग्रौर विवाद भी खतम हो जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वही तो चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बात यह है कि मैं ग्रौर ग्राप जर्नलिस्ट है ग्रौर टेक्नोक्रेट्स की राय ऐसे मामलों में लेनी पड़ती है, क्योंकि सल्फरिक एसिड कैसे निकलेगा, इसकी न तो ग्रापको जानकारी है, न मुझे, मैं भी साइन्स का विद्यार्थी नहीं हूं, ग्राप भी कभी पूर्व में साइन्स के विद्यार्थी नहीं रहे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो थोड़ा बहुत हूं।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रापने तो जहां जहां बच्चों को पढ़ाया वहां बंटाधार किया है। राक फास्फेट ग्रौर सल्फरिक एसिड के ग्राधार पर····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रापने जिस-जिस बांध की नींव रखी है वह बांध ही नहीं है। लोगों को तबाह कर दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इन्होंने नींव तो रखी हैं ग्रापने तो कुछ किया ही नहीं है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : इन्होंने जो नींव रखी है ग्राप उस नींव का पत्थर भी ले गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मन्त्री महोदय वक्तव्य दे रहे थे कि प्रारम्भिक रूप से किसानों के लिए बनाया हुग्रा बांध ग्राज इण्डस्ट्री के चरणों में है, वह भी पता नहीं कब पूरी होगी। उसका विचार करके यह सब किया जा रहा है किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए।

श्री परसराम मदेरणा : सब इन्डस्ट्रीज तो ग्राप कोटा के ग्रन्दर ले गये। राजस्थान के किसी ग्रौर हिस्से में ग्रगर प्रगति होती है किसी उद्योग के लगने के बाद, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या ग्राप को करनी चाहिए। राजस्थान के सभी हिस्सों में बड़े-बड़े उद्योग लगने चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लगाओं।

राजस्थान के विभिन्न भागों विशेषकर बीकानेर एवं जैसलमेर जिले में पशुधन के लिये गोचर भूमि की अनुपलब्धता

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री देवीसिंह भाटी, राज्य के विभिन्न भागों विशेषकर बीकानेर एवं जैसलमेर जिले में पशुधन के लिए गोचर भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण पशुधन के समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभा-महोदया, मैं पश्चिमी राजस्थान में गोचर भूमि की बहुत विकराल समस्या की ओर राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। राजस्व मन्त्री महोदय की पूर्व में, प्रश्नों के माध्यम से, अन्य माध्यम से जानकारी में लाया गया कि बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में, जहां 78 गांव हैं, जो मैंने ध्याना-कर्षण प्रस्ताव में सूची बनाकर दी है, उन 78 गांवों, जो कोलायत तहसील में हैं, 1 लाख 11 हजार पशुधन की संख्या है, परन्तु 78 गांव में एक बिस्वा भी भूमि गोचर के लिए आरक्षित नहीं की गयी है। इससे बड़े दुःख की बात और क्या हो सकती है कि जहां हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पशुधन पर आधारित है वहां पशुओं के लिए एक बीघा भी गोचर भूमि आरक्षित नहीं की गयी। इसी प्रकार से बीकानेर तहसील, जहां 21 गांव हैं और 51 हजार पशुधन हैं, में एक बीघा भी भूमि आरक्षित नहीं की गयी। आज धीरे-धीरे जो राजकीय भूमि का आवंटन किया जा रहा है कृषि भूमि के लिए करने की प्रक्रिया निरन्तर चालू है, भूमिहीनों को वह भूमि दी जा रही है, अन्त्योदय परिवारों को वह भूमि दी जा रही है परन्तु उन पशुओं के लिए कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। क्या आपने आज तक सोचा? पूर्व में कह दिया होगा कि जागीरदारों ने, राजाओं ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए गलती हुई। गांवों के अनपढ़ लोग थे, किसान जानते नहीं थे, वहां के जो जन प्रतिनिधि हैं, पंच सरपंच इस बारे में जानकारी रखते नहीं उन्होंने सोचा, यह भूमि खाली पड़ी है, हमारा पशुधन चरता रहेगा, ऐसी कोई समस्या हमारे सामने नहीं आयेगी। परन्तु आज 36 साल के अन्दर किसी भी राज्य ने, चाहे वह कांग्रेस का राज रहा हो और चाहे जनता पार्टी की राज्य सरकार रही हो, इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। आज हमारे सामने यह सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि हमारा पशुधन चरने के लिए कहां जाए। पशुधन के लिए, पशुओं के चरने के लिए कोई भी भूमि आरक्षित नहीं की गई है। इसके लिए मैंने पूर्व में प्रश्न पूछा था। प्रश्न का उत्तर दिया गया कृषि विभाग से। मेरा प्रश्न था कि बीकानेर जिले में और जैसलमेर जिले में गोचर भूमि का अभाव है, पशुधन के लिए आप कौन सी भूमि आरक्षित करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है? कृपया स्पष्ट करें। उसके उत्तर में यह बताया गया कि "पशुधन हेतु चरागाह छोड़ने के लिए प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी (राजकीय) नियम, 1955 के नियम

(श्री देवीसिंह भाटी)

4 और 6 में अंकित है जिनके अनुसार भूमि उपलब्ध होने की दशा में आधा बीघा प्रति पशु की दर से चरागाह छोड़ने की व्यवस्था है। "इन्होंने माना है कि पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में इस हिसाब से चरागाह भूमि नहीं छोड़ी जा रही है। यह इन्होंने माना है और साथ में यह भी बताया है कि भूमि की उपलब्धता को देखते हुए ही चरागाह के लिए भूमि छोड़ी गई है और भूमि छोड़ी जा सकती है।

मैं राजस्व मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि कोलायत तहसील के अन्दर और जैसलमेर जिले के लिए आज भी भूमि की कमी है। इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह समस्या आज तो हमें मालूम नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति सामने नहीं आरही है, उसका कारण यह है कि गांव वालों की तरफ से कोई आन्दोलन नहीं हो रहा है इसलिए आप भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परन्तु मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आज भले ही आपको यह समस्या नहीं लग रही हो परन्तु आने वाले वर्षों में ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जिसका समाधान करना आपके लिए कठिन होगा। जैसाकि जाप जानते हैं कि धीरे-धीरे पशुधन समाप्त हो रहा है सारे राजस्थान में, इसी प्रकार बीकानेर और जैसलमेर में भी पशुधन समाप्त हो रहा है, आगे भी हो जाएगा और हमारी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसलिए, राजस्व मंत्री जी. आप इसका उत्तर दें कि इसके समाधान के लिए आप क्या आप क्या कर रहे हैं।

राजस्व मंत्री जी, आपने सुना होगा कि हमारे यहां पर जो गौपालक हैं उनके पास सर्वश्रेष्ठ राठी नस्ल की गायें हैं। वह हर वर्ष बारहों महीने इन गायों को घुमाते हैं, उनका एक ही धन्धा है कि पशुधन के माध्यम से अपनी जीविका चलायें, लेकिन उनके लिए कोई भी गोचर भूमि आरक्षित नहीं की हुई है। आपने एक तरफ यह माना है, जो मैंने प्रश्न पूछा था कि आप इन गोचर भूमि को अन्य कार्यों पर तो आवंटित नहीं कर रहे हैं, उसके उत्तर में आपने यह बताया था कि साधारणतः चरागाह भूमि को अन्य कार्यों के लिए आवंटित नहीं किया जाता है। परन्तु मेरे प्रश्न, जो उपनिवेशन विभाग से पूछा था, के उत्तर में आपने बताया है कि साधारणतः चरागाह भूमि को अन्य कार्यों के लिए आवंटित नहीं किया जाता। लेकिन बीकानेर जिले की 9 उपनिवेशन तहसीलों में से केवल एक उपनिवेशन तहसील बीकानेर में ही निम्न बारानी चरागाह भूमि का आवंटन किया गया है। वह गोचर भूमि कोई दस बीघा नहीं है, 5023 बीघा भूमि का आवंटन आर्मी को फील्ड फायरिंग रेंज के लिए ग्राम शरह नथानिया में किया गया है।....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री देवीसिंह भाटी : 5023 बीघा चरागाह भूमि का आपने आवंटन किया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : गोचर भूमि की पहले ही हमारे पास कमी है और फिर गोचर भूमि आवंटित की गई है। किसी धर्मार्थ व्यक्ति ने पशुओं, गायों के चरने के लिए पिछले पचास वर्षों पूर्व भूमि को छुड़वाया था, उसमें से भी आपने पांच हजार बीघा भूमि का आवंटन कर दिया। इसका कारण यह था कि इससे 18 करोड़ 24 लाख रुपया प्राप्त होना था राज्य सरकार को। आपने रुपयों के लिए गांव वालों का कोई ध्यान नहीं रखा, पशुधन का कोई खयाल नहीं रखा कि वे कहां चरेंगे। राज्य सरकार को तो सिर्फ पैसे की जरूरत थी इसलिये गोचर भूमि ही दे दी। हम मांग कर रहे हैं कि गोचर भूमि और छोड़ी जाय, उसके विपरीत आपने आर्मी और भट्टे वालों को उसमें से भूमि आवंटित कर दी और आगे भी आवंटित करते जा रहे हैं।

इसी प्रकार मेरे एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री ने बताया था, मेरा प्रश्न यह था कि भविष्य में चरागाह भूमि को आवटित न किए जाने के बारे में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है। इस पर आपका उत्तर था कि चरागाह भूमि को आवंटित करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि चरागाह भूमि को किसी अन्य कार्य के लिए आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है, यह आपका उत्तर है लेकिन दूसरी तरफ आवंटन किया जा रहा है क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है. इसमें अपने नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उक्त क्षेत्र में जहां उपनिवेशन गांवों में से सेना और भट्टों के लिए जो आवंटन किया गया है वह 9 उपनिवेशन गांवों में से किया गया है। उसके अन्दर आपने यह भी बताया है कि उन 9 ग्रामों में कुल 4100 पशुधन वहां चरते हैं। सभापति महोदय, इस प्रकार से गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 9 गांवों में 4100 ही पशु होंगे। सभापति महोदय, मेरा आपसे और राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी समस्या आज पशुधन के लिए चरागाह की भूमि की है। अब अगर आप यह उत्तर देंगे कि कोलोनाइजेशन क्षेत्र के अन्दर हमारे वन विभाग के द्वारा ऐसे चरागाह विकसित करने के लिए भूमि आरक्षित कर रहे हैं और चरागाह भूमि आरक्षित कर वन विभाग के द्वारा चरागाह का विकास किया जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि जो चरागाह विकसित किया जा रहा है वह राजस्थान मेन कैनाल के लिफ्ट बैण्ड की ओर किया जा रहा है। इण्टीरियर में जो गांव आते हैं, जो गांव दूरी पर आते हैं उस क्षेत्र में कोई भी इस प्रकार का चरागाह विकसित नहीं किया जा रहा है। उन गांवों का क्या होगा, वहां का पशुधन कहां जाएगा, इसके बारे में राजस्व मंत्री से जानकारी चाहूंगा।

इसी प्रकार बीकानेर तहसील, जहां मैं मानता हूं कि आपके पास भूमि की उपलब्धता नहीं है, मैं भी पशुओं के चरने के लिए गोचर भूमि को आरक्षित करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सभा-

(श्री देवीसिंह भाटी)

पति महोदय, उस भूमि को आवंटित करते गए लोगों को और आज काश्तकार काबिज हैं परन्तु राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह नियमों के तहत पशुधन के लिए भूमि अवाप्त कर सकती है। आप जानते हैं कि उस क्षेत्र के अन्दर, बीकानेर तहसील में कोई ऐसी नहर नहीं निकलती है जिससे दो फसलें हो सकें। हमारे यहां पर पांच-पांच, सात-सात साल तक लगातार अकाल पड़ते हैं, परन्तु पशुधन के लिए चरने की जगह नहीं है। मेरा निवेदन है कि बीकानेर तहसील में अगर भूमि की उपलब्धता नहीं है तो आप भूमि अवाप्त करके, पशुधन के हिसाब से जो आपका परिमाण है कि आधा बीघा प्रति पशु के हिसाब से आरक्षित करेंगे, जो आपका नार्म है उसके अनुसार आप चरागाह भूमि आरक्षित कराइये। इस प्रकार से अगर आरक्षण नहीं किया गया, गोचर भूमि को नहीं छोड़ा गया तो पशुपालकों के सामने बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। पशुधन ही हमारी आय का सबसे बड़ा स्रोत है। आप देखते हैं कि खेती के काम पर खर्चा ही खर्चा है और उसका रिटर्न पूरा नहीं....

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : ....मिलता है, लेकिन पशुधन पर कम से कम पैसा लगाने पर भी ज्यादा से ज्यादा आय हमको मिल सकती है। अगर चरागाह नहीं होंगे तो हमारा पशुधन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ऐसे निर्देश जारी करें कि जहां भूमि उपलब्ध हो उसका तुरन्त आरक्षण किया जावे और जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां भूमि अवाप्त करके चरागाह के लिए दी जाय।

श्री सभापति : श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने बीकानेर के बारे में कहा, मैं जैसलमेर के बारे में बोल रहा हूं। सभापति महोदया, मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान विशेषकर जैसलमेर जिले की गोचर भूमि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदया, जैसलमेर और बीकानेर जिले का एक मात्र व्यवसाय है तो वह पशुपालन है। ये दोनों जिले ही नहीं बल्कि बाड़मेर जिला भी पशुपालन पर आश्रित है।

सभापति महोदया, जैसलमेर जिले में उत्तर भारत की आर्म्ड फोर्स का सबसे बड़ा फायरिंग रेंज स्थापित है। सबसे बड़ा फायरिंग रेंज होने के कारण हजारों लाखों एकड़ जमीन, जो पशुधन के चरने के काम में आती है, ली जा रही है।

इसी तरह से, सभापति महोदया, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में भारतवर्ष का सबसे बड़ा नेशनल पार्क स्थापित किया जा रहा है, जो तीन हजार वर्ग मील का है। सभापति महोदया, यही नहीं, उनके विभाग द्वारा जगह जगह तारबन्दी करने से तारबन्दी की जा रही है। लोगों के पशुधन के चरने के लिये, अब राजस्थान कैनाल के कालोनाइजेशन एरिया में गोचर भूमि नहीं छोड़ी जा रही है।

सभापति महोदया, बीकानेर जिले में

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी).

उपनिवेशन कमिश्नर ने 1982–83 में एक आदेश जारी किया था कि उपनिवेशन क्षेत्र में जहां गोचर भूमि नहीं है उस क्षेत्र के गांवों में प्रति पशु आधा बीघा भूमि आराजी राज भूमि में से छोड़ दी जाये। यह आदेश सभी ए. सी. सी. को दे दिये गये थे। सभापति महोदया, उस आदेश के तहत बीकानेर जिले का उपनिवेशन तहसील पूगल व खाजूवाला व बीकानेर के कई गांवों में गोचर भूमि छोड़ी गई है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों से भी प्रस्ताव मांगे गए हैं तथा उन प्रस्तावों के तहत बीकानेर उपनिवेशन तहसील के ग्राम कावनी, मेरासर, धोलेरा, कानासर, भरू पावा, भरू, खीरां, पूगल तहसील के ग्राम गोगलीवाला, खाजूवाला में जहां भी रकवा उपलब्ध हैं वहां पर सभी जगह गोचर भूमि छोड़ी जा चुकी है।

सभापति महोदया, इसी तरह जैसलमेर जिले में उपनिवेशन क्षेत्र में जो गोचर भूमि है वह छोड़ना अनिवार्य हैं। जैसलमेर जिले में पशुधन की संख्या 20 लाख से भी अधिक है। अगर गोचर भूमि नहीं छोड़ी गई, तो यह पशुधन कहां चरने लायक है ? यह पशु कहां चरेंगे ?

सभापति महोदया, लाखों एकड़ में प्रकृति की देन से सेवन घास है, उस सेवन घास को बचाया जाय। उस क्षेत्र में प्रकृति की इतनी बड़ी देन है कि हजारों लाखों एकड़ में सेवन घास खड़ी है। वहीं एक कारण है जिससे जैसलमेर और बाड़मेर के गांवों में पशुपालक बसते हैं, उसके कारण उनका गुजारा होता है। सभापति महोदया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो प्रकृति की हमें हजारों साल की देन है उसको आप समाप्त तो पांच दस साल में ही कर सकते हैं, लेकिन वह सेवन घास फिर से उस जिले में देखने को नहीं मिलेगी। सभापति महोदया, इतनी सेवन घास है कि आप सौ साल प्रयास कर लें तो वह नहीं बन सकती है। क्या उस तरह की गोचर भूमि आप बना सकते है ? कतई नहीं बना सकते हैं। आप चाहे जितना प्रयास कर लें, जो प्रकृति की देन है उसके मुकाबले....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : दुनियां में ऐसा नहीं है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : दुनिया में ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जैसलमेर में सेवन घास की कमी नहीं हो, उसको किसी प्रकार कृपा करके बचायें। अगर पशु चराई की व्यवस्था नहीं की गई तो गायों की तस्करी जो आज हो रही है वह बढ़ेगी जिसकी जिम्मेदारी इस××× सरकार की होगी। आज बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर से हजारों की संख्या में पशु तस्कर होकर पाकिस्तान जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दिन प्रतिदिन गोचर भूमि कम होती जा रही है। उसके कारण हजारों की

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

तादाद में गायों की पाकिस्तान में तस्करी हो रही है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा गोचर भूमि निश्चित करें।

दलीय स्थिति

श्री कुंजी लाल पटेल द्वारा दल परिवर्तन

श्री सभापति : मुझे माननीय सदस्यों को सूचना देनी है कि जनता पार्टी (जे. पी.) के माननीय सदस्य श्री कुंजीलाल पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

मंत्री महोदय।

राज्य के विभिन्न भागों विशेषकर बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में पशुधन के लिये गोचर भूमि की अनुपलब्धता

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने और जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने गोचर भूमि बचाने की दृष्टि से व चरागाह भूमि आरक्षित नहीं किये जाने के बाबत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया उस सम्बन्ध में मेरा स्पष्टीकरण इस प्रकार है :—

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम" 1955 के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (राजकीय) नियम, 1955 के नियम 6 के तहत प्रत्येक प्रत्येक पशु के लिये आधा बीघा की दर से चरागाह हेतु भूमि राजकीय उपलब्ध भूमि में से आरक्षित करने का प्रावधान है। परियोजना क्षेत्रों में केवल चरागाह हेतु असिंचित बंजर भूमि या अन कमाण्ड भूमि ही आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। राजस्व विभाग से उपनिवेशन विभाग में भू अभिलेख हस्तान्तरित होने पर राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण की उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर एक व दो के गांव बीठनोक में 1005 बीघा, अगनेऊ में 586 बीघा, रणासर में 942 बीघा, रणधीरसर मे 494 बीघा, पाबूसर में 120 बीघा, शीलाकशमीर में 26 बीघा, बारानी 192 कमाण्ड व 42 बीघा अनकमाण्ड कुल 260 बीघा जमीन चरागाह के लिये आरक्षित रेवेन्यू रिकार्ड में है। इनके अलावा अन्य गांवों में चरागाह के लिये कोई भूमि रकबा आरक्षित नहीं था। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में इन गांवों का रकबा जैसे-जैसे सिंचाई कार्यक्रम में आता जा रहा है, राजस्थान नहर विभाग से चक प्लान प्राप्त होते रहते हैं वैसे वैसे इस रकबे में से कुछ रकबा कमाण्ड या अनकमाण्ड के रूप में राजस्थान नहर परियोजना विभाग द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। राजकीय उपलब्ध कमाण्ड एवं अनकमाण्ड भूमि, जो कृषि योग्य है, का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अंतर्गत भूमिहीन काश्तकारों को किया जाता है। कृषि योग्य भूमि को कृषि के लिये आवंटन करने की राज्य सरकार की नीति है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धाराओं के मुकाबले में कालोनी क्षेत्र में प्रभावशील होते हैं अतः आधा बीघा चरागाह भूमि प्रति मवेशी, जो कि टिनेन्सी नियमों में निर्धारित है, उपनिवेशन क्षेत्रों में स्वतः लागू नहीं होते क्योंकि सिंचित भूमि का प्रयोग काश्त हेतु किया जाना चाहिये। इसलिये गोचर भूमि भी जो राजस्थान नहर विभाग द्वारा कमाण्ड अनकमाण्ड घोषित की जाती है और जो भूमि कृषि योग्य होती है उसका आवंटन भी भूमिहीन काश्तकारों को किया जाता है।

चरागाह विकास के लिए उपनिवेशन आयुक्त द्वारा भूमि का आरक्षण किया जाकर वन विभाग को भूमि आवंटन कर दी जाती है। इस बाबत विभाग की यह नीति है कि विभिन्न गांवों के विभिन्न चकों में जो अनकमाण्ड बारानी रकबा खेती अयोग्य है और लगातार एक ही पट्टी या विभिन्न बड़ी पट्टियों में स्थित है, चरागाह विकास के लिये आरक्षित कर आवंटन कर दिया जाता है।

राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण में 485487 बीघा रकबा चरागाह विकास के लिये आरक्षित कर वन विभाग को आवंटित किया जा चुका है, जहां पशुपालकों के लिये चरागाह का विकास किया जा रहा है और योजनाबद्ध तरीके से इन चरागाहों में पशुओं को चरने की सुविधा दी जा रही है।

राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण में भी इसी प्रकार चरागाह विकास के लिये भूमि का आरक्षण आवंटन किया जायेगा। राज्य सरकार ने राजस्थान नहर क्षेत्र के द्वितीय चरण में मुख्य नहर के बायें किनारे पर 50 हजार एकड़ भूमि आरक्षित कर वन विभाग को आवंटन करने के आदेश दिये हैं। यह भूमि प्रादेशिक सेना की मदद से वन विभाग द्वारा चरागाह एवं वनों के लिये विकसित की जावेगी। इस क्षेत्र के पशुपालकों को पशुओं को चराने के लिये अच्छे और विकसित चरागाह उपलब्ध हो सकेंगे जिसमें उनके पशुधन को वर्ष भर विकसित और अच्छा चरागाह मिल सकेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस विभाग द्वारा विधान सभा प्रश्न सं. 508 दिनांक 5-3-82 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की तरफ ध्यान दिलाया गया है। उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि साधारणतः चरागाह भूमि का अन्य कार्य के लिये आवंटन नहीं किया जाता। उसमें यह भी बताया गया था कि बीकानेर जिले की 9 उपनिवेशन तहसीलों में से केवल एक तहसील बीकानेर में ही निम्न बारानी चरागाह भूमि का आवंटन किया गया है–

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ग्राम का नाम	नाम ग्रावटित	क्षेत्रफल	प्रयोजन
शरह निधानिया	रमजान वल्द जहूरदीन	10 बीघा	भट्टा हेतु
,,	इब्राहीम वल्द समदे खां	10 ,,	,,
,,	सेना (ग्रार्मी)	5023.18 ,,	फील्ड फायरिंग रेंज

उपरोक्त ग्रावंटित भूमि में से ग्राम शरह निधानियां में स्थित 5023.18 बीघा भूमि, जो फील्ड फायरिंग रेंज के लिये ग्रावटित की गई थी, का ग्रावंटन निरस्त किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि बारानी चरागाह भूमि का ग्रावंटन नहीं के बराबर है। साधारणतः जो चरागाह भूमि चक प्लान के ग्राधार पर बनाई गई कमाण्ड ग्रनकमाण्ड सूची के ग्रनुसार बारानी होती है उसका ग्रावंटन नहीं किया जाता। केवल कृषि योग्य कमाण्ड भूमि का ग्रावंटन भूमिहीन व्यक्तियों को किया जाता है। कृषि ग्रयोग्य ग्रनकमाण्ड बारानी भूमि, जो बड़ी पट्टी या पट्टियों में उपलब्ध होती है, का ग्रावंटन वन विभाग को चरागाह विकास के लिये कर दिया जाता है परन्तु इस प्रकार भूमि के उपयोग की योजना तब ही तैयार की जा सकती है जब कि नहर तथा वितरिकाएं बन जायं तथा चक प्लान तैयार हो जाये, पहले यह संभव नहीं है।

उपनिवेशन विभाग बीकानेर के माध्यम से जिलाधीश कार्यालय बीकानेर से प्राप्त सूची के ग्रनुसार स्थगन प्रस्ताव में ग्रंकित बीकानेर तहसील के गांवों में चरागाह भूमि पहले से ग्रारक्षित है या नहीं ग्रौर किस हद तक है, इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। उपलब्ध सूचना के ग्रनुसार इन गांवों की राजकीय भूमि किसी भी ग्रन्य कार्य के लिये ग्रन्त्योदयी व्यक्तियों को ग्रावंटित नहीं की गई है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर, कोलायत या जैसलमेर जिले में चरागाह के लिये जितनी भी भूमि प्राप्त हुई है वह सारी की सारी चरागाह में काम ली जाती रही है। तो जो कठिनाई माननीय सदस्य महसूस कर रहे हैं वह ग्राज तो नहीं है। ग्रागे ग्रावंटित करने का जहां तक प्रश्न है, जैसा मैंने बताया उसी हिसाब से की जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल के प्रथम चरण में जो चरागाह ग्रावंटित किये गये हैं उसमें ग्राधा बीघा प्रति मवेशी भूमि उपलब्ध कराई गई है। इसके ग्रलावा जो भूमि ग्रनकमाण्ड रहेगी, बारानी रहेगी उसमें पशुधन को सुरक्षित रखने के लिये ग्रच्छी घास लगा सकते हैं, वह भूमि इसके लिये छोड़ी जायेगी ग्रौर वहां चरागाह विकसित किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में किसी माननीय सदस्य को संदेह, शंका नहीं होनी चाहिये क्योंकि जैसलमेर, बीकानेर ग्रौर कोलायत के इलाके ऐसे हैं जहां पशुधन का बहुत महत्व है। वहां हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में

(श्री हीरालाल देवपुरा)

प्रसिद्ध राठी गायें उपलब्ध होती हैं। इस बात को जो राजस्थान सरकार भी जानती है और चाहती है कि इस नस्ल की रक्षा की की जाय। जैसलमेर जिले के लिये जैसा माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया सेवण घास का तो जैसलमेर जिले का सारा का सारा एरिया जिस अनकमाण्ड एरिया में वह सेवण घास जैसी आज प्रकृति ने दी है वह वैसी ही रहने वाली है और अनकमाण्ड और बारानी, जो कृषि योग्य एरिया नहीं है, को किसानों को अलाट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह एरिया चरागाह के लिये जो तरीका मैंने बताया उसी के अनुसार आरक्षित कर विकसित किया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं इसमें किसी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश नहीं है। चरागाह का जहां तक सवाल है राज्य सरकार स्वयं इस बात को जानती है और चरागाह आरक्षित नियमों के अनुसार वह बराबर करेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने जो जानकारी दी है, राजस्व मन्त्रीजी, फर्स्ट स्टेज में आपने जैसा बताया कि आधा बीघा प्रति मवेशी की दर से न छोड़कर उसमें ज्यादा भूमि उपलब्ध करवाई है परन्तु वहां आज यह समस्या खड़ी हो रही है कि बाहर से सारा पशुधन नागौर, चूरू और दूसरे जिलों से आ जाता है। इसी प्रकार आपने दूसरा बताया कि राजस्थान मैन कैनाल के लैफ्ट बैण्ड मे जो पूर्व मे भी मैंने मेरी समस्या व्यक्त कर दी थी कि लैफ्ट बैण्ड में छोड़ने जा रहे है उससे जो गांव चालीस मील दूर हैं क्या वे अपना पशुधन वहां ले जायेंगे? इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्थानीय गांवों के जो निवासी हैं उनके पशुधन के लिये वहीं जो बात बढ़ा रहे हैं पूर्व में जैसा आपने बताया कि असिंचित और बंजर भूमि है ऐसी आपको काफी मिल जायेगी और चक प्लान भी कोलायत तहसील एक और दो नम्बर के आ चुके हैं कृपया वहां तो आरक्षण कर दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, इसके लिये मैंने आश्वस्त किया है कि चक प्लान बनने के बाद जो भी अनकमाण्ड, बारानी भूमि है वह चरागाह के लिये रखी जावेगी। मैंने 50 हजार एकड़ के लिये कहा है जो लैफ्ट की ओर छोड़ी गयी है वह प्रादेशिक सेना और होम गार्ड्स के साथ चरागाह विकसित करने के लिये केवल एक पर्टीकूलर लिमिट बताई है इसका मतलब यह नहीं होगा कि सारे क्षेत्र के लिए वह भूमि छूट गई है। उसमें जो भी अनकमाण्ड भूमि जहां-जहां भी अवेलेबल होगी, जहां-जहां बारानी और अकृषि योग्य भूमि होगी वह चरागाह के लिये आवंटित की जा सकेगी।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : सभापति महोदय, एक तरफ तो आप फरमा रहे हैं कि चरागाह डवलप करेंगे, मतलब आप घास रोपण करेंगे या किस तरह की घास उगायेंगे यह मैं जानता नहीं लेकिन एक तरफ आपने फर्माया कि डवलप करेंगे मेरा यह निवेदन है कि जो प्रकृति ने आलरेडी डवलप करके दिया हुआ है उनको क्यों नष्ट करने जा रहे हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : उसको नष्ट करने का तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो यह कहा है कि सारे का सारा जैसलमेर का एरिया बहुत ही बड़ा एरिया है जब वह कैनाल ग्रायेगी वह सारे का सारा कमाण्ड में ग्राने वाला नहीं है, पर्टीकूलर लिमिट में कमाण्ड में ग्रायेगा, बाकी सारा ग्रनकमाण्ड रहेगा, उसमें प्रकृति के हिसाव से जैसी घास पैदा हो रही है वैसी ही घास पैदा होती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत ग्राने वाली नहीं है।

श्री सभापति : ग्राप कोई प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : मंत्री महोदय, जहां सेवण घास उगती है वह तो सारा कमाण्ड में ग्राता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं ग्राता।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : एक तरफ तो चरागाह डवलप करेंगे ग्रौर एक तरफ प्रकृति ने ग्रालरेडी चरागाह दे रखे हैं, सभापति महोदया, प्रश्न बड़ा सिम्पल है, डवलप करके दे रखे हैं उनको नष्ट करने जा रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं ग्राया। जो प्रकृति ने बना रखे हैं ग्राप ऐसा बना सकते हैं? You con not make it in hundred Sanctuary.

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को भ्रम है, राजस्थान कैनाल के ग्राने से सारे का सारा एरिया कमाण्ड में ग्रा नहीं सकता।

(व्यवधान)

ग्राप तसल्ली तो रखें, मेरी बात सुनिये। सारा का सारा एरिया कमांड में नहीं ग्राता ग्रन-कमांड रहेगा उसमें परिवर्तन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस एरिया में जो माननीय सदस्य कह रहे हैं प्रकृति ने सेवण घास दी है लेकिन कमांड में ग्राने के बाद खेती होगी वह मैं समझता हूं ग्रापके हिसाब से ज्यादा होगी ग्रौर वहां पर जो किसान ग्राबाद हो रहे हैं उनको कहीं ज्यादा फायदा होने के लिये ही यह भूमि दी गई है, उनको नुकसान पहुंचाने का कोई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, मेरा एक....

(व्यवधान)

मूव हो गया।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : एनीमल जबेण्ड्री भी एक इम्पार्टेन्ट व्यवसाय नहीं है।

श्री सभापति : ग्रार्डर, ग्रार्डर माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया, एक सवाल। बीकानेर तहसील के बारे में बताया कि ग्रावंटन किस प्रकार से बन्द कर रहे हैं ग्रौर ग्रावंटन नहीं होगा परन्तु जहां भूमि उपलब्ध नहीं है उसको कृपया ग्रवाप्त करके पशुधन के लिये चरागाह ग्रारक्षित कीजिये, यहां मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, समाप्त करिये, आपका प्रश्न क्या है ?

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया, यह स्पष्ट हो जाय उसके बाद में कुछ नहीं पूछूंगा ।

श्री सभापति : आपका प्रश्न क्या है, रिपीट करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजस्व मंत्री ने पूर्व में अपने बयान में बताया कि बीकानेर तहसील के जो गांव हैं उनमें किसी प्रकार की कृषि के लिये भूमि आवंटित नहीं की जायेगी । परन्तु इसके साथ यह स्पष्ट नहीं किया गया उस स्थिति में जो पशुधन है उस क्षेत्र के गांवों का, उनके चरागाह के लिये भूमि आरक्षित करने के लिये क्या करने जा रहे हैं ? यह बतायें ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसके लास्ट में बताया कि बीकानेर तहसील का जो रेफरेंस आपने दिया है उसकी जानकारी, सूची मेरे पास नहीं है । मैं सूची एकत्रित कर रहा हूं मैंने जिलाधीश को लिखा है, क्या स्थिति है चरागाह नहीं है तो कैसे किये जा सकते हैं, इसके लिये जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : मंत्री महोदय फरमा रहे हैं कि कमांड में नहीं आती जबकि हमारा यह कहना है कि जो मैन पानी का इलाका है जहां पर इतनी भयंकर मात्रा में सेवण घास उपलब्ध है वहां सिर्फ एक कमी है कि पानी नहीं है । जब उस इलाके में आप पानी ला रहे हैं तो उससे ज्यादा डवलप्ड और चरागाह बना नहीं सकते, मंत्री महोदय ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । शांत रहें ।

श्री यदुनाथ सिंह : अब जोधपुर हाउस कांड के बारे में बयान होगा ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : आप विकसित चरागाह नहीं बना सकते, मंत्री महोदय ?

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में चरागाह की भूमि है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : यह उस एरिया से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : मैं उसी से सम्बन्धित पूछ रहा हूं ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । एक प्रश्न स्पेसिफिकली पाइन्ट पर पूछ सकते हैं ।

(व्यवधान)

आपका कौन सा क्षेत्र है । वह है क्या ?

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : इसी से सम्बन्धित है....

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाडमेर) : मैं इस एरिया को बिलांग करता हूं इसलिये मुझ अलाऊ किया जाये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, नियम 133 के अन्तर्गत यह भूतपूर्व मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री सभापति : स्पेसिफिकली उस एरिया का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : मैं उसी एरिया को बिलांग करता हूं मुझे बोलने की अनुमति दी जाये।

श्री हीरालाल देवपुरा : It is related to Jaisalmer and Bikaner. I know.

श्री सभापति : आपने कोई मूव नहीं किया है। कृपया स्थान ग्रहण करें। मंत्री द्वारा वक्तव्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं, माननीय सदस्य ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : इसी विषय पर। मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उस विषय पर अर्ज करना चाहता हूं।

श्री सभापति : जैसलमेर, बीकानेर के बारे में····

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसिया) : जैसलमेर, बीकानेर सेवण ग्रास लैंड और चरागाह के····

श्री सभापति : आप कोई सूचना देना चाहते हैं या इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। शायद मन्त्री महोदय ने विदाऊट गोइंग इन टू आल द फैक्ट्स फरमा दिया है। आप ने फरमाया कि जो आइडेन्टीफाइड एरिया है, कमांड एरिया है, जैसा माननीय सदस्य चन्द्रवीरसिंह जी ने फरमाया आपका जो कमाण्ड एरिया है, मंत्री महोदय, और सेवण ग्रास लैंड में आइडेन्टीफाइड एरिया है, वह करीब-करीब ओवरलेपिंग है। जो कमांड एरिया आप डवलप करने जा रहे हैं आटोमेटिकली आप सेवण ग्रास लैंड से कम्प्रोमाइज करेंगे। You can not help it Number One, Number two, आपने जोश में फरमा दिया कि कमांड एरिया डवलप हो जायेगा और एग्रीकलचर डवलपमेन्ट वहां हो जायेगा, तो जितना फायदा वहां के लोगों को पहुंचेगा वह कई गुना ज्यादा होगा बनिस्बत कि सेवण ग्रास लैंड को डवलप किया जाये। अगर आप इकोनामिक्स दोनों की देखें, डवलपमेन्ट कास्ट, डवलपमेन्ट कास्ट आप नहीं लें तो भी सेवण ग्रास लैंड से जो आप एनीमल हजबैंडरी प्रोडक्ट डवलप करेंगे और उसको आप सेल करेंगे that will fetch perhectare any day more than what you would procure by agricultural land.

श्री सभापति : That is not question.

माननीय मन्त्री जी।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : That is a very pertinent question for this area.

(व्यवधान)

श्री देवदत्त तिवाड़ी : सभापति महोदया, मुझे एक प्रश्न करने की इजाजत दें।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : बिलकुल पाइन्टेड क्वेश्चन है। मंत्री महोदय फरमाने की कृपा करें Is animal husbandry not an important aspect of this area ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो मैंने प्रारंभ में ही कह दिया है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : जिस पर एनीमल हजबैण्डरी जिन्दा है उसको आप खतम करना चाहते हैं, बिलकुल स्पष्ट कर रहे हैं। आपको प्रकृति ने दस हजार वर्ष के लिये देन दी है उसको आप दस वर्ष में समाप्त कर रहे हैं। इस एरिया को आप ऐसा बनाना चाहते हैं।

श्री सभापति : आप कोई स्पेसिफिक, जगह का नाम बतायेंगे····

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : जैसलमेर, बीकानेर····

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : मोहनगढ़ से लेकर रामगढ़ तक, सभापति महोदया····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : मंत्री महोदय से एक ही सवाल पूछा है जैसा ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया है उसी सन्दर्भ में यह पूछना चाहता हूं Is animal husbandry not an important aspect of this last area ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैंने प्रारंभ में ही कहा था—

(व्यवधान)

बार-बार का सवाल नहीं है, महरबानी कर के सुनें····

श्री देवदत्त तिवाड़ी : सभापति महोदया, प्रश्न यह है कि आप जिसे कमांड एरिया बना रहे हैं क्या वह कमांड एरिया किसी दिन चरागाह नहीं था ? यदि चरागाह में कमाण्ड एरिया बना रहे हैं, तो आप निश्चय ही चरागाह को कम कर रहे हैं। अब आप डवलपमेन्ट बचे हुए एरिया का करेंगे, चाहे कितना ही डवलपमेंट करें तब भी उसके बराबर नहीं कर सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उत्तर सुन लीजिये। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, यह तो मैंने प्रारंभ में अपने स्टेटमेन्ट में कहा है, पशुधन इस इलाके का मुख्य पेशा रहा है। इस इलाके की इकोनामी इस पर बेस करती है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि पशुधन वहां अनइम्पार्टेन्ट है, उसको हम बरबाद कर रहे हैं। हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं। उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। अच्छा पशुधन है। एक बात साफ है कि नहर आने के बाद भी इकोनोमिकली अगर कोई चीज खेती की अपेक्षा वहां ज्यादा होगी तो यह सवाल उस वक्त पैदा होगा जब उसको डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर के लोगों को देने जायेंगे। अगर वह सेवण ग्रास लैण्ड ज्यादा ईकोनोमिकल है तो कौन किसान खेती करना चाहेगा। इसलिये यह भ्रम नहीं रहना चाहिये। अभी तक जब कि वहां का प्लान नहीं बना है यह सारा काम कोलोना इजेशन विभाग करेगा। उस वक्त सोचने की बात है। यह बात मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि पशुधन वहां का बरबाद हो ऐसी कोई भी योजना राज्य सरकार की नहीं है।

शासकीय वक्तव्य

पांचना बांध के निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अवरुद्ध निर्माण कार्य

श्री सभापति : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य। सिंचाई मंत्री पांचना बांध के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निर्माण कार्य बंद किये जाने पर एक वक्तव्य देंगे।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदया, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पांचना बांध के निर्माण से उत्पन्न स्थिति, बांध की सुरक्षा और बांध के निर्माण में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है :

पांचना परियोजना का निर्माण गंभीरी नदी पर तहसील करौली में कासी रामपुर गांव के पास किया जा रहा है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 1976–77 में किया गया। मूल प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 1984–85 तक कार्य पूरा किया जाना था। केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् योजना की मूल प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा 21.1.1973 को 103.00 लाख रुपये की प्रदान की गई, तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा 22.9.1978 को प्रदान की गई। मूल प्रस्तावों के अनुसार इस बांध में आर. एल. 827 के स्तर पर 712.79 मिलियन घन फीट जल संग्रह किया जाना था परन्तु निर्माण के दौरान परियोजना का विस्तृत अन्वेषण करने पर यह ध्यान में आया कि इस स्थान पर जल की आवक प्रस्तावित बांध की जल क्षमता से अधिक है अतएव इस बांध में जलग्रहण क्षमता और भी बढ़ायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अभियन्ताओं के बीच 4.12.1978 को विचार विमर्श हुआ तथा बांध को ऊंचा बनाने का निर्णय लिया गया। मिट्टी भी उसी क्षेत्र से लेनी थी, जो पूर्व स्वीकृत योजना में प्रस्तावित थी। अतएव परियोजना का संशोधित आंकलन

(श्री परसराम मदेरणा)

तैयार किया गया । जिसकी अनुमानित लागत 966 लाख आंकी गयी तथा संशोधित योजनानुसार 17.11.79 को कार्य पूरा किया गया । संशोधित आंकलन वास्ते स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग को 23.12.80 को प्रस्तुत किया गया । संशोधित प्रस्तावों के अनुसार बांध की ऊंचाई बढ़ा कर आर. एल. 848.5 तक 2076 मिलियन घन फीट जल संग्रह किया जाना है । संशोधित आंकलन तैयार करने से पूर्व बोरो एरिया एवं काम में ली जाने वाली मिट्टी इत्यादि की उपयोगिता की आवश्यक जांच करवा ली गयी थी । संशोधित आंकलन पर केन्द्रीय जल आयोग की एक टिप्पणी जून, 1981 में प्राप्त हुई । टिप्पणी देने के पूर्व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस परियोजना की जांच वृहद् परियोजना के लिये निर्धारित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए की गई थी जब कि यह योजना अभी भी मध्यम परियोजना की श्रेणी में है ।

इसी बीच यह परियोजना यू. एस. एड द्वारा मदद दिये जाने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित कर ली गई तथा इस योजना की केन्द्रीय जल आयोग में पूर्णतया जांच की गई । केन्द्रीय जल आयोग के कई अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया तथा इस योजना को स्वीकृति योग्य ठहराया है । इस योजना में केन्द्रीय जल आयोग की एप्रेजल कमेटी द्वारा दिये गये कुछ सुझावों व योजना में यू. एस. एड के मापदण्डों के अनुसार परिवर्तन एव संशोधन किये गये और इस योजना की अब कीमत 21 करोड़ और तीन लाख आंकी गई । यह सही है कि संशोधित योजना केन्द्रीय जल आयोग को देरी से भेजी गई परन्तु यह सही नहीं है कि यह बांध असुरक्षित है तथा बोरो एरिया की जांच नहीं की गई । निर्माण में बोरो एरिया, मुख्यतया वही लिया गया है जो स्वीकृत योजना में प्रस्तावित था । यह बोरो एरिया केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच के बाद स्वीकृत योजना में प्रस्तावित किया गया था । मूल योजना की स्वीकृति के समय प्रस्तावित बोरो एरिया के इन्वेस्टीगेशन को केन्द्रीय जल आयोग ने पर्याप्त पाया था ।

(4.05 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

इस बांध के संशोधित प्राकलन को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के अनुरूप ढालने के कारण इसकी लागत 21 करोड़ रुपये तक हो जायेगी । इसके लिए प्राप्त धनराशि से यह सम्भव नहीं हो सकता कि बांध, स्पिल वे एवं नहरों का निर्माण व करौली शहर के बचाव कार्य एक साथ सम्पन्न किये जा सकें । इस बांध स्थल की टोपोग्राफी भी इस प्रकार है कि मिट्टी के बांध को पूरी ऊँचाई तक एक ही मौसम में बनाना आवश्यक था । अतएव सारी प्राप्त राशि का अधिकांश भाग मिट्टी के बांध के निर्माण पर व्यय करना आवश्यक हो गया । अतएव नहरों व अन्य कार्यों की प्रगति वांछित गति से न हो सकी । बांध के निर्माण के बाद नहरों के कार्य पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा प्रयास किया जा रहा है कि नहर का भी कुछ भाग पूरा करके

(श्री परसराम मदेरणा)

बांध में एकत्र जल का उपयोग कर सकें, परन्तु नहर की गहराई विशेष होने से नहर के निर्माण में ग्राशातीत प्रगति नहीं हो सकी। इस वर्ष स्पिल वे के जियोलोजीकल ग्रनुसंधान करीब-करीब पूरे हो चुके हैं। डिजाइन भी किया जा रहा है एवं नहरों पर भी कार्य पूर्ण रूप से करवाकर ग्रगले वर्ष 1984-85 में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कुछ समय पहले प्रेस में इस बांध की सुरक्षा के बारे में ग्राशंका व्यक्त की गई थी। ग्रतः मैंने केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से केन्द्रीय जल ग्रायोग द्वारा तकनीकी जांच करवाने हेतु निवेदन किया। फलस्वरूप केन्द्रीय जल ग्रायोग के मुख्य ग्रभियन्ता के नेतृत्व में एक तकनीकी दल ने 6 व 7 जुलाई, 1983 को बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरान्त दल ने एक रिपोर्ट दी जिसमें यह कहा गया है कि बांध को वर्तमान स्थिति में कोई खतरा नहीं है। उन्होंने स्पिल वे की एप्रोच चैनल की चौड़ाई 90 मीटर से बढ़ाकर 120 मीटर करने का सुझाव दिया। निरीक्षण के दौरान यह भी तय किया गया कि एक बार फिर से बांध के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी की जांच भारत सरकार की केन्द्रीय मिट्टी एवं द्रव्य ग्रनुसंधान प्रयोगशाला में करवाई जाय ताकि व्यक्त की गई ग्राशंकाग्रों का पूर्ण रूप से निराकरण हो सके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे ?

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने वक्तव्य दिया उसमें इन्होंने कुछ बातें स्वीकार की हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा बैक-ग्राउन्ड बताना चाहूंगा ...

श्री सभापति : बेहतर यही होगा, ग्राप प्रश्न पूछ लें।

श्री नाथूसिंह : वक्तव्य दिया है, उससे सम्बन्धित पूछूंगा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : ग्राज ग्रनुसूचित जन-जाति की रिपोर्ट है। ग्राप हमें पीछे रख लेते हैं, ग्रागे पीछे का क्या सवाल है। रिपोर्ट लेनी है। ग्राप प्रश्न पूछ लीजिये। यदि रिपोर्ट नहीं लेनी है तो ग्राप इन्कार कर दीजिये।

श्री सभापति : ग्राप सीधे प्रश्न ही पूछें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मंत्री जी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि इस बांध का प्रारम्भिक बजट एक करोड़ एक सौ तीन लाख रुपये की प्रशासनिक सैंक्शन होते-होते बढ़कर 966 लाख रुपये का हो गया ग्रौर उसके बाद ग्रब यह करीब 21 करोड़ तीन लाख के ग्रास पास का हो गया। सभापति महोदय, कोई भी बांध का निर्माण कराया जाता है, उसका दुगुना, तिगुना तो हो सकता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो सकता। मेरा पहला ग्रॉब्जेक्शन यह है कि उस समय इसका सर्वे करने वाला इंजीनियर ग्रौर दूसरा डिजाइन तैयार करने वाले को यह पता नहीं लगा कि इसकी क्या क्षमता होगी, इसके ग्रागे जाकर क्या परिणाम होंगे ग्रौर कितना खर्चा ग्रायेगा। यह इसी

(श्री नाथूसिंह)

का परिणाम है कि आज भी बांध बनकर तैयार नहीं हुआ। इसका एक कारण यह भी है कि इसमें बार-बार परिवर्तन होते रहे हैं और इस बांध के बनने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री सभापति : बांध टूट रहा है। कोई प्रश्न पूछना हो, तो पूछलें, आपने तो भाषण शुरू कर दिया।

श्री नाथूसिंह : भाषण नहीं, प्रश्न पूछ रहा हूं।

बयाना, हिण्डौन और भरतपुर इन तीनों के डूबने और बहने की आशका है इस बांध के टूटने से। इस बांध की बिल्कुल ही सेफ्टी नहीं है। जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे, बांध के कुल प्रारम्भिक बजट में से केवल कट ऑफ ट्रेंच और रेजीडेन्शियल कालोनी बनाने के लिए ही 103लाख रुपये खर्च हुए। पूरा बंध बनाने की योजना बनाई थी। नवम्बर, 1979 तक कट ऑफ ट्रेंच और रेजीडेन्शियल कालोनी, सवाई-माधोपुर में बनाई गई, उसमें उन्होंने 106 लाख रुपये खर्च कर दिये। मंत्री जी ने फरमाया, उसके बाद उसकी भराव क्षमता को देखते हुए सवाई माधोपुर में कट ऑफ ट्रेंच और रेजीडेन्शियल कॉलोनी बनाई गई उसमें पूरे बांध की लागत से ज्यादा खर्च हो गया। इसके अलावा इस बांध की पाल बनाने के लिए, और कट आफ ट्रेंच के लिए ठेका दिया गया। उस पाल का उसी ठेकेदार को मिट्टी के कार्य का ठेका भी दिया गया। दिसम्बर, 1979 को उसको 70 लाख रुपये का भुगतान किया गया। जो पाल बनाई गई थी वहां सख्त मिट्टी लगाई जानी थी परन्तु ठेकेदार ने बालू मिट्टी लगाई। मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इसकी जांच करायें। इसके अलावा इस विभाग ने एग्रो इण्ड-स्ट्रीज विभाग से मशीनें, बुलडोजर्स भी किराये पर लिये। एक बुलडोजर स्वयं का विभाग के पास भी है, 10 ट्रेक्टर भी विभाग के पास हैं फिर भी ठेकेदार को जो ठेका दिया गया था उस ठेकेदार को विभागीय बुलडोजर व मशीन किराये पर लेकर दी गईं और कार्य करवाया गया। उसका पेमेन्ट भी उस ठेकेदार को कर दिया गया है। इस तरह से इस मामले में, सभापति महोदय, बहुत भारी घपला हुआ है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, इसमें जो मिट्टी डालने का ठेका था उसमें कॉन्ट्रेक्ट के हिसाब से 1200 मीटर तक का भुगतान करना था, पर अब यह कोशिश की जा रही है कि दो किलोमीटर तक का भुगतान कर दिया जाय। इसके लिए 5 लाख 68 हजार 664 रुपयों तक का भुगतान करने प्रयास किया जा रहा है। वह भी, जबकि बालू मिट्टी लगायी है, कच्ची मिट्टी लगायी है। वह मिट्टी 81 की वर्षा के अन्दर ही धसक गयी है जिससे वह बांध बनते ही टूट जायेगा। जो बांध अभी बना नहीं, पानी रुका नहीं मिट्टी आगे धंसने लगी। अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे, उसकी जो लेयर बनाई थी 6 इंच का कान्ट्रेक्ट 4 इंच की लेयर बनाई गयी है। इसके अलावा, सभापति महोदय, पाल बनाने के लिए एक करोड़ रुपया खर्च करना था उस पर तीन करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथू सिंह : संक्षेप में कर रहा हूं। सभापति महोदय, बाध, जैसा कि कह रहे हैं, पूरा हो जायेगा। बांध पूरा होने वाला नहीं है।

श्री सभापति : मैं ग्रापको दो मिनट का समय ग्रौर देता हूं।

श्री नाथूसिंह : 20 करोड़ का मामला है ग्रौर ग्राप चाहते हैं कि 2 मिनट में समाप्त कर दूं। ग्रगर ऐसी बात है तो मैं नहीं बोलूंगा। ग्राप क्या चाहते हैं। ग्रगर वक्तव्य ही दिलाना था तो मंत्री महोदय ग्रखबार में ही स्टेटमेंट दे देते। फिर हाउस में क्यों लाया गया।

श्री सभापति : ग्राप, वक्तव्य से जो शकाएं उत्पन्न हुई हैं उनके बारे में पूछ लें।

श्री नाथूसिंह : शंकायें ही तो बता रहा हूं। ग्राप सुने तो सही। मैंने जो पाइन्ट उठाये हैं उनको एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, ग्रायुर्वेद): : 20 करोड़ तो लागत है 20 करोड़ का घपला कहां से हो गया ?

श्री नाथूसिंह : मैं मामले की बात कह रहा हूं भ्रष्टाचार की नहीं है। ग्रभी जैसा कहा कि 800 करोड़ रु. खर्च कर दिये गये हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ग्राठ सौ करोड़ या ग्राठ करोड़ ?

श्री नाथूसिंह : करेक्शन। ग्राठ करोड़ खर्च किये गये हैं, ग्रब तक केवल पाल ही बनी है। ग्रभी नहर नहीं बनी है। 4 करोड़ तो ग्रभी स्पिल-वे बनने में ही खर्च होंगे। चार करोड़ रु. नहर बनाने पर खर्च होगा ग्रौर बांध बनने में जो करौली नगर डूब में ग्रायेगा तो उसको बचाने के लिए ढाई करोड़ रु. खर्च करना पड़ेगा। इस तरह $10\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया लागत ग्रायेगी। स्पिल-वे का काम तो ग्रभी दूर की बात है, ग्रभी तो उसका डिजाइन भी नहीं बना है। छः साल बांध बनते हो गये ग्रौर ग्रभी तक स्पिल-वे का डिजाइन नहीं बना, उसकी नहरें तैयार नहीं है। टेक्नीकली कोई डैम बनता है, पहले उसकी नहरें बनती हैं फिर स्पिल-वे तैयार होना चाहिए ग्रौर उसके बाद बांध का निर्माण होना चाहिए। लेकिन इसमें जो पानी ग्राता है उस पानी को तो वहां से डाइवर्ट कर दिया है, पानी रुकता नहीं है राइट साइड से निकल जाता है उस नदी को केवल रोका है, स्पिल-वे नहीं बनाया, उसका डिजाइन तक तैयार नहीं हुग्रा है, यह ग्रभी मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि डिजाइन ग्रभी तक तैयार किया जा रहा है। डिजाइन तैयार नहीं किया, इसको इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है।

श्री यदुनाथसिंह : ग्रौर प्रोजेक्ट बना दिया गया।

श्री नाथूसिंह : हां। प्रोजेक्ट बनवा दिया। नहर का ठेका दिया गया, नहरें बनी लेकिन ठीक ढंग से नहीं बनीं, पूरी नहीं बनाई गई, ठेकेदारों को पेमेंट ज्यादा कर दिया गया, ठेकेदार बीच में भाग गया।

(श्री नाथूसिंह)

उन ठेकेदारों से इन्होंने न पैसे वसूल किये और न उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही आज तक की है । इस स्थिति में, सभापति महोदय, यह कह रहे हैं कि बांध बनकर तैयार हो जायेगा जब कि 6 साल से अभी तक डिजाइन ही तैयार नहीं हुआ । जो पाल बनायी गई है जिसमें तीन करोड़ खर्च किया है उसमें बालू रेत लगायी गयी है, जिसका कि गलत पेमेंट ठेकेदार को किया गया है । ज्यादा पैसा पेमेंट किया गया है । यह बालू रेत डालने के अन्दर और लेबर के मामले में नहर के अन्दर 10 लाख रुपये का फायदा उठाया गया है । सभापति महोदय, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है और विभाग के अधिकारियों ने गोलमाल किया है 10 लाख रुपये का उसमें, इसलिए स्पिल-वे बन जायेगा तो पानी बांध में रुकेगा, जब बांध में पानी रुकेगा तो बांध कच्ची बालू मिट्टी का है, टूट जायेगा । इस पोल-पट्टी को दबाने के लिए आज तक स्पिल वे तो दूर उसका डिजाइन तक तैयार नहीं किया । सभापति महोदय, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं इसकी जो आवासीय कालोनी बनाई है वह इन्होंने सवाई माधोपुर में बनाई है । करौली के निकट, करौली तहसील में बांध है । इसकी आवासीय कालोनी बना रहे हैं, सवाई माधोपुर में । करौली में क्यों नहीं बनाई गई ? इसके अलावा बिना सैंक्शन के करौली में डाक बंगला बनवा लिया उसकी कोई बात नहीं, ज़रूरत होगी, उसके लिए मैं कुछ नही कहना चाहता । लेकिन, सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि सी. डब्ल्यू. सी. का चीफ इंजीनियर यू. एस. एड. से जो एड दी जाती है, उसके प्रतिनिधि ने जांच की और कहा कि यह सेफ है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मार्च, 1983 में जो सी. डब्ल्यू. सी. की कमेटी आई थी उसने क्या रिपोर्ट दी ? मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय उस रिपोर्ट को भी बतायें । इसके अलावा........

श्री सभापति : आपकी करीब–करीब सब बातें आ गई हैं ।

श्री नाथूसिंह : मेरी बात कहां आ गई साहब ।

श्री सभापति : अब समाप्त करें ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, आप सुन तो लें ।

यह मैं नहीं कह रहा हूं 1980–81 के आडिटर–जनरल की रिपोर्ट आयी है उसमें कहा गया है कि यह बांध बनाया गया है इसमें बहुत ज्यादा लागत बढ़ा दी गई, एक बात । उस पत्र, जो सी.डब्ल्यू.सी. ने इनको लिखा है, का हवाला देते हुए इनको लिखा कि यह बांध सेफ नहीं है । यह 80–81 की रिपोर्ट में कहा है कि बांध सेफ नहीं है । ऐसी परिस्थिति में यह सारे घपले सामने आये कि डैम सेफ नहीं है । डैम अगले 10 साल तक बनकर तैयार नहीं हो सकता है । इसका बजट एक करोड़ से बीस इक्कीस करोड़ के आस पास पहुंच गया है । ऐसी परिस्थिति में भी यह सेफ नहीं है तो इससे बचने के लिए इन्होंने सी. डब्ल्यू. सी. की दूसरी टीम बुलाई । मेरा सरकार पर आरोप है कि टीम पर दबाव डाला गया, हाई

142

(श्री नाथूसिंह)

लेवल से दबाव डलवाया गया, उनसे लिखवा लिया। जुलाई का आप हवाला दे रहे थे, उन्होंने यह लिखा कि नहीं, इसमें एस. ई. है, यह मामले तो हैं इसमें कुछ ऐसा भी हुआ है लेकिन यह सेफ हो जायेगा। ऐसा है इसको अगर कुछ इस तरह से बना लिया जायेगा उसके बाद यह बांध सेफ हो जायेगा। इस प्रकार टीम पर दबाव डालकर रिपोर्ट आपने ली।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कारण यह था....

श्री सभापति : अब काफी हो गया है।

श्री नाथूसिंह : दो मिनट में कर रहा हूं।

इसका कारण यह था, सभापति महोदय, इस घपले में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो एस.ई. था उस प्रोजेक्ट का, उसका इसमें स्पष्ट रूप से हाथ था। यही नहीं, 25 लाख के पम्पसैट्स खरीदे गये और दूसरी चीजें वहाँ पर खरीदी गईं। उनके अन्दर दो वर्ष के अन्दर जितनी उनकी लागत थी उससे ज्यादा उनकी मरम्मत पर उनके पार्ट्स खरीदने पर खर्च कर दिया गया। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, तीस लाख रु. का बुलडोजर विभाग का है जो ठेकेदारों को इन्होंने दे दिया। उस बुलडोजर का किराया वसूल नहीं करते हैं।

श्री सभापति : आप बहुत कह चुके हैं।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, पेण्ट्स और वार्निश की खरीद इन्होंने की। उसके अन्दर बाजार भाव और एस. डी. के जो कॉन्ट्रैक्ट की रेट थी, उससे कहीं ज्यादा रेट पर कोटा की एक कम्पनी से खरीदा है। सभापति महोदय, यही नहीं यह सारा मामला इसलिए हुआ कि इसमें भी अकेला एस. ई. इन्वाल्व नहीं है, इसमें बड़े-बड़े चीफ इन्जीनियर इरिगेशन भी इन्वाल्वड है। फर्म उनके लड़कों के नाम है, एक रॉयल एजेंसी और दूसरी मरुधर एजेंसी है। उनसे एक करोड़ के सिंचाई विभाग के साधन खरीदे गये। जिसके अन्दर इन्कम टैक्स रिटर्न के अन्दर कहा गया है कि लगभग 20 लाख रु. का फायदा इनको मिला है। सभापति महोदय यह दो फर्म चीफ इन्जीनियर के लड़के की हैं और चीफ इन्जीनियर के रेजीडेंस पर ही उनकी फर्मों के नाम लिखे हैं। बोर्ड वहा पर लगा हुआ है। यह चीफ इन्जीनियर कौन हैं ? पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी हैं, मुख्यमन्त्री के भाई हैं, उनके कोई रिश्तेदार हैं। इसलिए, सभापति महोदय, इतना बड़ा घपला है। बड़े बड़े लोगों ने मिलकर इस बांध के अन्दर 8 करोड़ रुपये खर्च कर दिये यह सारा काम जो ढाई करोड़ में होना चाहिये था उस पर आठ करोड़ रुपये अब तक खर्च कर दिये गये हैं। इसलिए सभापति महोदय,....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : बस समाप्त कर रहा हूं, मुझे सवाल तो पूछने दें।

श्री सभापति : सब बात आ चुकी।

श्री नाथूसिंह : कहां आ गई, पूछने तो दें।

श्री सभापति : मैं अब आपको अलाऊ नहीं करूंगा। आप पहले ही बहुत समय ले चुके हैं। जो आपको आरोप लगाने थे, लगा चुके। अब मन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री नाथूसिंह : लगाये नहीं हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रश्न पूछने दें।

श्री सभापति : काफी स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लिए हैं, जो आरोप लगाने थे, लगा चुके। मंत्री जी जवाब देंगे।

आप कृपया बिराजिये।

श्री नाथूसिंह : एक तो इस बांध पर फिर निवेदन करना चाहूंगा, मन्त्री महोदय, बताने का कष्ट करें कि सी. डब्ल्यू. सी. ने जो पहली रिपोर्ट दी है, वह क्या है? दूसरा मेरा प्रश्न है, सभापति महोदय, इसकी स्पिल वे, पाल टेक्निकल तरीके से बिना किसी तरीके से, बिना कैनाल्स बनायें, बिना उसकी मरम्मत किये, बनाई जा सकती है, क्या उस बांध को तैयार माना जा सकता है? तीसरा मेरा यह प्रश्न है, सभापति महोदय, जैसा कि आपने कहा 1984-85 में बनकर तैयार हो जायेगा। उसकी डिजाइन तैयार किये बिना, स्पिल वे बिना बनाये किस तरह से यह बांध बनकर तैयार हो जायेगा, किस तरह कैनाल्स बनाये बिना सिंचाई के लिए सुविधा देंगे? एक प्रश्न, अंतिम पूछना चाहता हूं कि क्या इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे, जिस से सारे गबन, घोटाले, भ्रष्टाचार इस मामले में हुआ है, वह सामने आ सके?

श्री सभापति : करौली से आने वाले माननीय सदस्य कुछ सवाल पूछना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मंत्री महोदय, साथ जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : संक्षेप में दूंगा जवाब।

बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने बांध के बनाने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार हुआ है, इस सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं। कुछ-अन्य बातें भी उन्होंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत की हैं। यह आशंका व्यक्त की है कि बांध आज की हालत में जिस मिट्टी से बना है, उस मिट्टी से बह जायेगा; बहने के कारण तीनों तहसीलें पूरी की पूरी नष्ट हो जायेंगी और जन धन की अपार क्षति होगी। उन्होंने यह बात भी कही कि पहले 106 लाख का एस्टीमेट था, वह बदला कैसे। माननीय सदस्य, यह जो 106 लाख का एस्टीमेट था, उसको इसलिए बदला, क्योंकि कुछ पानी की आवक ज्यादा समझी गई। पांचना गम्भीरी नदी पर है, पर उसको पांचना नदी कहते हैं, मैं भी अभी पाचना बांध पर गया था उसमें पांच नदियां आकर मिलती हैं....

एक माननीय सदस्य : नाले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उनको आप नाले कह सकते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए उसका नाम पाचना है–पार्वती, शेरणी, खरेर, भवाया और एक नाला, क्योंकि यह प्रोब के अन्दर, टाइम्स ऑफ इण्डिया में अन्य काफी अखबारों में ऑडिट रिपोर्ट 81–82 के उद्धरण को लेकर खबर आयी थी, इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं स्वयं मौके पर जाकर उसको देखूं। मैं उस बांध पर एक अगस्त को गया था और कुछ घण्टे तक उस बांध पर रहा। जिस रेत की, मैन डैम की बात कर रहे हैं, आपको यह मालूम ही नहीं है कि ट्रेंच के ऊपर जो कोर सेक्शन है, उस कोर सेक्शन के अन्दर जो वले लेनी चाहिए, जो शेड सेक्शन है, बांसवाड़ा, अगर उसमें वले ली है और पानी बाहर निकाल दिया तो नहर में दरार आ जायेगी, जगह-जगह पर पाईपिंग हो जायेगा। यह सोलम सिद्धान्त हैं, कच्चे बांधों का, तमाम देश भर में, आज ऐसी मान्यता है कि जितने बड़े बांध आजादी के बाद हिन्दुस्तान में बने हैं, उस हिसाब से हमारे देश के इन्जीनियर्स जितने एक्सपर्ट हैं, संसार के किसी भी मुल्क में नहीं हैं। इसके लिए कहा कि कट ऑफ ट्रेंच और कॉलोनी में 1979 में 106 लाख लगा, जबकि एस्टीमेट 103 लाख का था। मैं पूछना चाहता हूं; 103 लाख का बांध बनने वाला था, उसमें संशोधन और परिवर्तन 1978 में किया गया और 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी; 1979 में 106 लाख खर्च किया, उस वक्त भी जनता सरकार शासन में थी, आपने जो 103 लाख से 9 करोड़ और कुछ लाख का प्रोजेक्ट रिवाइज किया, उस वक्त वह तत्कालीन सरकार ने किस आधार पर किया था? इसलिए यह बात कहना सही नहीं है। किया इन्होंने और आरोप हमारे ऊपर।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा सदन को, मिट्टी धंसने लगी है। मैं स्वयं वहां पर जाकर आया था। मेरे से पहले सेन्ट्रल टीम के तीन एक्सपर्ट्स–सी.डब्ल्यू.सी. के चीफ इन्जीनियर, डिप्टी इन्जीनियर थे, जो कि मेजर प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी के बारे में पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक्जामिन करते हैं। देश भर में कोई भी मेजर प्रोजेक्ट बिना सी. डब्ल्यू. सी. की टैक्निकल सैंक्शन के हिन्दुस्तान में आरम्भ नहीं किया जा सकता। यह तो मीडियम प्रोजेक्ट है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जो नार्म्स उन्होने मेजर प्रोजेक्ट्स के रख दिये हैं, वह मीडियम प्रोजेक्ट पर लागू नहीं होते। उन्होंने जो नार्म्स रखे थे और आप जिस ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, वह नार्म्स मेजर प्रोजेक्ट के हैं ऑडिट में जो पैरा दिया है, उसके सम्बन्ध में यह बात हमने लिखकर अकाउन्टेण्ट-जनरल को भेजी है।

यहां पर यह कह देना ठीक नहीं कि अभी जो 6–7 जुलाई को सी.डब्ल्यू.सी. के चीफ इन्जीनियर यहां आये थे, उन्होंने यहां आकर डैम की सेफ्टी के सम्बन्ध में जो जांच की, इन्वेस्टीगेशन किया और कह दिया कि बांध असुरक्षित नहीं है, वह इसलिए कि टीम पर दबाव डाला गया। माननीय सदस्य को मैं कह देता हूं कि 1983 में स्पिल-वे बनने वाला है। चैनल से जो

(श्री परसराम मदेरणा)

पानी ग्राज ग्रा रहा है, वह पानी 1981 में भी निकला, 1982 में भी निकला, 1983 में बहुत ज्यादा क्यूसेक्स, 70 हजार क्यूसेक्स के ग्रासपास पानी एक साथ निकला है। सी.डब्ल्यू.सी. की सेण्ट्रल टीम के चीफ इंजीनियर पर दबाव डाला गया, एक सैकण्ड के लिए, मान लीजिए, दबाव डालकर रिपोर्ट फेवरेबल लिखा ली, परन्तु पानी जो दबाव मिट्टी को देता है, वह नहीं रुकने वाला है, मेरे से भी नहीं रुकेगा ग्रौर न ग्रापसे। लेकिन स्पिल-वे के नहीं होने के ग्रलावा भी पानी काफी स्टोर हुग्रा।

श्री नाथूसिंह : कहां होता है ?

श्री परसराम मदेरणा : ग्राप जाकर देखना, ग्राप बांध पर गये भी नहीं होंगे। काफी पानी स्टोर होता है।

श्री नाथूसिंह : यह बता दीजिए कि भराव क्षमता क्या है।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर ग्रॉडिट रिपोर्ट के बारे में बात कही गयी। सी.डब्ल्यू.सी. की सेण्ट्रल टीम के चीफ इंजीनियर ग्रौर डिप्टी चीफ इंजीनियर ग्राये थे, उन लोगों ने ग्रपनी रिपोर्ट में निश्चित तौर पर कहा है कि डेम प्रजेण्ट कण्डीशन में सेफ है। मिट्टी के सम्बन्ध में भी हमने सिर्फ टीम भेजने की बात नहीं कही, बल्कि सेण्ट्रल टीम को यह भी कहा है कि उनकी ग्रनुसंधान स्टेशन सेण्टर-लैबोरेटरी है, उसमें इसकी इस मिट्टी की जांच करा ली जाय। वह जांच भारत सरकार करेगी, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि इसकी डाउन स्ट्रीम में जो तहसीलें ग्रायी हैं, वह ग्रसुरक्षित हैं। जब शुरू-शुरू में मिट्टी की जांच हमारे यहां लैबोरेटरी में की गयी थी, उसमें उस मिट्टी को उपयुक्त बताया गया था, जब जनता पार्टी में इसकी भराव क्षमता बढ़ाने की बात कही गयी, उस समय भी मिट्टी को उपयोगी बताया है। ग्रंत में जब सेण्ट्रल लैबोरेटरी से इसकी जांच रिपोर्ट ग्रा जायेगी तो मैं इस सम्बन्ध में सदन को ग्रवगत करा दूंगा।

जहां तक दूसरे मामले में ग्रापने बात कही है कि किसी ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया गया, ज्यादा लीज दे दी गई, तो यह तमाम मामला एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट में इन्वेस्टीगेशन के लिए गया है। जब तक एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट से इन्वेस्टीगेशन होकर फाइण्डिग रिपोर्ट नहीं ग्रा जाती तब मैं उस सम्बन्ध में यहां पर कुछ नहीं कहना उपयुक्त समझता हूं।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ग्रन्दर एप्रेजल टीम ग्राई थी 1983 में। एप्रेजल टीम ग्रायी थी यू.एस. एड की क्रियान्विति के लिये, यू० एस० ए० के एक्सपर्ट भी साथ ग्राये थे, इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो चुकी है। सी. डब्ल्यू. सी. वाटर बोर्ड के मैम्बर ग्रौर 5 माननीय सदस्य उस टीम में हैं, उस वक्त ग्राये थे 21–22 मार्च को। जो कुछ भी इस बन्धे का डिजाइन वगैरह किया गया है, उसके लिये उन्होंने सहमति प्रकट की थी। इसलिये ग्राशंका निराधार है।

(श्री परसराम मदेरणा)

एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट जांच कर रहा है। उसमें उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि इसमें एस. ई. दोषी नहीं है लेकिन इसमें चीफ इंजीनियर दोषी है, क्योंकि एक करोड़ रुपये का उनके लड़कों की कोई फर्म है उससे कुछ सामान पर्चेज कर लिया है। इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के अन्दर कुछ गलत लोग हैं, कुछ जो राइवलरी की वजह से ब्रीफ कर रहे हैं वह गलत तरीके से कर रहे हैं। ऐसे लोगों, जो डिपार्टमेन्ट में जहां-जहां पर भी अपने खुद के पर्सनल केरियर के एग्रन्डाइजमेन्ट के लिये ऐसा कर रहे हैं, को मैं कभी भी माफ करने वाला नहीं हूं। इसलिये मैंने उन सबको यहां से हटाया है, मैंने झाला को भी हटाया है और दूसरे लोग, जो इस तरह से राइवलरी रखते हैं, को भी मैंने हटाया है।

मैं एक बात और कह दूं कि चीफ इंजीनियर के लड़कों की किसी फर्म का एक पैसे का सामान इस बन्धे में इस्तेमाल नहीं आया है। बस मुझे कहना इतना ही है....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मुख्य मंत्रीजी के बारे में ?

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का नाम भी जोड़ दिया गया है। यहाँ सदन में इस तरह से निराधार आरोप लगाये जाते हैं, एक तरह से कपोल – कल्पित बातें कहने की आदत-सी पड़ गई है। माननीय सदस्य लोक सभा के सदस्य रह चुके हैं, वहां पर जिस प्रकार का आचरण माननीय सदस्य करते हैं उसके अनुरूप यहां करें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण करें। इस तरह से तो चर्चा का अन्त ही नहीं होगा।

(व्यवधान)

एक एक सवाल आप पूछें। श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न है, मैं एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको भी एक मौका दूंगा। आप कृपया एक-एक सवाल पूछ लीजिये। श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री नाथूसिंह : प्रश्न मैंने उठाया है।

श्री सभापति : आप बैठ जायं। आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न पूछकर मुझे अखबारों में अपना नाम नहीं छपाना है, लेकिन जो मुद्दे के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के ऊपर तो कुछ बातें माननीय मंत्री जी को मुझे कहनी होंगी । प्रश्नकर्ता श्री नाथूसिंहजी माननीय सदस्य का मुद्दा दूसरा हो सकता है लेकिन मेरा मुद्दा दूसरा है ।

सभापति महोदय, प्रश्न इस बात का है कि पांचना बांध के सम्बन्ध में बार-बार इस सदन के अन्दर एक विवाद खड़ा किया जाता है । मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि यह योजना 1978 में शुरू हुई और आज जब 1983 आ गया है, इस योजना की क्रियान्विति में जो विलम्ब हो रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि इनके विभाग के कुछ कर्मचारी, जिनकी आपस में खींचातानी है, आपसी परेशानियों की वजह से लड़-लड़ कर सारी पांचना बांध-योजना की क्रियान्विति में बाधा डाल रहे हैं । विरोधी दल के माननीय सदस्य जो मुद्दे यहां पर उठाते हैं वह सही मायने में उन अधिकारियों द्वारा ही इन्हें पहुंचते हैं । उन अधिकारियों को इनके माध्यम से संरक्षण दिया गया है । इस विधान सभा में झाला का प्रश्न आया था । झाला आर. एस. एस. की बिल्डिंग बनाने का काम ज्यादा किया करता था । इसलिये, मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा सार्वजनिक मुद्दा है । वह सार्वजनिक मुद्दा इस बात का है कि जिस एरिया के अन्दर, सवाई माधोपुर जिले की करौली, गंगापुर हाड़ौती, नागौर, हिण्डौन की तहसीलों की 2 लाख 5500 एकड़ भूमि इस योजना से सिंचित होगी, वह योजना अगर जल्दी से क्रियान्वित हो जाती तो राजस्थान सरकार की आय के साधन भी बढ़ते और हमारे किसानों को भी फायदा होता । वहां यह काम आज इस तरह अधर झूल में पड़ा है । हमारे किसानों को इससे फायदा भी नहीं हो रहा है । उसका नतीजा यह हो रहा है कि इस क्षेत्र की पांचना बांध के भराव की जो क्षमता है–21 सौ मिलियन क्यूबिक्स, वह पानी रोक नहीं पा रहे हैं । हर साल हम उस पानी को निकाल देते हैं जिससे सिंचाई का काम नहीं हो रहा है । हमारी नहरें एक हजार फीट भी पूरी नहीं बन पाई हैं । इसका कारण क्या है, जबकि योजना 21.3 करोड़ की है । माननीय सदस्य, श्री नाथूसिंह जी ने मुद्दा उठाया कि यह योजना पहले छोटी थी, फिर बड़ी बना दी, तीन-तीन बार स्कीम में परिवर्तन कर दिया ।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब यह योजना साथ में ली गई थी उसके बाद यह लगा कि चुलीन्दा के बांध को अगर इसके हाथ नहीं जोड़ा गया तो सही मायने में करौली डूब में आ जायेगा । इसलिये चुलीन्दा बांध को इसके साथ जोड़ा गया । अगर इसके साथ नहीं जोड़ते तो करीब 50 हजार लोग करौली क्षेत्र के पास पास के बह जाते, मर जाते । क्या जनता पार्टी के लोग उनको बहाना चाहते हैं ? राजस्थान सरकार ने इस योजना को

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

दुबारा क्रियान्वित करने में नई योजना साथ में जोड़कर पुल या बांध के साथ जोड़ा तो क्या 50,000 लोगों को बहाना चाहते थे आप लोग। अगर इस योजना को सही ढंग से नहीं लेते तो पूरा करौली वह जाता। इसलिये मैं समझता हूं कि जो राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है वह सराहनीय है। लेकिन अधिकारी हैं, वह गलतियां कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, योजना की क्रियान्विति में रोड़ा डाल रहे हैं। इस योजना पर, मंत्री महोदय, पिछले एक साल से बिल्कुल काम ठप्प पड़ा है। कोई अधिकारी वहां जाता है तो काम करना नहीं चाहता है। क्योंकि उन्हें एन्टी-करप्शन के दरवाजे देखने पड़ते हैं। आज उनको अलग-अलग प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, अपने विभाग में सभी अधिकारी तो ऐसे नहीं हैं। सक्षम अधिकारी को वहां पर भेजें। उनको राजस्थान सरकार से पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिये जिससे वह सारा काम जल्दी से करें। आज वहां पर 25 लाख रुपये महीने की तनख्वाह मिल रही है। जनता का 25 लाख रुपया जिन अधिकारियों पर खर्च हो रहा है, राजस्थान की जनता का बरबाद हो रहा है वहां वह हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है।

ऐसी स्थिति में, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करें। यू. एस. एड. इस योजना के अन्दर मिल रही है, अगर राजस्थान सरकार समझती है कि 1987 तक इस योजना की क्रियान्विति कर लेंगे तो मुझे इस प्रकार की धीमी गति से ऐसी आशा नहीं लगती है। इसलिये मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अब इस मामले में जल्दी तत्परता करें और किसी सक्षम अधिकारी को वहां पर लगायें, डरपोक अधिकारी से काम नहीं चलेगा, वहां बुलन्द आदमी की आवश्यकता है, जो बैठकर काम कर सके।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वरना काम नहीं चलेगा। यही कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामकंवार बैरवा।

श्री परसराम मदेरणा : पहले मैं एक एक प्रश्न का जवाब दे दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : एक साथ दे देना। श्री रामकंवार बैरवा।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : सभापति महोदय, पांचना बांध के सम्बन्ध में बात हो रही है, उसकी इन्क्वायरी चल रही है, उसके अनुसार कोई अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी राजस्थान में बांध बने हैं वे टूट गये हैं और टूटने पश्चात्....

श्री सभापति : आप पांचना बांध के बारे में ही कहें।

श्री रामकंवार बैरवा : पांचना बांध के ऊपर ही कह रहा हूं। वह टूटने के बाद इन्क्वायरी हुई। फाउण्डेशन जितनी गहरी ली जानी चाहिये थी, उतनी गहरी फाउण्डेशन न ली जाकर भी फाउण्डेशन का ठेकेदार ने पेमेन्ट पूरा ले लिया। 13 फीट फाउण्डेशन लेनी थी लेकिन उन्होंने 7–8 फीट गहरी फाउण्डेशन करके पूरा पेमेन्ट ले लिया। इसलिये मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसके अन्दर आप इस बात का पता लगायें कि कितना पेमेन्ट उठाया है, और डिजाइन में कितनी गहरी थी। ऐसा नहीं हुआ है, खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो गया तो बाद में आपको नुकसान होगा।

श्री सभापति : श्री हंसराज जी शर्मा। प्रश्न ही पूछ लीजिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : सभापति महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि 103 लाख की प्राथमिक योजना का जब-जब भी रिवाइज्ड एस्टीमेट बना तो आपकी प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा कब-कब दी गई, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ? राज्य सरकार के सामने रिवाइज्ड एस्टीमेट कब आया और कब उसकी स्वीकृति दी।

दूसरा जो रिवाइज्ड एस्टीमेट आये उनके अन्तर्गत उस बांध में जितना पानी का एरिया है क्या उस क्षेत्र के सम्पूर्ण एरिया का सर्वे कर काश्तकारों को धारा 91 के तहत विधिवत् नोटिस देकर मुआवजा वगैरह देने की प्रक्रिया सम्पूर्ण अपना ली गई है?

तीसरा मेरा यह है, आज के समय में लम्बी-चौड़ी बात नहीं बोलना चाहता, आपने यह कहा कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ आप फरमायेंगे। गत विधान सभा में भी आया है, प्रोब में भी आया है, अन्य आपके लेखा-जोखा में भी आया है, वर्ष 80–81 के भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के 71 पेज पर भी काफी डिटेल में दिया है कि इसमें किन-किन अधिकारियों द्वारा कहां-कहां गलती की गई है। मिट्टी हार्ड सोइल नहीं है, सोफ्ट सोइल है, ठेकेदारों ने काम नहीं किया, समय पर काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला। इस प्रकार के सारे आब्जेक्शन किये हैं। आपने इन इस आब्जेक्शन के बारे में, जिन कर्मचारियों ने, जिन ठेकेदारों ने गलती की उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? जब कि आपने गत विधान सभा में यह आश्वासन दिया था।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री हंसराज शर्मा : मैं पूछूं तो सही, आखिर में मैंने जो बोला है....

श्री सभापति : आप ने सवाल पूछ लिये।

श्री हंसराज शर्मा : गत विधान सभा में जिन अधिकारियों के खिलाफ आपके समक्ष पांचना प्रोजेक्ट के बारे मे चार्ज लगाये हैं, जैसे एग्रो इण्डस्ट्रीज के 45 लाख का पेमेन्ट, 10 लाख 80 हजार की डीजल

(श्री हंसराज शर्मा)

आयल और मेन्टीनेन्स के बाद आपको केवल ठेकेदार से चार लाख रुपया मिला 14 लाख 80 हजार रुपया खर्च हुआ, उसमें चार लाख मिला। दस लाख 80 हजार की आपने जांच करने का आश्वासन दिया था। मैंने भी आपको निवेदन किया था, उसके सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हंसराज शर्मा : इसके अलावा साढ़े पांच लाख का कान्ट्रेक्टर का पेमेन्ट फाइनल होने के बाद में एस. टी. उठने के बाद में····

श्री सभापति : आपके सवाल आ गये, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हंजराज शर्मा : और क्या पूछना है इसमें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कितनी बार पूछेंगे आप ? एक दो सवाल पूछ लीजिये।

श्री हंसराज शर्मा : सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

श्री हसराज शर्मा : सबसे बड़ा यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने का इन्होंने आश्वासन दिया है। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसका कोई अन्त नहीं है, आप सवाल पूछेंगे जवाब देंगे फिर पूछेंगे, फिर जवाब देंगे। आपको एक बार अवसर दे दिया।

(व्यवधान)

आपको मौका दे दिया गया। आपने पूछ लिया उसका जवाब आ गया है, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिह : कहीं भी यह रूल्स में में नहीं है कि एक बार बोल चुके तो दुबारा सवाल नहीं कर सकते।

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करिये। आपने सवाल पूछ लिया उसका जवाब आ गया।

श्री नाथूसिह : ऐसा रूल्स में कहीं नहीं है, एक बार सवाल पूछ लिया तो दुबारा नहीं पूछ सकते।

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करिये। माननीय मन्त्री जवाब दे रहे हैं।

श्री नाथूसिह : मुझे तो प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : बाद में पूछ लेना। माननीय सभापति महोदय, करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस····

श्री भैरोंसिह शेखावत : मन्त्री जी बोलें उस पर भी समय बांधना चाहिये, बहुत लम्बा बोलते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। लम्बा तो इसलिए कहता हूं

(श्री परसराम मदेरणा)

कुछ बातें, अगर मैं टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी की बात परसों लम्बी नहीं कहता तो समझ में भी नहीं आती, तो भी उन्होंने मुद्दे उठा लिये और आपने कहा है कि आप कन्फ्यूज कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पांचना में गम्भीरी की आती है और गम्भीरी में पांचना की।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने यह नहीं कहा पांचना नदी पर पांचना बनता है और अगर वहां गम्भीरी बन जाती है, गम्भीरी नहीं गम्भीर

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक ही बात है।

श्री परसराम मदेरणा : गम्भीरी तो चित्तौड़गढ़ में है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो है ही।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भूगोल का ज्ञान अच्छा है।

श्री परसराम मदेरणा : भूगोल तो राजस्थान की बन रही है।

करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही इसकी गति बहुत धीमी है। जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं, पहले एस्टीमेट्स जो पहले 103 लाख के थे, सन् 1978 में यह निर्णय लिया गया कि इसमें ज्यादा पानी का स्टोरेज हो सकता है और जनता पार्टी के शासन में इसकी लागत 9 करोड़ और कुछ लाख रुपये आंकी गई थीं। उस आंकने में आप ठीक कह रहे हैं, करौली से आने वाले माननीय सदस्य, करौली का समाधान या नहर की डिजाइन,स्टोरिंग और स्पिल वे की डिजाइन आज जो बनाये जा रहे हैं इसमें समाधान नहीं था इसलिए उसकी वजह से एस्टीमेट बढ़ गये और कुछ प्राइसेज एस्कलेट होने की वजह से बढ़ गये। अब तक इस योजना पर 6 करोड़ 53 लाख 24 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं और इस साल का प्रावधान ढाई करोड़ का है क्योंकि सरकार की वित्तीय स्थिति, जो है, उसमें साधन इतने उपलब्ध नहीं हैं योजना मद में, इसलिए यू. एस. एड के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। मैं समझता हूं वह बात केन्द्रीय स्तर पर चल रही है। जल्दी ही यू. एस. एड. मिलने की आशा है। यहां पर किसी भी सक्षम अधिकारी को लगाया जाये क्योंकि लोग यहां पर भयभीत हो गये हैं कि एन्टीकरप्शन या दूसरे तरह की पचास तरह की बातें हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ये लोग ही बांध को बनने से रोकते हैं। जो ओवरसियर्स और इन्जीनियर्स आते हैं उनको लकडियां लेकर मारते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं कि निश्चित तौर पर जल्दी ही एक महीने के भीतर-भीतर किसी सक्षम अधिकारी को लगाया जायगा जो उसकी गति को दुरुस्त

(श्री परसराम मदेरणा)

कर सके ।

यहां पर फाउण्डेशन वगैरह की ओर दूसरी बातें की गईं । मैं जहां तक समझता हूं अगर आपका फाउण्डेशन से मतलब ट्रेंच से है फागी से आने वाले माननीय सदस्य का, और अगर कोर सैक्शन से है, मेरा ऐसा मानना है अब तक भारत सरकार की एक्सपर्ट टीम दो दफा इसका विजिट कर चुकी है, सबसे पहले यह जो स्वीकृति थी, उस वक्त भी उन्होंने उसकी स्वीकृति नहीं दी, उस वक्त भी उन्होंने और डिजाइन को अप्रूव किया था । इसलिए यह मानना गलत है कि फाउण्डेशन कमजोर है । यहां पर यह मामला उठाया भी नहीं है, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया था कि सरकार चुप्पी साधे हुए है । क्योंकि प्रोब के अन्दर कुछ बातें लिख दी गई हैं और आडिटर जनरल ऑफ इण्डिया की जो रिपोर्ट है 1981–82 की उसमें सुरक्षा के बारे में कुछ उल्लेख कर दिया गया है, सरकार ने यह उचित समझा कि सी. डब्ल्यू. सी. के चीफ इन्जीनियर और एक्सपर्ट आकर इस मामले को देखें और उनकी जो तकनीकी राय है उसी के आधार पर सरकार अपनी राय बनाये । उन्होंने बांध की सेफ्टी के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी है । वहां जो मिट्टी है जो भी सोइल है जो बोरो से ली गई है चाहे वह कोर सैक्शन की हो, चाहे पास वाले शैंड सैक्शन की हो उस सम्बन्ध में वह खुद जांच करेंगे । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ चाहे प्रोब लिखता रहे या दूसरे अखबार लिखते रहें, यह अखबारों में लिखते रहे हैं, प्रोब को अगर किसी ने पढ़ा होगा ।

श्री यदुनाथसिंह : मैंने पढ़ा है ।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने पूर्व में कहा है किसी विभाग के अधिकारी ने कुछ आंकड़े उपलब्ध कराये । This is not on the papers which you see this printed. इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे चुप्पी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गम्भीर नदी का पानी फैलकर वहां से निकला, फिर बांध टूटता है या नहीं, यह सरकार सदन के प्रति ही उत्तरदायी नहीं है लेकिन राजस्थान की पचास लाख जो जनता है उसकी बात कहता हूं उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी कम नहीं है, अगर जान और माल की बात है । आप तो कह रहे हैं जान की, अगर मवेशी की जान उसमें चली जाती तो । निश्चित तौर से सरकार उसको सोचती । मुझे मालूम था जो कुछ भी लिखा जा रहा है इसके पीछे किसका हाथ है । इसलिए इसको ज्यादा इम्पार्टेन्स नहीं देते हुए सरकार ने सैण्ट्रल टीम को रिक्वेस्ट की और उनके एक्सपर्ट की राय है, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य को यह कहता हूं कि उनसे बात भी नहीं की गई, बिना किसी दबाव के उनकी जो राय है वह निष्पक्ष है, फेयर है, जस्ट है, अनइन्फ्लूएन्स्ड है ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई । कृषि राज्य मन्त्री, पश्चिमी राजस्थान....

(व्यवधान)

(श्री सभापति)

अब आगे चर्चा नहीं होगी। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आपको मैंने बहुत टाइम दे दिया। आपने सब कुछ पूछ लिया।

श्री नाथूसिंह : आपने मेरे ऊपर कोई अहसान नहीं कर दिया टाइम दे दिया तो This is my right.

श्री सभापति : चर्चा नहीं. होगी, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। अब मैं आपका मौका नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करिये। माननीय सदस्य श्री नाथूसिंहजी, कृपया स्थान ग्रहण करिये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंहजी आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(4.50 म. प.)

(श्री पूनमचद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री नाथूसिंह : मुख्य मंत्रीजी के भाई या रिश्तेदार हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत लम्बा डिस्कशन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चलाया। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य, बान्दीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझ से तीन तीन बार सप्लीमेन्ट्री प्रश्न किये हैं मैं ऐसा मानता हूं कि अब इसे समाप्त किया जाना चाहिए। In this Session, some Members have gone in deep which is incurable.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, चर्चा इस प्रकरण पर समाप्त हुई।।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर महत्वपूर्ण मामला है। इस बात को स्वयं सरकार ने भी स्वीकार किया है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने भी महामहिम राज्यपाल महोदय को भी पत्र लिखा था। जांच के लिए चीफ सैक्रेटरी महोदय को पत्र लिखा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। काफी समय लग गया है, कृपया स्थान ग्रहण करें। अब आप इस प्रश्न को अन्य तरीके से विधान सभा में उठायें, जांच हो रही है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए संबंधित अधिकारी हैं, वह महत्वपूर्ण पद पर जाने वाले थे उनको रोक लिया गया। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यहां पर उस अधिकारी को रोक लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह चाहूंगा कि नदी के प्रस्तावित लेवल की जांच करा ली गई थी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, कोई भी अधिकारी को कहीं पर नहीं भेजा जायेगा यह सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। लेकिन प्रतिपक्ष के माननीय नेता को भी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह तो मैंने गवर्नर साहब को कहकर रुकवाया है।

श्री परसराम मदेरणा : उनका तो नाम ही नहीं हैं आप क्या रुकवायेंगे। अभी तक मांग ही नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नर साहब की चिट्ठी है इसका नाम इस पद के लिए रिकमंड किया गया था। कई नाम थे, उसमें लिया गया था।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार तो मांग नहीं रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप कह कर हमें आब्लाइज मत करो।

श्री परसराम मदेरणा : आब्लाइज करने का प्रश्न ही नहीं है। मैं आब्लाइज ही नहीं करना चाहता।

श्री नाथूसिंह : राज्यपाल के आदेश से वह रुके थे....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया बैठ जायें।

सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय आधे घण्टे के लिये और बढ़ाया जाता है।

व्यवस्था
विशेषाधिकार हनन प्रश्नों पर व्यवस्था

विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मुझे पिछले दिनों विशेषाधिकार हनन के कई प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। उनमें से कुछ मामलों में संबंधित पक्षों आदि से जानकारी प्राप्त की जा रही है, शेष के विषय में मेरा निर्णय इस प्रकार है।

(1) सर्व श्री यदुनाथसिंह, कमलेन्द्रसिंह, मेघराज तावड़, नाथूसिंह व गोपाल पचेरवाल माननीय सदस्य ने तीन विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों की सूचना दी थी, जिसमें कहा गया था कि गत 9 अगस्त को अर्द्ध रात्रि के पश्चात् 3–30 बजे आर० ए० सी० के 150 जवानों द्वारा जोधपुर हाउस, नई दिल्ली के कमरा नम्बर 4 पर हमला करके सदन

(श्री अध्यक्ष)

के दो माननीय सदस्य श्री नरेन्द्रसिंह भाटी व श्री शिवराम शर्मा को जोर जबरदस्ती करके बाहर निकाल दिया गया। इससे सदन की गरिमा पर आंच आई। इस प्रकार डी०आई०जी० पी० श्री भटनागर व पुलिस महानिदेशक श्री रघुनाथसिंह कपूर, इन वरिष्ठ अधिकारियों ने सदन के सदस्यों का अपमान किया है।

मुझे इस मामले में एक माननीय सदस्य से उक्त ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना भी प्राप्त हुई थी, जिस पर प्राप्त तथ्यों से प्रकट होता है कि श्री नरेन्द्रसिंह भाटी द्वारा राज्य सरकार एवं कुछ नामजद अधिकारियों के विरुद्ध सब जज, नई दिल्ली के न्यायालय में दावे प्रस्तुत किये गये हैं और यह मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है। घटना से यह भी प्रकट होता है कि श्री भाटी के जोधपुर हाउस के एक कमरे के कब्जे के सम्बन्ध में काफी अरसे से विवाद चला आ रहा है और राज्य सरकार और श्री भाटी के बीच आपस में भी इस प्रकरण को लेकर विवाद है।

यह एक सुस्थापित संसदीय परम्परा है कि विशेषाधिकार हनन का मामला तभी बनता है जब किसी सदस्य को सदन से संबंधित कार्य करने से रोका जावे या उसके सदन में आने जाने पर अंकुश लगाया जावे। वर्तमान प्रकरण एक व्यक्तिगत विवाद मालूम पड़ता है जिसका विधान सभा की किसी भी कार्यवाही से सम्बन्ध नहीं है। ऐसी सूरत में मैं इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा ने यह विशेषाधिकार के हनन की सूचना राज्य के मुख्य मन्त्रीजी के खिलाफ इस आधार पर दी है कि वर्तमान मुख्य मन्त्रीजी के काल में सदन में एक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आयोग के प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिवेदन पर विचार नहीं हुआ है, जबकि नियम 126 के अन्तर्गत इस नियम में अंकित प्रतिवेदनों पर विचार किया जाना आवश्यक है। क्योंकि मुख्य मन्त्री जी जान–बूझकर इन प्रतिवेदनों पर विचार करने का अवसर नहीं दे रहे हैं, अत: उन्होंने विधायकों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।

नियम 126 को पढ़ने से यह स्पष्ट है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर इस नियम में उल्लिखित रिपोर्ट्स आदि पर सदन के किसी सत्र या सत्रों में प्रति वर्ष चर्चा की जायेगी। दूसरे शब्दों में यह चर्चा तब तक नहीं की जा सकती जब तक की कार्य सलाहकार समिति इस विषय में सिफारिश नहीं करे या स्वयं सदन ही किसी प्रतिवेदन पर विचार करने का निर्णय नहीं ले। रिकार्ड को देखने से भी प्रकट होता है कि पिछले सत्र में राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की रिपोर्ट्स पर विचार हुआ था। इसके अतिरिक्त इस वर्ष आज ही की कार्यसूची में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के बजट पर विचार करने का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। पिछले सत्र में राजस्थान राज्य पथ

(श्री अध्यक्ष)

परिवहन निगम की रिपोर्ट्स पर यहां सदन में चर्चा हुई थी।

मुख्य मन्त्रीजी कार्य सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं उन्हें विशेष रूप से आमन्त्रित किया जाता है ताकि उनकी सलाह भी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य श्री शेखावत स्वयं इस समिति के सदस्य हैं। उन्हें अपनी बात समिति में खुलकर कहने का अवसर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट सदैव सदन में विचार विमर्श एवं एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है और सदन द्वारा स्वीकार करने पर ही लागू की जाती है तथा स्वयं सदन में भी इन प्रतिवेदनों पर कई बार चर्चा हुई और स्वयं माननीय सदस्य, जो विरोध पक्ष के नेता भी हैं, ने इन प्रतिवेदनों में की गयी सिफारिशों पर सदन में आपत्ति प्रस्तुत की है। ऐसी सूरतों में यह माने जाने के कोई कारण नहीं हैं कि मुख्य मन्त्री ने वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करने का अवसर प्रदान नहीं कर सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। अतः मैं इस प्रस्ताव को अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा ने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मुख्य मन्त्रीजी, श्री शिवचरण माथुर ने 7 नवम्बर 1982 के घना गोलीकाण्ड की जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा कराने की घोषणा थी। यह घोषणा 4 मार्च, 1983 को की गई थी, किन्तु इस घोषणा का अभी पालन नहीं किया गया है और इससे सदन की मानहानि हुई है।

यह एक सुस्थापित संसदीय परंपरा है कि सदन में मंत्रियों और मुख्य मन्त्री द्वारा की गई घोषणाओं या दिये गये वचनों एवं आश्वासनों की पूर्ति न होना विशेषाधिकार हनन की कोटि में नहीं आता। सदन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर विभिन्न प्रकार के आश्वासन अथवा वचन दिये जाते हैं। यह निश्चय ही सरकार का दायित्व है कि उन आश्वासनों व वचनों की पूर्ति करे। इन आश्वासनों को लेकर तथा सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिए ही सदन में एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है और वह है आश्वासन समिति। यह समिति सदन में दिये गये आश्वासनों की विस्तृत समीक्षा करती है और सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

यह ठीक है कि घना गोलीकांड को लेकर सदन में काफी उत्तेजना हुई थी और मुख्य मन्त्रीजी द्वारा इसकी जांच हाई कोर्ट के जज द्वारा करवाये जाने की घोषणा करने पर ही मामला शांत हुआ था। अतः राज्य सरकार को चाहिये था कि वह इस घोषणा की पालना तुरन्त करती फिर भी इस प्रकरण को विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं माना जा सकता। अतः मैं इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को भी अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा ने एक विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना इस आशय की दी है कि दिनांक 7 सितम्बर, 1982 को उनके द्वारा सदन में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न संख्या 450 के उत्तर में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि अजमेर नगर में बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की संख्या से सम्बन्धित रिटर्न्स सदन के पटल पर रखना लोक हित में आवश्यक नहीं है। सरकार ने ऐसी सूचना देकर इस महत्वपूर्ण सूचना को सदन से छिपाया है, क्योंकि श्रम विभाग श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करवाने के बजाय उनके शोषण का भागीदार बना हुआ है। इस मामले में राज्य सरकार से जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनसे प्रकट होता है कि श्रम विभाग ने प्रश्न के उत्तर में नियम 288 के प्रथम परन्तुक के अनुसार इन रिटर्न्स की प्रतियां सदन के पटल पर रखना लोकहित में आवश्यक नहीं समझा था, ऐसी सूचना दी थी। एक पत्र के उत्तर में राज्य सरकार के श्रम विभाग ने विधान सभा सचिवालय को यह भी सूचना दी है कि निजी सूचनाएं जो कि व्यापारी किसी कानून के अनुपालन में राज्य सरकार को देता है, सदन की मेज पर रखकर सार्वजनिक रूप देना लोक-हित के प्रतिकूल होगा, क्योंकि विभाग यह रिटर्न्स इस आस्था से प्रकट करता है कि इसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और यह सूचना सार्वजनिक रूप से किसी को प्रकट नहीं की जायेगी। फिर भी श्रम विभाग ने आगे लिखा है कि यदि आवश्यक है, तो वह रखी जायगी। अतः यह प्रस्ताव सचिवालय के विचाराधीन है। अतः इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : आर. ए. सी. ने इन्टेग्रिटी पर डाउट किया है माननीय गोपाल पचेरवाल की। इस बारे में भी मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष : शेष के बारे में जैसा कि मैंने····

श्री यदुनाथ सिंह : सबसे पहले वही लेना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी थी कि स्थगन प्रस्तावों पर सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, वह जानकारी प्राप्त होने पर उन सभी पर निर्णय दे दिया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : जानकारी तो हमने सब लगा दी थी।

श्री अध्यक्ष : कुछ खामियां रह जाती हैं उस दृष्टि से सूचना मंगाई जा रही है।

कृषि राज्य मन्त्री। पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलें····

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : माननीय श्री देवीसिंह जी का मामला सदन में जब चल रहा था उस दिन माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिनके बारे में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था उसके बारे में मैंने आपको प्रिविलेज मोशन दिया था। उस बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ में ही, जब मैंने यह व्यवस्था दी थी, निवेदन कर दिया था कि कुछ विशेषाधिकार हनन के मामले मेरे पास विचाराधीन हैं, उन पर निर्णय बाद में दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : इतना ही बतायें कि कितने विचाराधीन हैं? तीन वर्ष में नम्बर ज्यादा हो गया। आपको मालूम हो तो बता दें, कौन-कौन से विचाराधीन हैं ताकि हमें जानकारी हो जाये। इसकी तसल्ली हो जाये कि विचाराधीन हैं।

श्री नाथूसिंह : वह तो सदन में हुआ था इसलिए सरकार से जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : या कहीं रिकार्ड ही नहीं है। ऐसा लगता है रिकार्ड ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपको लग रहा है, मैं निवेदन कर रहा हूं कि पूरा रिकार्ड है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो बता दीजिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बता रहा हूं। आपने तत्काल जानकारी चाही है तो मैंने जानकारी मंगाई है।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : जोधपुर हाउस के बारे में जो आपने रिजेक्ट किया है वह इस पाइंट पर रिजेक्ट किया है कि श्री नरेन्द्रसिह भाटी और शिवराम शर्मा····

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियमों में ऐसा है कि जब अध्यक्ष अपनी व्यवस्था दे देता है तो उस पर चर्चा नहीं होती है। उसके मैंने कारण बता दिये थे। एक कारण छोटा सा इतना ही है कि कोई दो व्यक्ति या दो पार्टी में किसी मामले के बीच में लम्बे समय का विवाद हो उसमें दीवानी और फौजदारी मुकदमे चल रहे हों, आपस में लम्बा विवाद हो तो उसमें कोई यह कहे, जिन कार्यों का विधान सभा से सम्बन्ध ही न हो उसमें वह कहे कि क्योंकि इनके साथ ऐसा किया इसलिए विशेषाधिकार हनन हुआ है, यह नहीं होगा।

श्री कमलेन्द्र सिंह : मेरा एक ही पाइंट है। वह एम.एल.ए. की हैसियत से जोधपुर हाउस में रहते थे, मिनिस्टर की हैसियत से रहते थे। मंत्री पद से रेजिग्नेशन के बाद 5.7.83 को कार्यालय व्यवस्थापक, जोधपुर हाउस ने एक लैटर द्वारा नरेन्द्रसिंह भाटी को यह लिख कर दिया कि आपकी सुविधानुसार आप इस कमरे को खाली करें। सुविधानुसार। उसके बाद यह सब प्रकरण हुआ और आर. ए. सी. को यूज किया।

श्री अध्यक्ष : इन सभी तथ्यों पर विचार करके मैंने व्यवस्था दी है। उस पर दुबारा सदन में चर्चा नहीं हो सकती।

श्री कमलेन्द्र सिंह : इसलिए क्लैरीफिकेशन चाह रहा हूं। जब आर.ए.सी. को यूज किया और दिल्ली टेरीटरी में यूज किया है एक एम.एल.ए. के खिलाफ····

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने कहा, वह एम.एल.ए. का फंक्शन नहीं कर रहा था। एम.एल.ए. की हैसियत से फंक्शन नहीं कर रहा था तो एम.एल.ए. की हैसियत से शिव चरण माथुर को हटाने····

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : कोर्ट के आदेश के आधार पर आर.ए.सी. खाली कराने गई थी ?

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत मामला है।

श्री यदुनाथ सिंह : व्यक्तिगत नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : वह एम. एल. ए. हैं। इस तरह से कोई एक्शन नहीं लेता कि राजस्थान से आर.ए.सी. वहां जाय। यह विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निर्णय दिया है कि नहीं हुआ है। कल कोई दो व्यक्ति हों, दो माननीय सदस्य हों, आपस में लम्बे समय से लड़ रहे हों, व्यक्तिगत टन्टा हो, दुकान का टन्टा हो, मकान का टन्टा हो, दीवानी मामले भी हों, फौजदारी मामले भी हों और दांव पेच में किसी के जोरदार कोई दांव लग गया उसके बाद वह कहें कि वह लड़ रहा था, हम एम.एल.ए. हैं····

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : मैं इस सदन में कहना चाहता हूं जिन मिनिस्टरों को हटाया नहीं है उनके साथ भी यही होने वाला है। जो एम.एल.ए. को अधिकार मिला हुआ है वह अधिकार भी उनसे छीना जायेगा। आज उनके जो अधिकार हैं मिनिस्टरशिप से हटने के बाद वह भी एम.एल.ए. के बराबर नहीं दिये जा रहे हैं। यह सरकार की मन्शा है। यह चुने हुए लोगों, हमारे विशेषाधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : उनका दिमाग विकृत हो गया है।

श्री अध्यक्ष : 50 विवाद हो सकते हैं। एक तरह का हो सकता है, दूसरी तरह का हो सकता है। उसमें कई तरह के केसेज और क्रास केसेज हों, दीवानी या फौजदारी मुकदमे हों। हम लड़ें कि यह व्यवहार कर दिया, दुर्व्यवहार कर दिया, मैं समझता हूं यह विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : मुख्य मंत्रीजी सदन को आश्वस्त करें। जिनके ऊपर घटना घटी है उनको हाउस में सुन लिया जाय····

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : कोई भी व्यक्ति जोधपुर हाउस में नहीं रह सकता। वह प्राइवेट प्रापर्टी नहीं है। माननीय सदस्य सदन के सदस्य हैं वह प्राइवेट व्यक्ति की हैसियत से नहीं रह सकते।

श्री अध्यक्ष : विधायक कितने दिन तक रह सकते हैं, किस स्थिति में रह सकते हैं और रहने के बाद के समय में उनको मना कर दिया उसके बाद भी रह सकते है, यह विवाद का विषय····

श्री नाथूसिंह : उनको दो साल तक रहने दिया।

श्री अध्यक्ष : यह बिल्कुल एक माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मामला है। उनका विवाद है। राज्य सरकार के साथ उन विवादों में दीवानी और फौजदारी कई तरह के आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं। उसमें यह नहीं कह सकते कि वह कार्यवाही हो सकती है है। इसलिए विशेषाधिकार का हनन हो गया, यह गलत है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार और विधायक के बीच का मामला है।

श्री मेघराज तावड़ : यह सरकार और विधायक के बीच का मामला है। अगर कुर्सी पर रहते हैं तो कोई विवाद नहीं, और कुर्सी से हटा दिया, मिनिस्टर नहीं रहे तो विवाद हो जाता है।

श्री यदुनाथ सिंह : नंगे करके घसीट कर निकाल सकते हैं? इन्होंने जरा भी हिमाकत नहीं बरती। अध्यक्ष महोदय मेरे जैसा होता····

श्री अध्यक्ष : आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं। एक आरोप यह है कि पहले कमरे को तोड़ दिया उसके बाद पुलिस में शिकायत हुई, उसके बाद अदालत में गये।

श्री नाथूसिंह : उससे हमें कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अदालत में जाने के पश्चात् यह हुआ कि मार-पीट की घटना हुई, राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी। उसके बाद फिर यह विवाद का विषय हो सकता है? माननीय सदस्य, अब कोई खेत में जाये और कपड़े उतार कर एम.एल.ए. को निकाल दे, और झगड़ा हो तो आप समझते हैं कि विशेषाधिकार का हनन हो जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले लोग रह चुके हैं। सरकार के कहने से कर्मचारियो ने लज्जित किया है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे।

श्री मेघराज तावड़ : एम. एल. ए. को गिरफ्तार करने से पहले आपकी परमिशन लेनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : इन मामलों का फैसला दीवानी और फौजदारी अदालतें करेंगी। इसमें एक प्रकरण को लेकर हम कहें कि एक ऐसी बात हो गई जिसके कारण विशेषाधिकार का हनन हो गया, यह समझ में नहीं आता।

श्री नाथूसिंह : आपने अपनी व्यवस्था देने से पूर्व सरकारी पक्ष को सुना है। आप दोनों पक्षों को सुनें, फिर व्यवस्था दें।

श्री यदुनाथ सिंह : आप बाध्य करें सरकार को....

श्री नाथूसिंह : जब आप दोनों पक्षों को सुनेंगे तो वास्तविक स्थिति सामने आ जायेगी। केवल सरकारी स्थिति को सुनने

(श्री नाथूसिह)

से नहीं ग्रा सकती। ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज के प्रस्ताव पर फैसला देने से पूर्व में निवेदन करना चाहता हूं

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापने ग्रखबारों में पढ़ लिया होगा, लम्बे समय से विवाद चल रहा है, ग्रारोप ग्रौर प्रत्यारोप हैं। दोनों तरफ से सिविल ग्रौर क्रिमिनल केसेज हैं। एक पक्ष यह कहे, लड़ते-लड़ते हाथ लग जाये, विशेषाधिकार का हनन हो गया। मैं इसको विशेषाधिकार का हनन नहीं मानता। ग्रगर किसी माननीय सदस्य के साथ ग्रन्याय या ज्यादती हुई है तो दीवानी ग्रौर फौजदारी ग्रदालतें हैं।

श्री नाथूसिह : ग्रध्यक्ष महोदय, इस मामले में मुख्य मंत्री जी इन्वाल्व हैं। यह महत्वपूर्ण मामला है।

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रापने सरकार की हिम्मत बढ़ायी है।

श्री ग्रध्यक्ष: शान्त रहें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य शान्त रहें। ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्री कमलेन्द्र सिंह : सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। क्या ग्रापकी तरफ से दोनों विधायकों की सुरक्षा की व्यवस्था होगी? ग्रार. ए. सी. पीछे पड़ी हुई है, क्या दोनों विधायकों के लिए ग्रापकी तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था हागी?

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो बोल नहीं सकते, हाई कमाण्ड ने मना किया है।

श्री ग्रध्यक्ष : मेरे समक्ष ऐसी शिकायत नहीं ग्राई है कि ग्रार. ए. सी. पीछे पड़ी हुई है। ग्रगर ग्रार. ए. सी. पीछे पड़ी हुई है तो निश्चित तौर से कार्यवाही की जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : नरेन्द्रसिंह भाटी ग्रौर सरकार का झगड़ा चल रहा था, लेकिन शिवराम शर्मा को नंगा करके क्यों बाहर निकाला गया, उनका कौन-सा झगड़ा चल रहा था?

श्री ग्रध्यक्ष : पहले वाले केस में उनका भी नाम है। माननीय सदस्य, किसी से ग्रापका झगड़ा हो गया तो वह ग्राप विशेषाधिकार हनन में कैसे लायेंगे। यह ग्राकुपेशन का डिस्प्यूट है।

श्री यदुनाथ सिंह : मुकदमा चलाया जाना चाहिए ग्रगर मार-पीट की है।

श्री नाथूसिह : महत्वपूर्ण मामला इसलिए है कि कल कोई भी विधायक मुख्य मंत्री जी के खिलाफ सदन में बोलेगा, चाहे किसी भी दल का हो, तो मुख्य मंत्रीजी ग्रपनी ताकत ग्रौर ग्रपनी सत्ता से उसको पकड़ कर सड़क पर फेंक देंगे, बन्द कर देंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : काल्पनिक बातें है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह सच है।

श्री नाथूसिह : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हम रोज सरकार के खिलाफ

(श्री नाथूसिंह)

बोलते हैं कल को सरकार चाहेगी तो हम किसी भी डांक बंगले में जाकर रुकेंगे, हमको पकड़ कर निकलवा देगी। यह सदन के हर माननीय सदस्य से सम्बन्धित है। इसलिए आपने जो व्यवस्था दी है उस पर पुनर्विचार करे। इसमें मुख्य मंत्री शामिल हैं, चीफ सैक्रेटरी शामिल है, डी० जी० शामिल है। हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, क्या आप हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे ? मुख्य मंत्री के मन में आये तो इनको उठाकर बन्द करवा दें, पिटवा दें। सदन के हर माननीय सदस्य से संबधित यह मामला है।

श्री अध्यक्ष : यह बात दोनों तरफ से हुई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर रहने की सीमा की बात करते हैं तो दो एम. पी. तीन साल तक वहां रहे हैं, और अब भी रह रहे हैं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री कांग्रेस के भी वहां रह रहे हैं। उनके साथ भी यही करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : शिकायतें होती हैं, उसमें सफाई होती है। उसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न हो यह बात नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : भूतपूर्व राजस्थान कैनाल मंत्री थे उन्होंने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सदन में कहा था इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : यह राजस्थान सरकार की प्रापर्टी है। एम. पी. ने कब्जा कर रखा है। कई सदन के सदस्यों ने उस प्रापर्टी पर कब्जा कर रखा हैं।

श्री अध्यक्ष : जो आवास है, उसमें रहने का, प्रवेश करने का, छोड़ने का सबका नियम बना हुआ है उसके अनुसार चलना चाहिए। अगर उन नियमों का उल्लंघन होता है तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आये, यह ठीक नहीं है।

श्री नाथूसिंह : बीकानेर हाउस पर कब्जा कर रखा है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय पहाड़िया जी नहीं हैं, वह बीकानेर हाउस में काफी दिन से रह रहे हैं क्या उनकी भी यही गति होगी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक नहीं चार माननीय सदस्यों के साथ हुआ। सुरेन्द्र जी और थे उनमें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, तो यह प्रावधान है····

श्री नाथूसिंह : एक इन्टेन्शन है माननीय मुख्य मन्त्री जी की, वह सरकार के खिलाफ थे इसलिए इन्टेन्शन में....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो श्री नरेन्द्रसिंह जी भाटी और श्री शिवचरण जी

(श्री यदुनाथ सिंह)

माथुर का झगड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री शिवराम जी शर्मा से आग्रह करूंगा, अगर उनमें थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तो उनके साथ क्या गुजरी है वह सदन को बताना चाहिए। इस तरह की हरएक के साथ हो सकती है। सदन को और शासन को इस घटना को इतना लाइट ली नहीं लेना चाहिए। इनके साथ घटना गुजरी है, यह इस सदन के सदस्य हैं। इनको नंगा करके और घसीट करके आर.ए.सी. इनको बूटों से ठोकर मारती हुई ले जाये, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम सब के लिए शर्म की बात है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्य से जरूर पूछा जाना चाहिए कि इनके साथ क्या घटना घटी....

श्री नाथूसिंह : कल को, अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य को जान से भी मारा जा सकता है। बहुत गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विधि मंत्री जी....

(व्यवधान)

कृपया शांत रहें। अगला, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में कुष्ट रोग और बीमारियों के सम्बन्ध में....

एक माननीय सदस्य : हनुमानजी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें....

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बिराजे हुए हैं वह सदन को आश्वस्त करें कि वास्तव में उनके साथ इस तरह से नहीं किया गया। यह जो भूमिका बन रही है चुने हुए लोगों, एम.एल.एज. और एम.पी., के साथ भविष्य में यह होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र नहीं रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुने हुए लोगों के साथ आम लोगों की तरह से बर्ताव किया जायेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी एक वक्तव्य दें कि वास्तव में क्या घटना थी।

(व्यवधान)

राजस्थान हाउस में अधिकारी लोग रहते हैं और एम.एल.ए. और एम.पी. को जगह नहीं मिलती है वहां रहने के लिए। क्यों आज भी अधिकारी लोग लम्बे समय से रह रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चुने हुए सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो फिर आम जनता के साथ क्या व्यवहार होगा?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जहां तक मैं समझती हूं, ऐसी परम्परा है कि स्टेण्डर्ड रेंट देकर वहां रह सकते हैं। लेकिन इन्होंने तो पूरा रेंट दिया है, इसलिए यह वहां पर रह सकते हैं। फिर भी इन्हें नहीं रहने दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायें। कृषि मंत्री जी....

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह लूंगी लगाकर भागकर आये, चड्ढी रह गयी इनकी राजस्थान हाउस के कमरा नं. 4 में।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पेन्डिंग प्रिविलेज कौन कौन से रह गये आप अभी बताने वाले थे। पेन्डिंग विशेषाधिकार के मामले कई पड़े हैं आपके पास, आप उनकी सूची बताने वाले थे।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पिटाई से माननीय सदस्य इतने सहमे हुए हैं कि उनकी यहां बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, सदन की एक कमेटी बना दी जाये जो कि इस की जांच करे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। मामला विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार होगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अभी तक डर के मारे चुपचाप बैठे हैं, इनका डर दूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अव्यवस्था न फैलायें, कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों के साथ हो रहा है इसलिए आपकी अध्यक्षता में एक समिति बनानी चाहिए इस प्रकरण की जांच के लिए।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तो हमेशा ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं लेकिन रामपाल जी उपाध्याय के बाद क्या दुर्गति हुई उस पर तो विचार करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अव्यवस्था न फैलायें। कृपया बैठ जायें। अन्य विषय भी हैं। अंकित न हो।

Page No 165

(165)

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विशेषाधिकार के अन्य मामले जो मेरे पास विचाराधीन हैं वह इस प्रकार हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई महिला सदस्या होतीं तो क्या होता? उनके साथ ऐसी हरकत होती तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या होता? बहुत बुरी परिपाटी चल रही है इस सदन के सदस्यों के लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। मान लीजिए माननीय शिवराम जी की जगह कोई महिला सदस्य होतीं तो राजस्थान क्या मुंह दिखाने लायक होता?

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : मार-मार कर सीधा कर देती।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सरकार का माननीय सदस्यों का असम्मान करने का साहस बढ़ेगा और पुलिस की भी ज्यादतियां बढ़ेंगी....

(व्यवधान)

....अगर सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो सदन को चिन्ता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदस्यों की रक्षा के लिए हैं यदि इस तरह माननीय सदस्य पिटकर निकल आयें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जो अन्य मामले मेरे पास विचाराधीन हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : ....आप यहां बैठे हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, कभी भी हमने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में न इस प्रकार का पढ़ा, न सुना जैसी इन पिछले दिनों में घटना हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। जब एक विधायक की भी जान माल सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? लगातार यह घटनायें होती जा रही हैं। ज्यों-ज्यों हम अवाइड करते जा रहे हैं त्यों-त्यों यह घटनायें बढ़ती जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अब इस पर भाषण नहीं होगा माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, +++

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत नहीं दी है। एक्सपन्ज कीजिए। यह बातें अंकित नहीं होंगी। आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो अंकित नहीं होगी जिनके × × × उनके तो अंकित हो गयी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी का है कंवारिया जी के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में। श्री भैरू सिंह गुर्जर का है मण्डल रेल कार्यालय के विरुद्ध रेलों में आरक्षण के सम्बन्ध में। श्री देवीसिंहजी भाटी का है केन्द्रीय कारागार का निरीक्षण करने जब माननीय सदस्य गये तो अधीक्षक द्वारा मना करने के बारे में। श्री नाथूसिंह, श्री यदुनाथसिंह, श्री राजबहादुर, श्री मेघराज तावड़ और श्री कमलेन्द्रसिंह का है सदन में कहे गये कुछ शब्दों के बारे में। श्री भैरू सिंह गुर्जर गृह समिति का दिल्ली का दौरा के सम्बन्ध में। श्री भैरोंसिंह शेखावत का है, सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री जी के दिनांक 8 जून, 1983 के वक्तव्य के विरुद्ध। श्री भैरोंसिंह शेखावत का है समाचार जगत में प्रकाशित समाचारों के विरुद्ध। श्री भैरोंसिंह शेखावत, घनश्याम तिवाड़ी, सुश्री पुष्पा का है, दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार के विषय में। घनश्याम तिवाड़ी का है विधान सभा भवन की भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में। श्री भैरू सिंह गुर्जर, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में और श्री भैरोंसिंह शेखावत का है, अध्यक्ष की व्यवस्था पर पुनर्विचार के सम्बन्ध में। इतने हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मेरा और है। मुझे 7 घण्टे तक हथरोई पुलिस ने डिटेन किया था, वह आप देखियेगा। चौपड़ पर जब सब्जी वालों पर लाठी चार्ज कर रहे थे तो मुझे उठाकर ले गये थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि इसमें चार को छोड़कर बाकी सब प्रथम सत्र के हैं। जो आपने गिनाये उनमें चार तो पहले के हैं। बाकी सब इससे पहले वाले सत्र के हैं। अभी तक आप उनकी जांच नहीं कर पाये और न कोई फैसला कर पाये।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि जो ज्वलंत प्रश्न होते हैं उनको पहले ले लेते हैं। कुछ पर कानून का अध्ययन करने के बाद जानकारी करते हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी मिनिस्टर के × × × जाये वह ज्वलंत नही है। आपके हिसाब से कंवरिया जी के चेम्बर में × × × वह आपके लिए ज्वलंत समस्या नहीं है....

एक माननीय सदस्य : नहीं × × ×

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं × × × तो आप पूछते उनसे। × × × उनसे पूछा क्या आपने कि × × × अध्यक्ष महोदय, न प्रस्ताव देने वाले से पूछा और न × × × उससे पूछा और आप कह रहे

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं कि ज्वलंत नहीं है। आप यह चाहते हैं कि × × × वह ज्वलंत समस्या नहीं बने। यह समझ में नहीं आता, माननीय अध्यक्ष महोदय।

जोधपुर हाउस के लिए आपने कुछ कहा मैं समझता हूं कि यह भी कहना उचित नहीं है। मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि आपने जो भी वर्डींग्स निकाले हैं, वहां जो इन्क्वायरी हो रही है वह उसको प्रिजुडिस करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने रखा ही क्यों ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भी सावधानी से बोलना चाहिए ताकि केस प्रिजुडिस न हो। आप अपने वर्डिंग्स को देखेंगे तो उनका निष्कर्ष यही निकलता है। आपकी सारी व्यवस्था से नरेन्द्रसिंह भाटी का केस कमजोर होता है निश्चित रूप से।

श्री अध्यक्ष : ऐसा न तो कहा है और न मैंने कोई व्यवस्था दी है, न मेरी मंशा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रारम्भ में जो शब्द कहे हैं, मुझे आश्चर्य यह है कि आपस में विवाद था, वह निकल नहीं रहा था, मुख्य मन्त्री जी ने कई बार कहा और उसके बाद निकल नहीं रहा था इसका मतलब यह है....

श्री अध्यक्ष : एक सिलसिला शुरू किया लड़ाई का। इसका मतलब यह है कि लम्बी चौड़ी लड़ाई चल रही है उसके अन्दर कोई एक पक्ष विशेषाधिकार के हनन का फायदा उठाना चाहे। विवादों के लिए ऐसा नहीं हो सकता, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भविष्य के लिये एक और बता दें, एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखें उसका तीन वर्ष तक इन्तजार करें, दो वर्ष तक या एक वर्ष तक इन्तजार करें। यह ज्वलन्त समस्या नहीं है, यह आप उस समय भी कह सकते थे। यह पिछले सत्र में भी कह सकते थे, उससे पहले वाले सत्र में भी कह सकते थे, जिस समय रखा उस समय भी कह सकते थे।

श्री अध्यक्ष : अब आप फरमा रहे हैं। उस वक्त भी आप उत्सुकता व्यक्त करते....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हर सैशन में कहता आया हूं कि विशेषाधिकार के प्रस्ताव का फैसला नहीं कर रहे हैं। कोई सैशन नहीं गया जिसमें मैंने यह बात नहीं कही हो। यह आप देखेंगे, या मैं देखूंगा। हमने विशेषाधिकार का प्रस्ताव रख दिया। मैंने समाचार जगत के खिलाफ रखा। आप बहस कर लें, निश्चित रूप से प्रिविलेज मोशन का मामला बनता है। आपने मेरे से बात नहीं की। आज तक आपने बात नहीं कि तुमने विशेषाधिकार का प्रस्ताव समाचार जगत के खिलाफ रखा है। उस संबंध में क्या कहना है। अध्यक्ष महोदय, आखिर मैं भी सदस्य हूं। मैंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव किया, आज तक आपने रिजेक्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं किया, आज तक आपने मेरे से बात नहीं की। यह मामला पेंन्डिग पड़ा है। इसी तरह से सब मामले पेंन्डिग पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : आप ही बात कर लेते मैं बात करना चाहता हूं, मैं उसी वक्त तैयार हो जाता। उसमें क्या बात थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात करने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कौन माननीय सदस्य, कितना उत्सुक है उस बात को भी देखना होता है। विशेषाधिकार का मामला है ···

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस तरह का बैरोमीटर आपके पास नहीं है। आपको केवल अधिकार दिया है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का अधिकार है, यह एक्स्ट्रा आर्डिनरी है इसका प्रयोग बहुत कम अवसरों पर किया जाना चाहिए····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सब मालूम है, बहुत कम अवसरों पर लिया जायेगा, लेकिन आपको यह भी है, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ कार्यवाही होगी, सदन में होगी····

(व्यवधान)

अब आप एक और बता दें। आपने कभी एक संकेत दिया हो विशेषाधिकार के के सम्बन्ध में तुम्हें क्या करना है, उस समय मैं आपको बताता। आपको कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी, आप तीन वर्ष बाद कह रहे हैं ज्वलंत समस्या नहीं है····

एक माननीय सदस्य : समय समाप्त हो गया।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से 15 मिनट के लिये समय और बढ़ाया गया।

(व्यवधान)

विशेषाधिकार हनन प्रस्तावों पर व्यवस्था

उत्सुक थे तो उस दिन आप फरमा देते हैं उसी दिन फैसला कर देता।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी पिछले सत्र में एक विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया था। मैंने विधि मन्त्री के खिलाफ एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने उसको रजिस्टर नहीं किया। उसके साथ एक पत्र मिला है जिससे कोई सबूत या जानकारी की जरूरत नहीं।

(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो दो शब्द निवेदन करूं। अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा हो तो मैं निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, अभी ना पक्ष की तरफ से हां पक्ष पर यह आरोप लगाया गया

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

कि वह डर से, भय से नहीं बोल रहे हैं। इस सदन में किस बात का भय है और किस बात का डर? यह जो आरोप लगाया गया है, सर्वथा मिथ्या व निराधार है। सबको यहां बोलने की पूर्ण स्वतन्त्रता है आपके रहते। आपने हमें दिया ही क्या है? सिर्फ यही तो दिया है कि खूब मनचाही बात कहो, लेकिन संयत भाषा में, किसी पर आक्षेप नहीं हो। कोई कटु बात नहीं कही जाये। अभी जो चर्चा चल रही थी जिनके साथ घटना घटित हुई, जिनके द्वारा घटना घटित की गई, दोनों ही मौन हैं। तीसरा ही पक्ष अपने आप प्रलाप कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अपनी मारवाड़ी में एक कहावत है, "ऊंट तो उछले ही नहीं, सवार अपने आप उछलने लग जाये"। इस सारे संदर्भ में माहौल को देखते हुए श्रीमद् भागवत गीता के पांचवा अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है—

नैव किंचित्करोमीति युक्तो
मन्येत तत्ववित्।

पश्यञ्श्रृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्न
श्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्।।8।।

प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु
वर्तन्त इति धारयन्।। 9।।

एक माननीय सदस्य : अर्थ तो बताइये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : इसका मैं संक्षेप में अर्थ बताता हूं क्योंकि आप सब लोग विद्वान बैठे हुए हैं और मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो घटना घटित हुई है उसको हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, लेकिन चिन्तित होकर भी उस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप इस तरह से बदल गये हैं जैसे विशेषाधिकार के मामले का आप बराबर पीछा करते रहे हों और मैं टालता रहा हूं। एक्स्ट्रा आर्डिनरी कानून है जिसका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिये। जब डेढ़ साल तक माननीय सदस्य उसके बारे में उत्सुक नहीं थे....

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो आज पता लगा कि पहले दो-दो साल तक विचार नहीं किया गया वरना हम नहीं कहते....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की उत्सुकता देखी जाती है। यह नहीं है कि इसको अदालत बनाकर सब फैसले करते रहें। यह मन्शा ही नहीं है विशेषाधिकार हनन के पीछे

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, आन न पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठ जायें। आसन पैरों पर है।

(श्री ग्रध्यक्ष)

पिछले 6 महीने में जितने माननीय सदस्य हैं वे....

(व्यवधान)

ग्रार्डर ग्रार्डर, बैठ जायें।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : मेरी बात का उत्तर दें। मैं बैठ जाती हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : मीटिंग होती है, किसी माननीय सदस्य को याद ग्राया मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है....

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्रापने पिछले सत्र में भी कहा, दो तीन बार में ग्रापसे मिली, मैंने खुद कहा....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : विपक्ष के नेता 1952 से इस सभा के सदस्य हैं। ग्रापको जो कागज की पूर्ति करनी होती है या लिखना होता है निम्न भाषा में लिखाकर चले जाते हैं, वह ग्रौर बात है। मैं मानता हूं एक दो दफा जरूर कहा होगा, ग्राप चाहते इस प्रश्न को ग्रागे भी उठाया जा सकता था। इसलिए खाते में रुपया तो ग्राये नहीं मियाद से बचने के लिए दस्तखत करा देते हैं। वह जरूर ग्रापने किया है। जितने भी माननीय सदस्य हैं किसी को याद नहीं ग्राया। इतनी उत्सुकता, इतनी नाराजगी बता देते तो मैं उसी वक्त फैसला कर देता। 6 महीने से फैसला लिखे हुए मेरे पास हैं, फाइलें देख लो, ग्रभी जाकर देख लो।

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने पिछले सेशन में याद दिलाया था। कंवारिया जी वाले....

श्री ग्रध्यक्ष : उस दिन कंवारिया से नाराजगी होगी, भैरोंसिंह जी से नाराजगी होगी, सरकार से नाराजगी होगी, कोई ग्रन्य गरमागरम विषय नहीं होगा इसलिए कंवारिया जी को पीट दिया, यह ग्राप ने कह दिया होगा। ग्रगर ग्राप चाहते भी तो एक स्थगन प्रस्ताव के लिए तीन चार बार ग्रा करके कह सकते हैं तो विशेषाधिकार हनन के बारे में पांच छः दफा मुझे याद दिलाते इसमें कौन सी कठिनाई थी, यह मेरी समझ में नहीं ग्राया।

सुश्री पुष्पा जैन : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने पहले दिन से ग्रापसे बराबर जैमन काण्ड के लिए कहा। पहले दिन मैंने जैमन काण्ड के ऊपर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। मैं लगातार ग्रापके पास ग्रा रही हूं लेकिन ग्राज भी मुलजिम खुले फिर रहे हैं....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री ग्रध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव की ग्राप बात कर रही हैं, मैंने निवेदन कर दिया कि सभी स्थगन प्रस्ताव ग्रा नहीं सकते।

(व्यवधान)

विषयान्तर हो रही हैं, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापको इस बारे में मुझे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थगन प्रस्ताव पर आ गयीं। स्थगन प्रस्ताव पर मैंने ताकीद कर दी।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे जन लेखा समिति के सभापति महोदय ने एक आनन्द मोहन लाल के खिलाफ आपको दिया था। आपने उसके बारे में कुछ उल्लेख ही नहीं किया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने भी दिया था उसका उल्लेख ही नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : मैंने चेयरमैन साहब से बात कर ली थी। उनसे मैंने निवेदन कर दिया था कि इसमें विशेषाधिकार हनन प्रश्न बनता नहीं है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : चेयरमैन साहब अकेले क्या करते ...

श्री अध्यक्ष : हम छोटे छोटे मामलों पर अगर विशेषाधिकार हनन बनाने लग जायें तो कोई हम अदालत तो है नहीं या हम छुईमुई का वृक्ष नहीं है कि हमारे हाथ लगाया और कुम्हला गये। हम राजनीतिज्ञ हैं। हम राजनीतिक जीवन में काम करते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप नियम समिति को सिफारिश कर दें, विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कल कोई मीटिंग में पत्थर फेंक गया और उससे चोट लग गयी तो विशेषाधिकार हनन हो जायेगा या अपनी मीटिंग में अवरोध हो गया तो विशेषाधिकार का हनन हो जायेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, जो नियमों के दायरे में आता है, वही विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है और हम उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार मेरे पास आते हैं उस पर मैं विचार कर लेता हूं तत्काल और उन पर कार्यवाही भी कर लेता हूं। मैंने आपको निवेदन किया कि मेरी यह मंशा नहीं है कि हम जनता के ऊपर कोई सुपर क्लास हैं जो जनता से अलग है, हमारे लिए अलग कानून है।

आर्डर प्लीज ..

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : जनता के काम करने जाते हैं उसमें हमें बाधा पहुंचायी जाती है।

श्री अध्यक्ष : उसमें बाधा पहुंचायें, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, यह मैं आपको कहता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको प्रस्ताव दिया था। मैं जेल का निरीक्षण करने गया था तो जेल सुपरिन्टेंडेन्ट ने मुझे रोका। वह रूल्स में है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको रिमाइण्ड कराया था।

श्री अध्यक्ष : मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। मैंने उसका गहराई से अध्ययन

(श्री अध्यक्ष)

किया है। आप जेल में जा सकते हैं। थोड़ी मेरी जुबान फिसल गयी, निरीक्षण करने हम जा सकते हैं, लेकिन हमको कोई न कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आप सूचना समय पर दें। जेल समय पर खुलती है, समय पर बन्द है, उसके प्रवेश के कुछ नियम हैं, अलग अलग प्रकार के कैदी हैं, अलग अलग जगहों पर रखे जाते हैं। आप सूचना देते और समय पर जाते। आप यह चाहते थे कि आप एकदम जायं क्योंकि आप इन्सपैक्शन कर सकते हैं इसलिए उस वक्त सब खुल जाय। यह एक सलाहकार समिति है माननीय सदस्य, उनका कोई सुपीरियर आफिसर होता तो उसको तो यह अधिकार है, लेकिन एज एम. एल. ए. हमको यह अधिकार है या नहीं, यह काफी विवादास्पद है।

एक माननीय सदस्य : जेल समिति के मैम्बर होते तो अधिकार हो जाता।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। मैंने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन हमें कुछ नियमों के अनुसार, कुछ मर्यादाओं के अनुसार....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 मिनट तो आपके खड़े-खड़े ही निकल जायेंगे और मेरे पाइण्ट आफ आर्डर या मेरे प्रश्न का कुछ नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती थी कि हमको शुरू से यह सिखाया जाता है कि अच्छे मैनर्स अच्छे मैनर्स होते हैं, अपनी बारी पर बोलो, जो जहां के नियम हैं उनसे हटकर व्यवहार मत करो। हम जब तक कि राउडिज्म न करें तब तक हमारे प्रिविलेज मोशन की कोई सीरियसनेस नहीं लगती आपको। मेरा प्रिविलेज मोशन पिछले सत्र से दिया हुआ है। मैंने आपको सबूत के साथ दिया है जो कि माननीय मन्त्री महोदय ने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप सदैव मुझसे मिलती रहती हैं अगर आप अपनी इच्छा व्यक्त करतीं....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया तो समाप्त करनी पड़ेगी कि हम बार बार परम्परा का आसन को बोध कराते रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया तो समाप्त करनी पड़ेगी कि हम बार बार जब ध्यान दिलायें तभी काम होगा। यह तो आटोमैटिकली सैक्रेटेरिएट का काम चलाते रहना चाहिए। हम ही याद दिलायेंगे क्या तभी गम्भीरता होगी? मैंने तो आपको सबूत के साथ पत्र दिया है। मैंने उस पत्र में यह भी बताया है। वह पत्र आपने पढ़ा होगा कि माननीय मंत्री जी ने यूनिवर्सिटी में....

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार हनन वाले में आपसे बात हो गयी थी। विपक्ष के नेता महोदय से बात हो गयी। सब पक्ष मैंने समझा दिये थे। मैं यह समझा कि आप मेरी बात से संतुष्ट हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम संतुष्ट भी हो गये तो जनता कैसे संतुष्ट होगी।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी ने एक पत्र लिखा उसके बारे में अपनी बात भी हुई थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं नहीं समझता था कि इस सम्बन्ध में जो बात हुई, आप मुझसे कहलवायेंगे लेकिन चूंकि आपने कहा है इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। आपने मुझसे यह कहा कि यह पत्र लिखा है, पत्र तो वाजिब नहीं है लेकिन इस बूढ़े आदमी ने गलती से लिख दिया इसलिए छोड़ो, यह आपने कहा।

श्री अध्यक्ष : यहां यदि कोई क्षमा याचना करता है तो उसको हम माफ नहीं करते हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : यदि उसको दण्डित करते हैं तो देखते हैं कि किस उम्र का है। यदि छोटा है तो पैरोल पर छोड़ देते हैं। अगर अधिक बुजुर्ग है तो उसको ज्यादा सख्त सजा नहीं देते।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में करे तो यह दूसरे मन्त्रियों के लिए भी एक उदाहरण रहेगा। इस बात के लिए वह सावधान रहेंगे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाइये।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी आप वक्तव्य तो दे ही दो।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपके वक्त में क्या हुआ।

श्री यदुनाथसिंह : ऐसा लग रहा है कि एस. सी. और एस. टी. की रिपोर्ट पर विचार ही नहीं होगा। वैसे ही एक साल बाद इस सब्जेक्ट पर, इस रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। बजट पर....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, मैं आज प्रातः काल से ही बराबर कोशिश कर रहा था कि जो दूसरा जीरो आवर का बिजनेस है उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाय....

एक माननीय सदस्य : नहीं। आज तो आपने ढील दी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कब दी। मेरा इरादा यह नहीं था। अभी तक मेरी यही इच्छा है लेकिन अब माननीय सदस्य मान लो थक जाते हैं, कोई कहता है हमको आज जाना है, नहीं जाना है वह एक अलग बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि हमें तो बोलने का समय मिल नहीं रहा है, इस रिपोर्ट के ऊपर आप हमारी तरफ से भाषण दे दें।

शासकीय वक्तव्य

पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में फसलों में बीमारियां

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कृषि) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 50 के अंत-

(श्री देवेन्द्र सिंह)

गत एक स्थगन प्रस्ताव रखा है जिसमें उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले 15 मिनट का समय बढ़ा दिया....

श्री अध्यक्ष : अब समय आगे बढ़ाना है ? माननीय सदस्यों की क्या इच्छा है ?

सदन की अनुमति से आधा घण्टा समय बढ़ाता हूं ताकि यह जो मन्त्री जी का वक्तव्य है, यह हो जाय ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : अध्यक्ष महोदय, सोमवार तक के लिए बढ़ा दीजिए ।

पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में फसलों में बीमारियां

श्री देवेन्द्र सिंह : जिसमें उन्होंने यह कहा है कि पश्चिम राजस्थान में खास तौर से खरीफ फसलों में बीमारियां फैलती हैं....

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो करवा दो कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट कम से कम अगले सत्र में तो डिस्कस की जाय ।

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप स्वयं जानते हैं राजस्थान में पिछले 10 वर्षों से निरन्तर सूखे की स्थिति रही है लेकिन राजस्थान के किसान का परम सौभाग्य है कि इस वर्ष ईश्वर की कृपा से सर्वत्र अच्छी वर्षा होने से राजस्थान में फसलें अच्छी हैं । माननीय सदस्य ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बीमारियां फैलने से फसलों को नुकसान हो रहा है और किसानों में भयंकर रोष व्याप्त है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष हमें इस तरह की महामारियों की कहीं से शिकायत समय पर प्राप्त नहीं हुई । जैसलमेर जिले में पाकिस्तान की तरफ से लोकस्ट से फ्लाक्स आये थे उनका एरियल सर्वे और स्प्रे करा करके कन्ट्रोल कर लिया गया । इसके उपरान्त भी हमने समस्त जिलाधीशों को यह अधिकार दिये हैं कि यदि कोई महामारी फैले तो वहां पर वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके, हमारे जो साधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके उसको रोक लें, लेकिन राजस्थान में इस वर्ष, जैसा मैंने निवेदन किया, जहां हमने 27 लाख टन का उत्पादन का लक्ष्य सोचा था वहां इस वर्षा से राजस्थान में पहला अवसर है जब किसी भी जिले मे इस वर्ष अकाल की स्थिति नहीं है और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान, जहां अनेक वर्षों से इसका सामना करना पड रहा था, में किसान के चेहरे पर सर्वत्र खुशी की लहर है । माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वहां पर रोष व्याप्त है, असंतोष है, मैं समझता हूं असंतोष रोष तो माननीय सदस्य के चेहरे पर है क्योंकि उनको लगता है कि किसान को राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के कृषि विभाग ने इस वर्ष जो प्रयत्न करके अच्छी फसल उगाने में कीटनाशक उपलब्ध कराके, खाद उपलब्ध कराकर जो किसान को प्रगति के रास्ते पर लाये और जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उससे भी अधिक उत्पन्न होगा । उससे निश्चय ही किसान बहुत प्रसन्न होगा कि उसको भरपूर फसल मिलने वाली है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन राजस्थान

(श्री देवेन्द्रसिंह)

के किसी भी हिस्से में किसी भी फसल पर किसी भी प्रकार की महामारी का प्रकोप नहीं है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है और वक्तव्य में जो उन्होंने बताया है, मेरा खास मुद्दा चिन्हित किया हुआ था कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में मोठ, मूंग, तिल में माथा बंधने की बीमारी है जो आगे चलकर भयंकर महामारी का रूप ले लेगी। आपने यह कहा कि राजस्थान में और विशेष कर पश्चिमी राजस्थान में किसी भी फसल के अन्दर आज किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। मैं आपसे इस संबंध के अन्दर....

श्री देवेन्द्र सिंह : महामारी का प्रकोप नहीं है। बीमारी तो किसी भी खेत में हो सकती है। महामारी का प्रकोप नहीं है, यह कहा है।

श्री महाराम चौधरी . अध्यक्ष महोदय, मैंने जो लिखकर दिया है वह मंगाकर आप देख लीजिये। मैंने स्पष्ट रूप से यह लिखा कि मोठ, ग्वार और तिल की फसलों के अन्दर बीमारी है और तिलों का माथा बंध रहा है जो आगे चलकर यह बीमारी भयंकर रूप ले लेगी। इससे महामारी के फैलने का अंदेशा है। आपने इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने क्या इस संबंध के अंदर कोई जानकारी कराई है। आपके पास में अधिकारियों की तिलहन और दलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक फौज बनी हुई है उस फौज का यह काम है। तिलहन के विकास के लिए और दलहन की फसलों का विकास करने के लिए उन्होंने क्या-क्या कार्यक्रम बनाया है? क्या उन्होंने सीड ट्रीटमेंट के लिऐ कोई उपचार या देशी बीज की कोई व्यवस्था की है या उन्होंने इस प्रकार की बीमारी नहीं फैलने देने के लिए या यह बीमारी नहीं लगने देने के लिए सोइल ट्रीटमेंट की किसी तरह की व्यवस्था की है? सिर्फ अपने कागजों के अन्दर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर सेक्रेटेरियट लेवल पर और जिला स्तर पर जिलों के अन्दर सिर्फ अधिकारियों की गोष्ठी की है। अगर आपने यह गोष्ठी किसी जगह की है तो, जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं इनमें से एक भी सदस्य यह कह दे छाती के हाथ लगाकर सच्ची बात कि भई, कृषि विभाग के अधिकारियों ने तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे क्षेत्र के अन्दर किसी तरह की गोष्ठी की है। अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने यहां पर वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य में जो यह कह दिया कि फसलों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है उसको मैं चैलेंज करता हूं या तो अधिकारियों को जानकारी नहीं है या जो मैंने यह स्थान प्रस्ताव पेश किया है, इसके पेश होने के बाद में आपने उस क्षेत्र के अन्दर अधिकारियों से जानकारी कराई या नहीं कराई कि मोठ के अन्दर पत्ता पीला पड़ करके नीचे हरा हरा एक जानवर इस तरह का लग गया है कि दस पर्सेन्ट भी मोठ का अगर उत्पादन हो जाय तो गनीमत समझें, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तिलहन में, अध्यक्ष

(श्री महाराम चौधरी)

महोदय, मैंने खेतों में फिर फिर कर देखा है, तिलों के अन्दर माथा बन्धने की बीमारी ऐसी भयंकर होती है कि तिलहन के अन्दर से जो कोपलें फूटती हैं उन कोपलों का बढ़ना नहीं हो सकता है। इसकी अगर एक बीघा में दो मण या ढाई मण उत्पादन होने की क्षमता होती थी तो उसके एवज में अगर तिलहन एरिया के अन्दर आधा मण से ज्यादा तिल आ जाये तो गनीमत समझें, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य को मैं चैलेंज करता हूं। या तो विधान सभा की कोई टीम बना करके इस सम्बन्ध की जानकारी करवा दी जाय या आप स्वयं इस मामले को जानते हैं, जो सबसे ज्यादा मोठ उत्पादन का एरिया है, नोखा, बीकानेर, नागौर और बाड़मेर से लगाकर पूरा का पूरा एरिया है, आपने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं ली। जब कृषि उत्पादन बढ़ाने की कार्यवाही करने का वक्त था उस वक्त में आप दिल्ली के अन्दर बैठे बैठे लोगों की हड्डी पसली एक कर रहे थे। आपने खुद इस सम्बन्ध में कोई तवज्जोह नहीं दी। आपके कृषि विभाग की फौज है वह ऐसी फौज है कि सिवाय एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चे के अलावा किसी भी तरह का कोई भी कार्य होता हुआ हमने नहीं देखा है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को चैलेंज देता हूं कि अगर यह बीमारी नहीं हो तो आप कहें जैसा मैं करने को तैयार हूं। मैं इस बात का जवाब चाहता हूं कि सोइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट के लिये जिन क्षेत्रों के अन्दर पिछले लगातार पांच सालों से अकाल था उस क्षेत्र के अन्दर कीटनाशक दवाइयों के सम्बन्ध में किसी तरह की कोई कार्यवाही की ? इन सब चीजों का कृपया जवाब दे दें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह तो पश्चिमी राजस्थान के बारे में है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सारे राजस्थान के बारे में बात है। मैं तो केवल एक मिनट में अपनी बात कह देता हूं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां किसान ने अपने लड़के को चिड़ियों की रखवाली के लिए खेत में भेजा। फिर उसने पूछा कि चिड़िया खेत में आती है कि नहीं आती है। उसने जवाब दिया कि जब मैं सो जाता हूं तब तो एक भी नहीं आती और जागता हूं तो चिड़िया ही चिड़िया दिखाई देती हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंट सो रहा है। उसको बीमारी दिखाई नहीं देती है। खेतों में जाकर देखें कि कितनी जगह बीमारी आ गई है। सोयाबीन में बीमारी आ गई है। उत्तर प्रदेश में तो बीमारियों से सोयाबीन की खेती नष्ट हो गयी है। वहां पर सोयाबीन पैदा करना बन्द कर दिया है। मंत्री महोदय, जब डिपार्टमेंट जागेगा तब उसको बीमारी दिखाई देगी। सोते हुए तो कोई बीमारी दिखाई नहीं देगी।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति सांगोद के प्रधान की यह चिट्ठी है। उन्होंने लिखा है कि पिछले साल भी मसूर के अन्दर महामारी फैली थी। उसकी शुरूआत अभी से हो गई है। कृपा करके अगर आप फरमायें तो पूरी चिट्ठी पढ़ दूं। आप राजस्थान विधान सभा में इस बात को रखें कि मसूर में महामारी की बीमारी फैल रही है। यह बीमारी नई प्रारम्भ हुई है चार पाच साल से कोटा जिले में मसूर के अन्दर लगती है।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, खेतों में जब किसान खेती करता है तो उसमें बीसों तरह के रोग हो जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह बिश्नोई : यह बात सर्वविदित है कि जब किसान खेती करता है, बरसात होने से लेकर फसल पकने तक बीसों तरह के रोग लगते हैं। मंत्री महोदय का यह बात कहना कि इस बार फसल में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, वास्तव में उचित नहीं है। मैं आपको ठीक कहता हूं, पूरे राजस्थान की तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन पूरे जोधपुर संभाग के अन्दर तिलहन की समस्त खेती खराब हो गई है। वास्तव में उसका मुंह बन्ध गया है। मुंह बंधने के बाद में किसान को वापस खेती करके दूसरी फसल बोनी पड़ी है, यह जानकारी कम से कम मंत्री महोदय को होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई भी अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दे दी हो, लेकिन मैं आपको जानकारी कराता हूं कि पूरे जोधपुर सम्भाग के अन्दर बरसात चूंकि पहले हो गई थी, हमारे यहां पर समय से पहले बरसात हो गई थी इसलिए बाजरी के वक्त भी तिलहन की खेती कर दी थी फलस्वरूप तिलहन की फसल एक महीने पहले ही खराब हो गई। अधिकारियों ने बिल्कुल तवज्जोह नहीं दी। अगर वह तवज्जोह देते तो उनका मुंह खुल सकता था। यह बात किसान भी कर सकता था यदि यह कार्य युद्ध स्तर पर होता। आज किसी भी किसान के खेत में तिलहन की एक बीघा खेती भी पकी नहीं है। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है किसान को और राष्ट्र को नुकसान हुआ है क्योंकि बाहर से तेल मंगाना पड़ेगा। यह कम बात नहीं है। किसान अपनी जीविका उपार्जन के लिए, दूसरे काम के लिए तिलहन की खेती करता है। बाजरी बोता है खाने के लिए और तिलहन बोता है दूसरे काम-काज के लिए। पिछले चार पांच साल से अकाल था और अकाल के बाद में जब तिलहन बोया गया तो खेती नष्ट हो गई। इसलिए मेरे खयाल से तो, मुख्य मंत्रीजी भी यहां विराजे हुए हैं, कृषि मंत्रीजी भी हैं, इनको सही रिपोर्ट मंगानी चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर यह बात कृषि अधिकारी ने कही है तो यह सरासर गलत है। इस बात की जांच होनी चाहिए। जिस अधिकारी ने कहा है कि यहां तिलहन की फसल खराब नहीं हुई, उस अधिकारी को निल-

(श्री रामसिंह विश्नोई)

म्बित किया जाना चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए। हम जांच कराने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुजानसिंह।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्वार के एक विशेष बीमारी है और जो कीड़ा है वह हरा हरा है। मेरे इलाके में ग्वार की फसल है वह बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मेरे खयाल से विभाग को इस बात की जानकारी है, मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री यादव।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, रामसिंहजी ने जैसा बताया कि राजस्थान में जितनी भी फलीदार फसले हैं चाहे तिलहन हो, चाहे ग्वार हो, चाहे मोठ हो, चाहे चौला हो, चाहे मूंग हो, चाहे मसूर हो चाहे मोठ हो, सारी की सारी फसल कीड़ा लगकर खत्म हो चुकी है। तब भी मेरी समझ में नहीं आता, मंत्री महोदय, कृषि अधिकारी सही सूचना क्यों नहीं देते। मंत्री महोदय, आप गांवों में जाकर खेतों को देखते तो पता चलता कि ग्वार की फसल है तो क्या हालत है, मोठ की फसल है तो क्या हालत है।

(व्यवधान)

बाई दी वे, गांवों में पधारे नहीं, नहीं तो गांवों में खेतों को देख लेते तो यह वक्तव्य नहीं देते। किसानों का दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा उसकी बिजली की कटौती की जाती है। 14 पर्सेन्ट बिजली किसानों को दी जाती है। राजस्थान में 85 प्रतिशत किसान हैं लेकिन 15 पर्सेन्ट बिजली दी जाती है। हर जगह किसान के साथ....

एक माननीय सदस्य : हर जगह किसान के साथ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अलग प्रश्न है।

श्री तेजपाल यादव : मैं कह रहा हूं, हरेक जगह किसानों की फसल को बचाने के लिए किसी तरह का ध्यान नहीं है। उस किसान की ओर कोई ध्यान ही नहीं गया है। हर तरह से बेचारे किसानों का शोषण हो रहा है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है क्या बेरोजगारी मिटाने के लिए है ? ग्राम सेवक इतने भर रखे हैं, गांव गांव में ग्राम सेवक हैं। इतना किसी विभाग में स्टाफ नहीं है जितना कृषि विभाग में है फिर भी सही सूचना मन्त्री महोदय के पास नहीं पहुंचे तो विभाग को जनता का पैसा खर्च करने से क्या फायदा है। केवल बेरोजगारी मिटाने के नाम से रखो तो रखो। हर ग्राम में ग्राम सेवक है फिर भी सूचना नहीं आती है। हर जगह कृषि प्रसार अधिकारी हैं, हर जिले के अन्दर जिला कृषि अधिकारी हैं। विभाग में इतने अधिकारी हैं फिर भी सूचना नहीं आती है, यह कितने दुःख की बात है।

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति कर रहे हैं, माननीय सदस्य। यह बात आपने कह दी।

श्री पीरूराम (टीबी) : अध्यक्ष महो-

(श्री पीरूराम)

दय, मंत्री जी ने यह बात कही है कि कहीं पर फसल में कोई बीमारी नहीं है। मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि आपके अधिकारी खेतों में नहीं जाते हैं, आपके अधिकारी दफ्तर में ही रहते हैं। जो डी० ओ० अधिकारी लगा रखे हैं वे अपना धंधा करते हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूं, न तो वे काश्तकारों को समझते हैं न ही वे साइट पर जाते हैं। बहुत सी जगह हमने काश्तकारों से पूछा है तो यह पता पड़ा है कि वे तो अपने हिसाब से ही खेती करते हैं, ये अधिकारी लोग उन्हें कुछ भी नहीं समझाते हैं। मैं यह कहता हूं कि कृषि अपराधियों को जो जीप दे रखी है वह पुलिस थाने में दे दें तो अच्छा है ताकि अचानक कोई वारदात हो जाय तो वे जीप से अपराधियों को ढूंढ़ तो सकते हैं। इन अधिकारियों ने जीप सिर्फ अपने पर्पज के लिए रख रखी है। ये कहीं भी काश्तकारों को समझाने नहीं जाते कि इस समय बुवाई हो रही है इसके अन्दर यह बीज डालो, यह देखो या ऐसे बुवाई करो। मेरे क्षेत्र में मैंने कहीं इन अधिकारियों को नहीं देखा है। छोटे से छोटे अधिकारियों के पास जीप मिलेगी, वह शहर में घूमती नजर आयेगी। कृषि अधिकारी की जीप घूम रही है, लेकिन कृषि अधिकारी का पता नहीं पड़ता है। नरमा, कपास, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मोठ आदि की जिले में जब बुवाई होती है उस समय, मंत्री महोदय, आपके अधिकारियों को बताना चाहिये, काश्तकार जब फसल बोने लगे तब उनको सलाह दे, टेक्निकल बात बताये। अध्यक्ष महोदय, मैंने इनका कृषि फार्म, जो हमारे हनुमानगढ़ में कोला के अन्दर है, भी देखा है। चने के ढेर के ढेर हैं लेकिन उनमें खरंगे नहीं हैं। यह तो बीज की परिभाषा है। मंत्री महोदय, आप इस विभाग पर कंट्रोल करें, काश्तकारों को राहत दें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री पीरूराम : दवाइयों के लिये सब्सिडी मिल रही है लेकिन जब बीमारी खतम हो जाती है तब अधिकारी दवायें लेकर जाते हैं वह दवाइयां बाजार में बेच कर खा जाते हैं। किसी को नहीं देते। सब्सिडी किसी को नहीं देते हैं, बार-बार लोगों से पूछते हैं आप भी नीम····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

मैंने मन्त्री महोदय का नाम पुकारा है। चर्चा समाप्त हो गई। मन्त्री जी का उत्तर होगा।

(व्यवधान)

पर्याप्त है, माननीय सदस्य।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पूर्व में निवेदन किया····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक ही बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, समय न लें।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सिर्फ।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैंने कभी यह निवे-नहीं किया....

श्री हंसराज शर्मा : इजजात देंगे तो कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी बात तो सुनें....

(व्यवधान)

मेरे क्षेत्र के काश्तकार की समस्या है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

यह सभा को चलाने का कौनसा तरीका अपनाया है। हम कहते हैं तो एक मिनट, कभी दो मिनट।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बैठ जायं, माननीय सदस्य। आर्डर। मन्त्रीजी से अगर सुनना चाहें....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। उत्तर नहीं सुनना चाहें ता....

(व्यवधान)

आर्डर। मैं इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज।

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी भी यह निवेदन नहीं किया कि किसी भी फसल में कोई बीमारी नहीं है। मैंने यह कहा कि ऐसी महामारी किसी फसल में नहीं लगी हुई है जिससे व्यापक पैमाने पर कोई फसल नष्ट हो रही है। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है मैं आज ही विशेष जानकारी लेकर जो कुछ आगे व्यवस्था की जा सकती है वह करूंगा। लेकिन एक बात माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, जो चिन्ता व्यक्त की है उसके बाबत यदि किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लें तो उसमें आपका सहयोग चाहता हूं। आप कृपा करके सिफारिश करें तो निश्चित तौर पर तथ्य मालूम करें....

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कौन सिफारिश करता है। फिर प्रश्न आता है....

(व्यवधान)

मेरे को और सदन को बताइये, अधिकारियों की सिफारिश कौन करता है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.07 बजे अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 130 की सूची

ग्राम टीडी के कनेक्शन की सूची :—

1. श्री खलील अहमद नारीर अहमद
2. श्री उदयलाल गहरीलाल तेली
3. श्री लक्ष्मीलाल दलीचन्द सुवालका
4. श्री मोहनलाल चन्द्रमल सिन्धी
5. श्री लक्ष्मीलाल पूनमचन्द जैन
6. श्री चुन्नी लाल डूँगर जी महाजन
7. श्री पूनम चन्द कालूजी लुहार
8. श्री लक्ष्मण पिता रामाजी मीणा
9. श्री सयैद हसन अलीफोज अली
10. श्री बरदीचन्द टेकचन्द खटीक
11. श्री कालूलाल नाथूलाल कलाल
12. आदिवासी भारतीय छात्रावास टीडी
13. राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल टीडी

(182)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 131 की सूची

कार्यालय नगर परिषद कोटा (राजस्थान)

दिनांक 1.7.81. से 31.8.83 तक गत 2 वर्षों में नगर परिषद् कोटा द्वारा बैंकों से फिक्स डिपाजिट राशियां भुगतान हेतु ड्रा की गई :–

क्रमांक	बैंक का नाम	राशि	विदड्राल की दिनांक	जमा कराने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, कोटा	200000.00	8.6.82	26.5.81
2.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, कोटा	200000.00	8.6.82	26.5.81
3.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, कोटा	200000.00	8.6.82	26.5.81
4.	सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, कोटा	230926.78	8.6.82	3.6.81
5.	सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, कोटा	676668.86	6.10.82	4.10.81
6.	सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, कोटा	74766.25	23.11.82	11.11.81
7.	पंजाब नेशनल बैंक, कोटा	215550.00	22.5.83	22.5.82
8.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर, कोटा	215000.00	10.5.83	18.5.82
9.	दी कोटा सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. कोटा	141932.07	24.6.83	10.2.83
10.	,, ,,	168221.01	24.6.83	23.2.83
11.	,, ,,	167140.67	24.6.83	24.2.83
12.	,, ,,	700000.00	3.6.83	21.2.83
13.	,, ,,	142036.87	28.6.83	14.2.83
14.	,, ,,	154346.81	28.6.83	7.1.83
15.	,, ,,	166270.52	28.6.83	24.1.83
16.	बैंक आफ इंडिया, कोटा	100000.00	5.7.83	1.7.82

1	2	3	4	5
17.	दी कोटा सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० कोटा	92088.13	7.7.83	15.12.82
18.	पंजाब नेशमल बैंक, कोटा	173262.00	7.7.83	29.12.82
19.	पंजाब नेशनल बैंक, कोटा	177787.50	7.7.83	29.12.82
20.	दी कोटा सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, कोटा	499230.00	7,7.83	29.12.82
21.	,, ,,	269175.55	7.7.83	31.1.83
22,	पंजाब नेशनल बैंक, कोटा	231016.00	27.7,83	22.7.82
23.	,, ,,	69304.80	27.7.83	22.7.82
24.	न्यू बैंक आफ इण्डिया, कोटा	65000.00	30.7.83	30.7.82
25.	दी न्यू बैंक आफ इण्डिया, कोटा	41000.00	30.7.83	12.7.76
26.	,, ,,	25000.00	30.7.83	12.7.76
27.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर, कोटा	100000.00	3.8.83	1.7.82
28.	दी कोटा सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, कोटा	530740.63	10.3.83	21.2.82
		6026414.45		

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या की 133 सूची

क्र.सं:	विदेशी मदिरा की वर्ष 1982–83 में उठी दुकाने	न्यूनतम राशि	प्राप्त राशि	वि. वि.
1	2	3	4	5
1.	अजमेर शहर नं० 1	600200.00	600250.00	
2.	,, 2	600200.00	600211.00	
3.	,, 3	600200.00	600211.00	
4.	,, 4	600200 00	600211.00	
5.	,, 5	600200.00	600211.00	
6.	,, 6	600200.00	600211.00	
7,	,, 7	600200.00	600211.00	
8.	,, 8	600200.00	600211.00	
9.	,, 9	600200.00	600211.00	
10.	,, 10	600200.00	600211.00	
11.	,, 11	600200.00	600211.00	

1	2	3	4	5
12.	अजमेर शहर नम्बर 12	600200.00	600211.00	
13.	,, 13	600200.00	600211.00	
14.	,, 14	600200.00	600211.00	
		8402800.00	8402982.00	

थोक दुकानात

क्र.सं.		न्यूनतम राशि	प्राप्त राशि
1	2	3	4
1.	अजमेर नं० 1	96400	96500
2.	,, 2	96400	96500
3.	,, 3	96400	96500
4.	,, 4	96400	96401
5.	,, 5	96400	96401
		482000	482302

(186

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 135 की सूचना

प्रपत्र "क"

क्र.सं.	मुख्य अभि. का नाम	पदस्थापन का स्थान	कार्यभार संभालने का दिनांक
1.	श्री एल. बी. बक्षी	जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर	3.8.83 से बीमार होने के कारण अवकाश पर।
2.	श्री एम. एम. एस. माथुर	कार्यालय मुख्य अभियन्ता जयपुर।	6.8.83
3.	श्री एम. सी. शर्मा (पथ)	कार्यालय मुख्य अभियन्ता जयपुर।	3.8.83
4.	श्री अखेय राज माथुर	राज. राज्य विद्युत मंडल में प्रतिनियुक्ति पर।	4.8.83
5.	श्री पी. के. लोरिया	आवासन मंडल में प्रतिनियुक्ति पर।	3.8.83
6.	श्री सी. बी. माथुर	राज. राज्य पुल निगम में प्रतिनियुक्ति पर।	3.8.83

उपरोक्त मुख्य अभियन्ताओं के अतिरिक्त श्री के. के. सरीन, भारत सरकार में अतिरिक्त महानिदेशक (रोड्स) के पद पर, श्री बी. के. गुप्ता विदेश में प्रतिनियुक्ति पर एशियन बैंक, मनीला में हैं और श्री जे. एम. मल्होत्रा, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर में पदस्थापित हैं।

प्रपत्र "ख"

क्र.सं.	स्थान	पद का नाम व संख्या	पद सृजन करने का दिनांक
1.	सार्व. निर्माण विभाग	1 मुख्य अभियन्ता (भवन व पथ)	15.5.49
2.	सार्व. निर्माण विभाग	1 मुख्य अभियन्ता (पथ)	21.7.83
3.	आवासन मण्डल	1 आवासन आयुक्त	17.4.79
4.	जयपुर विकास प्राधिकरण	1 निदेशक (अभियांत्रिक)	14.7.82
5.	पुल एवं निर्माण निगम	1 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक	8.2.79
6.	राज. राज्य विद्युत मंडल	1 मुख्य अभि. (सिविल)	24.9.82

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

राज्य के विभिन्न जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर

137. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) एवं श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत क्या रही ?

(2) क्या यह सही है कि पाकिस्तान सीमावर्ती जिलों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में यह दर अधिक रही ? कृपया गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों की औसत जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर का विवरण सदन की मेज पर रखें।-

(3) क्या उक्त जिलों में जनसंख्या के वृद्धि दर का कारण पाकिस्तानी नागरिकों के अनधिकृत रूप से प्रवेश है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कारगर कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो जनसंख्या वृद्धि का सरकार क्या कारण मानती है ?

(4) उक्त जिलों में जनसंख्या का यह प्रतिशत पिछली जनगणना से कितने प्रतिशत अधिक है ? क्या यह वृद्धि दर राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक है ?

(5) क्या यह भी सही है कि गंगानगर जिले की रायसिंहनगर तहसील की वृद्धि दर राज्य के अन्य तहसीलों की अपेक्षा अधिक है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(6) क्या सरकार की जानकारी में यह तथ्य है कि अनेक पाकिस्तानी नागरिक पारपत्र लेकर प्रदेश में आ गये हैं और वापस नहीं गये ? यदि हां, तो ऐसे कितने नागरिक हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। राज्य के अन्य जिलों की तुलना में पश्चिमी राजस्थान के जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है। जनसंख्य वृद्धि की दर गंगानगर में 45.62, बीकानेर में 48.09 बाड़मेर में 44.41 एवं जैसलमेर में 44.84 रही है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। जनसंख्या वृद्धि का कारण गंगानगर, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में राजस्थान नहर के निर्माण एवं विकास के फलस्वरूप अन्य राज्यों एवं राजस्थान के अन्य जिलों से लोगों का आकर बसना तथा लम्बे समय तक कार्यरत रहना है। कुछ मात्रा में वृद्धि का कारण अतिरिक्त सेना, सीमा सुरक्षा बल इत्यादि के दलों का इन जिलों में पदस्थापन एवं निवास भी है। इसके अतिरिक्त बाड़मेर जिले में 41000 के लगभग पाक विस्थापितों को बसाये जाने के फलस्वरूप वहां वृद्धि हुई है।

(4) 1971 की जनगणना की तुलना में 1981 की जनगणना के अनुसार जिला गंगानगर में 45.62, बीकानेर में 48.09, बाड़मेर में 44.41 एवं जैसलमेर में 44.84 प्रतिशत वृद्धि हुई। जिला बीकानेर, गंगानगर व जैसलमेर जिलों की जनसंख्या वृद्धि राज्य के अन्य जिलों से अधिक है। जिला बाड़मेर की जनसंख्या के वृद्धि प्रतिशत से कम है। जोधपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत 44.82 हैं।

(5) जी नहीं। ऐसी अन्य भी कई तहसीलें हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर रायसिहनगर तहसील से अधिक है।

(6) जी नहीं।

1971–81 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत

राजस्थान

राज्य/जिला	प्रतिशत वृद्धि दर
राजस्थान	+32.97
गंगानगर	+45.62
बीकानेर	+48.09
चूरू	+34.88
झुन्झुनू	+30.39
अलवर	+26.17
भरतपुर	+26.43
सवाई माधोपुर	+28.68
जयपुर	+38.50
सीकर	+32.09
अजमेर	+25.50
टोंक	+25.22
जैसलमेर	+44.84
जोधपुर	+44.82
नागौर	+29.04
पाली	+31.39
बाड़मेर	+44.41
जालौर	+35.20
सिरोही	+27.90
भीलवाड़ा	+24.22
उदयपुर	+30.69
चित्तौड़गढ़	+30.41
डूंगरपुर	+28.78
बांसवाड़ा	+35.44
बूंदी	+30.72
कोटा	+36.57
झालावाड़	+25.85

(158)

उरमूल डेयरी (बीकानेर) के कार्यकलाप

138. **श्री सुरजाराम टाक (नोखा) :** क्या डेयरी (दुग्ध) विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बीकानेर जिले की दुग्ध उत्पादक उरमूल डेयरी में वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में औसतन माहवार कितना दुग्ध इकट्ठा किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस दूध को उरमूल डेयरी, बीकानेर द्वारा एकत्रित करने में औसतन माहवार ट्रकों को कितना-कितना किराया दिया गया तथा प्रति लीटर दूध एकत्रित करने पर कितना खर्चा हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उरमूल डेयरी योजना के तहत पिछले दो सालों में ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध रूट के तहत किन किन पक्की सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उरमूल डेयरी बीकानेर द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में कितना – कितना पोषाहार एवं गायों का चारा वितरित किया गया एवं किस-किस अनुपात में चारे का वितरण हुआ ? औसतन माहवार चारा वितरण की सूचना सदन की मेज पर रखें। क्या यह पशुधन (गायों) के लिए पर्याप्त खुराक है ?

(5) क्या यह सही है कि नोखा मण्डी मिडवे चिलिंग प्लांट (दुग्ध) खोलने की योजना निर्धारित समय में पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० बीकानेर द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983-84 में औसतन माहवार संकलित दूध का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० बीकानेर दूध संकलन हेतु औसत माहवार लिए गये ट्रक किराये एवं प्रति लीटर यातायात व्यय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अन्तर्गत दुग्ध मार्गों पर पक्की सड़क बनाने की गत दो वर्षों में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

(4) उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० बीकानेर द्वारा वर्ष 1981–82, 1982–83 व 1983–84 (अगस्त) में क्रमशः 12,273, 14, 650 व 1407 मैट्रिक टन संतुलित पशु आहार वितरित किया गया, संघ द्वारा चारे का वितरण नहीं किया गया।

(5) नोखा मण्डी में चिलिंग प्लांट स्थापित करने की अभी कोई योजना नहीं है।

उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, बीकानेर द्वारा वर्ष 1981-82 1982-83 व 1983-84 में औसत माहवार संकलित दूध का विवरण

जुलाई, 81 से जून, 82 (सहकारी वर्ष)

क्र.सं	माह	कुल दुग्ध संकलन कि.ग्रा.	औसत दुग्ध/प्रति दिन कि.ग्रा.
1.	जुलाई, 81	9,11,849	29,414
2.	अगस्त, 81	11,93,252	38,492
3.	सित., 81	8,47,855	28,186
4.	अक्टू., 81	6,00,803	19,381
5.	नवम्बर, 81	7,24,906	24,163
6.	दिसम्बर, 81	12,57,740	40,572
7.	जनवरी, 82	16,32,937	52,675
8.	फरवरी, 82	15,61,099	55,754
9.	मार्च, 82	20,91,201	67,458
10.	अप्रेल, 82	22,55,455	75,182
11.	मई, 82	29,00,961	93,579
12.	जून, 82	25,41,054	84,702
	योग	1,82,19,112	50,737

जुलाई, 82 से जून, 83

क्र.सं.	माह	कुल दुग्ध संकलन कि.ग्रा.	औसत दुग्ध/प्रतिदिन कि ग्रा.
1	2	3	3
1.	जुलाई, 82	26,95,569	86,953
2.	अगस्त, 82	25,76,522	83,114
3.	सित., 82	19 44,434	64,814
4.	अक्टू., 82	17,36,360	56,012
5.	नवम्बर, 82	17,69,787	58,993

(. 195)

1	2	3	4
6.	दिसम्बर 82	23,76,133	76,650
7.	जनवरी, 83	29,50,611	95,181
8.	फरवरी, 83	31,75,477	1,13,410
9.	मार्च, 83	41,39,349	1,33,527
10.	अप्रेल, 83	46,33,906	1,54,463
11.	मई, 83	58,40,610	1,88,407
12.	जून, 83	65,08,996	2,16,967
	योग	4,03,47,754	1,10,542

जुलाई, 83 से अगस्त, 83

क्र.सं.	माह	कुल दुग्ध संकलन कि.ग्रा.	औसत दुग्ध/प्रतिदिन कि.ग्रा.
1.	जुलाई, 83	71,22,731	2,29,766
2.	अगस्त, 83	66,43,134	2,13,972

उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, बीकानेर द्वारा वर्ष 1981–82 व 1982–83 में दूध यातायात हेतु दिये गये किराये का विवरण
जुलाई, 81 से जून, 82 (सहकारी वर्ष)

क्र.सं.	माह	दुग्ध परिवहन ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि	औसत दुग्ध परिवहन प्रति लीटर
1	2	3	4
1.	जुलाई, 81	1,80,085.00	20 पैसे
2.	अगस्त, 81	2,24,782.54	19 „
3.	सितम्बर, 81	2,00,485.51	24 „
4.	अक्टूबर, 81	1,88,331.16	31 „

1	2	3	4
5.	नवम्बर, 81	1,98,773.04	27 पैसे
6.	दिसम्बर, 81	2,19,519.36	17 ,,
7.	जनवरी, 82	2,35,409.49	14 ,,
8.	फरवरी, 82	2,57,584.08	16 ,,
9.	मार्च, 82	2,91,218.71	14 ,,
10.	अप्रेल, 82	2,97,174.16	13 ,,
11.	मई, 82	3,51,448.16	12 ,,
12.	जून, 82	3.82.489.57	15 ,,
	योग	30,27,300.40	16 ,,

जुलाई, 82 से जून, 83

क्र. सं.	माह	दुग्ध परिवहन ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि	औसत दुग्ध परिवहन/ प्रति लीटर
1.	जुलाई, 82	4,03,124.52	15 पैसे
2.	अगस्त, 82	4,27,652.79	17 ,,
3.	सितम्बर, 82	4,40,206.75	23 ,,
4.	अक्टूबर, 82	4,35,613.67	25 ,,
5.	नवम्बर, 82	3,87,114.69	22 ,,
6.	दिसम्बर, 82	4,13,697.41	17 ,,
7.	जनवरी, 83	4,19,458.77	14 ,,
8.	फरवरी, 83	3,77,232.11	12 ,,
9.	मार्च, 83	4,47,179.10	11 ,,
10.	अप्रेल, 83	5,20,947.38	11 ,,
11.	मई, 83	5,85,655.78	10 ,,
12.	जून, 83	7,39,293.25	11 ,,
	योग	55,97,175.95	13.9,,
1.	जुलाई, 83	7,04,939.00	10 ,,
2.	अगस्त, 83	9,33,281.00	11 ,,

खरीफ की फसल की पैदावार में कमी

139. श्री महाराम चोधरी (नागौर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खरीफ फसल में उत्पादन घट रहा है ? यदि हां, तो खरीफ की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि पैदावार में अवरोध को दूर करने के लिए जो उपाय किए गए वे खरीफ की बुवाई सम्पूर्ण होने के बाद किये गये ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन जहां 1952–53 में 14.82 लाख टन था वह अब बढ़ कर 1982–83 में 27 लाख टन हो गया है।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा उत्पादन बढ़ाने हेतु किये गए सभी प्रयास समय पर पूर्ण कर लिए गए हैं। विभिन्न आदानों जैसे उन्नत बीज, रासायनिक खाद तथा कीट-नाशकों की व्यवस्था विशेषकर राष्ट्रीय आदान पखवाड़े (1 जून, 83 से 15 जून, 83) में इस वर्ष खरीफ की बुवाई से पूर्ण कर ली गई थी।

तहसील निम्बाहेड़ा स्थित बांध की मरम्मत

140. श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेडा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में पुराना तालाब, बाड़ी बांध (मानसरोवर) की पाल टूट जाने से काबिले मरम्मत है ?

(2) क्या सन् 1978–79 में इसका सर्वे होकर निर्माण की योजना बनी थी ? क्या इसकी मरम्मत से लगभग 200 ग्रामों में कुओं में पानी का स्तर बढ़ जायेगा और नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ? यदि हां, तो सरकार मरम्मत कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस बांध की सर्वे 79–80 में की गई थी। जांच करने पर पाया गया कि इस बांध का पुन: निर्माण अथवा मरम्मत की नींव के लिए उपयुक्त स्ट्रेटा लगभग 15 मीटर नीचे तक उपलब्ध नहीं है। अत: अत्यधिक लागत होने के कारण बांध की मरम्मत लाभकारी नहीं होगी।

जयपुर नगर में बिना भूमि रूपान्तरण के मकानों व दुकानों का निर्माण

141. श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भंवरलाल भारद्वाज)

(1) जयपुर नगर के चारों ओर कृषि भूमि में बिना भूमि रूपान्तरण के नई आबादियों में कितने मकानों और दुकानों का निर्माण हुआ है ?

(2) अब तक सरकार ने भूमि रूपांतरण शुल्क जमा कराने के पश्चात् कितने मकानों और दुकानों का नियमन कर दिया है और कितने शेष हैं ? शेष का नियमन कब तक कर दिया जायेगा ?

(3) अवैध रूप से निर्मित कितने मकानों को अब तक तोड़ा गया है और कितने लोगों के खिलाफ अदालतों में मुकदमे दायर किये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात् 1929 मकानो व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अवैध निर्माण ध्यान में आये हैं।

(2) कुल 73314 भूखण्ड के लिए आवेदन पत्र जिलाधीश (भूमि रूपांतरण) कार्यालय जयपुर में पेश हुए थे, जिनमें से 6351 भूखण्डों के मामलों में निर्णय कर दिया है। शेष भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही चालू है।

(3) 101 अवैध रूप से निर्मित मकानों को ध्वस्त किया गया है तथा 113 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में चालान दायर किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (सूची अ, ब, स).

सूची "अ"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रवर्तन-शाखा

ध्वस्त किये गये मामलों की सूची

क्र.सं.	मुकदमा नं०	नाम अनधिकृत निर्माण कर्ता	क्षेत्र
1	2	3	4
1.	131/1.9.82	श्री हमीद भाई	रामगढ़ रोड
2.	132/1.9.82	श्री अब्दुल वहीद/अब्दुल लतीफ	रामगढ़ रोड
3.	133/1.9.82	श्री प्रेम नारायण मिस्त्री	रामगढ़ रोड
4.	134/1.9.82	श्री इब्राहीम	रामगढ़ रोड

196

1	2	3	3
5.	146/7.9.82	श्री विश्वनाथ शर्मा	दशहरा कोठी रोड
6.	245/8.9.82	श्रीमति खजान कंवर	शंकर नगर, कागजीवाड़ा
7.	525/30.9.82	श्री अग्रवाल मास्टर	गोलीमार के पीछे, माणिक्यपुरी
8.	526/30.9.82	श्री बद्रीनारायण	जगदम्बा कॉलोनी, आमेर रोड
9.	527/30.9.82	श्रीमती शीलादेवी	62, माणिक्यपुरी
10.	528/30.9.82	श्रीमती पुष्पादेवी/महेशचन्द सोनी	माणिक्यपुरी
11.	531/30.10.82	श्रीरामलाल/प्रीतमलाल	महारानी की छतरी के पास आमेर रोड, जयपुर
12.	727/8.11.82	श्री रमेशचन्द/वृन्दावनदास	गोविन्दनगर, गोलीमार के पीछे
13.	923/29.11.82	श्री अजमल खां	जलमहल
14.	924/29.11.82	श्री गोविन्द राम	मंगला मार्ग, ब्रह्मपुरी
15.	971/7.12.82	श्री ताराचन्द सोनी	जैन नसियां, बाईपास
16.	973/7.12.82	श्री मनफूली देवी	कैलाशपुरी
17.	1012ए/7.12.82	श्री चान्द मोहम्मद/फैज मोहम्मद	जगदीश कॉलोनी, आमेर रोड
18.	1018/8.12.82	श्री मुमताज अहमद/सिकन्दर खां	जगदीश कॉलोनी आमेर रोड
19.	1022/8.12.82	श्री इस्माइल	जगदीश कॉलोनी आमेर रोड
20.	1027/8.12.82	श्री वहीद अली	बाईपास रोड
21.	1028/8.12.82	श्री मंजूर अली	बाई पास रोड
22.	1085/18.12.82	श्री लालचन्द	शंकरनगर, बागड़ीवाड़ा
23.	1087/18.12.82	श्री सीताराम	शंकरनगर, बागड़ीवाड़ा
24.	1088/18.12.82	श्री इकबाल अली/इमदादअली	करबला के पास, जलमहल

Page No 197

(197)

1	2	3	4
25.	1089/18.12.82	श्रीमती चमेलीदेवी/राधेश्याम	रामगढ़ रोड
26.	1090/18.12.82	श्री अजमल अली/सत्तार	गोविन्दनगर, जलमहल
27.	1093/18.12.82	श्री मदनलाल	शंकरनगर, कागदीवाड़ा
28.	1101/10.12.82	श्री प्रहलाद बनिया	कैलाशपुरी
29.	1156/23.12.83	श्री अजीहीद	पालमपुरी/गोविन्दनगर
30.	1239/6.1.83	श्री चान्दखां	जलमहल क्षेत्र
31.	1259/6.1.83	श्री आर. आर. चौधरी	कागजीवाड़ा
32.	1260/6.1.83	श्री अजीज भाई	रामगढ़, रोड
33.	1261/6.1.83	श्री मानिकचन्द सुराना	बाईपास रोड
34.	1262/6.1 83	श्री रतनजी	बाईपास रोड
35.	1337/26.1.83	श्री मुरारीलाल .	गंगापोल बाहर
36.	1358/27.1.83	श्री कदीर भाई	आगरा रोड
37.	1364/2.2.83	श्री नजीरूद्दीन	बाईपास रोड
38.	1323/2.2.83	श्री आमनदास	गूजर धानी
39.	1422/7.2.83	श्री मोहनलाल	जगदीश कॉलोनी
40.	1469/10.2.83	श्रीमती शीला/रामोहन	रामगढ़ रोड
41.	1519/15.2.83	श्री जमनदास	जवाहरपुरी, आमेररोड
42.	1533/15.2.83	श्रीमती नवलदेवी/भागचन्द	जलमहल, गोविन्दनगर
43.	1536/15.2.83	श्री कल्लू गुप्ता	कृष्णापुरी, रामगढ़ रोड
44.	1570/21.2.83	श्री मांगीलाल रावत	रघुनाथ कालोनी
45.	1614/9.3.83	श्री राधेश्याम	गंगापोल बाहर
46.	1615/9.3.83	श्री नन्दा	गंगापोल बाहर
47.	1629/9.3.83	श्री मुन्ना	आमेर बाईपास
48.	1754	श्रीमती जीवनीदेवी/धर्मदास	गोविन्दनगर
49.	1841/12.4.83	श्री बाबूलाल यादव	187, गोविन्दनगर
50.	1845/12.4.83	श्री उमाशंकर/चौगानमल	कृष्णापुरी, आमेररोड
51.	902/23.11.82	श्री आदित्येन्द्र चतुर्वेदी	सिविल लाइन्स

1	2	3	4
52.	1110/2.12.82	श्री मोतीलाल/गंगासिंह	अजमेर रोड
53.	1304/24.1.83	श्री अर्जुन मिस्त्री	अजमेर रोड
54.	1307/24.1.83	श्री सूरजमल शर्मा	अजमेर रोड
55.	1323/27.1.83	श्रीमती जमरुद देवी	आनन्द वाटिका
56.	1343/28.1.83	श्री अशोक कुमार	न्यू. सा. रोड
57.	1345/28.1.83	श्री रामेश्वर मोहन पारीक	हसनपुरा
58.	1374/1.2.83		
59.	1375/1.2.83	श्री नन्दकिशोर	महेशनगर
60.	1376/1.2.83	श्री राजेन्द्रप्रसाद	देवरी
61.	1408/3.2.83	श्री के. एल. जैन	सिविल लाइन्स
62.	1433/8.2 83	श्रीमती सन्तोषदेवी	विवेक विहार
63.	1499/12.2.83	श्री पदमचन्द	करतारपुरा
64.	1521/14.2.83	श्री अशोक कुमार	अशोकविहार कालोनी
65.	1519/23.2.83	श्री एस. भारवोस	करतारपुरा
66.	2064/14.6.83	श्री हुकमत सिंह	सोडाला
67.	2097/21.6.83	नामालूम	न्यू, सांगानेर रोड
68.	88/26.8.83	श्री आर. एस. शर्मा	झोटवाड़ा
69.	639/5,11.83	मेजर शम्भूसिंह	खातीपुरा
70.	815/11.1.83	श्री प्रहलाद	विद्याधर नगर
71.	882/22.11.82	श्री जयकिशन वासवानी	मुरलीपुरा
72.	913/23.11.82	श्री प्यारसीलाल	चौमू रोड
73.	998/6.12.82	श्री चौथमल बोहरा	चौमू रोड
74.	999/6.12.82	श्री शंकरलाल शर्मा	मुरलीपुरा
75.	1449/9.2.83	श्रीमती उषादेवी	खातीपुरा
76.	1451/8.2.83	श्री हनुमान सेठ	मुरलीपुरा
77.	747/6.11.82	श्री टोपनदास सिंधी	पुलिस एकेडेमी के सामने
78.	1042/10.12.82	श्री वी. वी. मलिक	संजय कालोनी

1	2	3	4
79.	1042/10.12.82	श्री के. एल. खन्ना	संजय कालोनी
80.	1042/10.12.82	श्री एम. एल. खुराना	संजय कालोनी
81.	1294/21.1.83	श्री छुट्टन लाल	अमानीशाह का नाला
82.	1439/8.7.82	श्री रामेश्वर	पुलिस अकादमी के सामने
83.	1438/8.7.82	श्री मानसिंह	संजय कालोनी
84.	1438/8.7.82	श्री मोहनलाल शर्मा	संजय कालोनी
85.	1436/8.7.82	श्री छगनलाल	संजय कालोनी
86.	1969	श्री रामनारायण	संजय कालोनी
87.	1389/2.2.83	श्री ओमप्रकाश शर्मा	जनकपुरी द्वितीय
88.	1454/8.2.83	श्रीमती कान्ता चतुर्वेदी	जनकपुरी
89.	1455/8.2.83	श्रीमती विमला निमोरिया	जनकपुरी
90.	1456/8.2.83	श्री मलिक राम गुप्ता	जनकपुरी
91.	1457/8.2.83	श्री मानकचन्द	जनकपुरी
92.	1459/8.2.83	श्री प्रदीपकुमार	जनकपुरी
93.	1460/8.2.83	श्री घनश्याम गोयल	जनकपुरी
94.	1461/8.2.83	श्री श्रवणलाल	जनकपुरी
95.	1468/8.2.83	श्री के. एल. कोहली	जनकपुरी
96.	1552/8.2.83	श्री चन्दनमल कोठारी	गीजगढ़ हाउस
97.	1620/8.2.83	श्री श्यामलाल जैन	गीजगढ़ हाउस
98.	1788/8.2.83	श्री राधेश्याम	रामनगर
99.	2002/11.5.83	कैप्टन श्री कमीन्दर सिंह	सिरसी रोड
100.	1412/4.2.83	श्री शर्मा	मोतीनगर
101.	2015ए/17.5.83	श्रीमती हफीज बेगम	अजमेर रोड

सूची 'ब'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सूची सम्बन्धित परिवाद

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर, जयपुर में अभियोजन हेतु दायर किये गये परिवादों की सूची

क्रम सं.	अभियोग संख्या	उनवान परिवार	आगामी कार्यवाही व तारीख पेशी
1	2	3	4
1.	443/17-8-83	जविप्रा बनाम नरूलहक व नूर मोहम्मद मोती डूगरी रोड, जयपुर ।	6-10-83 वास्ते तलबी अभि.
2.	448/17-9-82	जविप्रा बनाम नन्दलाल पुत्र देऊमल आदर्शनगर, जयपुर ।	4-10-83 सारांश सुनाने वास्ते
3.	440/17-9-82	जविप्रा बनाम राजकुमारी शर्मा पत्नी मनोहर लाल शर्मा, आदर्शनगर, जयपुर ।	6-10-83 वास्ते तलबी अभियुक्त
4.	95/28-8-82	जविप्रा बनाम कुन्दन लाल जौहरी, सेठी कालोनी, शापिंग सेन्टर, जयपुर ।	6.10.83 ,,
5.	435/17-9-82	जविप्रा बनाम गौतमचन्द मन्होत, मोती डूंगरी रोड, गणेश कालोनी ।	7-9-82 वास्ते बयान अभि.
6.	447/17-9-82	जविप्रा बनाम ओमप्रकाश बग्गा पुत्र ज्ञान चन्द बग्गा, आदर्शनगर	7-9-83 वास्ते तलबी अभि.
7.	1394/21-2-83	जविप्रा बनाम टेक चन्द, आदर्श नगर ।	7-9-83 सारांश सुनाने वास्ते

Page No 201

201

1	2	3	4	
8.	927/29-11-82	जविप्रा बनाम श्रीमती प्रेम पत्नी जगदीश मंगला-मार्ग, ब्रह्मपुरी।	30-8-83	बहस वास्ते
9.	1098/16-12-82	जविप्रा बनाम कैलाश नाथ पुत्र राम सहाय, कागदीवाड़ा, जयपुर।	30-8-83	तलबी वास्ते
10.	473/24-9-82	जविप्रा बनाम रमाकान्त वैद्य व अन्य झोटवाड़ा, जयपुर।	30-8-83	,,
11.	1253/10-1-83	जविप्रा बनाम शंकर दास, गोविन्द नगर आमेर रोड।	30-8-83	सारांश सुनाने वास्ते
12.	1544/17-2-83	जविप्रा बनाम घन सिंह पुत्र विजय सिंह सीताराम पुरी, जयपुर।	30-8-83	तलबी वास्ते
13.	1650/3-3-83	जविप्रा बनाम नानक राम, कनक पुरा ग्राम मीनवाला, जयपुर।	,,	,,
14.	236/8-9-82	जविप्रा बनाम केदार लाल शर्मा, शिल्प कालोनी, झोटवाड़ा।	4-10-83	वास्ते तलबी
15.	205/7-9-82	जविप्रा बनाम एफ.एम. खान कुमावत कालोनी, झोटवाड़ा।	7-9-83	सारांश वास्ते
16.	207/7-9-82	जविप्रा बनाम श्रीमती बादामीदेवी पत्नी बद्रीनारायण, झोटवाड़ा।	4-10-83	तलबी वास्ते
17.	210/7.9.82	जविप्रा बनाम श्रीमती ललिता देवी पत्नी गोपीराम, झोटवाड़ा, जयपुर।	14.9.83	तलबी अभियुक्त

202

1	2	3		4
18.	73/26.8.82	जविप्रा बनाम हरिनारायण पुत्र गोविन्द नारायण, झोटवाड़ा ।	14.9.83	सारांश सुनाने वास्ते
19.	78/26.8.82	जविप्रा बनाम श्री राम रतन वैद्य कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा	25.10.83	सारांश सुनाने वास्ते
20.	208/7.9.82	जविप्रा बनाम श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी रामस्वरूप, कुमावत कालोनी, झोटवाड़ा ।	4.10.83	तलबी वास्ते
21.	81/26.8.82	जविप्रा बनाम बिरदीचन्द पुत्र सेडूमल कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा जयपुर ।	4.10.83	सारांश वास्ते
22.	76/26.8.82	जविप्रा बनाम धर्मदास पुत्र गन्नूमल सिन्धी कालोनी, कालवाड़ रोड, जयपुर ।	,,	,,
23.	1475/14.2.83	जविप्रा बनाम रामगोपाल, नन्दपुरी 'बी' जयपुर ।	4.10.83	तलबी वास्ते
24.	1602/23.2.83	जविप्रा बनाम श्री अमरसिंह वर्मा, जय अम्बे भोजनालय, अम्बाबाड़ी ।	30.8.83	तलबी वास्ते
25.	1576/23.2.83	जविप्रा बनाम लक्ष्मीदेवी, मनपुरी मोहल्ला आमेर रोड ।	,,	,,
26.	162/7.9.82	जविप्रा बनाम मूलीदेवी, गोविन्द नगर पश्चिम, जयपुर ।	30.8.83	सारांश वास्ते
27.	1252/11.1.83	जविप्रा बनाम गोपाल लाल रावत एडवोकेट, रामगढ़ रोड, जयपुर ।	,,	तलबी वास्ते

Page No 203

२०३

1	2	3	4	
28.	531/30.9.82	जविप्रा बनाम कैलाश चन्द शर्मा, जलमहल, आमेर रोड।	30.8.83	सारांश वास्ते
29.	1338/27.1.83	जविप्रा बनाम चेतनदास बालानी फतेहटीबा, सिन्धी कालोनी, जयपुर।	4.10.83	सारांश वास्ते
30.	1499/14.2.83	जविप्रा बनाम पदमचन्द पुत्र केसरचन्द भू. सं. 102, महेश नगर।	30.8.83	तलबी वास्ते
31.	1402/3.2.83	जविप्रा बनाम श्रीमती सरस्वती राय चन्दानी झोटवाड़ा, जयपुर।	6.10.83	तलबी वास्ते
32.	1363/31.1.83	जविप्रा बनाम छोटी लाल, बाबूलाल धुलेश्वर गार्डन।	7.9.83	सारांश वास्ते
33.	1314/11.2.83	जविप्रा बनाम सूरजकरण आर्य व अन्य, बजाज नगर।	,,	,,
34.	1319/25.1.83	जविप्रा बनाम श्रीमती मन्नूदेवी नाहरी का नाका।	6.10.83	तलबी वास्ते
35.		जविप्रा बनाम कोटावाला एक्सपोर्ट व अन्य, सवाई रामसिंह रोड, जयपुर।	30.8.83	बहस
36.	1794/26.3.83	जविप्रा बनाम चिरंजीलाल काबरा, नाहरी का नाका, जयपुर।	30.8.83	तलबी वास्ते
37.	605/3.10.82	जविप्रा बनाम भगवानसहाय खण्डेलवाल, शंकर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।	6.10.83	बयान अभियुक्त

Page No 204

204

1	2	3	4	
38.	450/17.9.82	जविप्रा बनाम श्रीमती भूरी देवी, सुभाष कालोनी, जयपुर।	4.10.83	तलबी वास्ते
39.	510/27.9.82	जविप्रा बनाम नवनीत लाल गुप्ता लालकोठी, जयपुर।	,,	,,
40.	316/13.9.82	जविप्रा बनाम श्रीमती उषादेवी, पुलिस लाइन रोड, जयपुर।	,,	,,
41.	838/12.11.82	जविप्रा बनाम गोविन्दनारायण शर्मा, बजाज नगर, जयपुर।	25.10.83	सुनाने सारांश
42.	511/29.9.82	जविप्रा बनाम श्री अजीतकुमार जैन, लालकोठी, जयपुर।	7.9.83	सुनाने सारांश
43.	541/30.9.83	जविप्रा बनाम श्रीमती ज्वाला कंवर पत्नी श्री रतनसिंह, लालकोठी, जयपुर।	25.10.83	सुनाने सारांश
44.	520/30.9.82	जविप्रा बनाम राधेश्याम गुप्ता, जगतपुरा रोड, जयपुर।	4.10.83	तलबी वास्ते
45.	895/23.11.82	जविप्रा बनाम श्रीमती कमलेश माथुर लालकोठी, जयपुर।	,,	,,
46.	672/5.11.82	जविप्रा बनाम श्री निहाल चन्द, रामगढ़ रोड, जयपुर।	7.9.83	सुनाने सारांश
47.	727/18.11.82	जविप्रा बनाम रमेश चन्द, गोविन्द नगर, गोलीमार गार्डन के पीछे।	6.9.83	तलबी वास्ते
48.	1098/18.12.82	जविप्रा बनाम अफलज अली, रामगढ़ रोड, जयपुर।	4.10.83	सारांश सुनाने वास्ते

1	2	3		4
49.	1094/18.12.82	जविप्रा बनाम राजकुमार सोनी, ब्रह्मपुरी।	6.9.83	तलबी वास्ते
50.	1095/18.12.82	जविप्रा बनाम राजेन्द्रप्रसाद अग्रवाल, कागदीबाड़ा, जयपुर।	25.10.83	सुनाने सारांश
51.	1096/18.12.82	जविप्रा बनाम घनश्याम सिन्धी, कागदीवाड़ा।	6.9.83	तलबी वास्ते
52.	1098/1.1.83	जविप्रा बनाम बाबूलाल शर्मा, कागदीवाड़ा।	,,	,,
53.	1232/7.1.83	जविप्रा बनाम श्रीमती श्यामा देवी पत्नी रमेशकुमार, आमेर रोड।	4.10.83	तलबी वास्ते
54.	1215/3.1.83	जविप्रा बनाम राधेश्याम महेश्वरी, झोटवाड़ा।	6.9.83	तलबी वास्ते
55.	1608/28.2.83	जविप्रा बनाम गुलशन राय, विशाल गुड्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, फतेहटीबा, जयपुर।	30.8.83	सुनाने सारांश
56.	93/28.8.82	जविप्रा बनाम श्रीमती जमनादेवी आदर्शनगर।	7.9.83	तलबी वास्ते
57.	144/4.9.82	जविप्रा बनाम भंवर लाल, फतेहटीबा जयपुर।	,,	,,
58.	176/15-2-83	जविप्रा बनाम रामपाल चौथमल नटराज नगर, जयपुर	7-9-83	तलबी वास्ते
59.	446/17-9-82	जविप्रा बनाम प्रेमदास पुत्र अनन्तदास, आदर्श नगर, जयपुर।	,,	,,

206

1	2	3		4
60.	649/5-11-82	जविप्रा बनाम सुन्दर लाल पुत्र मनोहर लाल, सिन्धी कालोनी फतेहटीबा।	7.9.83	तलबी वास्ते
61.	867/19-11-82	जविप्रा बनाम गुलाब राय सिन्धी फतेहटीबा, जयपुर	,,	सुनाने सारांश
62.	948/13-11-82	जविप्रा बनाम के. के. अरोड़ा आदर्श नगर, राजापार्क जयपुर।	,,	,,
63.	987/4-12-82	जविप्रा बनाम किशनलाल आदर्शनगर	,,	तलबी वास्ते
64.	988/4-12-82	जविप्रा बनाम श्री के. डी. नागीया, आदर्श नगर, जयपुर।	,,	,,
65.	989/4-12-82	जविप्रा बनाम लक्ष्मण सिंह, आदर्श नगर, जयपुर।	,,	,,
66.	552/6-10-82	जविप्रा बनाम प्रहलादकुमार गुप्ता, लालकोठी, जयपुर।	6-9-83	तलबी वास्ते
67.	598/29-10-82	जविप्रा बनाम जुगल किशोर अग्रवाल, सीकर हाउस, जयपुर।	,,	,,
68.	554/7-10-82	जविप्रा बनाम राधेश्याम झोटवाड़ा।	,,	,,
69.	551/6-10-82	जविप्रा बनाम भंवर लाल गिरधारी लाल झोटवाड़ा जयपुर।	,,	,,
70.	553/6-10-82	जविप्रा बनाम रामावतार शर्मा, अजमेर रोड	,,	,,
71.	555/7-10-82	जविप्रा बनाम राधेश्याम झोटवाड़ा जयपुर।	,,	,,

Page No 207

(207)

1	2	3		4
72.	515/30–9–82	जविप्रा बनाम श्रीमती पाना देवी अग्रवाल सिवाड़ एरिया, बापूनगर, जयपुर।	6.9.83	तलबी वास्ते
73.	336/15.9.82	जविप्रा बनाम शंकर लाल गुप्ता, चौमू रोड।	,,	,,
74.	336/15.9.82	जविप्रा बनाम पदमचन्द जैन, चौमू रोड।	,,	,,
75.	542/6.10.82	जविप्रा बनाम रमेश चन्द मिश्रा जवाहर नगर, जयपुर।	4.10.83	सारांश वास्ते
76.	633/5.11.82	जविप्रा बनाम प्रताप नारायण खन्ना, लालकोठी, जयपुर।	6.9.83	तलबी वास्ते
77.	990/4.12.82	जविप्रा बनाम बाबूसिंह, अजमेर रोड।	19.10.83	तलबी वास्ते
78.	136/1.9.82	जविप्रा बनाम अब्दुल समद पुत्र अब्दुल रजाक, जे. पी. कालोनी, जयपुर।	,,	,,
79.	84/26.8.82	जविप्रा बनाम श्री प्रभुदयाल, शिवाजी नगर, झोटवाड़ा, जयपुर।	,,	,,
80.	135/10.9.82	जविप्रा बनाम मोहम्मद यूसुफ, जे. पी. कालोनी।	19,10.83	तलबी वास्ते
81.	69/8.1.82	जविप्रा बनाम राजेन्द्र सिंह, मोती नगर, अजमेर रोड, जयपुर।	,,	,,
82.	82/26.8.82	जविप्रा बनाम रामअवतार गुप्ता, शिवाजी कालोनी, झोटवाड़ा।	,,	,

1	2	3		4
83.	59/15.8.82	जविप्रा बनाम श्री भैरूलाल भारद्वाज पुत्र जयनारायण, आमेर रोड, रामगढ़ रोड के पास, जयपुर।	19.10.83	तलबी वास्ते
84.	57/25.8.82	जविप्रा बनाम श्रीमती कलावतीदेवी, आमेर रोड, जयपुर।	19.10.83	,,
85.	58/25.8.82	जविप्रा बनाम मुन्नालाल, गोविन्दनगर, रामगढ़ रोड, जयपुर।	,,	,,
86.	61/25.8.82	जविप्रा बनाल इकबाल अहमद पुत्र निसार अहमद, आमेर रोड, जयपुर।	,,	,,
87.	154/7.9.82	जविप्रा बनाम बंशीधर तिवाड़ी, गोविन्द पुरी (पूर्व) जयपुर	,,	,,
88.	60/25.8.82	जविप्रा बनाम बहादुर शाह, जोरावरसिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर।	,,	,,
89.	156/7.9.82	जविप्रा बनाम श्री कल्याण पुत्र पुत्र कन्हैया लाल आमेर रोड, जयपुर।	,,	,,
90.	116/30.8.82	जविप्रा बनाम उम्मेद सिंह खातीपुरा रोड, जयपुर।	,,	,,
91.	86/26.8.82	जविप्रा बनाम रफीक, मदीना नगर झोटवाड़ा, जयपुर।	,,	,,
92.	237/8.9.82	जविप्रा बनाम नानगराम शर्मा, पटेल नगर, झोटवाड़ा।	,,	,,

Page No 209

29

1	2	3		4
93.	87/26.8.82	जविप्रा बनाम बाबूलाल, शिवाजी नगर, झोटवाड़ा, जयपुर।	19.10.83	तलबी वास्ते
94.	141/1.9.82	जविप्रा बनाम मामराज सिंह, जे. पी. कालानी, जयपुर।	,,	,,
95.	209/7.9.82	जविप्रा बनाम श्री नूर मोहम्मद, बरकत कालोनी, झोटवाड़ा, जयपुर।	,,	,,
96.	194/7.9.82	जविप्रा बनाम श्री देवी नारायण, शिवाजी नगर, खातीपुरा रोड, जयपुरा।	,,	,,
97.	512/30.9.82	जविप्रा बनाम मोहम्मद इब्राहिम, अमृतपुरी।	6.10.83	तलबी अभि.
98.	341/15.9.82	जविप्रा बनाम हर सहाय, महापुरा चौमू रोड, जयपुर।	,,	,,
99.	343/15-9.82	जविप्रा बनाम श्री रामपाल पटवारी शिवनगर, चौमू रोड, जयपुर	6.10.83	तलबी वास्ते
100.	431/16.9.82	जविप्रा बनाम श्रीमती विमला देवी पत्नी जी. एल. नानवास, महादेव नगर, बाइस गोदाम, जयपुर।	,,	,,
101.	442/17.9.82	जविप्रा बनाम श्री निर्मल दास पेसू मल. आदेश नगर, जयपुर।	,,	,,
102.	340/15.9.82	जविप्रा बनाम श्रीमती कमला देवी पत्नी मुक्ति लाल, चौमू रोड, जयपुर।	,,	,,
103.	344/15.9.82	जविप्रा बनाम श्री विशम्भर पुत्र पन्ना राम चौमू रोड।	,,	,,
104.	445/17.9.82	जविप्रा बनाम अब्दुल रसीद पुत्र नन्हें खां साकेत कालोनी, जयपुर।	,,	,,

(210)

1	2	3		4
105.	892/23.11.82	जविप्रा बनाम एस. जी. डी. मित्तल भू. सं. 30, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर ।	19.10,83	तलबी वास्ते
106.	905/23.11.82	जविप्रा बनाम श्री द्वारकालाल शर्मा केशव नगर, सिविल लाइन, जयपुर ।	,,	,,
107.	832/12.11.82	जविप्रा बनाम श्री सेडूमल पुत्र राम सहाय, गोपालपुरा, जयपुर ।	,,	,,
108.	784/8.11.82	जविप्रा. बनाम श्रीमती कमला देवी हवामहल, जयपुर ।	,,	,,
109.	338/15.9.82	जविप्रा बनाम गौरीशंकर पुत्र सीताराम चौमू रोड, जयपुर ।	,, ,,	,, ,,
110.	345/15,9.82	जविप्रा बनाम नन्दूलाल पुत्र सत्य-नारायण चौमू रोड, जयपुर ।	,, ,,	,, ,,
111.	346/15.9.82	जविप्रा बनाम भंवर लाल माली. चौमू रोड	,,	,,
112.	1157/25.12.82	जविप्रा बनाम टेकचन्द सिंधी, कागदी-वाड़ा	,,	,,
113.	1534/83	जविप्रा बनाम श्री गजेन्द्र सिंह, बजरंग कालोनी, रामगढ़ रोड़, जयपुर	,,	,,

सहायक लोक अभियोजक प्रथम
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Page No 211

(211)

आयुर्वेद में प्रवेश देने हेतु मापदण्ड

142. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में चलने वाले आयुर्वेद महाविद्यालय में प्री आयुर्वेद में प्रवेश देने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय 0329 एन. 3 में जो व्याख्या की गई उसकी पालना सभी महाविद्यालयों ने की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जनरल मेरिट के आधार पर उदयपुर, सीकर, सादुलपुर एवं सरदारशहर में प्रवेश दिये गये जबकि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने सत्र 1982-83 में प्रवेश अन्य मापदण्ड के आधार पर दिया गया, जिससे अधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गये ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ अधिकारियों ने अपने परिजनों को प्रवेश देने हेतु 0329 एन. 3 की व्याख्या ही बदल डाली ? यदि हां, तो अब इसमें समानता लाने हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर, सीकर सरदार शहर एवं सादुलपुर मे प्री-आयुर्वेद में प्रवेश राजस्थान विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स 0329 एन. 3 के तहत जनरल मेरिट के आधार पर ही किये गये थे।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विश्वविद्यालय के उक्त आर्डिनेन्स के अनुसार क्रमशः उपाध्याय (आयुर्वेद ग्रुप) (उपाध्याय) (संस्कृत) हायरसैकण्डरी / प्री-यूनिवर्सिटी (संस्कृत सहित) / हायर/सैकण्डरी/पी.यू.सी. (विज्ञान विषय के साथ) वरीयता के क्रम में प्रवेश दिये।

(2) सत्र 1982-83 में उदयपुर, सीकर, सादुलपुर एवं सरदारशहर में प्रवेश जनरल मेरिट के आधार पर किये गये थे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विश्वविद्यालय आर्डिनेन्स 0329 एन. 3 के अनुसार प्रवेश दिये। इस आर्डिनेन्स की पालना में अधिक अंक वाले विद्यार्थी प्रवेश से वंचित नहीं रहे। संस्थान के द्वारा दिये गये प्रवेश को सत्र न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने भी वैध ठहराया है।

(3) जी नहीं। सत्र 1983-84 में भी विश्वविद्यालय ने आर्डिनेन्स 0329 एन. 3 के अनुसार ही प्रवेश दिये जाने के निर्देश दिनांक 17-9-82 को दिये हैं (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः इस वर्ष विश्वविद्यालय के उक्त आर्डिनेन्स के अनुसार ही महाविद्यालयों में प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

Copy

From
THE REGISTRAR,
University of Rajasthan

To
The Principals of
All the five Ayurveda Colleges
Affiliated to the University.

No.F.13(3)ACA-I/Re8/82/12303-7M Dated 17.9.82

Sub.- Admissions to Pre-Ayurveda Course.

Dear Sir,

I am directed to inform you that after considering the minutes of Meeting of the Committee held on 11th Sept., 1982 in this office, and obtainging legal Advice with regard to the interpretation of 0.329.N.3, the University has decided that, in selecting Students in order of Merrit for admission to the Pre-Ayurveda course, first Preference should be given to the Students who have passed Upadhyaya (Ayurveda group) Examination of the Board of Secondary Education, Ajmer with a minimum of 50% marks in the aggregate, After all applicants in the above category have been considered for Admission the students who have passed Upadhayaya Examination of the Board of Secendary Education, Ajmer or Utter Madhyama Examination of Varanasi with a minimum of 50% marks in the aggregate should be considered for Admission. After exhausting both the above categeres the students passing the Higher Secondary Examination of the Board of Secondary Education, Ajmer (with Sanskrit as an optional subject) or the Pre-University Arts Examination of this University (with Sanskrit as an optional subject) with a minimum of 50% marks in the aggregate should be considered for admission. If any seats still remain yaoant, The students the Higher Secondary Examination of the Board or Secondary Education, Ajmer (with Science) with a minimum of 50% marks in the aggregate should be considered for admission.

It is requested that admission to the Pre-Ayurveda course for session 1982-83 may please be made strictly in accordance with the above decision. If any complaint is received with regard to tne Violarion of the Previsions of 0.329-N 3 as interpreted above, the University would be free to take such action as may be deemed advisable by it.

Please acknowiedge receipt.

Yours trully,
Sd/-
Add. Registrar

चौमू तहसील में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन सड़कें

143. श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चौमू तहसील में कुल कितनी सड़कें हैं ? ये सड़कें कौन से वर्ष में बनी तथा बनने के बाद इनकी मरम्मत कब-कब कितनी बार की गई ?

(2) चौमू तहसील में अकाल राहत के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हुई तथा किन किन पर कार्य प्रारम्भ हुआ एवं अब उनकी क्या स्थिति है ? क्या सरकार इन सड़कों को पक्का करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक . और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील चौमू में मन्ढ़ा भिण्डा सड़क के टेण्डर स्वीकृत होकर 1982 में ठेकेदार ने कार्य भी प्रारम्भ कर दिया था ? यदि हां, तो उसे बन्द क्यों कर दिया गया ?

उत्तर

(1) चौमू तहसील में 19 राजकीय सड़कें है। इन सड़कों को 1957 से 1982 के मध्य बनाया गया। बनने के बाद इन सड़कों की साधारण मरम्मत प्रतिवर्ष की की जाती रही है।

(2) सम्वत् 2039 के अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत चौमू तहसील में स्वीकृत सड़कों की स्थिति प्रपत्र "क" में अंकित है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। जिले की सड़कों का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है जिसे अन्तिम रूप दिये जाने पर ही अधूरे कार्यों को पूरा किए जाने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(3) जी नहीं। इस कार्य के टेण्डर ही स्वीकृत नहीं हुए हैं।

प्रपत्र "क"

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सम्वत् 2039 में स्वीकृत चौमू तहसील की सड़कों की स्थिति

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य प्रारम्भ हुआ अथवा नहीं	किये गये कार्य की स्थिति	
			मिट्टी का कार्य (कि. मी.)	ग्रेवल रोड (कि. मी.)
1	2	3	4	5
1.	उदयपुरिया मोड से मलिकपुरा मोड़ जोब नं. 1536	हुआ	2.00 कि.मी.	....

1	2	3	4	5
2.	इटावा भोपजी से चारणवाल जोब नं. 1553	हुआ	0.50 कि.मी.	0.25 कि,मी.
3.	चौमू रेनवाल से बावडी मोड़ लालसर जोब नं. 1554	नहीं हुआ	....	....
4.	चीथवाडी मोड से बासा तक जोब नं. 1555	हुआ	2.50 कि.मी.	1.50 कि.मी.
5.	गोविन्दगढ़ से धोबालाई जोब नं.	हुआ	0.75 कि.मी.	....
6.	महारकलां से कानरपुरा जोब नं. 1557	नहीं	....	....
7.	खेजरोली से मंऊ मूंडरु सीकर सीमा तक जोब नं. 1558	हुआ	1.50 कि.मी.	....
8.	घिनोई से प्रतापपुरा जोब नं, 1559	हुआ	1.50 कि.मी.	....
9.	निदड़ से जयरामपुरा जोब नं. 928	हुआ	3.00 कि.मी.	3.00 कि मी.
10.	खेजरोली से सिंगोद जोब नं. 927	हुआ	4.50 कि.मी.	2.50 कि.मी.
11.	किशनपुरा रेल्वे स्टेशन से किशनपुरा ग्राम तक जोब नं. 929	हुआ	3.00 कि.मी.	....
12.	मण्डा भिण्डा से हस्तेड़ा जोब नं. 930	हुआ	4.00 कि.मी.	....
13.	हस्तेड़ा से बधाल जोब नं. 932	हुआ	7.00 कि.मी.	1,50 कि.मी.

1	2	3	4	5
14.	चौमू से अमरपुरा वाया वीर हनुमानजी जोब नं. 1248	हुआ	3.75 कि.मी,	1.50 कि.मी.
15.	किशनपुरा से गुडा रेल्वे स्टेशन जोब नं. 933	हुआ	2.50 कि.मी.	....

हाड़ौती अंचल में गोडावण पक्षी

144. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार को हाड़ौती अंचल में गोडावण पक्षी होने की जानकारी है ? यदि हां, तो कहां पर तथा कितने ? सरकार ने इनकी सुरक्षा हेतु अब तक क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने इस मामले में उपेक्षा बरती है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। हाड़ौती अंचल में गोडावण पक्षी होने की कोई अधिकृत जानकारी विभाग के पास नहीं है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला बाड़मेर के ग्राम जसोल में कार्यरत उद्योग

145. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर के ग्राम जसोल में कुल कितने उद्योग कब से कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने जसोल ग्राम को एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के ग्राम जसोल में कुल 174 लघु उद्योग इकाइयां कार्यरत है जिनकी सूची संलग्न है। ये इकाइयां कब से कार्यरत हैं उसकी तिथि उनके नाम के आगे दर्शा दी गई है।

(2) जी नहीं।

ग्राम जसोल में कार्यरत इकाइयों की सूची

क्र.सं.	उद्योग का नाम	उद्योग प्रारम्भ की तिथि	
1	2	3	4
1.	आनन्द प्रिन्टिंग मिल्स, जसोल	1979	टैक्सटाइल यूनिट
2.	अम्बिका टैक्सटाइल मिल्स, जसोल	1977	,, ,,
3.	अमर डाइंग कम्पनी, जसोल	1982	,, ,,
4.	ओम डिजाइनिंग वर्क्स, जसोल	1983	,, ,,
5.	विजय टैक्सटाइल मिल्स, जसोल	1983	,, ,,
6.	बी. डी. फैब्रिक्स, जसोल	1983	,, ,,
7.	जवरीलाल बाबूलाल, जसोल	1982	,, ,,
8.	महा सरस्वती काटन मिल्स, जसोल	1974	,, ,,
9.	महा सरस्वती डाइंग मिल्स, जसोल	1975	,, ,,
10.	अबुंदा काटन मिल्स, जसोल	1983	,, ,,
11.	महावीर ट्रेडिंग कम्पनी, जसोल	1974	,, ,,
12.	अशोक एन्टरप्राइजेज, जसोल	1979	,, ,,
13.	महा हनवन्त टैक्सटाइल जसोल	1974	,, ,,
14.	जय टैक्स काटन मिल्स, जसोल	1983	,, ,,
15.	विजय फैब्रिक्स, जसोल	1983	,, ,,
16.	दीपक डाइंग कम्पनी, जसोल	1983	,, ,,
17.	प्रभात टैक्सटाइल मिल, जसोल	1977	,, ,,
18.	दीपक टैक्सटाइल मिल्स, जसोल	1981	,, ,,
19.	जे. पी. टैक्सटाइल, जसोल	1979	,, ,,
20.	दीपक फैब्रिक्स, जसोल	1983	,, ,,
21.	जय प्रकाश टैक्सटाइल, जसोल	1981	,, ,,
22.	ए. गोलेछा टैक्सटाइल, जसोल	1983	,, ,,
23.	जय विजय टैक्सटाइल, जसोल	1974	,, ,,

1	2	3	4
24.	अजन्ता टैक्सटाइल, जसोल	1978	टैक्सटाइल यूनिट
25.	अरिहन्त इण्डस्ट्रीज, जसोल	1983	,, ,,
26.	कोठारी टैक्सटाइल मिल्स, जसोल	1979	,, ,,
27.	अभिषेक एन्टरप्राइजेज, जसोल	1981	,, ,,
28.	अभिनन्दन टैक्सटाइल, जसोल	1982	,, ,,
29.	जसोल प्रिन्टिंग मिल्स, जसोल	1983	,, ,,
30.	अरुण टैक्सटाइल, जसोल	1976	,, ,,
31.	एडवान्स टैक्सटाइल, जसोल	1980	,, ,,
32.	अरुण टैक्सटाइल मिल्स, जसोल	1975	,, ,,
33.	विमल मिल्स इण्डीया, जसोल	1978	,, ,,
34.	महा भैरव डाइंग कम्पनी, जसोल	1973	,, ,,
35.	विमल प्रोडक्टस, जसोल	1981	,, ,,
36.	चन्द्रप्रभा टैक्सटाइल, जसोल	1976	,, ,,
37.	महावीर एन्टरप्राइजेज, जसोल	1983	,, ,,
38.	चन्द्रा टैक्सटाइल, जसोल	1981	,, ,,
39.	अशोक कुमार उदेराज, जसोल	1980	,, ,,
40.	देवराज टैक्सटाइल, जसोल	1983	,, ,,
41.	अभय टैक्सटाइल, जसोल	1983	,, ,,
42.	उदय टैक्सटाइल, जसोल	1983	,, ,,
43.	चौपड़ा टैक्सटाइल मिल्स, जसोल	1978	,, ,,
44.	अहमदाबाद टैक्सटाइल, मिल्स, जसोल	1983	,, ,,
45.	अतुल टैक्सटाइल मिल्स, जसोल	1980	,, ,,
46.	पीयूष टैक्सटाइल, जसोल	1982	,, ,,
47.	परमेश्वरी टैक्सटाइल, जसोल	1975	,, ,,
48.	बी. सालेचा ट्रस्ट, जसोल	1983	,, ,,
49.	जय लक्ष्मी टैक्सटाइल, जसोल	1978	,, ,,
50.	जय लक्ष्मी एन्टरप्राइजेज, जसोल	1982	,, ,,

1	2	3	4	
51.	ज्योति इण्डिया मिल्स, जसोल	1982	,,	,,
52.	दिनेश टेक्सटाइल मिल्स, जसोल	1973	,,	,,
53.	टेक्स होम टेक्सटाइल, जसोल	1978	,,	,,
54.	विमल प्रिन्टिग मिल्स, जसोल	1982	,,	,,
55.	जे. के. काटन एण्ड सिन्थेटिक्स, जसोल	1983	,,	,,
56.	दिव्य ज्योति फेब्रिक्स, जसोल	1980	,,	,,
57.	जनता टेक्सटाइल, जसोल	1983	,,	,,
58.	अमरदीप पेडिंग वर्क्स जसोल	1983	,,	,,
59.	अमरदीप प्रोडक्ट्स, जसोल	1983	,,	,,
60.	जसोल सिन्थेटिक्स मिल्स, जसोल	1983	,,	,,
61.	अमरदीप टेक्सटाइल, जसोल	1983	,,	,,
62.	मीनाक्षी टेक्सटाइल मिल्स, जसोल	1974	,,	,,
63.	अशोका टेक्सटाइल मिल्स, जसोल	1976	,,	,,
64.	मीनाक्षी फेब्रिक्स, जसोल	1983	,,	,,
65.	अमर ज्योति टेक्सटाइल, जसोल	1983	,,	,,
66.	कोठारी सेल्स कारपोरेशन, जसोल	1980	,,	,,
67.	अशोक टेक्सटाइल, मिल्स, जसोल	1982	,,	,,
68.	गौतम टेक्सटाइल, जसोल	1983	,,	,,
69.	सी. एम. टेक्सटाइल, जसोल	1983	,,	,,
70.	श्री लक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, जसोल	1983	,,	,,
71.	ओसवाल टेक्सटाइल मिल्स, जसोल	1982	,,	,,
72.	प्रकाश टेक्सटाइल, जसोल	1983	,,	,,
73.	संजय टेक्सटाइल जसोल	1982	,,	,,
74.	शान्ती विजय टेक्सटाइल, जसोल,	1983	,,	,,
75.	चन्दन सेल्स कारपोरेशन, जसोल	1981	,,	,,
76.	ओम विजय टेक्सटाइल, जसोल	1982	,,	,,

1	2	3	4
77.	कोठारी काटन मिल्स, जसोल	1982	टैक्सटाइल यूनिट
78.	प्रकाश एन्टरप्राइजेज, जसोल	1983	,, ,,
79.	ज्योति टैक्सटाइल, जसोल	1983	,, ,,
80.	विमल सिन्थेटिक्स, जसोल	1983	,, ,,
81.	महा भवानी प्रोसेसिंग वर्क्स जसोल	1979	,, ,,
82.	महा मंगल प्रोसेसिंग वर्क्स, जसोल	1982	,, ,,
83.	राहुल वाशिंग वर्क्स, जसोल	1982	,, ,,
84.	अनिल टैक्सटाइल, जसोल	1983	,, ,,
85.	अशोक काटन फेब्रिक्स, जसोल	1983	,, ,,
86.	जय जीवन् केमिकल्स, जसोल	1982	,, ,,
87.	चन्दन टैक्सटाइल, जसोल,	1982	,, ,,
88.	सीमेन्ट मैटल वर्क्स इण्डस्ट्रीज, जसोल	1979	सीमेन्ट आर्टिकल्स
			जटपट्टी लघु उद्योग
89.	पावस ट्रेडिंग कारपोरेशन, जसोल	1974	,, ,,
90.	दीपक पट्टी इण्डस्ट्रीज, जसोल	1979	,, ,,
91.	प्रभात पट्टी इण्डस्ट्रीज, जसोल	1973	,, ,,
92.	प्रभात पट्टी सप्लायर्स, जसोल	1976	,, ,,
93.	पारस पट्टी मेन्यू. कारपोरेशन, जसोल	1972	,, ,,
94.	पी. छोगालाल एण्ड कम्पनी, जसोल	1975	,, ,,
95.	एन. एस. बोहरा एण्ड कं. जसोल	1982	,, ,,
96.	हनुमान जट पट्टी उद्योग, जसोल	1983	,, ,,
97.	ओम जट पट्टी उद्योग, जसोल	1983	,, ,,
98.	नीलकंठ आयल मिल, जसोल	1982	तेल घाणी
99.	महादेव जट उद्योग, जसोल	पैत्रक	आर्टिजन्स-जटपट्टी
100.	महावीर लघु उद्योग, जसोल	,,	,, ,,
101,	कमल जट उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
102.	मोहन प्रताप जी लुहार, जसोल		लुहार-गिरी

1	2	3	4
103,	प्रेम प्रकाश पारसमल, जसोल	1978	आर्टिजन्स जटपट्टी
104.	महा जगदम्बा जट उद्योग, जसोल	पैतृक	,, ,,
105.	अमराराम पुत्र सुगनाराम, जसोल	,, ,,	,, ,,
106.	गोकलचन्द पुत्र लक्ष्मण जी, जसोल	,, ,,	,, ,,
107.	जय सन्तोषी मां लघु उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
108.	महा लक्ष्मी उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
109.	शंकर कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
110.	पुखराज लघु उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
111.	मालाजी जट पिंजाई उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
112.	रोशन कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
113.	रामदेव जट उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
114.	जगदीश लघु उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
115.	भैरव कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
116.	हंस कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
117.	बुधाराम वनाराम, जसोल	,, ,,	,, ,,
118.	सूरजमल लघु उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
119.	ओम प्रकाश उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
120.	पदमाराम लघु उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
121.	सन्तोषी कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
122.	सरोज जट कटाई, बुनाई उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
123.	तिलोक कुटीर जट उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
124.	मिश्रीमल पुत्र श्री चेनाजी, जसोल	,, ,,	,, ,,
125.	रामचन्द्र कताई बुनाई, जसोल	पैतृक	आर्टिजन्स जट पट्टी
126.	जसनाथ लघु उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
127.	जसनाथ लघु उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
128.	गणपति जट उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
129.	कुमाजी हरजी, जसोल	,, ,,	,, ,,

1	2	3	4
130.	मुणाराम रतनलाल प्रजापति, जसोल	पैतृक	आर्टिजन्स जटपट्टी
131.	महादेव कम्पनी कुटीर, जसोल	,, ,,	,, ,,
132.	बंशी जट उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
133.	माणक कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
134.	ओम जट पटी उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
135.	दुर्गा कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
136.	किशन कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
137.	कानाराम लघु उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
138.	किस्तूर चन्द कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
139.	उकाराम कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
140.	मालाणी कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
141.	भवानी देवी कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
142.	नारायण कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
143.	हिंगलाल कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
144.	रामदेव जट पट्टी कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
145.	नरपत पट पट्टी उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
146.	हनुमान जट पिजाई उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
147.	जय हिंगलाल जट उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
148.	कुनणमल कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,
149.	हीरा कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
150.	कालका कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,,
151.	लुनाजी कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
152.	पुनमाजी जट लघु उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
153.	हरजी जट पट्टी उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
154.	पातूजी जट कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
155.	हस्तीमल पुत्र मीमाजी, जसोल	,, ,,	,, ,,

1	2	3	4
156.	उदाजी पुत्र पोचजी, जसोल	पैतृक	आर्टिजन्स जट पट्टी
157.	उरजा पुत्र विरमा, जसोल	,, ,,	,, ,,
158.	पुरखा पुत्र गोमाजी, जसोल	,, ,,	,, ,,
159.	भगवानाराम पुत्र आसजी लुहार	,, ,,	,, ,,
160.	आसु पुत्र हरजी, जसोल	,, ,,	,, ,,
161.	देवराज पुत्र तेजा, जसोल	,, ,,	,, ,,
162.	भीकाजी पुत्र तुलच्छा, जसोल	,, ,,	,, ,,
163.	लुणाराम पुत्र सांवलाराम	,, ,,	,, ,,
164.	सेवाराम पुत्र सांवलाराम, जसोल	,, ,,	,, ,,
165.	मेवाराम जट उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
166.	जय हींगलाज कुटीर उद्योग, जसोल	,, ,,	,, ,,
167.	मिश्राराम पुत्र धनजी लुहार, जसोल	,, ,,	लुहारगिरी
168.	मेघाराम पुत्र पारूजी, जसोल	,, ,,	,, ,,
169.	मेला पुत्र हिम्मतसिंह, जसोल	,, ,,	,, ,,
170.	अशोक पुत्र मेलाजी, जसोल	,, ,,	,, ,,
171.	विरधाराम पुत्र प्राणदत्त, जसोल	,, ,,	,, ,,
172.	पुसाराम पुत्र श्री दयाराम, जसोल	,, ,,	,, ,,
173.	हनुमान पुत्र श्री शंकरजी, जसोल	,, ,,	,, ,,
174.	शंकरलाल पुत्र श्री दुर्गाजी, जसोल	,, ,,	,, ,,

सांभर साल्ट लि. को सोडा एस का प्लांट लगाने का प्रदत्त लाइसेन्स

146. श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लगभग दो वर्ष पूर्व सांभर साल्ट लि. को सोडा एस का 30 करोड़ का प्लांट लगाकर उद्योग चलाने का लाइसेन्स दिया गया था और जिसकी बाद में मियाद भी बढ़ा दी गई थी ? यदि हां, तो अभी तक इस कार्य में कोई प्रगति नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(2) इस उद्योग को लगाने में क्या अड़चन है और कब तक इस उद्योग का कार्य चालू होने की आशा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

पुष्कर पशु मेले से आय

147. श्रीमती सूरज देवी (पुष्कर) :– क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुष्कर मेले से पशुपालन विभाग को पिछले वर्ष कितनी आय हुई और विभाग द्वारा कितना व्यय किया गया ?

(2) क्या पुष्कर के विकास के लिये इस विभाग ने आज तक कोई धनराशि दी है ?

(3) क्या यह सही है कि पशु मेला के कारण नगर में होने वाली अत्यधिक गन्दगी की सफाई नगरपालिका द्वारा कराई जाती है ?

क्या पशुपालन विभाग भी इस बार मेले में सफाई कराने के लिए कोई कदम उठाने की सोच रहा है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष पुष्कर पशु मेले से आय 1,22,735-75 की हुई और व्यय 1,14,657-00 हुआ ।

(2) पुष्कर पशु मेले स्थल के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा पांच लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

(3) जी हां, पशु मेला स्थल पर सफाई का कार्य पशुपालन विभाग के माध्यम से कराया जाता है ।

किसानों को जेनरेटर हेतु अनुदान

148. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या विशिष्ट योजनासंगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार किसानों को भी उद्योगपतियों की तरह जेनरेटर लगाने हेतु सब्सिडी देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । इस प्रकार की अभी कोई योजना नहीं है ।

भरतपुर जिले के सिचाई बांधों की मरम्मत

149. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले में सिंचाई के कितने बांधों में ब्रोचेज हैं और कब से हैं ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांधों के ठीक नहीं करने के क्या कारण हैं, और सरकार अब इन्हें कब तक ठीक करा देगी ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में 16 सिंचाई बांध में ब्रीच पड़े हुए हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 2 व 4 में दर्शाया गया है।

(2) इन बांधों का जीर्णोद्वार धनराशि के अभाव में नहीं कराया जा सका है। क्षतिग्रस्त बांधों के आकलनों की स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि की उपलब्धि के अनुसार जीर्णोद्धार किया जा सकेगा।

भरतपुर जिले में शेष बचे ब्रीचेज बांधों का विवरण

क्र.सं.	बांध का नाम	तहसील	ब्रीच होने का वर्ष
1.	नथपुरा बंध	रूपवास	1982
2.	जादोली बंध	,,	,,
3.	दोरदा बांध	,,	,,
4.	समद लोग्नर बंध	,,	,,
5.	नगला शेर सिंह	बयाना	,,
6.	चक काजी बंध	भरतपुर	,,
7.	जहानपुर बंध	नदबई	1981
8.	सरसेना बंध	,,	,,
9.	नेवाड़ा बंध	,,	,,
10.	आजउ बंध एवं क्रास	कुम्हेर	1982
11.	पहुआ बंध एवं क्रास	,,	,,
12.	धनवाड़ा बंध	,,	,,
13.	रनधीरगढ़ बंध	वैर	1982
14.	अड्डी बंध	,,	,,
15.	भोण्डा गांव	,,	,,
16.	बल्लभगढ़ बंध	,,	,,

(225)

भीलवाड़ा में आबकारी विभाग के भवन की अवाप्ति

150. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर परिषद् द्वारा इस वर्ष आबकारी विभाग के भवन को कितनी रकम देकर अवाप्त किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवाप्त किये गये भवन के स्थान पर सूचना केन्द्र बनाने हेतु मुख्य मंत्री महोदय ने उद्घाटन किया ? इस सूचना केन्द्र के लिये राज्य सरकार ने कितनी रकम लगाने का निश्चय किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि नगर परिषद् ने उक्त भवन की भूमि पर कुछ भू-खण्ड काटकर बेचने का निश्चय किया ? क्या भवन के सामने बनी हुई दुकान को हटाया जायेगा ? यदि हां तो परिषद् दुकानदारों को कहां बसायेगी ?

उत्तर

(1) नगर परिषद् भीलवाड़ा द्वारा आबकारी विभाग के भवन को निम्न समझौते के अनुसार लिया गया है :—

क. आबकारी भवन को ध्वस्त कर उस भूखण्ड पर बनाई जाने वाली दुकानों की नीलामी से प्राप्त राशि में से 6 लाख रुपये के अनुमानित व्यय से आबकारी अधिकारी का कार्यालय, भवन, निवास स्थान, गोदाम एवं फिलिंग स्टेशन का निर्माण करवाया जावेगा।

ख. जब तक सहायक आबकारी अधिकारी का कार्यालय भवन एवं निवास स्थान का निर्माण नहीं कर दिया जाता, तब तक नगर परिषद् 2200/- प्रति माह की दर से किराये का भुगतान करेगी।

(2) जी हां। अभी तक सूचना केन्द्र के निर्माण का अनुमानित व्यय सुनिश्चित नहीं किया गया है।

(3) जी हां। अधिगृहीत भवन के स्थान पर दुकानों के भूखण्ड नीलामी से विक्रय किये जायेंगे। अवैध रूप से निर्मित दुकानों के बारे में निर्णय अभी विचाराधीन है।

लाटरी से राज्य व केन्द्रीय सरकार को आय

151. **श्री देवव्रत तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य लाटरी के एक करोड़ रुपये के इनाम में लाटरी पाने वाले को कितना रुपया प्राप्त होता है व राजस्थान सरकार को वापस कितनी राशि मिलती है व किस रूप में ?

(2) वर्ष 1982–83 में निकाली गई लाटरी से सरकार को कितना शुद्ध लाभ हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि हर एक लाटरी में राज्य सरकार की अपेक्षाकृत केन्द्र सरकार को अधिक लाभ होता है जबकि सारा पैसा राज्य सरकार को लाभ देने के नाम पर प्राप्त किया जाता है ?

उत्तर

(1) एक करोड़ एक लाख के पुरस्कार विजेता को राज्य सरकार द्वारा 75,75, 000/-रु० का मुगतान किया जावेगा। इस राशि में से रु० 24,99, 750/-रु: आय कर के जमा होंगे एवं 50, 75, 250रु का मुगतान ड्राफ्ट द्वारा विजेता को किया जावेगा। आय कर की राशि में से भी राज्य सरकार को हिस्सा मिलता है। इस ड्रा से राज्य सरकार को करीब एक करोड़ रु. का शुद्ध लाभ होगा।

(2) वर्ष 1982–83 में निकाली गई लाटरीज से रु. 74.30 लाख का लाभ हुआ था।

(3) जी नहीं, राज्य सरकार को ही लाटरी से अधिक लाभ होता है। केन्द्र सरकार को केवल आयकर ही प्राप्त होता है एवं आयकर की राशि में भी राज्य सरकार को नियमानुसार हिस्सा प्राप्त होता है।

जोधपुर जिला आयुर्वेद कार्यालय में घोटाला

152. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर-पश्चिम) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिला आयुर्वेद कार्यालय में एक लाख से अधिक का घोटाला पाया गया है ? यदि हां, तो उक्त कांड से सम्बन्धित कितने कर्मचारी हैं ? मय नाम, पद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के अधिकारी ने सर्व प्रथम विभाग को सूचना दी थी ?

(2) क्या इस मामले की पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करायी ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों के विरुद्ध केस दर्ज हुए ? कितने कर्मचारी पुलिस के कब्जे में आये व कितने अपराधी फरार घोषित किये जा चुके हैं ?

(4) उपरोक्त घोटाले में लिप्त कितने अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान पेश किया व कब-कब ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस गबन में सर्व श्री बाबूलाल लखेरा उच्च लिपिक एवं कम्पाउण्डर श्री चन्द्रमोहन व्यास सीधे लिप्त हैं, तथा श्री भगवतीप्रसाद सेवानिवृत्त जिला आयुर्वेद अधिकारी भी उत्तरदायी हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। पुलिस में भी श्री बाबूलाल लखेरा एवं श्री चन्द्रमोहन व्यास के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान श्री बाबूलाल लखेरा एवं चन्द्रमोहन के साथ साथ तत्कालीन जिला अधिकारी श्री भगवतीप्रसाद जोशी [सेवानिवृत्त] को भी गिरफ्तार किया है। अभी मामला पुलिस में तफ्तीश में चल रहा है। अन्य किसी को मुलजिम करार देना और उसके फरार होने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(4) अभी तक मामला पुलिस के जेरे तफ्तीश है जिसका अदालत में चालान पेश नहीं किया गया है।

तहसील बेगूं में अकाल राहत के तहत निर्माणाधीन सड़कें

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बेगूं में अकाल राहत के तहत कौन कौन-सी सड़कों का निर्माण हुआ ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उनमें कौन कौन-सी सड़क पर मिट्टी, गिट्टी (कांकरीट-डब्ल्यू-बी. एम.) व ग्रेवल का कितना कितना कार्य हुआ ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या जिन सड़कों पर केवल मिट्टी पड़ी है, उन्हें ग्रेवल या कांकरीट सड़क में परिवर्तन करने का सरकार का इरादा है ? यदि हां तो कौन कौन-सी सड़क का ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) इनमें कौन कौन-सी सड़क पर कितनी-कितनी पुलियायें या काज वे अधूरी हालत में हैं व उनको कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

(5) अकाल राहत के तहत निर्मित किस किस सड़क पर ग्रेवल व मिट्टी किस-किस मात्रा में टूटी पड़ी है ?

(6) भविष्य में इन सड़कों में से किन किन सड़कों को प्लान में लेकर पूर्ण करने के प्रावधान हैं ? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों के तहत बेगूं में 41 सड़कों का कार्य सम्वत् 2039 में हाथ में लिया गया जिसकी सूची प्रपत्र "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन सड़कों पर हुए कार्यों को प्रपत्र "क" में दर्शाया गया है।

चित्तौड़ जिले का सड़कों का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है जिसे अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् अकाल राहत के अधूरे कार्यों को पूरा करने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(4) इनमें से केवल एक काटुन्डा, बेगूं, चेचों कदवासा सड़क पर एक पुलिया का कार्य अधूरा है। अधूरे कार्य के पूरा करने की स्थिति मास्टर प्लान बनने के पश्चात ही स्पष्ट हो सकेगी।

(5) सड़कवार टूटी हुई गिट्टी ग्रेवल मात्रा का विवरण प्रपत्र "क" में दिया गया है।

(6) जिले के मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् ही अधूरे कार्यों को पूरा किये जाने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रपत्र "क"

बेगूं तहसील में संवत् 2039 के अकाल राहत कार्यों के तहत निर्मित सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	मिट्टी कि०मी०	ग्रेवल सड़क कि०मी०	मेटल सड़क कि०मी०	डामर सड़क कि०मी०	पुलिया/काजवे का कार्य	टूटा बचा हुआ पत्थर/गिट्टी	मैटीरियल साइट पर ग्रेवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एकलिंगपुरा चेवट रोड	....	....	2.2 (रिमेटल)	....	...	....	....
2.	मैंरू घाटी नन्दवाई डेकडी खेडा रोड	8	8	....	....	पुलिया के कार्य हाथ में नहीं लिये गये	....	....
3.	झालर बावड़ी दीपपुरा घाटा रोड	6	17	1 (रिमेटल)	....	,, ,,	....	....
4.	सेडल डेम मण्डेसरा आगरा जावदा रोड	7	....	....	....	,, ,,	....	....
5.	काटूण्डा बेगूं चेची कदवासा रोड	5	3	1.5 (रिमेटल)	....	5 (एक पुलिया 4 काजवे)	....	....
6.	श्रीनगर मेनाल ठुकराई रोड	1.5	4	2	....	5	35 (क्यू. मी) गिट्टी	....

Page No 229

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	बून्दी चित्तौड़गढ़ रोड	....	....	....	....	पुलिया का कार्य हाथ में नहीं लिया गया	4485 (क्यू.मी. गिट्टी)	....
8.	मैंघनिवास सोपुरिया बाया बीना का खेडा रोड	4	....	....	....	,, ,,	....	....
9.	भीचोर बरून्दनी रोड	....	....	....	....	1	....	....
10.	बलवन्त नगर सिघोली रोड	....	....	....	....	....	....	....
11.	राजगढ़ आकोलिया रोड	3.5	4	....	....	पुलिया का कार्य हाथ में नहीं लिये गये	....	....
12.	महेसरा छोटा खेडा रोड	1.5	1.5	....		,, ,,	....	—
13.	बेगू नन्दवाई तेजपुर रोड	....	....	6.5	....	2	1250 क्यू.मी. (850 गिट्टी शेष पत्थर)	....
14.	बेगू पाछुन्दा ठुकराई रोड	5	2.5	0.5	....	पुलिया का कार्य हाथ में नहीं लिया गया	101 क्यू मी. (गिट्टी)	....
15.	भैंसरोडगढ़ मण्डेसरा रोड	4	2.2	....	....	,, ,,	....	....
16.	सम्पर्क सड़क घामन्चा रोड	2.5	2.5	....	....	,, ,,	....	....

229

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	सम्पर्क सड़क ग्रावलहेडा रोड	0.5	0.5	....	....	पुलिया का कार्य हाथ में नहीं लिया गया	510 क्यू.मी. (गिट्टी)	....
18.	बेगूं जयनगर रोड	3.6	3.6	....	....	,, ,,	....	....
19.	बेगूं डोराई रोड	2.6	2.6	....	....	,, ,,	....	....
20.	बेगूं राजगढ़ तालाब रोड	3	2.5	....	....	,, ,,	....	....
21.	बेगूं मण्डावरी रोड	3.5	2.0	....	....	,, ,,	....	....
22.	माण्डना सुवाणिया रोड	0.5	....	....	....	,, ,,	....	....
23.	कडकडा बडलियास रोड	2.2	2.2	....	....	,, ,,	....	....
24.	बेगूं गंगापुर रोड	0.7	0.2	....	....	,, ,,	....	....
25.	बेगूं दौलतपुरा रोड	0.1	....	....	....	,, ,,	....	....
26.	जवाहर नगर गांधीसागर जावदा रोड	5	2.5	....	....	,, ,,	....	....
27.	नन्दबाई चरछा रोड	3	3	....	....	,, ,,	....	....
28.	सम्पर्क सड़क गोविन्दपुरा रोड	1.2	1.2	....	....	,, ,,	....	....
29.	लोटियाना मण्डेसरा रोड	5	....	....	....	,, ,,	....	....
30.	कोटा गांधी सागर रोड	....	....	....	....	,, ,,	....	....
31.	प्रतापपरा केशरपुरा रोड	2.5	2.5	....	....	कोई पुलिया का कार्य हाथ में नहीं लिया।	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	सम्पर्क सडक रायता	0 5	....	....	....	कोई पुलिया का कार्य हाथ में नहीं लिया ।	....	....
33.	नसराघाटी सुधार कार्य रोड	0.5	....	....	....	" "	....	....
34.	संपर्क सड़क सादी	0.7	....	....	....	" "	....	....
35.	संपर्क सड़क राजपुरा	3	....	....	....	" "	....	....
36.	संपर्क सड़क गोपालपुरा	1	....	....	....	" "	....	....
37.	विलोदा घाटी सारन रोड	7.5	7.5	....	....	" "	....	....
38.	एकलिंगपुरा रेन खेडा रोड	2	1	....	....	" "	....	....
39.	जावदा घाटी से प्रेमपुरिया रोड	0.2	....	....	....	" "	....	....
40.	केवडा के लुहारिया से जावदा फूट तालाब रोड	4.0	1.5	....	....	" "	....	....
41.	बरखेड़ा से ब्राम्ब्रा वाया फूट तालाब रोड	0.5	....	....	....	" "	....	....
	कुल योग	101 30	77.50	12.70	....	13	....	....

(232)

धरियावद, सलूम्बर एवं बन्सी रेंज में जगलात की भूमि पर अवैध काश्त

154. श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) धरियावद, सलूम्बर और बंसी तीनों रेन्जों के क्षेत्र में जगलात की कितनी जमीन पर मीणा जाति के लोगों ने नाजायज काश्त कर रखी है ? यदि हाँ, तो उनके नाम मय पिता व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जमीन पर जिन-जिन लोगों ने काश्त की है, उस जमीन का खसरा नम्बर, बीघा, व्यक्तिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, धरियावाद, बानसी व सलूम्बर रेन्जों की 2916 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर मीणा जाति के लोगों ने नाजायज काश्त कर रखी है। उनके नाम मय पिता व ग्रामवार सूची रेंजवार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

व्यक्तिवार काश्त के प्रकरणों की सूची रेंज सलूम्बर कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर-दक्षिण

क्र.सं.	नाम अतिक्रमणी मय पिता	नाम ग्राम	खसरा नं०	बीघा	वि० वि०
1	2	3	4	5	6
1.	श्री आलिया पिता खेता मीणा	बुडेल	165	4	तहसील से प्राप्त
2.	,, उदा पिता देवा मीणा	,,	163/58	4	पत्रावली
3.	,, लक्ष्मा पिता रामला मीणा	,,	163	8/11	अनुसार
4.	,, भेरा पिता भीमा मीणा	,,	163/44, 46,	10	
5.	,, केशा पिता भेरा	,,	163	4/1	
6.	,, गमाना पिता दामा	,,	163/11, 12		
		,,	33	31/11	

1	2	3	4	5	6
7.	श्री केरींगा पिता देवजी मीणा	बुडेल	163	11/1	तहसील से
8.	,, नारिया पिता अमरोया मीणा	,,	48/49	3॥/1	प्राप्त पत्रावली
9.	,, दडंगा पिता भेरा	मानपुर	163/40, 41,35	13/	के अनुसार
10.	,, होलीया पिता राजींगा मीणा	बुडेल	163/55,56	2।/2	
11.	,, रूपा पिता कला मीणा	बेडास	86	11	
12.	,, दामला, नमला, बाबरियां पिता नाथू मीणा	,,	86	25	
13.	,, गोकला पिता खेमा मीणा, भेरिया पिता कुरा की मीणा	,,	86	17	
14.	,, मोगा पिता उदा, मोगा पिता तलिया मीणा	,,	279	10	
15.	,, लखमा पिता कालू मीणा	,,	86	8।/	
16.	,, नारिया पिता काना मीणा	,,	1	7॥/	
17.	,, भेरा पिता गोता मीणा	,,	86	8।/	
18,	,, नारिया/भेरा पिता दल्ला मीणा	,,	1	9/	
19,	,, पालीया/लालीया/धनिया/ मंगला पिता नाथू मीणा	,,	86	25/	
20.	,, पुंजा पिता खाता मीना	,,	1	6।/	
21.	,, धुला पिता नाथू, कालू पिता रूपा	,,	86	10॥/	
22.	,, नवलीया पिता रूपा, केवला पिता भेरा मीणा	,,	86	17	
23.	,, धन्ना पिता कला मीणा	,,	86	10	
24.	श्री भग्गा पिता धन्ना मीणा देवला पिता उदा मीणा भेरा पिता नवला मीणा	बेडास	279	12	

(234

1	2	3	4	5	6
25.	श्री भया, गोतमा, बाबरोया पिता कालू मीणा	मानदेर	279	16॥/	तहसील से प्राप्त पत्रावली
26.	,, रामला पिता वेला मीणा	पडवा	4/49	6।॥/	के अनुसार
27.	,, नरदा पिता गोता मीणा	,,	4/74	2।/	
28.	,, कमला पिता गोतमा मीणा	,,	4/83	5॥/	
29	,, माना पिता पितीया मीणा	,,	4/76	2।/	
30.	,, धुना पिता लखमां मीणा	,,	4/78,77	7।/	
31.	,, मोतिया पिता लालिया मीणा	,,	4/80	3/	
32.	,, शंकरिया, भेरिया पिता कुरा मीणा मदरारिया	,,	4/73	6/।	
33.	,, मोतिया पिता गोता मीणा	,,	4/42	1/	
34.	,, सरदारिया पिता वेला मीणा	,,	4/85	2॥/2	
35.	,, नरदा पिता गोतमा मीणा	,,	4/82,83	3॥/	
36	,, नाथू पिता भेरा मीणा	,,	4/81	॥/2	
37	,, हीरा पिता डूंगा मीणा	धावडा	4/5	3।॥/	
38.	,, दला पिता पीता मीणा	,,	4/41	1/	
39.	,, देवीया पिता हवजी मीणा	,,	4/1	5/	
40.	,, हवजी पिता पांचोया मीणा	,,	4/8	5/।॥	
41.	,, भेरा,नानीया पि. काना मीणा	,,	4/10, 14	18।॥/	
42.	,, खाना पिता पांचीया मीणा	,,	4/8	4।॥/	
43.	,, काना पिता धुला मीणा	,,	4/15	5॥/	
44.	,, मावला पिता उदा मीणा	,,	4/7,4	10।॥/	
45	,, रतना पिता पुंजा मीणा	,,	4/22	6।/	
46.	,, मोतिया पिता रतना मीणा	,,	4/6	2/	
47.	,, मंजी पिता भाणा मीणा	पणुवा	4/14,17	10।॥/	

1	2	3	4	5	6
48.	श्री उदा, पालिया पिता घुला मीणा	पणुवा	4/68	7।।/	तहसील से प्राप्त पत्रावली
49.	,, गोतिया पिता भेरा मीणा	,,	4/40	6।।/	के अनुसार
50.	,, घुला पिता लखमा मीणा	,,	4/74,62	5।।/	
51.	,, भाणिया पिता परता मीणा	,,	4/56	5।।/	
52.	,, गोतिया, केवलिया, भगाना पिता भेरा मीणा	,,	4/52	8।।।/	
53.	,, नेता पिता घुला मीणा	,,	4/11	10।।।/	
54.	श्री नारिया पिता काना मीणा	पणुवा	4/46,47	5।/	
55.	,, पालिया पिता बेलिया मीणा	,,	4/44,49	2।।।/	
56.	,, खेतिया पिता देलिया मीणा	,,	4/30	3/।	
57.	,, भगाना पिता नगा मीणा	,,	4/50	3/	
58.	,, घुला पिता भेरा मीणा	,,	4/86	1।।/	
59.	,, खानिया पिता देवा मीणा	,,	4/35	7।।।/	
60.	,, लालिया पिता नंगा मीणा	,,	4/21	1।।/	
61.	,, धन्ना पिता पांचीया मीणा	,,	4/24	1।/	
62,	,, मनजी पिता धाणा मीणा	,,	4/17	2/	
63.	,: पांचीया पिता भवाना मीणा	,,	4/29,26,37	8।।/	
64.	,, कालिया पिता कुरा मीणा	,,	4/40	4/	
65.	,, मोतिया पिता गोतिया मीणा	,,	4/25	3।।/	
66.	,, वालिया पिता देलिया मीणा	,,	4/37,54	8 ।।।/	
67.	,, मोगा पिता पांचिया मीणा	,,	4/15	2।/	

1	2	3	4	5	6
68.	श्री रतना पिता पुंजा मीणा	पशुवा	4/22	6।/	तहसील से
69.	,, कालिया पिता भगाना मीणा	,,	4/43,46	5।।।/	प्राप्त पत्रावली के अनुसार
70.	,, रूपा पिता केवला मीणा	,,	4/27	6/	
71.	,, भीमा पिता भाना मीणा	,,	4/85	4।/	
72,	,, मोतिया पिता धांकड मीणा	,,	4/54	6।/	
73.	,, कालिया पिता कुरा मीणा	,,	4/51	4।।/	
74,	,, देवा पिता परता मीणा	,,	4/34	2/	
75.	,, गोमना पिता लाला मीणा	,,	4/43	7।।।/	
76.	,, गंवाना पिता भेरा मीणा	,,	4/34	2।।।/	
77.	,, कानजी पिता भाणा मीणा	,,	4/32	2।।/	
78.	,, रोडा पिता भगला मीणा	,,	4/38	2/	
79.	,, मोटिया पिता धुला मीणा	,,	4/72	5।/	
80.	,, केसा पिता भीमा मीणा	,,	4/2	3।।।।/	
81.	,, लखमा पिता गोतिया मीणा	,	4/20,25	2।।/	
82.	,, कालिया पिता अगरा मीणा	,	4/69	4।/	
83.	,, पांचिया पिता केरियां मीणा	,,	4/60	1।।।/	
84.	,, भगला पिता वक्ता मीणा	धावड़ा	4/3	3।।।/	

1	2	3	4	5	6
85.	श्री भेरा पिता पांचीया मीणा	पणुवा	4/12	3/	तहसील से प्राप्त पत्रावली
86.	श्री मानिया पिता भगवाना मीणा	पणुवा	4/48	1ıı/	के अनुसार
87.	,, रूपा पिता लखमा मीणा	मानपुर	13/	5ıı/	
88.	,, रोडिया पिता वालिया मीणा	,,	13/6	6ı/3	
89.	,, भीमा पिता पाला मीणा	सती की चोरी	15	5/	
90.	,, राजीया पिता कुरा मीणा	,,	152	5/	
91.	,, रामला पिता वक्ता मीणा	,,	152	7ı/	
92.	,, रोडी पिता डाया मीणा	,,	152	10ı/	
93.	,, भेरा पिता नगा मीणा	,,	15	4ı/	
94.	,, मानजी पिता देवा मीणा	,,	15	8/	
95.	,, खानिया पिता बाला मीणा	,,	15	8ıı/	
96.	,, वेभा पिता पुणा मीणा	,,	15	7ı/	
97.	,, लक्ष्मा पिता गंगाराम गुरू	,,	15	3	
98.	,, भीमा, रूपा, नारा, काना पिता पाणा, मेघा, तेजा पिता केसा, मखा पिता भाणा, पुना पिता नगा, परीयातला, धुलिया पिता रूपा, अमरा, नारा मीणा	धागरी	—	11ıı/	
99.	,, भीमा, नारा, रूपा, काला पिता वाल मीणा	,,		33/4	
100.	,, कालिया पिता रोडा, धनिया पिता कालिया, कोया पिता पांचा, डाया पिता मोडा, मागा पिता नाथम मीणा	पखाखीया	126	33/	

1	2	3	4	5	6
101.	श्री हुकरा पिता पाला, उदिया भगा, लखमा पिता भगा मीणा	सडामानपुर	126	20ग/	तहसील से
102.	,, उदिया पिता कालिया, केसिया कोदरा मीणा	,,	126	13/	प्राप्त पत्रावली के अनुसार
103.	,, वक्ता पिता माना, दला पिता मेघा मालिया पिता मेघा, पांचीया पिता देवा, मानिया पिता दला, भेरा पिता धुला, देवलों पिता पालिया, मनजी पिता पालिया	,,	129	49/	
104.	,, पूनां, मोतिया पिता आला मीणा हीरा पिता पिथा मीणा	पहाड़ा	196	4/	
105.	,, माना पिता वेला मीणा	जाम्बुड़ा	15	4ग/	
106.	,, धन्ना पिता रोडा मीणा	,,	15	9ग/	
107	,, तेलीया पिता काना मीणा	,,	15	4ा/	
108.	,, भेरा पिता कोदरा मीणा	बेडावल	180	4ग/	
109.	,, सुरजी पिता वेला मीणा	,,	15	61/	
110.	,, धन्ना पिता वेला मीणा	,,	15	5/	
111.	,, दामा पिता खेमा मीणा	खजुरी	315	4ग/	
112.	,, मावा पिता खेमा मीणा	,,	315	9ग/	
113.	,, तेजिया पिता हीरा मीणा	कुकडा	4/54	11ग/	
114.	,, मोतिया पिता गोता मीणा	पडवा	4/67	8ग/	
115.	,, मोतिया पिता हेसा मीणा	,,	4/61	1ग/	
116.	,, भगवाना पिता नगा मीणा	,,	4/45	5/	
117	,, नरदा पिता उदा, धुलिया, उदा	,,	4/70,71	8ग/	
118.	,, सरदारिया पिता कुरा मीणा	,,	4/79,91	2ा/	

1	2	3	4	5	6
119.	श्री खेतिया पिता हीरा मीणा	पडवा	8/58	8ा/	तहसील से
120.	,, बजिया पिता गोपिया मीणा	,,	4/63	11ा/	प्राप्त पत्रावली
121.	,, झालिया पिता हीरा मीणा	,,	4/64	4ा/	के अनुसार
122.	,, बजा पिता गोता मीणा	,,	4/65	3ाा/	
123.	,, बीरमा पिता खाता मीणा	घाघरी		9ा/	
124.	,, रूपा, बाला पिता रामा, माना मीणा, पेमा मीणा.	डाइखेड़ा	—	12/	
125.	,, बाला पिता कुदरा मीणा	बेडावल	—	18ा/	
126.	,, रूपा पिता गोता मीणा	कुकडा	135/23	4/	
127.	,, धूला पिता अमरिया मीणा	,,	135/4	6ा/	
128.	,, पुरा पिता काला मीणा	,,	138/8	3ाा/	
129.	,, गोतिया, पांचिया पिता होमा नाथिया, भेरा मीणा	,,	135/22	10/	
130.	,, भेरा पिता गोता मीणा	,,	135/18	4/	
131.	,, पुन्जा पिता रूपा मीणा	,,	135/2	2ा/	
132.	,, नाना रूपा मीणा	,,	135/26	7/	
133.	,, केसिया कालू मीणा	,,	135/25	6/	
134.	,, कालू रूपा मीणा	,,	135/10	4ा/	
135.	,, काना पिता रतना मीणा	,,	135/7	6/	
136.	,, देवा पिता गया मीणा	,,	135/13	5/	
137.	,, रूपा पिता भेरा मीणा	,,	135/1	10ा/	
138.	,, नारिया पिता कालिया मीणा	,,	135/24	12ा/	
139.	,, धुला पिता रतना मीणा	,,	135/6	4/	
140.	,, तेजा पिता हीरा मीणा	,,	135/19	3/	
141.	,, जेसा पिता गोतमा मीणा	,,	135/23	7/	
142.	,, भगवाना पिता अमृत मीणा	,,	135/3	4/	

Page No 240

2

1	2	3	4	5	6
143.	श्री भगवाना पिता देवा मीणा	कुकडा	135/11	4ाा/	तहसील से
144.	,, कालिया पिता दला मीणा	,,	135/9	3ा/ा/	प्राप्त पत्रावली
145.	,, रोडा पिता दला मीणा	,,	—	8ा/	के अनुसार
146.	,, काना पिता हीरा मीणा	,,	135/12	10ाा/	
147.	,, रामा पिता बालिया मीणा	देह	163/85 5/1/12	10/2	
148.	,, केसिया पिता पालिया मीणा	,,	163/16	5ाा/	
149.	,, कानिया पिता दामा मीणा	,,	15/2	2ाा/	
150.	,, कालिया पिता हीरा मीणा	,,	15/	2ाा/	
151.	,, नन्दा पिता बत्ता मीणा	,,	15/	2ाा/	
152.	,, काना, धना पिता कुरा मीणा	,,	15/	12/	
153.	,, गोतिया पिता गागा मीणा	,,	135/2	5/	
154.	,, धुलिया पिता गोतिया मीणा	,,	135	5/	
155.	,, भेरा पिता पांचिया मीणा	,,	163/3,68	2ाा/3	
156.	,, कालिया पिता नाथू मीणा	,,	7 मी.	6ाा/1	
157.	,, ऊंकारिया पिता गोतमा मीणा	,,	446/6 463/2	8/	
158.	,, बेडिया पिता केरा मीणा	,,	3 मी.90मी.	5ा/4	
159.	,, राजिया पिता गागा मीणा	,,	16/4	6ा/3	
160.	,, रूपा पिता भाडा मीणा	,,	3 मी. 91	5/.	
161.	,, रूपा, मालिया पिता रामा मीणा	,,	3 मी. 91 मी.	3ा/2	
162.	,, मावा पिता उदा मीणा	,,	305/6	6/	
163.	,, देवा पिता नगजी मीणा धमाति देवा मीणा	,,	91 मी	19ाा/1	
164.	,, भेरा पिता हीरा मीणा	,,	3, 9	5ा/ा	

1	2	3	4	5	6
165.	श्री मंगला, नाथिया पिता म्रालिया मीणा	देह	91 मी	9/2	तहसील से प्राप्त पत्रावली
166.	,, ग्रौंकारिया, भेरा पिता चाखा मीणा	,,	3 मी	6ा/ाा/4	के ग्रनुसार
167.	,, कालिया, नाथिया पिता भेरा मीणा	,,	3 मी. 91 मी	8/3	
168.	,, मालिया पिता हीरा मीणा	,,	13मी. 163मी. 51 मी. 16 मी	21ा/3	
169.	,, ग्रालिया पिता ग्रमरा मीणा	,,	163/97,83	12ा/1	
170.	,, खेतिया पिता हीरा मीणा	,,	3मी, 91मी	10/	
171.	,, हरिया पिता मालिया मीणा	,,	51 मी, 16 मी	12/3	
172.	,, प्रेम जी पिता ग्रमरा मीणा	,,	51/1,19	13/1	
173.	श्री थवरीया पिता केरा मीणा	देह	3 मो,91 मी	2ा/2	
174.	,, बाला, धुलिया पिता भैरा मीणा	,,	3मो,91 मो	2ा/2	
175.	,, चोखा पिता कोका मीणा पूरिया पिता ग्रोझा मीणा	,,	191/1 क	6/1	
176.	,, परथा पिता मातिया मीणा	,,	3 मो, 91 मो	8ाा/3	
177.	,, भैरा पिता पालिया मीणा	,,	13/1	7/3	
178.	,, भैरा, होमा पिता पालिया मीणा	,,	51/1/2 51/1/23 51/1/20	22ाा/2	
179.	,, बाला पिता नगा, कानिया पिता ग्रमरिया पिता धूला	,,	191/1	11 ा/2	
180.	,, हरजो पिता हरिया मीणा	,,	163 मो	5 ाा/	
181.	,, ग्रमरा पिता गागा मीणा	,,	,,	4/ाा/1	
182.	,, नाथिया पिता, देवगा मीणा	,,	,,	11/	

242

1	2	3	4	5	6
183.	श्री माना पिता तालिया मीणा	देह	163 मी/14	13ाा/4	तहसील से
184.	,, हीरा, पगूलिया पिता धर्मा मीणा	,,	11/1	18 ा/	प्राप्त पत्रावली
185.	,,				के अनुसार
186,	,, नगजी कालिया पिता देलिया मीणा	,,	163/मी	33 ाा/1	
187.	,, रकबा पिता भेरा मीणा	,,	163/4,6.36	3 ा/4	
188.	,, गोता, भगवाना, पिता नाथू मीणा	,, ,,	163/11 मी	18 ा/	
189.	,, दंडगा पिता गोदिया मीणा	,,	163/53	3/	
190.	,, होमला पिता ऊकारा मीणा	,,	446/मी	3 ाा/3	
191।	,, दंडगा, हीरा, भीमा पिता लकवा मीणा	,,	7/4, 44, 35, 14 मी.	12 ा/4	
192.	,, लालिया, आलिया, मोता पिता माणा बाजिया, पिता गांगा	,, मन्देर	21/2,4,90/5 8,10,12,14	11 ाा/	
193.	,, मोता पिता काना मीणा पुलिरया पिता कालिया मीणा	देह ,,	90/3	4 ाा/	
194.	,, राजिया पिता बाला मीणा राया पिता नाथिया मीणा	,,	7/38, 39	7ाा/4	
195.	,, भेरा पिता रामा मीणा	,,	7/47	2ाा/	
196.	,, बालिया पिता रामा मीणा	,,	21/1,90/15,16	16/1	
197.	,, दंडगां पिता करमा रामा पिता मेगा मीणा	,, ,,	90/1/5,92 मी	191/	
198.	,, अडन्दा, गूदिया पिता चोखा मीणा	,,	7/55,52,53 11,16,21	21ा/3	
199.	,, डाया पिता कीका मीणा	,,	7/22	3ाा/	
200.	,, रतना ऊंकारिया पिता परथा	,,	7/51,10,14	11ा/	

1	2	3	4	5	6
201.	श्री केसिया पिता देवजी मीणा	देह	7/17,22,	11/ाा/4	
202.	,, रूपा कारा पिता डुगा मीणा	,,	9 मी 7 मी.	8ा/	
203.	,, कालिया मंगला पिता गोतमा	,,	7/13, 23, 22	4ा/	
204.	,, कीकिया पिता भैरा मीणा	,,	17/42,90/मी	31/3	
205.	,, रकबा पिता खेमा मीणा	,,	7/26–क	4/	
206.	,, भगवाना, भाजिया केसिया मोतिया पिता कोजिया मीणा	,,	92 मी,7 मी,8 मी,	67ा/4	
207.	,, रामा पिता कीका मीणा	,,	7/34, 8	13/	
208.	श्री मनजी पिता बवता मीणा	देह	7/मी, 7/6,13ख	8/2	तहसील प्राप्त
209.	,, पालिया, रूपा पिता बेला मीणा नाथा पिता लाला, बुजिया पिता मोता मीणा	,, ,, ,, ,,	7/51,50,3	19ाा	पत्रावली अनुसार
210.	,, मानिया पिता हीरा मीणा	,,	3मी, 91 मी	3/1	
211.	,, भेरा पिता राईगा मीणा	,,	3 मी, 91 मी	3/1	
212.	,, मावा केसिया पिता	,,	90 मी, 21/3	9/3	
213.	,, केसिया पिता अमरा मीणा	,,	90मी,	4ाा/3	
214.	,, मालिया पिता भागा मीणा	,,	7/37	3/	
215.	,, देवला पिता मामला मीणा	,,	7/28. 31/45	4/4	
216.	,, नगजी, माबा, धुला पिता माना मीणा	,,	7मी, 40,33	10/3	
217.	,, मालिया पिता पालिया मीणा	,,	7/29, 40,35	9ा/	
218.	,, नाथू पिता करमा मीणा	,,	2	3ाा/2	
219.	,, धमजी पिता रामा मीणा	,,	7/19	2ाा/1	
220.	,, कालिया पिता केरा मीणा	,,	91 मी.	5ा/2	
221.	,, केलिया पिता नाथा मीणा	,,	166 मी.	6ा/2	

1	2	3	4	5	6
222.	श्री नाथिया पिता बक्ता मीणा	देह	164/मा2ख, 11/2	6ाा/3	
223.	,, मानिया पिता बगदा मीणा	,,	161/1	4ा/	
224.	,, मानिया देवजी मीणा पिता नेतिया	,, ,,	191/1	5ा/	
225.	,, कालिया पिता भीया	,	191/1 ग	6ाा/3	
226.	,, घेमो, गुरिया, केलिया	,	8 मी	11ा/1	
227.	,, कर्मा पिता खाना मीणा	,,	163/66, 60, 54	3/3	
228.	,, कालिया पिता वक्शा मीणा	,, ,,	163/मी.	4ाा/4	
229.	,, कालिया पिता लाला मीणा	,,	163/मी.	2/3	
230.	,, कानिया पिता पालिया मीणा	,,	163 मी,	5/	
231.	,, लालिया पिता काना मीणा	,,	163 मी.	2ाा/2	
232.	,, बीरना पिता काना मीणा	,,	163/72, 12	5ाा/2	
233.	,, धुलिया पिता गौतमा मीणा	,,	163/37, 11 मी.	10ा/3	
234,	,, मंगला पिता खेतिया मीणा	,,	162/26. 12	1ाा/1	
235.	,, हीरिया पिता बछिगा उदिया पिता बछिगा होलिया पिता उदिया भगला पिता धुला मंगला पिता कजिगा मावजी पिता पद्मा केसिया पिता पद्मा केवजी पिता हीरा कालिया पिता रत्ना दलिया पिता हिमला नगला पिता पीथा मीणा, जोधपुर तह. सलुम्बर	जोधपुर	230	11/एम.एम. कोर्ट सलुम्बर में विचाराधीन (एफ.आई.आर. 055–7 दि. 11-7-78(मु. नं. 700/78)	

1	2	3	4	5	6
236.	श्री कालिका पिता धूला मीणा, हरजी पिता धूला मीणा, उदिया पिता पद्मा, कनिया पिता बूजिमा, रागला पिता हीरा मीणा, दलिया पिता गंगा, बागला पिता देवजी, कमला पिता लिम्बा मीणा, भरिया पिता लिम्बा, हिरा पिता रोडा, केलिया पिता रोड़ा, कमला पिता राईंगा मीणा विधायक, भरिया पिता भावा, टोलिया पिता भावा, दबका पिता भावा, लिम्बा पिता गाला, देवजी पिता गाला मीणा निवासी जोधपुर	जोधपुर	230, 27		6 एफ. आई. आर. नं. 55/7 दिनांक 10-7-78 मु. नं.
237.	श्री कालिया पिता यलिया, श्री हरजी पिता धुलिया, ,, कमला पिता लिम्बा, ,, बागला पिता लिम्बा, ,, बागला पिता देवा, ,, बक्तिया पिता हिरिया, ,, रायला पिता हिरिया, केसा पिता रोड़िया, भानिया पिता पद्मा, उदिया पिता पदमा मीणा नि० जोधपुर	जोधपुर	230	8/	एम०एम० कोर्ट सलुम्बर में विचारा, मु० 703/78 एफ० आई०आर० नं० 45-48 दि०8-3-78
238.	,, माना पिता परता, केसा पिता माना, ,, लालिया पिता माला	बेडास	....	3/	खसरा नं० उपलब्ध नहीं है।

1	2	3	4	5	6
239.	श्री धना पिता नाथू पालिया पिता नाथू लालिया पिता नाथू, सेघा पिता नाथू धूला पिता नाथू, लालिया पिता नाथू	बेडास	.... 4/	,,	,,
240.	,, कालिया पिता नारा घनिया पिता नारा	बेड़ावल	.... 3/	,,	,,
241.	,, नगला पिता रूपा, गेबिया पिता रूपा	बेडास	.... 4/	,,	,,
242.	,, नाथू पिता काना	बेडास सरविणीबेग	.... 15/	,,	,,
243.	,, बाला पिता नारा, कानिया पिता बाला रतिया पिता नारा	मालपुर	.... 3/	,,	,,
244.	,, पिथिया पिता देवा, उदिया पिता पिथिया, भेरिदा पिता पिथिया आदिनी, देवलिया,	देवलीमाता	.... 7/	,,	,,
245.	,, मांगला पिता जापा	दौलपुरा	.... 4III/	,,	,,
246.	,, नथला पिता नाथू मीणा	पाहूरी	.... 4/	,,	,,
247.	,, पदमा पिता बेला, खेता पिता लिम्बा, रोड़ा पिता लिम्बा, लखमा पिता भेरा आदि	बेडावल	.... 12/	खसरा नं. उपलब्ध नहीं है	
248.	,, कालिया पिता नारा मीणा	मालपुर सरवणीवेग	.... 4/	,,	,,
249.	,, गौतमा पिता खेता मीणा	,,	.... 2II/	,,	,,

1	2	3	4	5	6
250.	श्री बालिया पिता नारा, राधिया पिता नारा	मालपुर	....	2॥/	खसरा नं. उपलब्ध नहीं है
251.	,, खेमा पिता भग्गा	,,	....	1॥/	,, ,,
252.	,, देवल पिता धुला, भगाना पिता धुला	,,	....	1॥/	,, ,,
253.	,, रूपा पिता धुला	,,	....	1॥/	,, ,,
254.	,, बागला पिता धुला	,,	....	2/	,, ,,
255.	,, भगवाना पिता भेरा, शंकर पिता भेरा	,,	....	2/	,, ,,
256.	,, तेजिया पिता पेमा, केतिया पिता तेजा	जोधपुर	....	4/	,, ,,
257.	,, भगवाना पिता काना, भेरा पिता कालू, मानिया पिता नाथू, गोता पिता नाथू निखेड़ा नाजाज काश्त	बेडास	....	6/	,, ,,
258.	,, गेबा पिता रुपा, लखमा पिता गेबा	बेडा चितावली	....	3/	,, ,,
259.	,, नगा पिता रुपा, वक्ता पिता नगा	बावरीबेण बेडास	....	3/	,, ,,
260.	,, नारा पिता देवा, गोता पिता देवा, भेरा पिता देवा	श्यामपुरा	....	20/	,, ,,
				1864/2	

(248)

सूची ग्रामवार नाजायज वन भूमि पर अतिक्रमण बाबत रेन्ज बान्सी

क्र. सं.	नाम रेन्ज	अतिक्रमी का नाम अल्दियत कोमियत एवं सकूनत	नाम वनखण्ड जिसमें अवैध कब्जा है	खसरा नं.	रकबा वि० जिस पर कब्जा किया
1.	रेन्ज बान्सी	देवा पि. हरजीया रावत नि. बोर का पानी	उमरकोटा	10	5.00
2.	,,	बालू पि. नाथू रावत नि. भेरव	,,	1284	5 बीघा
3.	,,	माना पि. लकमा मीणा नि. कालीभीति	,, ,,	3 ,,	,, 3
4.	,,	पुरा पि. लखमा रावत नि. कालीभीत	,,	,,	2 ,,
5.	,,	गोतम चि. रूतीया मीणा नि. उमरकोटा	,,	379	4 ,,
6.	,,	भगजीया पि. भेरा रावत नि. छोगाघाटी	,,	1302	8 ,,
7.	,,	कारू पि. भेरा रावत छोगाघाटी	,,	5	5.10 बीघा
8.	,,	बाबरीया पि. हीरा मीणा नि. घाटा हाल हबजी का थला	,,	1564	5 बीघा
9.	,,	हीरा पि. खेता मीणा भेरव नि. टेवण हा. छोगाकाटी		1284	15 –,,–
10.	,,	देवा पि. का नाम रावत नि. बोर का पानी उमर कोटा		,,	17 –,,–
					69 10 बीघा

उप वन संरक्षण
जन जाति उपयोजना क्षेत्र
प्रतापगढ़ ।

सूची ग्रामवार नाजायज वन भूमि पर प्रतिक्रमण बाबत रेन्ज घरियाबद कार्यालय उप वन संरक्षक प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम रेन्ज	प्रतिक्रमी का नाम बल्दियत कोमीयत एवं सकूनत	नाम वन खंड जिसमें प्रवंध कब्जा है	खसरा नं.	रकबा जिस पर कब्जा किया .	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	रेन्ज घरियाबद	तेजीया पि. पालीया मीणा नगजी पि. उदा मीणा नि. बोन्दीया	नोटड़ा	4/1	12 बीघा	,,
2.	,,	नवला पि. कोरा मीणा नि. श्रणत भाणिया पि. भेरा मीणा नि. श्रणत	श्रणत	82/1	10 बीघा	,,
3.	,,	तेजिया पि. पालीया मीणा नि. घालीया	गोटडा	598/4 ख	3 ,,	,,
4.	,,	घनिया पि. कचरू मीणा बलन पि. उदा मीणा लकमा पि. उदा मीणा नि. हजारी गुड़ा	,,	291/1	17 ,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
5.	रेन्ज धरियाबद	चोखला पि. देवा मीणा बीरना चि. परता नि सारकीया	सकरकन्द	3	8 बीघा	,,
6.	,,	रामला पि. देलीया मीणा धारीया पि बेलीया मीणा नि. हजारीगुड़ा	मोटड़ा	201/1	2.10	,,
7.	,,	देवा पि सरदारिया नानजी पि. नाथू धारजी पि. दीपा नाथिया पि. खानीया कानिया पि. पूंजिया केशिया पि. चमना दितिया पि. चमना कवरा पि. पाचीया मीणा नि. गामदा	गोटड़ा	5 0/1	4 बीघा	,,
8.	,,	नानीया पि. हेमा मीणा नि. लसाडिया	गागरी	1	2 ,,	,,
9.	,,	पदमा पि हेमा मीणा मानीया पि. हेमा मीणा नि. लसाडिया	,,	1	1 ,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
10	रेन्ज धरियावद	मानीया पि. हेमा मीणा गांगला पि. हेमा मीणा मंगला पि. गांगा मीणा गमाना पि. गांगा मीणा केलजी पि गांगा मीणा खानिया पि मानीया मीणा निवासी लसाडिया	गागरी	1	5 बीघा	,,
11.	,,	नारिया पि. नाया मीणा नि. बेलजी	,,	1	4 ,,	,,
12.	,,	गांगा पि हेमा मीणा बमाना पि. गागा मीणा	,,	1	15 ,,	,,
13.	रेन्ज धरियावद	रामा पि० रावगा मीणा कालिया पि० छीपा मीणा नि० भरकुन्डी	करमेलिया	229/30,31,32	16 बीघा	
14.	,,	रामा पि० पांचिया मीणा सावजी पि० गोतिया मीणा नि भरकुण्डी	,,	,,	16 ,,	
15.	,,	नगजी पि० नाथू मीणा मोतीया पि० मगला मीणा ,,	,,	,,	16 ,,	

1	2	3		4	5	6	7
16.	रेन्ज घरियावद	किरीया पि० देवा मीणा केरजी पि० डकारिया मीणा	भरकुण्डी	करमेलिया	229,30,31,32	16 बीघा	
17.	,,	बटुवा पि० होमना मीणा कालिया पि० छोगला मीणां	,,	,,	,,	16 ,,	
18.	,,	कालिया पि० डाया मीणा लिम्बिया पि० मोतिया मीणा	,,	,,	,,	16 ,,	
19.	,,	कालिया पि० रावगा मीणा मोतिया पि० कमला मीणा	,,	,,	,,	16 ,,	
20.	,,	रतना पि० डाया मीणा पूज्या पि० तेजीया मीणा लालजी पि० भीकमा मीणा	,,	,,	,,	24 ,,	
21.	,,	धनिया पि० कमला मीणा वक्दा पि० रोड़ा मीणा	,,	,,	,,	16 ,,	
22.	,,	रतना पि० रोड़ा मीणा देवा पि० रोड़ा मीणा	,,	,,	,,	16 ,,	
23.	,,	कानजी पि० बालिया बजीया पि० भालीया मीणा	,,	,,	,,	16 ,,	

1	2	3		4	5	6	7
24.	रेन्ज धरियावद	बेलिया पि० होमला मीणा					
		उकारिया पि० देवा बीणा	भरकुण्डी	करमेलिया	229,30,31,32	16 बीघा	
25.	,,	पदमा पि० प्रणदा मीणा	,,	,,	46	3	
26.	,,	हेकर पत्नी धर्मा मीणा					
		दलजी पि० धर्मा मीणा					
		शंकर पि० बेरता मीणा नि. जवाहरनगर		तिहाड़	62 बीघा	12	
27.	,,	बाला पि० देवा मीणा					
		बाबुलाल पि० बाला मीणा					
		सोमा पि० कानजी मीणा					
		रामजी पि० कानजी मीणा					
		रूपा पि० लिम्बा मीणा	,,	,,	,,	56.02 ,,	
28.	,,	हुरजी पि० पुन्जा मीणा					
		गणेशा पि० हुरजी मीणा					
		हाजा पि० पुन्जा मीणा	,,	,,	,,	88.10 ,,	
29.	,,	लक्ष्मण पि० रतना मीणा					
		नारायण पि० थावरा मीणा					
		छावरा पि० नाथा मीणा	,,	,,	602	38.10 बीघा	

Page No 254

254

1	2	3	4	5	6	7
30.	रेन्ज धरियावद	नाथा पि० पुन्जा मीणा हीर पि० खातू मीणा शंकर पि० माना मीणा जवाहर नगर	तिहाड़	1602 बीघा	82,05 बीघा	
31.	,,	चचा पि० मोतिया मीणा बदिया पि० भेरा मीणा नि० बेलबी	भोजपुर	101 ,,	6 ,,	
32.	,,	कडुआ पि० कजा मीणा जगजीवन पि० थावरा मीणा नाना पि० रतना मीणा नि. जवाहर नगर	तिहाड़	6.2	29.02 ,,	
33.	,,	मानिया पि० पांचिया मीणा भीमा पि० रोड़ा मीणा भेरिया पि० पुना मीणा नि. झडोली	करमेलिया	4	2.05 ,,	
34.	,,	लखमा पि० गांगजी मीणा रतना पि० नानीया मीणा ,,	,,	4	1.10 ,,	
35.	,,	बजीया पि० रामा मीणा पांचीया पि० नारिया मीणा ,,	,,	4	1.10 ,,	
36.	,,	पांचीया पि० गमाना मीणा पालिया पि० रोड़ा मीणा ,,	,,	4	2.00 बीघा	

1	2	3	4	5	6	7
37.	रेन्ज धरियावद	गमाना पि० घुलिया मीणा कालिया पि० काना मीणा नि. करोली	करमेलिया	4	1.10 बीघा	
38.	„	उदीया पि० कीकीया मीणा नानजी पि० तेजीया मीणा „	„	4	1.10 „	
39.	„	भगला पि० रकबा मीणा नि. पीपलिया	खेरथली	1 मीन	10 बीघा	
40.	„	नाथू पि० गोतमा मीणा „	„	1 „	8 बीघा	
41.	„	कसना पि० पूनिया मीणा माला पि० पुनिया मीणा „	„	1 „	7 „	
42.	„	कमला पि० जीवा मीणा „	„	1 „	2 „	
43.	„	मेरिया पि० वक्ता मीणा नि० पीपलिया	„	1 „	2.00 „	
44.	„	जीवला पि० गोतया मीणा बागजी पि० गोतमा मीणा नि. हजारीगढ़ा	गोठड़ा	510	10 „	
45.	„	भाणीया पि० कचरु मीणा „	„	209	48 „	
46.	„	मानजी पि० नाथू मीणा नि० गोठड़ा	„	510	7 „	
47.	„	नानजी पि० दीपा मीणा „	„	510	10 „	

1	2	3	4	5	6	7
48.	रेन्ज घरियावद	पाचिया पि. लालीया मीणा नि. गोठड़ा	गोठड़ा	510	2 बीघा	
49.	,,	डेलरिया पि दीपा मीणा नि. गोठड़ा	,,	510	10 ,,	
50.	,,	केशिया पि. नानजी मीणा नि. गोठड़ा	,, ,,	510	7 ,,	
51.	,,	नगजी पि. दीपा मीणा नि. चोन्दीया	,,	5	10 ,,	
52.	,,	तेजिया पि. पालिया मीणा नि. चोन्दीया	,,	5	10 ,,	
53.	,,	उदीया पि. धन्ना मीणा केशिया पि. धन्ना मीणा नि. विकरुणा	करमेलिया		9.15 ,,	
54.	,,	भेरिया पि. गंगा मीणा नि. विकरुणा	,,		3.10 ,,	

1	2	3	4	5	6	7
55.	रेन्ज धरियावद	भीमा पि. पांचिया मीणा देवा पि. पांचीया मीणा बालिया पि. पांचीया ,, कीकीया पि. पांचीया नि. विकरुण	,,		10 ,,	
56.	,,	धुलजी पि. हुवजी मीणा नि. विकरुण			10 ,,	
57.	,,	खातिमा वि. गांगा मीणा नि. विकरुण		–	5.05 ,,	
58.	,,	रकमा पि. हुरजी मीणा नि. लिकडिया		179	6.09 ,,	
59.	,,	ऊंकार पि. जीवा मीणा नि. लिकडिया		257	18.18 बीघा	
60.	,,	बदिया पि. गोतिया	,,	257/1 क	14.10 ,,	
61.	,,	खेमा पि. देवजी	,,	,,	23.15 ,,	
62.	,,	रकबा पि. नाथिया मीणा	,,	,,	10.01 ,,	
63.	,,	फुलिया पि. करमा मीणा नि, पूंजागांव		,,	3.18 ,,	

1	2	3	4	5	6	7
64.	रेन्ज धरियावद	हूरजी पि. दूदिया मीणा नि.	अन्तरोल	3/1	12 बीघा	
65.	,,	भीमा पि. दूदिया मीणा नि.	भूगावट	2	6 00 ,,	
66.	,,	नाथिया पि. दूदिया मीणा नि.	,,	2	6.00. 00	
67.	,,	लालीया पि. नाथजी मीणा	,,	6	32.00 ,,	
		जीवा पि. दीतिया मीणा	,,			
		तोमा पि. होमा मीणा	,,			
		बद्दा पि. होमा मीणा	,,			
		नि. देबला पाल'ह्रा. हीरावास	,,			
68.	,,	बाबरिया पि. मेरा मीणा	चरी	110	50.00 ,,	
		नाह पि. खानिया मीणा	,,			
		कानिया पि. उकार मीणा	,,			
		नि. चरी लीमड़ीखेड़ा	,,			

उप वन संरक्षक
जन जाति उपयोजना क्षेत्र,
प्रतापगढ़

बाड़मेर व जैसलमेर में ऊन मिल की स्थापना

156. श्री अमीन खां (शिव) : क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार यह महसूस करती है कि जिला बाड़मेर व जैसलमेर दोनों भेड़ पालक जिले हैं, जहां पर ऊन उद्योग का स्कोप बहुत अच्छा है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इन जिलों के गरीब पशुपालकों के लाभ को ध्यान में रखते हुए इन जिलों में एक ऊन मिल कायम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। फेडरेशन द्वारा भेड़ पालन विभाग, राज्य सरकार के सौजन्य से भेड़ व ऊन उद्योग पर एक कार्य शाला आयोजित की गई थी, उक्त कार्यशाला में विचार विमर्श करने के पश्चात् सिफारिश से राज्य सरकार को अवगत कराया जा रहा है।

(2) जैसलमेर, बाड़मेर जिले में ऊन मिल लगाने की योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री गंगानगर के टी. बी. गांव में मण्डी यार्ड का निर्माण

157. श्री पोरूराम (टी बी.) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या जिला श्रीगंगानगर के टी. बी. गांव में मण्डी यार्ड बनाने हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो किससे ?

(2) क्या इस कार्य हेतु सरकार ने धनराशि भी स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कितनी ? उक्त मण्डी यार्ड किस जगह पर बनाने की योजना है ? क्या इस हेतु जमीन उपलब्ध कराई गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री बीरबलजी, सांसद ने मंडी यार्ड बनाने का प्रस्ताव भेजा था।

(2) जी नहीं। मंडी यार्ड हेतु मण्डी समिति की ओर से अभी तक भूमि का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही स्थान निर्धारित करना सम्भव हो सकेगा।

बिसलपुर (टौंक) में बनास नदी स्थल पर बांध का निर्माण

158. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि टौंक जिले के गांव बिसलपुर के पास दो पहाड़ियों के बीच बहने वाली बनास नदी में अथाह पानी है और यहां बांध बनाया जा सकता है ?

(2) क्या इस बांध के बनाने के लिये सर्वे कराया ? यदि हां, तो कब ? इस स्थल का कब-कब किस-किस ने निरीक्षण किया और इनके क्या विचार और रिपोर्ट रही ? कृपया सर्वे रिपोर्ट और स्थल निरीक्षकों की सूची सदन को मेज पर रखें। इस

(श्री चतुर्भुज)

परियोजना की डूब में कितनी एकड़ भूमि आयेगी तथा कितनी भूमि सिंचित होगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस बिसलपुर बांध परियोजना को राज्य सरकार पीने के पानी के लिए काम में ले रही है ? क्या इस नदी का पानी नेगडिया से अजमेर-नसीराबाद आदि स्थलों पर पीने के लिये दिया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि इससे आसपास के क्षेत्रों के कुओं का पानी सूखता जा रहा है, जिस कारण यहां के किसानों में असंतोष व्याप्त है ?

(5) राज्य सरकार टौंक जिले के राजमहल के पास दो पहाड़ों के बीच में बहने वाली बनास नदी पर बिसलपुर बांध का सिंचाई हेतु शीघ्र निर्माण कार्य कब तक चालू करा देगी ?

(6) क्या यह भी सही है कि इस बांध बनने के बाद बिजली पैदा की जा सकती है तथा नसीराबाद, ब्यावर व अजमेर को सुगमता से पानी पहुंचाया जा सकेगा और कुओं में पानी का स्तर भी बराबर बना रहेगा ?

उत्तर

(1) वर्तमान अध्ययन के अनुसार बनास नदी में बिसलपुर गांव के पास 75 प्रतिशत निर्भरता पर 3,23,900 लाख घन फीट जल उपयोग हेतु उपलब्ध है।

(2) जी हां। सर्वे कार्य वर्ष 1945 में किया गया था। परन्तु उस समय योजना की क्रियान्विति रियासतों की असहमति के कारण नहीं हो सकी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् वर्ष 1959 में पुनः सर्वे कार्य प्रारम्भ किया गया। निरीक्षण अधिकारियों के नाम, वर्ष जब निरीक्षण किया, एवं परियोजना प्रतिवेदन के भाग 2 ए की पृष्ठ संख्या, जिस पर प्रतिवेदन की प्रतियां संलग्न हैं, का विवरण संलग्न परिशिष्ठ "क" के क्रमशः कालम सं. 2, 3 एवं 4 में दर्शाये गये हैं। योजना प्रतिवेदन भाग-2 ए सदन के पटल पर रख दिया गया है। प्रस्तावित जलाशय के डूब में 48,900 एकड़ भूमि आवेगी एवं योजना से 1,50,000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई प्रस्तावित है।

(3) इस योजना के आकलन में 85,000 लाख घन फीट पानी पीने के उपयोग हेतु प्रस्तावित है। ग्राम नेगडिया, देवपुरा, सांडला, छातडी (जिला टौंक) आदि ग्रामों के पास बनास नदी क्षेत्र में नलकूप लगाकर यहां का पानी अजमेर व नसीराबाद आदि शहरों की जल आपूर्ति हेतु दिया जा रहा है।

(4) जी नहीं। उक्त क्षेत्र के रिप्रेजेण्टेटिव कुओं के पानी स्तर के आंकड़ों के अध्ययन के जलस्तर में विशेष गिरावट नहीं पाई गई है। किसानों में कोई असन्तोष नहीं है।

(5) बिसलपुर गांव के पास दो पहाड़ियों के बीच में बांध का निर्माण केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग द्वारा योजना की स्वीकृति एवं आवश्यक वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

(6) प्रस्तावित सिंचाई एवं जल आपूर्ति योजना में पन बिजली पैदा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस योजना में अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर इत्यादि शहरों को अधिक पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। जलाशयों के निर्माण से साधारणतः आसपास के कुओं में जल स्तर ऊंचा होने की सम्भावना रहती है।

परिशिष्ट 'क'

विभिन्न अधिकारियों द्वारा बिसलपुर बांध योजना के निरीक्षण का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	निरीक्षण का वर्ष	सदन के पटल पर रखे गये योजना के आकलन के भाग 2ए की पृष्ठ संख्या जिस पर निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
1.	श्री डब्ल्यू. एम. स्टेम्प इरिगेशन एडवाइजर, भारत सरकार	1945	एपेण्डिक्स–13 पेज नं. 119
2.	श्री एफ. एफ. फरगुशन मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर	1945	एपेण्डिक्स–14 पेज नं. 120 से 134
3.	श्री ई. आर. गी. सुपरिण्टेन्डेन्ट जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया	1945	उपरोक्तानुसार.
4.	श्री एस. एन. चतुर्वेदी, जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया	जून, 1960 व अगस्त, 1961	एपेण्डिक्स 15 एवं 17 (पेज 142 खण्ड 158)
5.	श्री आर. एन. बोस, जियोफिजिस्ट, जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया	जून, जुलाई, 1961	ए, एपेण्डिक्स–18 पेज 170
6.	श्री वी. एस. कृष्णास्वामी, सुपरिण्टेण्डेन्ट जियोलोजिस्ट	जनवरी, 1982	एपेण्डिक्स–18 ए पेज 195

चौमू रोड पर नई अनाज मण्डी बनाने की योजना

159. **श्रीमती उज्जला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से चौमू रोड पर नई अनाज मण्डी बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो अभी तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति है ? कृपया योजना का मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्राधिकरण ने भवानी निकेतन विद्यालय की पाँच सौ बीघा भूमि को हथिया लिया है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

(3) क्या यह सही कि उपरोक्त भूमि जयपुर स्टेट कार्यालय में भवानी निकेतन विद्यालय के विकास के लिए दी गई थी ? यदि हां, तो क्या प्राधिकरण इस भूमि को स्कूल विकास के लिए वापस उक्त संस्था को लौटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। भूमि राज्य सरकार द्वारा रिज्यूम की गई थी। जो अब प्राधिकरण में निहित हो गई है।

(3) जी हां। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से इस मामले में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

राज्य में वीडियो के प्रचलन से हानि

160. **श्री भैरूलाल** (मनोहर थाना) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वीडियो का भारी प्रचलन है और इन पर कोई टैक्स नहीं है तथा इनके मालिक प्रचार कर दर्शकों से सिनेमा की भांति हर शो के पैसे लेते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जल से वीडियो का प्रचलन हुआ है, सिनेमाओं की आय पर कुप्रभाव पड़ा है तथा राज्य सरकार को भी भारी आर्थिक हानि हो रही है ? यदि हां, तो सरकार वीडियो पर कब से टैक्स लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि वीडियो का प्रचार बढ रहा है। हाल ही के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार जहां प्रवेश शुल्क लेकर वीडियो शो दिखाये जाते हैं वहां मनोरजन कर देय है,

(2) कुछ हद तक वीडियो का सिनेमाओं पर प्रभाव स्वाभाविक है। वीडियो शो पर मनोरंजन कर देय है, इसकी वसूली की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।

जुल्मी आयुर्वेद चिकित्सालय (कोटा) के वैद्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच

161. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री हरीश शर्मा)

करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के जुल्मी आयुर्वेद चिकित्सालय के वैद्य के विरुद्ध शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपनिदेशक, कोटा ने जांच कर जांच रिपोर्ट निदेशक को भेजी है ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या जुल्मी के वैद्य दवाइयों की अपेक्षा जादू-टोना, झाड़-फूंक से चिकित्सा करते हैं ? क्या इससे कई महिला एवं बालकों की अकाल मौत हो गई है ? यदि हां, तो विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उप निदेशक कोटा ने जुल्मी औषधालय का निरीक्षण कर, निरीक्षण रिपोर्ट एवं निरीक्षण दौरान प्राप्त शिकायत की रिपोर्ट का पत्र विभाग को भेजा है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर उप निदेशक कोटा को वैद्य के विरुद्ध आरोप पत्र का प्रारूप मय रेकार्ड के भेजने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

(3) जुल्मी औषधालय के वैद्य के द्वारा दवाइयों की अपेक्षा जादू-टोना, झाड़ फूंक से चिकित्सा करने संबन्धी बिन्दुओं पर उप निदेशक कोटा ने कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। महिला एवं बालकों की अकाल मौत होने का उल्लेख भी उप निदेशक कोटा ने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया हैं। विभाग द्वारा वैद्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है, तथा उक्त वैद्य को राज्यादेश दिनांक 8. 9. 83 के द्वारा ग्राम जुल्मी से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

पहाड़ी चैक पोस्ट (कामां तहसील) से हरियाणा सीमा सड़क की मरम्मत

162 श्री चाव खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर की तहसील कामां में पहाड़ी चैक पोस्ट से हरियाणा बोर्डर 2 किलोमीटर सड़क का मरम्मत का ठेका दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस ठेकेदार को कब और किस-किस काम का तथा कितनी राशि में ?

(2) क्या इस सड़क मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ? यदि पूरा हो चुका है, तो क्या ठेकेदार को रकम का भुगतान कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) पहाड़ी चैक पोस्ट से हरियाणा बोर्डर तक 2 कि0मी0 सड़क का ठेका 23·6·83 को श्री रामस्वरूप गर्ग ठेकेदार भरतपुर को गिट्टी कुटाई और प्रीमिक्स कारपेट करने का 75913·00 रुपये की लागत का दिया गया है।

(2) सड़क पर निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा माह अक्टूबर, 1983 के अन्त तक समाप्त होने की सम्भावना है। ठेकेदार को भुगतान नही किया गया है।

ग्राम जयमलसर (बीकानेर) क्वार्टर व कैटल शेड का निर्माण

164. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या पशु पालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में ग्राम जयमलसर में पशुधन सहायक के लिए सघन पशु विकास उपकेन्द्र के लिए 1970 में कुछ क्वार्टर्स व पशुपालन विभाग द्वारा 1976 में डेयरी विकास कार्यक्रम के साथ कैटल शेड, पानी कुंड भी बनाया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयमलसर के सेठ रामनारायण राठी ने उक्त सरकारी निर्माण कार्यों को तुड़वाया ? यदि हां, तो किन ग्राधारों पर ?

(3) क्या सरकार ने श्री राठी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्या जिलाधीश बीकानेर इन्हें तुड़वाने के ग्रादेश देने के लिए सक्षम थे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिलाधीश बीकानेर ने ग्रादेश दिए कि रामनारायण राठी चेरीटेबल ट्रस्ट से वैसे ही भवन उस परिधि के ग्रन्दर किसी ग्रन्य जगह बनवाकर दे दें तो मौजूदा कमरे बरामदा व शेड व कुण्ड ग्रपने ग्रौषधालय के काम में ला सकते हैं।

(3) जी नहीं। जिलाधीश पुराने के स्थान पर नया भवन बनाने का प्रस्ताव स्वीकार करने में सक्षम थे।

नकली बीजों का बाजार में विक्रय

165. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर), **श्री हीरालाल ग्रार्य** (पीपल्दा), **श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर** (डग) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विभाग द्वारा इस वर्ष कब कौन-कौन-सी वस्तु का कितना-कितना नकली बीज बाजार में बिकता हुग्रा पकड़ा गया ?

(2) उक्त मामलों में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष 1 जनवरी, 83 से 3-8-83 तक बीज ग्रधिनियम, 1966 के तहत राज्य के बीज निरीक्षकों द्वारा संकर बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल, कपास, ग्वार, सोयाबीन, ग्ररहर, मूंगफली, बरण्डी इत्यादि के कुल 1197 नमूने विभिन्न बीज विक्रेताग्रों एवं संस्थाग्रों से लिए गए तब इनको बीज जांच प्रयोगशाला दुर्गापुरा में जांच हेतु भिजवाया गया। जांच के पश्चात् इनमें से 124 नमूने ग्रमानक घोषित हुये ग्रमानक नमूनों पर सम्बन्धित विक्रेताग्रों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित ग्रधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके है।

(2) बीज ग्रधिनियम, 1966 के तहत जो 124 नमूने ग्रमानक पाये गए उनकी बिक्री को निरीक्षकों द्वारा ग्रधिकतम समय एक माह के लिए रोका गया तथा सम्बन्धित संस्थाग्रों बिक्रेताग्रों के विरुद्ध उपयुक्त मामलों में सक्षम कोर्ट में नियमानुसार चालान प्रस्तुत करने के लिए विभागीय ग्रधिकारियों को निर्देश प्रसारित किए गए। (सूची संलग्न)

Ajmer District

No. of samples drawn	Results received so far	No. of samples found sub std.	kind of seed	Parties whose samples found sub-standard
1	2	3	4	5
36	33	5	Cotton-2 Maize-2 Jowar-1	RSSC Samples drawn from its processing Plant Tabiji.
Jaipur District				
110	61	4	Bajra	1. Dudu G. S. S. (RSSC) 2. Padasoli G.S.S (RSSC) 3. M/s. Achaleshwar Khad Beej Bhandar, Achrol (GSSC) 4. M/s. Kheti Bari Beej Co. Jaipur (GSSC)
Sikar District				
18	18	3	Bajra	1. M/s. Raj Beej Bhandar, Court Road, Sikar (2) 2. M/s. Bharti Beej Bhandar, Court Road, Sikar (1)
Jhunjhunu District				
13	13	1	Bajra	Marketing Society, Jhunjhunu (RSSC)

1	2	3		4
Bhilwara District				
91	65	10	Jowar-10	K.V.S.S. Mandal-garh K V.S.S. Mandal
18	18	5	Maize-5	K.V.S.S. Asind K.V.S.S. Sawaipur
7	7	1	Cotton-1	K.V.S.S. Banera (all of RSSC)

Haldighati, Gangapur
(Private dealer)

रामसर थाना जिला बाड़मेर में सरकारी जीप द्वारा तस्करी का प्रकरण

167 श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माह अगस्त, 1983 में रामसर थाना जिला बाड़मेर में सरकारी जीप द्वारा तस्करी का माल ले जाते हुए बरामद किया गया ? यदि हां, तो उक्त सरकारी जीप कौन से विभाग से सम्बन्धित थी ?

(2) उक्त जीप में से कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? तथा उक्त व्यक्ति कौन-कौन से विभाग में किस-किस पद पर कार्यरत थे ?

(3) उक्त प्रकरण में कितना माल बरामद किया गया व कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? कृपया विगतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जीप न० आर० एस० एम० 939 केन्द्रीय इन्टेलीजेन्स ब्यूरो विभाग में संबन्धित थी।

(2) उक्त जीप में से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिनमें दो व्यक्ति केन्द्रीय इन्टेलीजेन्स ब्यूरो में एक ए० सी० आई० ओ० (द्वितीय) व एक ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे व तीसरा प्राइवेट व्यक्ति था।

(3) उक्त जीप में 530 कैलकुलेटर, 19 टेपरिकार्डर कम ट्रान्जिस्टर विदेशी कपड़ा के 57 ताके (थान) 1767–75 मीटर बरामद किये गये। 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सूची सदन के मेज पर रख दी गई है।

जीप न० आर. एस. एम. 939 में बरामद माल व मुलजिमान की सूची :–

1—केलकुलेटर 530

2—टेप कम ट्रांजिस्टर 19

3—विदेशी कपड़ा 57 ताके [थान] 1767.75 मीटर

कुल बरामद माल की कीमत 1,30,000/–

नाम मुल्जिमान

1—श्री नमन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति राजपूत नि० कालाडेरा हाल ए. सी. आई. ओ. [द्वितीय] केन्द्रीय इन्टेलीजेन्स ब्यूरो विभाग, बाड़मेर

2—श्री मूलसिंह पुत्र श्री नवलसिंह जाति राजपूत नि० जैसलमेर हाल ड्राइवर केन्द्रीय इण्टेलीजेन्स ब्यूरो विभाग, बाड़मेर

3—नारायण सिंह पुत्र श्री पुरखसिंह कौम पुरोहित साकिन लंगेरा जिला बाड़मेर।

4—लतीफ पुत्र शेरू कोम मुसलमान नि० गागरिया जिला बाड़मेर।

268

कृषि उपज मंडी, निवाई के कर्मचारी को अग्रिम राशि का भुगतान

168. **श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा** (निवाई) क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या कृषि उपज मण्डी निवाई में अब तक कार्यरत किसी भी कर्मचारी द्वारा एडवांस की राशि उठाई गयी है ? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि बकाया है ?

(2) क्या अग्रिम राशि देने से पूर्व विभागीय शर्तों की पूर्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या एडवांस की गयी राशि का समायोजन हो गया है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विभागीय क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक 1,51,499.70 रुपये की राशि बकाया है।

(2) जी नहीं। कर्मचारियों ने स्वेच्छा से अवहेलना की है।

(3) जी नहीं।
सम्पूर्ण राशि का समायोजन अभी तक नहीं हुआ है। सम्बन्धित कर्मचारी को निलम्बित किया जा कर पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज करा दी गई है।

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 170 की सूचना

तहसील– चौमू में पेयजल से लाभान्वित गांवों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड न०	योजना का प्रकार
1	2	3	4
1.	नांगल गोबिन्द	2.	हैण्ड पम्प
2.	बागरों का बास	6.	,, ,,
3.	भूतेरा	7	,, ,,
4.	नांगल कला	11	पारस्परिक जल स्रोत योजना
5.	रायसिंह का बास	12	हैण्ड पम्प
6.	डमोडसर	13	पारस्परिक जल स्रोत योजना
7.	सिंगोद खुर्द व कला	14	पम्प और टैंक जल स्रोत योजना
8.	खेजरोली	15	,, ,,
9.	धोवलाई	24	,, ,,
10.	स्याऊ	25	हैंड पम्प
11.	गोविन्दगढ़	26	पम्प एवं टैंक
12.	कुम्भा का बास	31	हैंड पम्प
13.	बाढ अभय करनपुरा	32	,, ,,
14.	अलीसर	33	पारम्परिक जल स्रोत योजना
15.	बागा का बास	34	हैण्ड पम्प
16.	हस्तेड़ा	37	पम्प एव टैंक
17.	बिमलपुरा	41	हैंड पम्प
18.	डिलान	43	,, ,,
19.	कालाडेरा	44	पम्प एवं टैंक

1	2	3	4
20.	खन्नीपुरा	46	हैण्ड पम्प
21.	अनन्तपुरा, विमनपुरा	51	पारम्परिक जल स्रोत योजना
22.	इटावा	52	पम्प एवं टैंक
23.	विशनपुरा	53	पारम्परिक जल स्रोत योजना
24.	अमरपुरा	55	,, ,,
25.	बरवाड़ा	57	हैण्ड पम्प
26.	नांगल भारड़ा	58	पारम्परिक जल स्रोत योजना
27.	हथनोढ़ा	59	,, ,,
28.	भोपावास	60	,, ,,
29.	उदयपुरिया	61	पम्प एवं टैंक
30.	हाड़ोता	62	पारम्परि जल स्रोत योजना
31.	जोधपुरा	63	हैण्ड पम्प
32.	टाकरड़ा	64	पारम्परिक जल स्रोत योजना
33.	देवपुरा	66	हैण्ड पम्प
34.	जयसिंहपुरा	67	,, ,,
35.	गुबारडी	68	,, ,,
36.	चक टाकरड़ा	69	हैण्ड पम्प
37.	डोला का बास	87	,, ,,
38.	गोरी का बास	88	,, ,,
39.	धिनोई	90	पारम्परिक जल स्रोत योजना
40.	जैतपुरा	155	,, ,,
41.	मोरीझा	156	पम्प एवं टैंक योजना
42.	सामोद	157	,, ,,
43.	मालेरा	158	हैण्ड पम्प
44.	जाटावासी	159	,, ,,
45.	महरकला	160	पारम्परिक जल स्रोत योजना
46.	धार	161	हैण्ड पम्प
47.	रामरपुरा	164	,, ,,
48.	चीथवारी	170	पम्प और टैंक योजना

271

प्रपत्र ब

तहसील—चौमू में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की सूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	योजना का प्रकार
1.	किशनपुरा	3	पम्प व टैंक योजना
2.	नांगल काजू	17	,, ,,
3.	निवाना	20	,, ,,
4.	देवथला	21	,, ,,
5.	सान्दरसर	30	,, ,,
6.	लोहरवाड़ा	49	,, ,,
7.	तिगारिया	56	,, ,,
8.	अस्तीकला अस्ती खुर्द	5	हैण्ड पम्प
9.	अनन्तपुरा	175	पारम्परिक जल स्रोत योजना
10.	बरवाड़ा	57	हैण्ड पम्प

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 172 की सूची

प्रश्न के भाग 2 का विवरण

पाइप की किस्त	पाइप की साइज	पाइप की लम्बाई	खरीद की दिनांक	खरीद की शर्तें	पाइप की दर	कुल राशि
ए. सी. प्रेशर पाइप क्लास-10	24 इन्च व्यास	13,000 मीटर	22.9.82	शर्तें दर संविदा में अंकित हैं जिसकी प्रति संलग्न है।	414.02 प्रतिमीटर	52.82 लाख

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

(STORES & PROCUREMENT)

REGISTERED A. D.

2-CIVIL LINES,
JAIPUR-302006

No. H/C. III (849) 81-GS/37422/0721

Dated 23-6-81

M/s. Hyderabad Asbestos Cement Products Ltd.,
Himalya House, Ist Floor
23-Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001.

RATE- CONTRACT NO. CPHJ/80-81 CSI/CHARMINAR/A. C. Pipes/81-82/1 DATED 23.6.80 EFFECTIVE FROM 23,6.80 TO 22.3.82.

sub :- Rate Contract for the supply of A. C. Pressure pipes and A. C. Couplings against this office Tender No. 7 CS dated 18.12.80 opened on 6.3.81.

Ref :- Your Tender No. PP/RJ/0807 dated 4.3.81, your letter No. PP/RJ/0807 dated 9.4.81 & No. PP/RJ/0807 dated 24.4.81. & Your Letter No. PP/RJ/0807 dt. 4th June '81'.

Dear Sirs,

Your above reffered tenders for the supply of A.C. Pressure Pipes complete with A.C. Couplings has been accepted on annual rate contract basis on the following terms and conditions :-

1. SPFCIFICATIONS & RATES :-

As per Annexure 'A' attached.

2. TAXES :-

(i) Central Sales Tax will be paid extra by the Deptt., as-applica-

able at the time of supply against Form 'D' which will be issued by the consignee simultaneously with the advance payment through Bank, Sales Tax is leviable on the prices of Products and Central excise duty.

(ii) Your sales Tax number is :-

BALLABGARH :- (i) CRC-CST 3058 dated 3.7.1964.

(ii) CRC-III 6355 dated 3.7.1964.

HYDERABAD :- (i) HH-VII-SN/169/74-75 dated 6.6.64.

(ii) HH-VII-SN/480/74-75 dated 6.6.64.

(iii) On all your bills, you are required to append the following certificate in respect of Sales Tax :—

"Certified that the goods on which the Sales Tax has been charged have not been exempted under the Central Sales Tax Act or the rules made thereunder & the amount charged on account of Sales Tax is not more than what is payable under provisions of the relevant Act or the rule made there under"

3. EXCISE DUTY :-

(i) The central excise duty shall be paid as applicable at the time of despatch. The rate of central Excise Duty applicable on A. C. pressure pipe A. C. Couplings is a 15% valoram A special duty of 5% on basis excise duty of 15% is also levied on the prices mentioned in Annexure 'A' in case there is any change, the Contarctor shall send a copy of Govt. notification to this office and consigneer.

(ii) You will and endorse the fallowing certificate on all your bills :-"Certified that the rates for Excise Duty prevailing as claimed are are statutory in force and have not declined and that we have actually deposited the full amount of excise duty as claimed on the bill".

(iii) You will furnish the following decuments to this office :-

(a) A half yearly certificate from the Contractors Director/Manager to the effect that provision of clause 3 (ii) has been

complied with and should the Contractor be granted any refund of excise duty paid in respect of supplies made to the date of certificate, you would pass on the benefit of the refund to the purchaser.

(b) Subsequent to the re-imbursement of excise duty, you would be required to produce an half-yearly certificate signed by Contractors Director/Manager in respect of each contract to the effect that no refund has been obtained by you, a certificate from Statutory Auditor (Chartered Accountant) of the Contractor once a year as to whether any refund(s) have been obtained by you in the preceding financial year after annual audit of your accounts, also indicating the details of such refunds, if any. This certificate should contain a reference to all the R/Cs held by the Contractor and they should furnish as many copies as the number of Contracts to which it relates.

4. OCTROI :-

The consignee shall arrange the octroi exemption passes, if applicable at destination on receipt of despatch advice from the Contractor no amount on this account will be deducted from the Contractor bills.

5. PRICE FALL :-

(1) The prices charged for the stors supplied under the contract by the contractor shall in no event exceed the lowest price at which the contractor sells the stores of identical-description to any other person/party/Stats Govt./DCS & D/Public Undertaking during the peried of the contract.

(2) If, at any time during the said period, the contractor reduces the sale price of such stores or sell such stores to any other person/party/State Govt./DCS & D/Public Undertaking at a price lower than the price chargeable under the contract, he shall forthwith notify euch reduction or sale to the purchasor and the price payable under the contractor for the stores supplied after the date of coming into force of such reduction or sale shall not be correspondingly reduced. The above stipulation shall,however, not apply to :-

(276)

(a) Export by the contractor.

(b) For all Contracts, entered into prior to the date of this contract or for any backing of pending orders and not running concurrently.

(3) The contractor shall furnish to this deptt. :—

(i) Within a month of the commencement of the contract a certificate for the lowest rates prevailing at the commencement of the rate contract.

(ii) Within a month of the expiry of every six months period a certificate for the lowest rates prevailing during the preceding six months. and

(iii) Within a month of the expiry of the rate contract a certificate in the following performa :—

"I/We cartify that the stores of description identical to the stores supplied to the Govt. under the contract herein have not been sold by me/us to any other person/party/State Govt./ DGS & D/Public undertaking at the commencement of the rate contract, during the period from........... ...to................ during the period of the rate contract from.....................to ....at a price lower than the price charged to the Govt., under the contract except for the quantity supplied under sub-clause (a) & (b) or sub para 2 above, details of which are as follows :—

6. PRICE VARIATION :—

(1) The prices quoted shall remain firm for orders accepted under the rate contract except for :—

(a) Increase/decrease in the prices of Asbestos Fibre,

(b) Increase/decrease in the prioes of cement.

(c) Increase/decrease in the prices of asbestos fibre on account of increase/decrease in ocean freight, insurance, MMTC service charges, custom duty, exchange rate on import of fibre and/or any other statutory levy imposed by the Govt.

(d) Increase/decrease in the prioes of cement on account of increase/decrease in excise duty, sales tax and/or any other statutory levy imposed by the Govt.

(e) Any other statutory levy imposed or notification issued by the Central/State Govt. or any other Govt. body, authority or agency.

(2) Variation in prices due to above factors shall be admitted extra after one month from the date ot such increase/decrease in respect of fibre and after 15 days in respect of cement on production of authenticated proof, for all supplies made under the contract from and after the date of such variations.

(3) The basic prices of raw material on which the quotation is based, will be as under :—

Asbestos Fibre	:	Rs. 11,389.35 per M.L.
Cement	:	Rs, 406.06 per M.T.

(4) The basis of Fibre and Cement proportion per tonne of finished product for the purpose of price variation clause will be as under :—

Asbestos Fibre	:	15%
Cement	:	85%

(5) Price variation clause will be applicable from the date of your offer. The increase/decrease in the prices of raw materials upto 1% would be ignored. If accumulativa effect of increase/decrease is more than 1% than entire increase/decrease will be subject to adjustment on the prices of finished products.

7. INSPECTION :—

(i) The material will be got inspected by you through DGS & D inspection wing mentioned below or by a departmental officer at the option of the deptt. before despatch 5% of the total material inspected shall be stancilled with DGS & D inspection marks. Individual consignments however may contain less/more of such stencilled mark :—

(a) For Hyderabad works :—

(i) The Director of Inspection, DGS & D, Shastri Bhawan, 35-Haddows Road, Madras-6.

(ii) The Inspecting Officer, DGS & D, 3-6-307/1, Hyderguda, Hyderabad (A.P.)

(b) For Ballabgarh works :

(i) The Dy, Director of Inspection, N.I. Circle, Jamnagar House, Shahjahan Road, New Delhi.

(ii) In case inspection is carried out by DGS & D, the inspection charges shall be borne by the deptt. but the same shall be paid initially by the Contractor and shall be claimed in full in their respective 98% bills by them.

(iii) The inspection certificate shall be submitted by the Contractor before or alongwith 2% payment bill. However, alongwith 98% bill a certificate shall be furnished by the manufacturer certifying that the bills relate to pre-inspected material.

8. TESTING FACILITY :—

(i) The Purchaser's representative shall be entitled at all reasonable times during manufacture to inspect, exmine and test on the contractor's premises the material and workmanship of all Equipment to be supplied under the contract and if part of the said Equipment is being manufactured on other premises, the contractor shall obtain for the purchaser's representative permission to inspect examine and test as if the Equipment were being manufactured on the contractor's premises. Such inspection examination and testing shall not release the contractor from the obligations under this contract.

(it) You shall provide such assistance, labour,materials, electricity, fuel and instruments as may be required or as may be reasonably demanded by the Purchaser's representative to carry out such tests efficiently.

(iii) When the equipment has passed the specified test, the purchaser's representative shall furnish a certificate to this effect in writing to the contractor.

9. DELIVERY SCHEDULE :—

(i) The supplies against orders shall commence not later than 60 days of the receipt of order/despatch instructions and shall be effected thereafter at the rate of 2000 M.T. per quarter.

(ii) Date of offering the material for inspection as given in the Inspection Note will be treated as the date of supply for the purpose of delivery period.

10. PACKINC :

The following is the procedure of packing A.C. Pressure Pipes in open wagon :—

"Before the pipes are loaded, 4" thick saw dust is spread on the wagon floor and pipes are stacked over it, three wooden planks of 8'X5"X1"are kept vertically touching the floor at the side to avoid damage to pipes. These 6"X7" planks are jointed with 3"X1" planks of suitable length to give re-inforcement to the sides frames. Once the pipes are loaded, wooden and frames are provided at both the pipe ends (i.e. complete stack) to avoid movement of pipes. All the sides and end frames are than tightened with 5/6"X22 guage sionods strapping. By using strapping side and end frames become strong and restricts the pipes movement."

11. REMOVAL OF REJECTED GOODS :

Material rejected on account of any manufacturing defect or for not meeting with material specifications prescribed in this contract shall have to be removed by the contractor at his own risk and expenses within 30 days from the date of issue of notice of such rejection. In the event of default in compliance thereto by the contractor, it shall be lawful for consignee or his duly authorised representative to sell by public auction the rejected material and in such cases the contractor shall be credited with the sale proceeds after the deduction of any cost expenses insured on such auction by the department.

12. GUARANTEE :

The material shall be guaranteed by you against defects in material and workmanship under normal use and service for a period of 18 months from the date of receipt of material at site or 12 months from the date of commissioning whichever is earlier. Any part found defective during its operation shall have to be replaced free of cost.

13. PAYMENTS & INTIMATION OF DESPATCHES :

98% payment will be made against Railway Receipt, inspection note and a copy of the invoice through bank, and balance 2% shall be made within 30 days after the receipt of material in good condition at destination. The bank charges shall be borne by the contractor. In case the material is despatched by road transport and relative documents for 98% payment are presented through bank, the documents shall be retired only on receipt of material in the Stores of the relative consignee(s)

Note:—(i) However in case despatch documents are delivered through firm's representative or their agent, payment for 98% and 2% bill shall be made by demand draft, the bank commission if any shall be borne by the Contractor.

(ii) Acknowledgement of the bank, if cheque is handed over to the bank at the request of the contractor, shall be deemed to be the acknowledgement of the contractor for payment, but the formal receipt shall be sent to the Consignee by the Contractor.

(iii) The consignee(s) will be informed telegraphically by the contractor about the despatch of material with particulars of R/R.

(iv) The contractor will send advance copy of the bill presented by him through Bank to the Consignee to check up the rates and other terms and conditions of the rate contract. The Contractor will ask the bankers to send intimation to consignee for retirement of documents. The advance intimation to

285

this effect will be given by the contractor as stipulated in sub clause III of clause 13, above. The Consignee will make the payment to retire the documents.

(v) Since it will not be possible to submit Central Excise Gate Pass in case of despatches by metreguage Wagons Ex-Curgaon and Kachigude, the manufacturer's certificate may be accepted as proof of paymant of excise duty for despatches from Curgaon and Kachiguda. However, for despatches from Bnllabgarh & Senatnagar on broad guage destinations, they will be submitting Central Excise Gate Pass as per existing practice.

14. TRANSIT RISK :-

The material shall be despatched at your responsibility of transit risk such as breakage, losses and theft etc. for which an extra charge of 1% on the total value of invoice (including cost of material, excise duty and sales tax) will be allowed only for Railway despatches. The claim on this account shall be entertained by the Contractor as under :-

(A) The consignee shall furnish Railway Certificate of Transit Breakage, losses and theit etc. for pipes, couplings within 30 days of receipt of material and also his (consignee) certificate of shortage, if any, found in packed cases.

(B) The consignee shall furnish a report in the nature of breakages noted on the railway certificate on the prescribed proforma of the Contractor which shall be sent alongwith 98% value bills sent through bank.

(C) The consignee shall deduct the claim amount from the balance 2% value bills of the firm as under :-

1) Where the broken pipes can be reclaimed in length of 1.5 metre and above, the claim amount shall be deducted as under :-

(i) Value of actual length of pipe lost and cost of one 'Hyderotite' A. C. Coupling for such reclaimable length of pipes.

286

(ii) In case of total loss of pipe, cost of full-length of pipe only shall be deducted.

(iii) Claims for losses and shortages in packed cases of Rubber Rings for full value shall be deducted on the strength of the certificate of consignee.

(iv) Claims for losses of 'Hydrotite' A. C. Couplings as per railway certificate.

(D) No claims or deductions shall be allowed at the level of consignee, if not lodged on prescribed form alongwith Railway and Consignee certificates with in the stipulated period of 30 days of taking delivery of material from Railway.

15. TRANSPORTATIONS :-

(i) In the event of shortage of wagon with the mutual consent/desire the material may be Transported by truck for which you will charge 3% extra of total cost of the material (including cost of material, excise duty and sales tax) inclusive of 1% transit risk charges in terms of clause 14 of the rate contract for the supplies made by road transport. The delivery shall be given at the Stores of the consignee or work-site approachable by metalled road. However unloading charges at the destination will be borne by the Department.

(ii) The pipes 350 mm to 600 m m. disc will be supplied by road Transport only to the destination stores of the consignee and the consignee will have to pay 3% extra on the total value of each consignment inclusive of insurance charges towards road transport as mentioned at 15 (i) above.

16. LIQUIDATED DAMAGES :-

1. The time specified for delivery in the contract shall be demand to be the assence of the contract and you shall arrange the supplies within the period of receipt of firm order rom the department.

2. Should you fail to deliver the goods within the time speci-

fied in clause No. 9 (1) above the deptt. may at its discretion, allow an extension of time subject to recovery from you as agreed liquidated damages and not by way of penalty a sum equal to the following percentage of the value of the stores which you have failed to supply for period of delay stated below :-

(a) Delay upto one quarter. ¼%

(b) Delay exceeding one quarter but not exceeding two quaraters. ½%

(c) Delay exceeding two quarters but not exceeding three quarters. ¾%

(d) Delay exceeding three quarters but not exceeding four quarters. 1%

NOTE : (i) Fraction of a day in reckoning the period of delay in suppliens shall be eliminated if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 1%.

(iii) The above liquidated damages clause is subject to force-de-majoure situations beyond the control of supplier.

17. PERIOD COVERED BY CONTRACT :-

The contract shall remain in force for one year from the date of issue of this Rate Contract and supplies will be arranged as and when demanded during the currency of the contract. It can, however, be extended for a period of six months with the consent of both the parties on the existing terms and conditions.

NUMBER OF QUANTITY CONTRACTED FOR :

1. The period of the contract shall be divided into four quarters for the purpose of placing the orders by the indenting Officer. The Indentor shall be entitled to place orders upto 2000 M. T.

(288)

per quarttor in diameters of 80 to 600 mm. subject to the maximum of 8000 M.T. The order for 80 mm dia. will be placed in proportionate quantity i.e. to the max. of 675 M.T. against the Rate contract. The indentor shall be at liverty to place orders for the forth coming qr. in advance but not vice-versa.

2. Orders for additional quantity can be placed by mutual consent only, and the supplies against such additional quantities will be made as per delivery schedule mutually agreed.

3. Orders under the contract shall be placed so long as these should reach upto you on or before the last date of the currency of the rate contract. Orders received during the closing days should be complied within due course in accordance with the terms of the contract even though in some cases supplies cannot be arranged within the last date of the contract.

19. DIRECT DEMANDING OFFICER :

1. The Chief Engineer, PHED, Rajasthan, Jaipur shall be the only Indenting Officer for the purchase of above goods under this rate contract.

2. The Indenting Officer can issue amendment for any increase or decrease in ordered quantity, change in destination or to cancel any particular order in full or part. However, if the materials are loaded and R. R. obtainad by the contractor prior to receipt of such amendments, the consignment shall be deemed to be invalid but such cases shall have to be promptly reported by the contractor to the deptt. Any failure to do so will make the contractor responsible for any consequences.

20. LEGAL PROCEEDINGS :

Legal proceeding, if any, arising out of the contract shall have to be lodged in the courts situated in Rajasthan only and not outside.

21. AGREEMENT SECURITY DEPOSIT :-

1. You shall have to execute an agreement in the prescribed

form with this deptt. within 7 days of the issue of this rate contract failing which no payment including advance payment would be made to you.

2. The expenses of completion and stamping the agreement shall be paid by you and you shall furnish to this deptt. an executed stamped counterpart of the agreement free of charge.

3. You have deposited a sum of Rs. 1,000/-only (Rupees one thousand only) as Earnest Money (vide Demand Draft) No. 313611 dated 27.2.61 It shall remain as Security Deposit and will be refunded within six months after expiry of contract on satisfactory completion of the same or the expiry of the guarantee period, if any, whichever is later. No interest will be paid by the deptt. on the Security Money. In case of breach of any terms and conditions of the contract the amount of security deposit shall be liable to forefeiture in full or part by the deptt. and the decision of the Chief Engineer, PHED, Rajasthan, Jaipur shall be final.

22. REPUDIATION OF CONTRACT :-

1. The contract for the supplies can be repudiated at any time by the deptt. with the approval of the Chief Engineer, PHED, Rajasthan, Jaipur if the supplies are not made to his satisfaction after giving an opportunity to you of being heard and reasons for repudiation shall be recorded.

2. In case of non performance in any form and shape of the terms and conditions of the agreement, the Chief Enginner, PHED, Rajasthan, Jaipur has power to cancel the contract pertaining to the supplies.

23. If any dispute arises out of the contract with regard to the interpretation, meaning and/or breach of the contrect, the mater shall be referred by you/consignee to the Chief Engineer, PHED, Rajasthan, Jaipur whose decision shall be final and binding on concerned parties. The Chief Enginner, PHED, Rajasthan, Jaipur shall be the sole arbitrator of the dispute.

24. SUB-LETTING OF CONTRACT :-

You will not sublet or assign the contract or any part there of

without tha permission of the department to any other party.

25. CHANGE IN CONSTITUTION OF FIRM/COMPANY.

(i) Any change in the constitution of the firm/company shall be notified forth with by you in writing to the deptt. and such changes shall not relieve any former member of the firm/company from any liability under the contract.

(ii) No new partner (s) shall be accepted in to the firm/company unless he/they agree (s) to abide by all its terms, conditions and deposits with the deptt. a written agreement to this effect. The contractor's receipt or acknowledgement or that of any partners subsquently accepted as above shall bind all of them and will be a sufficient discharge for any of the purpose of the contract.

26. PARALLEL CONTRACT :-

Rights are reserved to enter into paralles Rate contract (s) with other suppliers.

27. QUARTERLY RETURNS :-

You shall furnish a quarterly statement of supplier made showing name of consignee, destination, date of offering the material for inspection, date of despatch, class, size, quantity despatched, balance etc. individunally against each order.

28. GENERAL :- Any other condition except that as mentioned in the Rate Contract shall be treated as Null and Void.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,
s/d
(G. L. Mathur)
CHIEF ENGINEER (PHED)
for and on behalf of
Governor of Rajasthan,

s/d
A.A.O.

s/d
S.E.(MM)

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
(STORES & PROCUREMENT)
ANNEXURE 'A'

RATE CONTRACT NO. PHED/HC-61-GS/CHARMINAR/A. C. PIPES/81-82/1 DATED 23.6.81 EFFECTIVE FROM 23.6.81 TO 22.3.82.

1. **SPECIFICATION OF PIPES :**

(i) 'CHARMINAR' A.C. Pressure Pipes of class 10 & 15, 20x mm confirming to 15 : 1592/1970 ammended from time to time.

(ii) **LENGTH OF PIPES :**

Pipes of various diameters shall be supplied in following lengths :—

(i) 80 mm and 100 mm : 3 to 4 meter length.

(ii) 125 mm to 300 mm: Against each individual order, 85% of total quantity of order shall be supplied in 4 metre length and out of max,15% of shorter length, 5% may be short upto 1.00 metre and the rest may be short upto 0.50 metre.

(iii) 350 mm to 600 mm dia : Against each individual order 85% of the total quantity of orders shall be supplied in 4 metre length and balance may be supplied between 2.00 to 3.75 metre length or the shorter length pipes in above lengths, one number of A.C. Coupling will be supplied free of cost.

(iv) **DIMENSIONS OF PIPES :**

Dia. in mm	Nominal finished D.D. at ends in mm/classes.	
	10	15
1	2	3
80 mm	99.5	99.5
100 mm	120.0	120.0

(284)

1	2	3
125 mm	145.0	147.0
150 mm	171.0	174.0
200 mm	225.0	231.0
250 mm	276.5	281.5
300 mm	328.5	336.0
350 mm	379.50	392.0
400 mm	432.0	448.0
450 mm	482.0	498.0
500 mm	536.50	554.5
600 mm	643.50	654.0

Note :—(1) Dimentions for class 10, 15 in 80 mm to 200 mm dia. pipes are as per IS: 1592/1975.

(2) Dimensions for class 10 (in 250 mm & 300 mm) Class 15 in 250 mm to 500 mm dia. pipes are as per their own specification as per clause 4.2.1 'NOTE' of ISS: 1592/1970.

(3) Tolerances on the diamensions as per clause 5, 1 of ISS: 1592/1970 are as under :—

80 mm to 300 mm	± 0.5 mm
350 mm to 600 mm	± 0.8 mm
600 mm	± 1.0 mm

2. **SPECIFICATION FOR A.C. COUPLINGS AND RUBBER RINGS :**

(i) 'HYDROTITE' A.C. Couplings, and rubber rings are manufactured as per their own specifications to suit their A.C. Pressure Pipes. The material specification of Rubber Pipes will confirm to IS: 5382/1969 Type I 'C'.

(ii) A. C. Couplings shall be made from material similar to the A. C. Pressure pipes on which these are to be used and shall comply with the requirement of strength and appropriate limits of tolerances in dimensions of pipes.

(iii) The Rubber Rings and Couplings shall have permanent identification mark to distinguish and identifv the make, type and name of supplier.

5. RATES OF PIPES :

Nominal dia. (mm)	RATES IN RUPEES PER METRE FOR CLASSES 10	15
80 mm	27.70	28.40
100 mm	32.15	32.95
125 mm	39.40	43.20
150 mm	49.00	55.60
200 mm	75.05	91.75
250 mm	98.75	116.25
300 mm	127.65	158.95
350 mm	163.10	204.40
400 mm	191.10	266.05
450 mm	241.20	312.90
500 mm	287.40	388.55
600 mm	406.60	461.95

4. RATES OF A.C. COUPLINGS :

Nominal Dia (mm)	Rates in Rupees Each set of A.C. Coupling with Rubber Rings : 10	15
1	2	3
80 mm	18.95	18.95
100 mm	22.15	22.15

290

1		2	3
125	mm	25 10	25.10
150	mm	29.35	29.35
200	mm	44.80	44.80
250	mm	58.95	58.95
300	mm	71.90	71.90
350	mm	88.60	89.75
400	mm	113.95	122.30
450	mm	134 95	138.55
500	mm	167.55	164 10
600	mm	210.65	217.00

NOTE : (1) The above prices are for minimum wagon load order F.O.R. any destination on Broad Guage and Meter Guage in Rajasthan including cost of material, incidental, handling and Packing charges but are exclusive of unloading charges.

(2) Whenever A.C. Pipes are despatched corresponding A.C. Couplings should be despatched with the pipes failing which relative despatch documents will not be honoured for payment.

291

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 173 की सूची

परिशिष्ट एक

वित्त वर्ष 1982–83 में एवं जुलाई, 83 (83–84) तक भू-जल विभाग द्वारा बीकानेर जिले में जल प्रदाय विभाग के लिये व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों की सूची :–

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिये निर्मित नलकूपों की सूची :–

1982–83

(1) व्यास कालोनी	बीकानेर	2
(2) ड्रिलिंग व हैण्डपम्प कार्यालय के पीछे	,,	1
(3) मुक्ता प्रसाद नगर	,,	1
(4) समलाना	,,	1
		5

1983–84 (जुलाई, 83 तक)

(1) सरेरा	बीकानेर	1
	कुलयोग	6

1982-83.

1. अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों की सूची :–

(1) उत्तर रेलवे, लालगढ़	बीकानेर	2
(2) हाउसिंग बोर्ड	,,	1
(3) कृषि उपज मण्डी	,,	1
(4) रीको	बिछवाल	2
(5) सेना के	बीकानेर	3
		9

1983–84 (जुलाई, 83 तक)

(1) डूंगर कालेज	बीकानेर	1
(2) आर सी. पी. कालोनी	बीकानेर	1
		2
	कुल योग :	11
	महायोग : 6+11 =	17

नोट :– बोरिंग द्वारा कोई खुदा कुआ गहरा नहीं किया गया ।

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 175 का आदेश

राजस्थान सरकार
सिंचाई – विभाग

क्रमांक 401 / स्था/मु अ सि/79/1467 दिनांक 23 .11. 79

कार्यालय आदेश संख्या 19/79

राजस्थान अभियान्त्रिक सेवा नियम (सिंचाई विभाग) 1954 के नियम 27 के अन्तर्गत निम्न कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल) को पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत मात्र आवश्यक अस्थाई तौर पर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत एवं पदस्थापन उनके पद के कार्य भार सम्भालने की तिथि से तीन माह के लिए अथवा विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की उपलब्धि तक अथवा नियमों के अन्तर्गत अन्य प्रकार से उपलब्ध अभ्यर्थी की उपलब्धि तक जो भी जल्दी हो उनके नाम के विरुद्ध लिखित स्थान पर किया जाता है।

इस पदोन्नति द्वारा नियुक्ति उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जावेगी अगर सक्षम अधिकारी द्वारा इस अवधि को आगे न बढ़ाया जावे।

इनका वेतन राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 ए के अन्तर्गत वेतन शृंखला 750–30–1020–40–1100–50–1350 में स्थिर किया जावेगा।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	नीचे के पद पर पद स्थापन	सहायक अभियन्ता के पद का स्थान
1	श्री मंगतीलाल गुप्ता	12.7.44	माही परियोजना, बांसवाड़ा	राजस्थान कैनाल बोर्ड, जयपुर
2	श्री गुरसेन्द्र सिंह	15.5.46	वाटर कन्ट्रोलर सैल, चण्डीगढ़	सहायक अभियन्ता पांचना उपखण्ड नव सृजित पद

ह०
मुख्य अभियन्ता, सिंचाई,
राजस्थान जयपुर

Page No 294

294

क्रमांक 401/स्था/मु अ सि/79/1468 दिनांक 23.11.79

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1—आयुक्त एवं शासन सचिव, सिंचाई विभाग, जयपुर

2—विशिष्ठ शासन सचिव, माननीय सिंचाई मन्त्री राज०, जयपुर

3—मुख्य अभियन्ता, माही परियोजना, बांसवाड़ा

4—अधीक्षण अभियन्ता एवं जल नियन्त्रक, चण्डीगढ़

5—अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई वृत जयपुर

6--श्री — — — — — — — — — — — — — —

7--निजी सहायक — — — — — — — —

8—गोपनीय शाखा मुख्य अभियन्ता सिचाई कार्यालय

9—निजी पंजिका गार्ड पंजिका

10—सचिव राजस्थान नहर बोर्ड जयपुर

ह०

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई,

राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 178 की सूची

प्रश्न के भाग चार से सम्बन्धित सूची :—

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष	माह अगस्त, 1983 तक व्यय (लाख रु० में)
1	2	3	4
1.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना माकरी—बडली	1981–82	17.92
2.	,, अजासर वरदाना	,,	18.67
3.	विस्तार योजना सनावाडा दूदिया	,,	—
4.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जेरत—हमीरा	,,	21.32
5.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जावंड भैरवा	,,	5.81
6.	विस्तार योजना डावलासोनू	,,	3.45
7.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना रामा छतरगढ़	,,	—
8.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कोरिया	,,	6 68
9.	विस्तार योजना सोनीरामगढ़	,,	4.35
10.	,, विदा-समकुरी	,,	10.09
11.	,, कीता पीथला	,,	8.45
12.	,, सागर छेलक	,,	6.80
13.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कीतापीथोलई	,,	8.45
14.	,, जेठा—सगरा	,,	3.24
15.	,, भिलानी भाकरानी	,,	5.15
16.	,, भिलजर घोलिया	,,	13.92
17.	विस्तार योजना भिजलर पूचना	,,	13 56

Page No 296

(296)

1	2	3	4
18.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना परवर चौधरिया	1981–82	12.23
19.	विस्तार योजना सातू	,,	3.77
20.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कारदालूणार	1982–83	—
21.	विस्तार योजना धानेली	,,	—
22.	,, रामाछनरगढ़	,,	—
23.	,, उदा–सीरावा	,,	2.20
24.	,, परवर चौधरिया	,,	—
25.	जल प्रदाय योजना सताजनरा	,,	4.00
26.	पम्प एवं टैंक योजना–सोदाकोर	,,	4.37
27.	विस्तार योजना भोगनीयायी	,,	—
28.	,, अर्जनहर	,,	—
29.	,, खोदनो की ढाणी	,,	—
30.	विस्तार योजना सादवा	,,	1.83
31.	,, डेंगा	,,	—
32.	जल प्रदाय योजना देवीकोट छोभी	,,	4.90
33.	,, भीलानो पूनासर	,,	12.30
34.	,, मटवों की ढाणी–देघा	,,	—
35.	विस्तार योजना सगरा	,,	—
36.	जल प्रदाय योजना केसू का तला भामंडा	,,	13.86
37.	विस्तार योजना फूलिया	,,	—
38.	,, खेरिया	,,	—
39.	जल प्रदाय योजना खेरिया वोहा	,,	6.54
40.	विस्तार योजना बड़ा	,,	1.81
41.	जल प्रदाय योजना केसो की बस्ती सियांभर	,,	—
42.	जल प्रदाय योजना नोख बीथे का गांव	,,	9.93
43.	विस्तार योजना खेलाना	,,	—

1	2	3	4
44.	जल प्रदाय योजना हेमा कुचेरी	1982–83	0.37
45.	जल प्रदाय योजना वोराना, बीकासर	,,	—
46.	,, ग्रवाई मादडिया	,,	—
47.	,, मुवाना सरियापार	,,	—
48.	,, घंटियाली वह्ला	,,	—
49.	पम्प एवं टैंक योजना नाचना	,,	—
50.	,, नोख	,,	—
51.	विस्तार योजना भोजासर	,,	1.81
			227.94

"परिशिष्ट"

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 179 का विवरण

दीगोद विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य प्रारम्भ करने का माह	कार्य पूर्ण करने का समय	योजना पर अगस्त, 83 तक व्यय की गई राशि (लाखों में)	शेष कार्य को पूरा करने के लिये आवश्यक राशि (लाख रु. में)	संशोधित अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	व्यय वर्ष 1982 83 (लाख रु. में)	अगस्त, 83 तक व्यय वर्ष 1983-84 (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चौमा	अप्रेल, 79	1 वर्ष	10.20	—	10.20	1.80	—
2.	खाती खेडा	अप्रेल, 79	1 वर्ष	15.17	1	15.17	2.20	—
3.	दाहुरा	अप्रेल, 79	1 वर्ष	9.02	8.88	17.90	0.41	0.05

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 180 की सूची

प्रश्न के भाग एक से सम्बन्धित विवरण :–

क्र. सं.	पंचायत समिति	लगे हुए हैण्ड पम्पों की संख्या	6.6.83 को चालू हैण्ड पम्पों की संख्या	6.6.83 को खराब पड़े हुए हैण्ड पम्पों की संख्या
1.	तलवाड़ा	419	396	23
2.	गढी	442	415	27
3.	सज्जनगढ़	391	359	32
4.	कुशलगढ़	375	368	7
5.	पीपलखूंट	156	135	21
6.	बागीडोरा	339	314	25
7.	घूतिया	202	181	21
8.	घाटोल	461	445	16
	योग	2785	2613	172

प्रश्न के भाग दो की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1	2	1	2
1.	बिलोंपाड़ा	6.	गोरछा भाटड़ा
2.	भवरदा	7.	इलकावाड़ा
3.	गलवानी	8.	भापाम हूडी
4.	धीरवाड़ा	9.	जोड़ा
5.	गोकलवाड़ा	10.	कलवाकीछायन

1	2	1	2
11.	कदवालीकला	24.	रतनमाल
12.	कदवाली खुर्द	25.	सौरेल
13.	काजलपाड़ा	26.	सीरसागढ़ा
14.	कांकनिया	27.	सेमलावाड़ा
15.	खाखरिया	28.	पिमलागूण्डी
16.	खुटा	29.	सोड़लिया
17.	कोटड़ी	30.	सुलिया
18,	मतवालखाखरा	31.	सुनारिया
19.	मिर्चमाटा	32.	सलेटो
20.	नागनपठा	33.	टोड़ी
21.	नाथपुरा	34.	टोड़ी
22.	पेरोयादेव	35.	उदयगढ़ का लाखोत
23.	पोटलिया	36.	छछरभोखा

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 181 का विवरण

प्रश्न के भाग एक से सम्बन्धित विवरण

क्र. सं.	जिला	जन जाति क्षेत्र में स्वीकृत गांवों की संख्या					अन्य क्षेत्र में स्वीकृत गावों की संख्या				
		80–81	81–82	82–83	83–84	योग	80–81	81–82	82–83	83–84	योग
1.	बांसवाड़ा	401	452	135	....	988	....	....	....	....	....
2.	डूंगरपुर	53	129	130	....	312	....	....	....	....	....
3.	उदयपुर	274	318	408	....	1000	450	287	417	....	1154
4.	चित्तौड़गढ़	18	37	40	....	95	149	123	128	....	400
5.	सिरोही	12	16	15	....	43	26	44	30	....	100

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न सं० 103 का आदेश

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

No : F.3 Secy/RWSSMB/83/. Dated :

The Chief Engineer,
P.H.E.D., Rajasthan,
J A I P U R.

Sub :-Drilling of 100mm dia Wells complete including supply of material and development in 15 Districts of Rajasthan.

As per decisions taken of item No. 5 of 23rd meeting and Item No. 2 of 24th meeting of the Finanace Committee of Rajasthan Water Supply & Sewerage Management Board held on 16/3/83, I am directed to convey approval of Governor to the rates, terms and conditions for drilling of Tube Wells for Hand Pumps through private parties. The G-Schedule rates for alluvial strata and Rocky Strata, and the lowest district-wise rates of drilling which have been approved are given below.: —

'G' SCHEDULE

PART 'A' Alluvial Strata (40 M)	PART 'B' Rocy Strata (40)
1. Drilling upto 10M Rs. 150/- PM	1. Drilling (40) Rs. 240/-PM
2. -d- beyond 10M Rs. 175/- PM	2. 32mm G.I. Pipe Class 'B' Rs. 26.50 PM.
3. 32MM Class 'B' G.I. Pipes Rs. 26.50 PM.	
4. M.S. Cap 25/- each	3. M.S. Cap 25/- each
5. Installation of HP 145/- each	4. Installation of HP 145/-
6. Civil Work 1,214.11	5. Civil work 1,214.11
Total 8,930/-	Total 11,780/-

Sr.No. 1 & 2 are inclusive of cost of M.S. BRW Class B Casing Pipe.

Rates Approved District-Wise.

Distt.	NIT No.	Name of Firm	Rates approved calculating drilling at 40M.
1	2	3	4
1.	Dholpur 21-GV	Alluvial (A)	M/s R.G. Agrawala, Jaipur. 8,930/- as per with G Schedule.
		Rocky (R)	M/s Gyatri Drilling Company, Cittorgarh. Rs. 9986. 16 Drilling rate in Alluvial at par. Drilling rate in Alluvial at par in Rocky Strata Rs. 180/- PM. 32mm GI Pipe 26.50 PM M.S. Cap 25/- each. Installation of H.P. 145/- each Civil Works 50/- above.
2.	Sikar 17-GV	(A) M/s R.G. Agarwal, Jaipur.	Rs. 8930/- Rate at par with G Schedule.
		(R) M/s Hanuman Tube Well Co., Jaipur.	Rs 9886.16 Drilling in Alluvial at par. -d- Rocky 180/- PM Civil Work 50/- above Rest at par.
3.	Barmer 30-GV	(A) M/s Jaishree Boring Co., Bhilwara.	Rs. 9537.05 Drilling rate at par Civil Work 50% above.

304

1	2	3	4
		(R) -do-	Rs. 10,695.76 Drilling Works Drilling (40M) 32mm Class B GI) Pipe) 16% M.S. Cap) below Installation of) Hand Pumps) Civil Work 50% above
4.	Bharatpur 20-GV	(A) Mahesh Nal-Koop, Jodhpur	Rs. 9,709.16 Drilling in Alluvial 10M 150/- PM -do- beyond 10 M 175/- PM -do- in Rocky 180/- PM GI Pipe 32mm 32/- PM M. S. Cap. 28/- Each Installation of H.P. 150/- Each Civil Works 50% above
		(R) M/s Industrial Suppliers & Services, Udaipur. (Rocky & Combined).	Rs. 10,159.16 Rates as above.
5.	Jaisalmer 32-GV	(A) M/s Jaishree Boring Co., Bhilwara.	Rs. 9,537.05 Drilling Work at par. 1. Drilling upto 10 M 2. -do- beyond 10 M 3. 32mm Class B GI Pipe)At 4. M.S. Cap.)Par 5. Installation of HP Civil Works 50% above.

1	2	3	4
		(R) M/s Jaishree Boring Co., Bhilwara	Rs. 10,695.76 Drilling Work 16% below 1. Drilling (40 M)) 2. 32mm GI Pipe) 16% Class 'B') 3. M.S. Cap.) below 4. Installation of HP) Civil Work 50% abave.
6.	Jodhpur 28-GV	(A) M/s Jaishree Boring Co., Bhilwara	Rs. 9,537.05 Drilling Work at par 1. Drilling 40 M) 2. 32mm Class B GI Pipe) At 3. M.S. Cap.) Par S. Installation of HP 5. Civil Work 50% above.
		(R) M/s Arihant Bore Wells Nagaur	Rs. 10,850.16 Drilling in Rock 16% below Civil Work 50% above rest at par.
7.	Alwar 19-GV	(A)(i) M/s Chartered Construction Co., Jodhpur.	Rs. 9537,05 Drilling work in Alluvial Soil at par
		(ii) M/s Hanuman Tube Well Co., Jaipur.	Drilling in Rocky Rs.180/- Civil work 50% above.
		(R)(i) Hanuman Tube Well, Jaipur	Rs. 9,986.16 Drilling work in Alluvial at par
		(ii) M/s Pachasheel Prospecting Chittorgarh.	Drilling in Rocky 180/- PM Civil Work 50% above

1	2	3	4
8.	Jaipur 16-GV	(A) (i) M/s Hanuman Tube Well. Co. Jaipur.	Rs. 9,537.05
		(ii) Chartered Construction Co., Jodhpur.	Drilling work in Alluvial Soil At Par. -d- Rocky 180/- PM. Civil Work 50% above.
		(R) M/s Hanuman Tube Well Co. Jaipur.	Rs. 9,986.16 Drilling work in Alluvial soil At Par. -do- Rocky 180/- PM Civil Work 50% above.
9.	Bundi 22-GV	(A) M/s O.P. Ground Water Dev. Crop. Tamil Nadu	Rs. 8,591.61 Drilling in Alluvial Soil (Item No. 1 & 2) 5% below Rest at Par. Drilling in rocky 21% below (Item No. 1 of Part 'B'),
		(R) M/s Mewar Trading Corp. Bhilwara	Rs. 9,560.46 1. Drilling (40M) 21% below (Item 1) 2. 32mm GI Pipe Class 'B' 21% below @ 26.50 PM 3. M.S. Cap. 25/- 21% below 4. Installation of Hand Pumps 145/- 21% below Civil Work at Par.
10.	Jalore 31-GV	(A) M/s Jaishree Boring Co., Bhilwara.	Rs. 9,537.35 Drilling Work at Par. 1. Drilling upto 10M 150/- 2. -do- beyond 10M 175/-

307

1	2	3	4
			3. 32mm GI Pipe Class B 26.50 4. M.S. Cap 28/-each Civil Work 50% above.
		(R) M/s Jaishree Boring Co., Bhilwara	Rs. 10,695.76 Drilling work 16% below 1. Drilling 40 Mtr.) 16% 2. GI Pipe 32mm) below 3. M. S. Cap.) 4. Installation of HP) Civil Work 50% above.
11.	Doongarpur 24-GV	(A) M/s Industrial Suppliers & Services, Udaipur.	Rs. 7,501.20 16% below G Schedule.
		(R) M/s Udaipur Drillers Cooperative Society Udaipur.	Rs. 8,674.11 Drilling Rocky 34% below 32mm GI Pipe 20% above. Civil Work at Par (Item No. 3 & 4 at Par)
12.	Sriganganagar 27-GV	(A)(i) M/s R.G.) Agarawala) Jaipur.) (ii) M/s Mewar) Trading Corp.) Bhilwara.)	Rs. 8,751.40 2% below G Schedule Rocky Strata 30% below
		(R) Mewar Trdg. Crop. Bhilwara	Rs. 8,245.38 30% below 'G' Schedule.
13.	Churu 26-GV	(A)(i) M/s R.G.) Agarwala,) Jaipur.)	Rs. 10,716.00

1	2	3	4
		(ii) Startling Engineering Co. Jaipur.	20% above 'G' Schedule.
		(R) M/s R. G. Agarwal Jaipur.	Rs. 11,779.11 At Par.
14.	Jhalawar 23-GV	(A) M/s Udaipur Drillers Co-operative Society, Udaipur.	Rs. 10,302.66 Drilling in Alluvial Soil 9% above. 32mm GI Pipe 20% above Civil Work 50% above. Rest at Par.
		(R) M/s Udaipur Drillers Co-operative Society Udaipur.	Rs. 11,009.16 Drilling in rocks 16% below 32mm GI Pipe 20% above. Civil Works 50% above. Rest at Par.
15.	Sirohi 29-GV	(A) O.P. Bore Wells Tamil-Nadu.	Rs. 7991.61 Drilling Alluvial 10 M 10% below -do- 15M 15% below Rest at Par.
		(R) O.P. Bore Wells Tamil-Nadu.	Rs. 9,859.11 Drilling in Rocky 20% below Rest at Par.

Note Item Nos. 1 to 5 of Schedule 'G' in case of Alluvial and Item Nos. 1 to 4 in case of Rocky, shall be treated as components of drilling work and tender rates have been worked out accordingly.

1. No work shall be alloted to non-tenderers, or contractors whose rates are not approved by the Finance Committee.

2. The drilling rates per meter shall be same irrespective of depth to be drilled.

3. The work should be got carried-out in accordance with the relevant ISS. Development of bore shall have to be done so as to be give sand free water.

4. Where-ever more than one contractor has been approved for a District, the rates will be uniform, as per the lowest approved rates. It is to be ensured that in above cases, in case of Alluvial points in predominantly rocky areas and rocky points in predominantly alluvial area, the lesser rate quoted by the two approved lowest contractors will be payable but the work will have to be completed by one and the same contractor. Allocation of points shall be made in such a manner that there is full utilisation of departmental rigs and only balance work is given to the private contractors. Rocky points with overburden upto 30 meters shall be reserved for departmental machinery.

5. The contract shall be for the period ending on 31 st March, 1984.

6. The contractors shall bring the tested quality of material according to the ISS and no sub-standard material or work shall be accepted. The casing and GI Pipe, if available in the departmental stores, may be issued to the contractor on the prevalent Store Issue rate.

7. Standard conditions of Contract Form (Appendix XI of P.W.F. & Ao. R.) shall be applicable to these rate contracts.

8. The number of points to be allotted to each contractor will be decided by the Additional Chief Engineer concerned, keeping in view the above observations.

9. Where M.S./ERW Class 'B' casing pipe is supplied by the Department, the rate shall be reduced by Rs. 65/- per meter.

10. Other terms and conditions will be as per the N.I.T.

The work should be allotted keeping in view of the Administrative, Financial and Technical sanctions and budget provision, Plan Ceiling available with the Department.

This issues with the concurrence of the Finance Deptt. conveyed vide their ID No. 1239 dated 7.6.83.

Yours faithfully,
Sd/-
Dy. Secretary to the Government

No : F. 3 (8) Secy/RWSSMB/83/2141-46/ Dated : 23rd July, 83
Copy forwarded to :

1. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
2. Secretary to the Government in the Finance Deptt.
3. Spl. Secretary, Planning Deptt., Jaipur.
4. Financial Adviser & CAO, RWSSMB, Jaipur.
5. Addl. Chief Engineer, PHED, Region, Jaipur.
6. Sr. Accounts Officer, RWSSMB, Jaipur.

Sd/-
Section Officer.

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 185 की सूची

पाली जिले में जून, 1980 से जुलाई, 1983 तक पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी में विकास कार्यों की सूची :–

नाम् स्कीम	नाम कार्य	नाम ग्राम पंचायत	नाम पंचायत समिति	कार्यों की स्थिति
1	2	3	4	5
(अ) वन विकास कार्य :				
गांवाई ईंधन एवं चरागाह विकास	जोजावर	जोजावर	मारवाड़ जंक्शन	वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न। पौधों की सुरक्षा हेतु रख-रखाव कार्य जारी है।
,,	मलछाबावड़ी	मलछाबावड़ी	,,	,,
,,	रानीकलां	रानीकलां	,,	,,
,,	अखावास	अखावास	,,	,,
,,	देवली	देवली	,,	,,
,,	जोजावर	जोजावर	,,	,,
,,	जोजावर	जोजावर	,,	,,
,,	पनोता	पनोता	देसूरी	,,
,,	नाडोल		,,	,,
,,	लांपी	लांपी	,,	,,
,,	बडौद	बडौद	,,	,,
,,	वारांसोलंकियान	वारांसोलंकियान	,,	,,
रोड-साइड प्लांटेशन	देसूरी-सादड़ी	देसूरी	,,	,,
आई. आर. डी. स्कीम	गुड़ामांगलिया	गुड़ामांगलिया	,,	,,
,,	करनवा	करनवा	,,	,,
गांवाई ईंधन एवं चरागाह विकास	खिवाडा	खिवाडा	रानी	,,

(312)

1	2	3	4	5
गांवाई ईंधन एवं चरागाह विकास	रानीखुर्द	रानीखुर्द	रानी	वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न । पौधों की सुरक्षा हेतु रख-रखाव कार्य जारी है ।
,,	खोड़	खोड़	,,	,,
,,	निपल	निपल	,,	,,
,,	जीवनकलां	जीवनकलां	,,	,,
,,	गुडारूपसिंह	गुडारूपसिंह	,,	,,
,,	जवाली	जवाली	,,	,,
,,	बिजवा	बिजवा	,,	,,
,,	गजनीपुरा	गजनीपुरा	,,	,,
रोड साइड प्लांटेशन	जैतपुरा-खोड़	जैतपुरा-खोड़	,,	,,
,,	रानी-बरकाना	रानी	,,	,,

(ब) भू-संरक्षण

	देसूली	देसूरी	कार्य पूर्ण हो चुका है
	नारलाई	,,	,,
	नाडोल	,,	,,

(स) सिंचाई सम्बन्धी कार्य :-

	बाजरवाला	,,	,,
	डेडवाल	,,	कार्य चालू है ।
	छोडावाला	,,	,,

(द) पशुपालन कार्य :-

उपरोक्त के अतिरिक्त मारवाड़ जंक्शन, रानी पंचायत समितियों में एक एक विकास कार्य पशुपालन के अन्तर्गत भी पूर्ण हो चुके हैं ।

313

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 191 की सूची

गोपनीय

अति आवश्यक

कृपया आवश्यक रूप से पढ़ने का कष्ट करें

सेवा में,
श्रीमान् प्रोजेक्ट मैनेजर,
रीको वाच असेम्बली यूनिट,
अजमेर।

विषयः—– वाच टैक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु।

प्रसंगः—– राजस्थान पत्रिका दिनांक 12.3.83 में प्रकाशित विज्ञप्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मेरी नियुक्ति वाच टैक्नीशियन पद पर नियमानुसार नहीं की गई है, इस संबंध में सही तथ्य एवं मेरा अनुरोध निम्नानुसार है :—

(1) मुझे रीको कार्यालय, जयपुर के पत्र एफ. 1(8) 265/83 दिनांक 15.4.83 द्वारा साक्षात्कार हेतु दिनांक 23.4.83 को रीको वाच असेम्बली यूनिट अजमेर में बुलाया गया था।

(2) दिनांक 23.4.83 को हुई लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में मैं सफल घोषित की गई थी तथा मेरे 100 में से 76 अंक सुनाये गए थे।

(3) मुझे सफल घोषित करने के बाद भी मेरी नियुक्ति उक्त पद पर नहीं की गई एवं एक अन्य लड़की जिसने राजस्थान पत्रिका की विज्ञप्ति के अनुसार प्रार्थना पत्र ही नहीं भरा था तथा रीको कार्यालय, जयपुर से उसे साक्षात्कार हेतु भी नहीं बुलाया गया था, उसकी नियुक्ति की गई है जो नियमानुसार बिलकुल गलत है।

(4) इस लड़की की नियुक्ति दिनांक 25.4.83 को अन्य लड़कियों के साथ ही की गई है तथा उसने ड्यूटी जोइन भी कर ली है जब कि यह लड़की अधिक उम्र (ओवर ऐज) अर्थात नियमानुसार 28 वर्ष से अधिक की उम्र की है।

(5) मैंने वाच असेम्बली यूनिट में दिनांक मई, 1980 से 6.10.1982 तक वाच टैक्नीशियन के पद पर संतोषजनक कार्य किया है किन्तु आप के कार्यालय से

(३१५)

सुपरवाइजर स्टाफ एवं ग्रुपलीडर की मनमानी के कारण मुझे एक विंग से दूसरे विंग में स्थानान्तरित कर मेरा कार्य कम बताया जाकर आपको भ्रमित किया गया एवं जयपुर कार्यालय को भी गलत सूचनायें भिजवाई गई थीं। इसका एक मात्र कारण सुपरवाइजर एवं ग्रुपलीडर को उनकी मनमानी एवं अनैतिक कार्य के लिए मुझे प्रेरित करना था जो हमारे लिए असम्भव था। इस कारण मुझे आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 6.10.82 को निष्कासित किया गया जिसमें उक्त लड़की को भी घड़ी की चोरी के आरोप में निकाला गया और अब आपके कार्यालय के सुपरवाइजर एवं ग्रुपलीडर के प्रयासों से इस लड़की की नियुक्ति की गई है जिसने प्रार्थना-पत्र तक नहीं भरा एवं जिसे साक्षात्कार हेतु भी नहीं बुलाया गया।

(6) उक्त तथ्यों से आप को विदित होगा कि इस फैक्ट्री में सुपरवाइजर एवं ग्रुपलीडर अपनी मनमानी कर किस प्रकार एक नियमानुसार नियुक्ति पाने की हकदार लडकी के साथ अन्याय कर उनके द्वारा इच्छित कार्य करने वाली औरत को नियुक्ति दिला देते हैं।

(7) पूर्व में जिन 5 लड़कियों को सेवा से निष्कासित किया गया था उनके मुकदमे लेबर कोर्ट में यूनियन के द्वारा दायर किये गये थे उसमें मेरे भी हस्ताक्षर कराए गए थे। अभी जयपुर से भी श्री मित्तल साहब साक्षात्कार लेने हेतु पधारे थे उन्होंने मुझे व्यक्तिगत कहा था कि आप लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में पास हैं. आपकी नियुक्ति हो जावेगी किन्तु लेबर कोर्ट से मुकदमा वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिख दो। मैं जब प्रार्थना पत्र लिख रही थी तो श्री रतन लाल ग्रुप-लीडर जो हमारी यूनियन के लीडर हैं उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप प्रार्थना पत्र नहीं लिखो क्योंकि यह यूनियन का मामला है। हम देख लेंगे। उन्हीं यूनियन के लीडर महोदय ने बाद में मेरे हस्ताक्षर कराए बिना लेबर कोर्ट से मुकदमा वापस ले लिया ताकि इन 5 लड़कियों को पुनः नियुक्ति दिलाई जा सके और उन्होंने नियुक्ति दिलाई भी है लेकिन मेरी नहीं। जिसकी नियुक्ति (उक्त) लड़कियों को दिलाई है यह नियमानुसार नहीं है।

(8) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार पास करने के बाद भी मेरी नियुक्ति क्यों नहीं की गई। उसका कारण मुझे ज्ञात है। यदि मुझे व्यक्तिगत सुना जावे तो मैं सारी स्थिति बता सकती हूं।

अत: कृपया मेरी नियुक्ति वाच टेक्नीशियन के पद पर करने का कष्ट करें अन्यथा मुझे बाध्य होकर दिनांक 25.4.83 को हुई नियुक्ति के संबंध मे वकील द्वारा 80/सी० पी० सी० का नोटिस देना पड़ेगा तथा पुन: लेबर कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी।

मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे अनुरोध पर आप ध्यान देने का कष्ट करेंगे।

भवदीया,
ह०/
(ज्योतिका विल्सन)
पुत्री श्री सनी विल्सन
क्रिश्चियन गंज, शान्तिपुरा,
अजमेर।

दिनांक:26.4.83

316

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 193 की सूची

सूची व्यक्तियान् थानावार जो जिला जैसलमेर व बाड़मेर में पाकिस्तान से तस्करी के माल के सम्बन्ध में वर्ष 1981/82–व 82/83 में पकड़े गये :–

जिला जैसलमेर

थाना जैसलमेर :–

1. श्री रमणलाल पुत्र श्री कस्तूर चन्द महाजन, नि. जैसलमेर।
2. श्री सहदेव पुत्र श्री नर्बदा ब्राह्मण, नि. जैसलमेर।
3. श्री बराया मुसलमान, नि. चौधरिया।

थाना रामगढ़ :–

4. श्री बवाया पुत्र श्री बहया मुसलमान
5. श्री कासम पुत्र श्री भगू मुसलमान
6. श्री नागूराम पुत्र श्री भेराराम मेघवाल, नि. रामगढ़।

थाना मोहनगढ़ :–

7. श्री दीने खां पुत्र श्री फतह खां मुसलमान, नि. भागू का गांव।
8. श्री बलोच खां पुत्र श्री अली खां ,, ,, ,, ,, ,,
9. श्री मुराद पुत्र श्री नाथू ,, ,, ,, ,, ,,।

थाना नाचना :–

10. श्री मीरा पुत्र श्री गाजी मुसलमान, नि. भड़ला।
11. श्री अलाबख्श पुत्र श्री खेरदीन मुसलमान, नि. भड़ला।

जिला बाड़मेर

थाना मण्डली :–

12. श्री राणा पुत्र श्री सुखराम जाट, नि. तरातरा।

थाना बाड़मेर :–

13. श्री नखत सिंह पुत्र श्री तेजपाल सिंह राजपूत, नि. माफड़ी।
14. श्री भंवरा पुत्र श्री अजबा गवारिया, नि. बाड़मेर।
15. श्री करीम खां पुत्र श्री नामालूम, मुसलमान, नि. बिलासर।
16. श्री नेमीचन्द पुत्र श्री जेठमल महाजन, नि. देवड़ा।
17. श्री वहीया पुत्र श्री जीया मुसलमान, नि. बीजासर।
18. श्री हस्ती मल पुत्र श्री राणमल महाजन, नि. गागरिया।

थाना गिराब :–

19. श्री सुमार मुसलमान, नि. तिबड़ीयार।

थाना धोरीमन्ना :–

20. श्री रहीम पुत्र श्री शेर खां मुसलमान, नि. स्वरूप का तला।

थाना सेड़वा :–

21. श्री वच्चादीन पुत्र श्री मीयाजल मुसलमान, नि. बीजासर।
22. श्री हेमा पुत्र श्री माला सुथार, नि. भंवार।
23. अकबर पुत्र श्री सद्दीक मुसलमान, नि. पिटकारिया।

थाना बीजराड़ :

24. श्री इस्माइल पुत्र श्री अदरीम मुसलमान, नि. रमजान की गफन।
25. श्री जम्भा पुत्र श्री करम अली मुसलमान, नि. रमजान की गफन।
26. श्री अमीन पुत्र श्री सोढ़ा मुसलमान, नि. स्वरूप का तला।
27. श्री मीरा पुत्र अलदाद मुसलमान, नि. रमजान की गफन।
28. श्री नरसिंह पुत्र श्री गेमर सिंह राजपूत, नि. राठौड़ा का तला।
29. श्री खीमराज पुत्र श्री धर्मदास, नि. देदूसर।
30. श्री हेमा पुत्र श्री पुरसा जाट, नि. बीजराड़।
31. श्री वली मोहम्मद पुत्र श्री इस्माइल मुसलमान, नि. स्वरूप का तला।
32. श्री डूंगरा पुत्र श्री डामरा मेघवाल, नि. शोभाला।

थाना चौहटन :–

33. श्री बाबूलाल पुत्र श्री धर्माराम बजीर, नि. सारणीम।
34. श्री कचरा पुत्र श्री मासींगा मेघवाल, नि. चौहटन।

Page No 318

(318)

35. श्री सद्दीक पुत्र श्री हाजीपीनल मुसलमान, नि. सलारिया ।
36. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री हरिराम सेवक, नि. बाड़मेर ।
37. श्री अलीया पुत्र श्री उर्स मुसलमान, नि. आलमसर ।
38. लिछमणा पुत्र श्री गुमना जाट, नि. रतासर ।
39. श्री गिरधारी पुत्र श्री बादरा मेघवाल, नि. चवा ।
40. श्री दीपसिह पुत्र श्री लादू सिह राजपूत, नि. धोतेड़ा का तला ।
41. श्री गेमर सिह पुत्र श्री रावतसिह राजपूत नि. धोतेड़ा का तला ।

थाना रामसर :–

42. श्री हेजम पुत्र श्री तालब मुसलमान, नि. तालब का पार ।
43. श्री हाजी दोषू मुसलमान, नि. पीरे का पार ।

थाना बाखासर :–

42. श्री रामदान पुत्र श्री मेघराज जाट, नि. आलेटी ।
45. श्री भीमसिह राजपूत, नि. तेमलोर ।

थाना गडरारोड :–

46. श्री मोतीलाल पुत्र श्री भोजराज महाजन, नि. सजन का पार ।
47. श्री पूनम दास पुत्र श्री रानीदान चारण, नि. आलकी ।

थाना शिव :–

48. श्री खमीशा पुत्र श्री अभाया मुसलमान, नि. गूंगा .
49. श्री मगन पुत्र श्री नाथा मुसलमान नि. फलसूंड ।

थाना गुड़ामालानी :–

50. श्री देदा पुत्र श्री लिछमणा जाट, नि. रतापुरा ।

पाक–नागरिक

1. श्री गवर अली पुत्र श्री अब्दुल कादर मुसलमान, सा. पाक नागरिक ।

319

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 194 की सूचना

(अप्रेल, 1981 से माह अगस्त, 1983 तक किये गये निरीक्षणों का विवरण)

क्र.सं.	निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी	वर्ष	निरीक्षण किये गये कार्यालयों के नाम			
			रेन्ज कार्यालय	कार्यालय पुलिस अधीक्षक	कार्यालय वृत्त अधिकारी	पुलिस थाना
1	2	3	4	5	6	7
1.	विशिष्ट महानिरीक्षक पुलिस, (डब्ल्यू. बी. एम.) राज. जयपुर।	1981	....	3	....	.. .
		1982	....	2	....	....
		1983	....	....	....	....
2.	विशिष्ट महानिरीक्षक पुलिस, सी. आई. डी. (आई. जी) जयपुर	1981	....	1	....	....
		1982	....	1	....	....
		1983	....	....	....	....
3.	विशिष्ट महानिरीक्षक पुलिस, सी आई. डी. (सी बी.) (जयपुर)।	1981	....	2	1	....
		1982	....	1	1	....
		1983	....	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7
4.	अपर महानिरीक्षक पुलिस, (प्रशिक्षण) जयपुर ।	1981	....	....	....	....
		1982	....	....	....	....
		1983	....	....	....	....
5.	अपर महानिरीक्षक पुलिस, (मुख्यालय) जयपुर ।	1981	....	....	....	....
		1982	....	....	....	....
		1983	....	....	....	....
6.	पुलिस उप महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर ।	1981	....	4	14	1
		1982	....	....	2	13
		1983	....	....	....	....
7.	पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर	1981	....	....	....	....
		1982	....	....	2	9
		1983	....	....	....	....
8.	पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर	1981	....	1	3	10
		1982	....	....	1	13
		1983	....	....	....	7
9.	पुलिस अधीक्षक, जिला झुन्झुनू	1981	....	1	3	10
		1982	....	1	2	3
		1983	....	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7
10.	पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक	1981	....	....	1	7
		1982	....	1	....	7
		1983	....	....	....	....
11.	पुलिस अधीक्षक, जी. आर. पी., जिला अजमेर	1981	....	1	3	6
		1982	....	1	4	12
		1983	....	....	....	....
12.	पुलिस उप महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज, भरतपुर	1981				सूचना प्राप्त नहीं हुई।
		1982				
		1983	....	....	....	....
13.	पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर	1981	....	1	1	5
		1982	....	—	....	6
		1983	....	....	....	....
14	पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर	1981	....	....	....	यह जिला दिनांक 15-4-82 को नया बनाया गया है।
		1982	....	....	....	8
		1983	....	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7
15.	पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर	1981	....	....	....	3
		1982	....	....	....	3
		1983	....	....	....	....
16.	पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर	1981	....	....	....	7
		1982	....	....	5	11
		1983	....	....	....	....
17.	पुलिस उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर।	1981	....	....	....	....
		1982	1	6	29	3
		1983	....	....	....	....
18.	पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर	1981	....	....	....	9
		1982	....	1	5	9
		1983	....	....	1	....
19.	पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा	1981	....	....	....	7
		1982	....	1	....	4
		1983	....	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7
20.	पुलिस अधीक्षक, जिला नागौर	1981	....	....	....	10
		1982	....	1	....	13
		1983	....	....	....	....
21.	पुलिस उप महानिरीक्षक, बीकानेर रेंज, बीकानेर	1981				सूचना प्राप्त नहीं हुई।
		1982				
		1983				
22.	पुलिस अधीक्षक, जिला बीकानेर	1981				
		1982				
		1983				
23.	पुलिस अधीक्षक, जिला गंगानगर	1981	....	....	2	9
		1982	....	1	6	11
		1983	....	....	....	5
24.	पुलिस अधीक्षक, जिला चूरू	1981	....	....	2	12
		1982	....	....	2	8
		1983	....	....	....	1

1	2	3	4	5	6	7
25.	पुलिस उप महानिरीक्षक, जोधपुर रेंज, जोधपुर	1981	....	6	6	4
		1982	....	6	16	4
		1983	....	....	....	....
26.	पुलिस अधीक्षक, जिला जोधपुर	1981	....	....	1	11
		1982	....	....	1	15
		1983	....	....	....	....
27.	पुलिस अधीक्षक, जिला पाली	1981	....	1	3	8
		1982	....	1	4	12
		1983	....	1	1	2
28.	पुलिस अधीक्षक, जिला जालोर	1981	....	....	....	6
		1982	....	....	....	10
		1983	....	....	....	....
29.	पुलिस अधीक्षक, जिला बाड़मेर	1981	....	1	3	15
		1982	....	1	3	18
		1983	....	....	....	....
30.	पुलिस अधीक्षक, जिला जैसलमेर	1981	....	1	2	11
		1982	....	1	2	10
		1983	....	....	2	3

1	2	3	4	5	6	7
31.	पुलिस अधीक्षक, जिला सिरोही	1981	....	....	2	10
		1982	....	1	2	6
		1983	....	....	....	....
32.	उप महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर	1981	1	2	16	....
		1982	1	4	18	....
		1983	....	....	—	....
33.	पुलिस अधीक्षक, ज़िला उदयपुर	1981	....	....	3	8
		1982	....	1	10	17
		1983				
34.	पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तोड़गढ़	1981	....	....	2	10
		1982	....	....	....	10
		1983	....	....	....	5
35.	पुलिस अधीक्षक, जिला डूंगरपुर	1981	....	....	2	7
		1982	....	1	2	8
		1983	....	....	....	....
37.	पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा	1981	....	....	....	11
		1982	....	1	1	11
		1983	....	....	....	3

1	2	3	4	5	6	7
37.	पुलिस उप महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा	1981	....	....	....	....
		1982	....	3	6	12
		1983	....	....	....	....
38.	पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा	1981	....	....	....	9
		1982	....	....	3	13
		1983	....	....	....	-3
39.	पुलिस अधीक्षक, जिला बून्दी	1981	....	1	2	12
		1982	....	1	2	13
		1983	....	....	....	2
40.	पुलिस अधीक्षक, जिला झालावाड़	1981	....	1	2	7
		1982	....	1	3	17
		1983	....	....	....	....

STATEMENT SHOWING SCALE OF MINIMUM INSPECTION PRESCRIBED FOR VARIOUS OFFICERS OF THE POLICE DEPARTMENT

HEAD QUARTERS OFFICERS

1. I. G. of Police, Rajasthan

Being Head of the Department no norm is fixed as per decision taken in the co-ordination Committee Meeting held on 29.7.1975

2. Addl. I. G. of Police.

(i) As per order given by the I. G. of Police
(ii) His own office, ... Once a year.

3. Dy. I. G. of Police, Head Quarters.

(i) His own office ... Once a year.
(ii) Office of Addl. S.P.C.S. -do-
(iii) Office of Ch. A.O. PHQ. -do-

4. Asstt. I.G.P. (I)

(i) His own office ... Twice a year
(ii) Payment Section PHQ(Fin) Once a year

5. Ch. Accounts Officer.

(i) Finance Branch ... (i) Twice a year
(ii) Other Offices as per orders given by the I.G.P.

6. S. P. Central Stores (PHQ)

(i) His own office ... Twice a year
(ii) Various Stores ... Once a year

7. A.I.G.P, Traffic.

(i) His own office ... Once a year
(ii) Offices of the Mobile T.Is. ... -do-

(328)

8. Wireless.

(i) His own office	...	Once a year
(ii) R.S.O. Communication, Lines, Training, Cipher, Stores, Work shop etc. situated at Headquarters.		-do-
(iii) Offices of Dy. Ss.P. Wireless Sectors.	...	-do-
(iv) District Police Wireless Stations.	...	As many as possible subject to a minimum of 12 by rotation.

9. Deputy Supdts. of Police (Wireless)

(a) I/C Cipher

(i) His own office.	Twice a year
(ii) All Cipher Centres at Distt. Hqrs /RAC Bn. Hqrs.	Once a year

(b) I/C Stores & Lines (Wireless)

(i) Stores	Twice a year
(ii) Lines	Once a year

(c) I/C Communication (Wireless)

(i) His own office	Twice a year

(d) I/C Stores (Wireless)

(i) His own office	Twice a year
(ii) All Police Wireless Stations in their charge.	Twice a year (in case S. P. Jaipur Range Sector, he will also inspect Hqrs. worKshop every sixth months)

FORENSIC SCIENCE LABORATORY.

10. Director, F.S.L.

(i) His own office	Once a year
(ii) All Divisions i.e. Documents, Chemistry, Biology, Physics, Ballistics, serelery, Toxicology, Photography.	-do-
(iii) Each Range Mobile F.S.L.	-do-

11. Assisstant Directors.

Each Division own office.	Twice a year

TRAINING :

12. Addl. I.G.P. Training

(i) His own office	Once a year
(ii) Rajasthan Police Academy	-do-
(iii) Police Training Schools.	Twice a year
(iv) R.A.C. and A.P. Trg. Centre,	-do-
(v) Security Training School	Once a year
(vi) Radio Training School	-do-

13. Principal Rajasthan Police Academy.

(i) His own office	Twice a year
(ii) Indoor Training	Quarterly
(iii) Out door Training	-do-

14. Commandants Police Tr. Schools.

(i) His own office	Twice a year
(ii) Indoor Training	Quarterly
(iii) Out door Training	-do-

(330)

15. Principal RAC & A.P. Trg. Centre.

(i) His own office	Twice a year
(ii) Indoor Training	Quarterly
(iii) Out door Training	-do-

16. Addl. S.P. Security Trg. School.

(i) His own office	Twice a year
(ii) Indoor Training	Quarterly

17. Dy. S.P. Radio Trg. School.

(i) His own office	Twice a year
(ii) Field Training	-do-
(iii) Indoor Training	-do-

C.I.D. (CRIMES) & RAILWAYS

18. Dy. I.G.P. CID(CB) & Rlys.

(i) Crime Branch (All sections)	Once a year
(ii) Railways District	-do-
(iii) Offices of all section officers (GRP) Addl. Ss.P. Range, CID/CB	Once a year
(iv) District M.O.B.	One Distt. M.O.B. from each Range in a year.
(v) G.R.P. Stations	One Govt. Rly. Police Station from each section in a year.

19 A.I.G.P. (II) CID/CB

(i) His own office	Twice a year
(ii) Distt. M.O.B.	Five in a year one from each Range.
(iii) State M.O.B.	Once a year
(iv) Finger Print Bureau	-do-

20. S.P. C.I.D. (CB) 'I'	
His own office (All sections)	Once a year. Also may visit offices of Addl. SP CID(CB) to assess the work of these units in respect of complaints etc.
21. S P. C.I.D. (CB) 'II'	
(i) His own office (All section)	Once a year
(ii) All offices of Addl. Ss.P. CID(CB) Range.	Once a year with a gap of four months period from DIGP's Inspection.
22. S.P. Railways (G.R P.)	
(i) His own office (including D.S.B./M.O.B.)	Once a year
(ii) G.R.P. Lines	-do-
(iii) Office of section officers	-do-
(iv) Govt. Rly. Police Stations.	Half the number of police Stations including the out posts (Formal) & Half the number of P.Ss. and O.Ps. informal. For a year.
23. Addl. Supdts. of Police CID (CB)	
(i) Own offices	Twice a year
24. Section Officer of G.R.P.	
(i) Own offices	Twice a year
(ii) Govt. Rlys. Police Station (including out posts)	-do-
25. S.H.Os. (G.R.P.)	
(i) Own Police Station	Quarterly
(ii) G.R.P. out Posts.	-do-

26. Director, FINGER PRINT BUREAU

(i) Finger Print Bureau	Twice a year

27. Manager, State M.O.B.

(i) State M.O.B.	Twice a year
(ii) District M.O.B.	Nine in a year

C.I.D. (INTELLIGENCE) (State Special Branch)

28. Dy. I.G.P. CID (Intelligence)

(i) His own office	Once a year
(ii) Zone Offices (in all 6)	-do-
(iii) CID Training School	Once in two years
(iv) B.I. Offices (in all 4)	Two in a year
(v) D.S. Bs.	Atleast 5 in a year once from each Range District.
(iv) Office of S.P. S.B.	Half of sections once a year.

29. S.P. S.S.B. Jaipur

(i) His own office	Once a year
(ii) Check post Barmer and Munabdo	Once in two years
(iii) Zone Offices (in all 6)	Once in a year
(iv) C.I.D. Training School	-do-
(v) B. I. Offices (in all 4)	Two in a year
(vi) D.S. Bs.	9 in a year
(vii) Zone Units	Two from each Zone (in all 10) except Jaipur.

30. S.P. CID ZONE Jodhpur

(i) His own office	Once a year
(ii) Check Post Barmer and Munabao	-do-
(iii) B. I. Office (in all 4)	-do-

(iv) D.S.Bs. in a Zone	Once a year
(v) Zone Units in a Zone	-do-

31. Zone officers, CID [Addl. Ss.P.] (5)

(i) Own office	Once a year
(ii) D.S.Bs. in a Zone	-do-
(iii) Zone Units in a Zone	Twice a year

32. Addl. Ss.P./Dy. Ss.P. SSB and Dy. S. P. Zone, Jodhpur

All sections functioning under the officer.	Once a year

33 Addl. Ss.P. Border Intelligence

(i) Own office	Once a year
(ii) Border Intelligence Post	Twice a year

34. Inspector In-Charge Check Posts, Barmer and Munabao

(i) Own office	Once a year

RAJASTHAN ARMED CONSTABULARY.

35. Dy. I. G. of Police, R.A.C.

(i) His own office	Once a year
(ii) All RAC Battalions	-do-
(iii) Coy. Headquarters	As many as possible subject to a minimum of 12 and at least two from each Battalion by rotation.

36. Commandent R.A.C. Bns.

(i) Own office	Once a year
(ii) All Cop. Hqrs.	-do-
(iii) Platoon Hqrs.	-do-

37. Asstt. Comdts. R.A.C. Bns.

All Coys. & Platoon Hqrs. tn their charge.	Every six months

RANGES Regional Level Officers

38. Range Dy. Is. G.P.

(i) Own office	Once a year
(ii) All Districts in the Range and M.B.C. Kherwara	Once a year (M.B.C. for Udaipur Range)
(iii) Offices of Circle Officers.	As many as possible subject to the minimum of half the total number of Circles in the Ranges excepting for Jaipur Range where the minimum should be 1/3rd of the Circles.
(iv) Police Stations.	One P.S. of each District at his discretion once a year.
(v) Automobile workshop Jodhpur and Bikaner	Once a year (For Is. G.P.) Jodhpur and Bikaner only)

DISTRICTS : District level officers.

39. District Supdts. of Police

(i) Own office	Once a year
(ii) District Lines	-do-
(iii) Offices of C.Os.	-do-
(iv) Traffic Branch	-do-
(v) District Special Branches and M.O.Bs.	-do-
(vi) Police Stations and Out Posts.	Formal detailed inspections of all Police Stations and Out Posts in Districts Sikar Jhunjhunu, Tonk, Jalore, Sirohi, Barmer, Jaisalmer,

Churu, Banswara, Dungarpur, Bundi and Jhalawar.

In Districts Sawaimadhopur, Nagaur, Pali, Chittorgarh, Bhilwara, 50% detailed inspections and 50% informal inspections.

In regards to Jaipur, Alwar, Bharatpur, Ajmer, Jodhpur, Udaipur, Kota, Bikaner, Ganganagar both detailed and informal inspections of offices of Circle officers and P.Ss./OPs. may be shared by the Addl. S.P. Distt. also.

The Ss.P. will draw up inspection programme giving distribution in between the District S.P. and the Add. Ss. P. in the beginning of the year and send copies to concerned D.I.G.P. and A.I.G.P.

(I) Tha ratio between informal and detailed inspection shall be 50 : 50

40. Addl. Supdts. of Police]District]

(i) District office, District Lines and office of the C.Os. of Rural Areas.	Twice a year
(ii) Police Stations and Out Posts	In a year as directed by the District S. P. or the higher Police Officers particularly of Rural Areas but in no case more than half of the total number of P.Ss. and O.Ps. of the District.

(336)

41. Addl. Supdts. of Police (Hqrs.)

(i) Own office	Twice a year with a gap of four months from S.Ps. inspection.
(ii) Lines	Once a year with a gap of 4 months from S.P. inspections.
(iii) District office (all sections)	

42. Addl. Ss.P. [City] Jaipur

(i) Own office	Twice a year
(ii) Offices of the COs	Once a year
(iii) Dy. S.P. Traffic office	-do-
(iv) All City Police Stations & Out Posts and Traffic Cells.	Once a year. The Inspection should be so programmed as to have a gap of 3 months between the inspection of the Circle Officers.

43. Dy. Ss.P. [Circle officers]

(i) Own own	Twice a year
(ii) All P.Ss. including [O.Ps.] in their Circles	-do-

44. Dy. S.P. Traffic, Jaidur City

(i) His own office	Twice a year
(ii) T.I's. office	Once a year

45. Reserve Inspections

(i) Own office including Stores, M.T. Section, Mess etc.	Twice a year

337

46. S.H.Os.	
(i) Police Stations with Out Posts.	Quarterly
47. Police Automobile Officers Bikaner/Jodhur.	
(i) Own office.	Twice a year

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL CUM INSPECTOR GENERAL OF POLICE, RAJASTHAN

No. N. 8(1)Pol(A)Gupt/69/Pt. II/1124-74 Jaipur 8th April '83

DGP is pleased to order that the districts/RAC Bns. shall be inspected by tha Addl. Is.G. of Police for 1983-84 as detailed hereunder :—

Districts/Bns. to be inspected	Inspecting officer
1. Jaipur/Sawai Madhopur/ Bundi/Barmer/GRP Ajmer & 5th RAC	Addl. I.G. of Police, CID Crimes & Rlys/Int. (I)
2. Jodhpur/Dholpur/Jhunjhunu Dungarpur/Sirohi & 2nd RAC	Addl. I.G. of Police, CID Crimes/Rlys. Int. (II)
3. Kota/Bharatpur/Pali/Tonk Jaisalmer/Bhilwara/Banswara Ganganagar & 3rd Bn. RAC	Addl. I.G. of Police, W. B. M.

4.	Ajmer/Alwar/Chittorgarh/Sikar Churu/Jhalawar/Nagaur/1st RAC & 6th RAC	Addl. I.G. of Police, Training PHQ.
5.	Udaipur/Bikaner/Jalore/IV RAC VIII(IR) & X IR Bns.	Addl. I.G. of Police, Hqrs. & Vigilence

The D.G.P. further directs that these inspections should be completed by 31.12.1983.

Page No 339

339

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 195 की सूचना

कार्यालय नगर परिषद उदयपुर (राज०)

नगर परिषद, उदयपुर के टाउन हाल की कुर्सियों के लिए विभिन्न दिनांकों को आमंत्रित किये गये टेण्डर्स में टेण्डरदाताओं की सूची

टेण्डर दिनांक 18-4-78

1. इण्डियन सीटिंग कार्पो०, वजीरपुर, दिल्ली।
2. भारत वुड वर्क्स, बम्बई
3. निहारिका एजेन्सी, आनन्द
4. ब्यूटी सिने फर्नीचर्स, बम्बई।
5. सुशील डेकोरेटर्स, अहमदाबाद
6. न्यू छाबड़ा एण्ड एसो०, बम्बई।
7. ओसकार सिने चेयर्स, बम्बई।
8. विजय टिम्बर मार्ट, उदयपुर
9. वी कुमार एण्ड ब्रदर्स, बापू बाजार, उदयपुर
10. राना फर्नीचर्स, न्यू दिल्ली।
11. ज्योति फर्नीचर्स, उदयपुर
12. अनमोल एन्टरप्राइजेज, जयपुर।

टेण्डर दिनांक 7-6-80

1. इण्डियन सीटिंग कार्पो०, दिल्ली
2. सिने फर्नीचर्स, न्यू दिल्ली
3. सुशील डेकोरेटर्स, अहमदाबाद।
4. स्केला स्टील वर्क्स, न्यू दिल्ली।
5. अरावली फर्नीचर्स, उदयपुर
6. विजय टिम्बर मार्ट, उदयपुर
7. स्केला आयरन वर्क्स, न्यू दिल्ली।

टेण्डर दिनांक 16-9-82

1. उदया इण्डस्ट्रीज, उदयपुर
2. इण्डियन सीटिंग कार्पो०, दिल्ली

Page No 340

(340)

3. उदय सिने डेकोरेटर्स, अहमदाबाद ।
4. साईन चेयर्स, अहमदाबाद ।
5. स्केला स्टील वर्क्स, दिल्ली ।
6. सुशील डेकोरेटर्स, अहमदाबाद ।
7. महेन्द्र सुराणा, उदयपुर
8. विजय टिम्बर मार्ट, उदयपुर
9. वी० कुमार एण्ड ब्रदर्स, उदयपुर

टेण्डर दिनांक 30-3-83

1. एलिजेन्स, जयपुर

टेण्डर दिनांक 19-5-83

1. गुजरात साईन आर्ट, अहमदाबाद ।
2. पेन वर्क्स, बम्बई
3. अज्ञाय इण्डस्ट्रीज, उदयपुर ।
4. हेमा ब्रदर्स, उदयपुर ।
5. विजय टिम्बर मार्ट, उदयपुर

ह०/-
आयुक्त,
नगर परिषद उदयपुर

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 201 की सूचना

No. 38

BOARD OF HIGH SCHOOL AND INTERMEDIATE EDUCATION,

RAJPUTANA (including Ajmer-Merwara) CENTRAL INDIA AND GWALIOR

High School Examination, 1950

Roll No. 114

This is to certify that Padam Kumar Jain son of Bhanwar Lal Bharjatya born on 23rd December, 1983, passed the High School Examination, 1950, from the Ajmer in the following subjects :—

1. English
2. Mathematics (Seal)
3. Hindi
4. History
5. Commerce
6. Boatomy, Physialogy of the Human Body and Hygiene

With distinction in Nil and was placed in the Third Division

Sd/-

Ajmer
June, 1950

Secretary, Board of High School and Intermediate Education Rajasthan (including Ajmer-Merwara) Central India and Gwalior

Page No 342

(342)

No. 675

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

Seal : Central Board of Secondary Education, Ajmer.

INTERMEDIATE (ARTS) EXAMINATION, 1955

Roll No. 1761

This is to certify that Padam Kumar Jain son of Bhanwar Lal Jain of Ajmer, passed the Intermediate (Arts) Examination held in March/ April, 1955, in the follcwing subjects :—

1. English Literature
2. Economics
3. Modern History.

With distinctiou in Nil and was placed in the Third Division.

Ajmer,
June 4, 1955

Sd/-
Secretary, Central Board of
Secondary Education

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 2092 की सूची

क्र.स. नाम	डिमाण्ड खाता	पैमाइश भूमि	दर	तारीख मंजूरी	मुद्दत किराया दिनांक
2	3	4	5	6	7
1. केवल बक्स पुत्र बलदेव खटीक	1	100	50 पैसे साल	[illegible]	31/3/73
2. बिजया पुत्र लाल खटीक	2	20×10 फीट 20—4×10—4	3.30	,,	[illegible]/46	31/3/73
3. मदन लाल पुत्र नन्दलाल ब्राह्मण	3	15—9×9=15 12—3×3 फीट	8.27	,,	[illegible]/49	31/3/68
4. अमीर बक्स पुत्र शेख बजीरबक्ष	4	15×12	1.50	,,		
5. नन्हे खां पुत्र मोहम्मद खाजुहालन	5	15×9	3.00	,,		
6. जवकीलाल पुत्र रामू नायक	6	12-गज मु०	0.75	,,	1/[illegible]/33	
7. मुन्नी लाल पुत्र मुन्ना सिकारी	7	73 म गज	4.64	,,	1/9/33	
8. मु. गमलपुत्र गीहमल मिंधी	8	41—7×40—6... 18....10×14 फीट	6 97	,,	1/4/51	[illegible]/68
9. अहुलादीनखां पुत्र अब्दुल रहमान खां	9	15×12½ फीट	.56	,,	1/[illegible]/31	31/3/68
10. दयाल पुत्र चौखा खटीक	10	9×9 गज	0.50 साल	,,	1/[illegible]/32	31/8/59
11. विजय लाल पुत्र जयनाराण नायक	11	6×4 गज 7×6.... 10 फीट	4.50	,,	31/11/49	31/3/69

1	2	3	4	5	6	7
12.	मुरेखां पुत्र ग्रमीर खां	12	11×7 फीट	0.97 पैसे साल	1/9/31	
13	कजोड़मल पुत्र जवाहर मल कलाल	13	81 गज मु.	3.00 ,,	1/4/32	
14.	भौंरी लाल पुत्र हरबक्स दर्जी	14	44 गज मं.	3.37 ,,	1/4/32	31/8/59
15.	नजी पुत्र कादर फदानी	15/16	21 मु. गज	1.31 ,,	1/9/34	31/3/69
16.	मोहर्या पुत्र कालू	16/17	24 गज 2 गिरह	1.55 ,,		31/8/59
17.	वजीर खां ,, कालेखां	17/18	24 मु. गज	1.50 ,,	1/1/34	31/3/68
18.	नन्नु पुत्र ग्रब्दुल वावर्ची	18/20	34 मं. गज	2.12 ,,	1/9/33	
19.	सरदार ग्रली पुत्र हुसैन ग्रली	19/21	21×10 फीट	1.91 ,,	11/6/57	
20.	कलन्दर खां पुत्र शेर खां मुखत्यार	20/21	15 गज मु.	0.94 ,,		31/3/68
21.	जमील उल रहमान पुत्र ग्र०गफूर खां	21/22	5×5 गज	1.75 ,,	5/5/35	31/3/68
22.	मोहम्मद पुत्र खुदा बक्स	22	6×3 फीट	1.25 ,,	1/1/35	
23.	ग्रब्दुल्ला पुत्र खुदा बक्स	23	20×10फीट=36मु.गज	3.50 ,,	1/9/46	31/3/68
24.	मेंरू पुत्र नानगा खटीक	24	100 गज मु.	6.25 ,,	1/9/34	31/3/73
25.	वफीजुल्ला पुत्र नन्ने खां	25	13 गज मं.	0.91 ,,	1/9/35	
	कालेखां पुत्र इस्माइल खां ग्रब्दुल हमीद पुत्र नान्ने खां		36×15 फीट	0.81 ,,	1/5/35	
26.	ग्रब्दुल वहास पुत्र चमलन लाल	26	36×15 फीट	4.47 ,,	32/3/67	
27.	छुट्टन पुत्र रहमान	27	15×3 फीट	1.96 ,,	1/9/31	31/3/68
28.	फैजु मोहम्मदन पुत्र ग्रब्दुल्ला	28	8×5 गज	3.00 ,,	1/2/35	–

1	2	3	4	5	6	7
29.	मोहरिया पुत्र कल्लू	29	17×17 फीट	3.68 पैसे साल	1/9/36	31/8/59
30.	मोहम्मद बैग पुत्र मुनीर बैग	30	26/1/2/15 फीट	–	1/2/35	31/2/64
31.	म० बची जोजे खुबा	31	–	1.50 ,,	1/6/36	–
32.	मंगल पुत्र लक्ष्मी नारायण	32	20 गज मं.	1.25 ,,	1/5/36	–
33.	अमीर खां पुत्र हुसैन खां	33	15/1/2×14	0.94 ,,	1/7/35	31/3/65
34.	मोहम्मद खां पुत्र चांद खां	34	25×8 फीट	12.31 ,,	1/8/36	31/8/59
35.	खुदादाद खां पुत्र मौला दादा खां वजीर खां	35	–	5.37 ,,	1/9/36	31/8/58
36.	समसदा बैग पुत्र रहीम बैग	36	6×10 गज	4.00 ,,	1/9/36	31/3/71
37.	अमीर खां पुत्र दूदे खां	37	19×6 फीट	0.94 ,,	1/1/37	31/3/68
38.	वजीर पुत्र नाथू	38	37×22=91 गज	7.11 ,,	1/9/48	31/3/71
39.	छुट्टन पुत्र रहीम बक्स कल्ला	39	26×22 फीट	6.00 ,,	1/2/37	31/3/68
40.	घासी राम पुत्र लादू कलाल	40	17+10 फीट	1.44 ,,	1/8/36	31/9/59
41.	नजीर खां पुत्र मोहम्मद खां	41	12×8 फीट	0.81 ,,	1/737	31/3/68
42.	लक्ष्मी नारायण पुत्र पन्ना तेली	42	6×6 गज	4.50 ,,	1/3/37	31/3/70
43.	माधोलाल पुत्र आनन्दी लाल कायढत	43	2×2 गज	0.25 ,,	11/11/37	31/3/63
44.	यासीन खां पुत्र मोहम्मद खां	44	20×22 फीट	5.50 ,,	1/9/39	38/8/60
45.	बसीता पुत्र मीरा बक्स	45	28×33 फीट= 103 गज	—	1/9/47	31/3/71

Page No 346

1	2	3	4	5	6	7
46.	सैयद पुत्र अहमद सं. अब्दुल	46	41×24/122= 133=15× 15=225	11.19 पं०	1/4/38	31/8/59
47.	अब्दुल गफूर पुत्र अब्दुल सकमा	47	23×21 फीट	3.97 ,,	1/3/48	31/3/71
48.	मं० बिस्मिल्ला बेवा पीर मो०	48	19-6×7-9 फीट =17 गज	1.35 ,,	1/9/47	—
49	मोहम्मद इस्माइल पुत्र कालेखां	49	4×3 गज	3 रु०	1/9/38	—
40.	चौथू पुत्र गुमान	50	19×12=3 गज 4 गिरह	1.61 पैसे	10/9/38	31/8/59
51.	खुत्या पुत्र गुमान	51	18×18 फीट 66 गज	2.09 पैसे	10/12/38	31/3/68
52.	जवाहरिया पुत्र हरनाथ	52	28×11 फीट= 410 गज	1.29 पैसे	....	31/3/68
53.	काना पुत्र विजया	53	16×11 फीट= 23 गज 6 गिरह	0.75 पैसे	....	31/3/68
54.	सुरज्या पुत्र खुमान	54	30×19 फीट	2.41 पैसे	....	31/3/68
55.	झेला पुत्र मान	55	18×17 फीट	1.30 पैसे	....	31/3/68
56.	चौथू पुई चिम्मन	56	18×17= 20×19 फीट	2.90 ,,	....	31/3/68

1	2	3	4	5	6	7
57.	विजया पुत्र चिम्मन	57	18 × 14 फीट	1.05 पै०	....	31/3/63
58.	काना पुत्र नानगराम	58	19 × 10= 13 × 8	1.53 ,,	....	31/3/68
59.	नारायण पुत्र गंगू	59	17 × 34 फीट	2.41 ,,	....	31/3/68
60.	मं०चन्दी जोजे परसा	60	14 × 11 फीट	0.66 ,,	....	31/3/68
61.	बलदेव पुत्र बिज्या	61	15 × 10 फीट	0.64 ,,	....	31/3/68
62	छोटू पूत्र लाला	62	26 × 20	–	....	31/3/68
63.	लादू पुत्र भागू	63	24 × 22 फीट	2.16 ,,	....	31/8/58
64.	लादू पुत्र मांगी लाल	64	33 × 18 फीट	2.39 ,,	....	31/3/68
65.	भेरू पुत्र दलजी नायक	65	20 × 18 फीट	2.11 ,,	....	31/3/68
66.	जीवन पुत्र सेडू	66	33 × 18 फीट	2.41 ,,	....	31/3/69
67.	नानगा पुत्र रामू नायक	67	33 × 18 फीट	2.41 ,,	....	31/3/58
68.	भूरा पुत्र नन्दा नायक	68	25 × 11 फीट	1.16 ,,	....	31/3/68
69.	देव्या पुत्र लच्छू	69	24 × 20 फीट	1.12 ,,	....	–
79.	सुजन पुत्र तेजी नायक	70	24 × 20 फीट	1.12 ,,	....	31/3/70
71.	नारायण पुत्र दूला	71	36 × 20 फीट	2.88 ,,	....	31/3/68
72.	भौंरीलाल उर्फ पोलचन्द पुत्र नारायण	72	20 × 18 फीट–6 फुट जिसके 45 गज	22.56 ,,	1.4.51	–
73.	जोहरी पुत्र राम	73	23 × 19 फीट	1.90 ,,	....	31/3/68

1	2	3	4	5	6	7
74.	राम सहाय पुत्र मोहन नायक	74	42×60 फीट	3.30 पै०	....	31/3/64
75.	नंद किशोर पुत्र लीलाधर नायक	75	20×16 फीट	2.91 ,,	1.9.44	—
76.	भूरा पुत्र रामनाथ नायक	76	19×20= 20×28 फीट	2.75 ,,	....	—
77.	जौहरी पुत्र गोपी नायक	77	21×18 फीट	1.59 ,,	....	31/3/64
78.	भौरया पुत्र मन्ना नायक	78	23×18 फीट	1.78 ,,	....	31/3/68
79.	ग्यारसी लाल पुत्र चरण नायक	79	25×18 फीट	2.03 ,,	....	31/3/68
80.	हरी पुत्र चन्दर नायक	80	26×18 फीट	2.06 ,,		31/3/68
81.	भैरन पुत्र चन्दर	81	11×16= 13×16= 10×19 फीट	1.97 ,,	1.9.38	—
82.	लाला पुत्र भूरा खटीक	82	29×26 फीट	6.56 ,,	1.3.46	31.3.67
83.	सेडू पुत्र काना बन्जारा	83	23×18 फीट	1.62 ,,	10.9.38	31.3.68
84.	भ्रानी लाल पुत्र रामू नायक	84	33×15 फीट	2.06 ,,	....	31.3.68
85.	सेवा पुत्र भैरव	85	28×13 फीट	2.67 ,,	....	31.3.68
86.	रामगोपाल पुत्र मन्नालाल	86	45×21 फीट	3.94 ,,	....	31.3.69
87.	घीस्या पुत्र रामकुंवार व मु. छोटी जोड़ी रामकंवार	87	35×27 फीट 127 गज	9.94 ,,	1.7.39	31.3.68 31.3.68
88.	भौंरी लाल पुत्र रघुनाथ गुर्जर	88	8–10×24 फीट मु. –28 गज	2.19 ,,	27.6.39	31.3.64

Page No 349

(349)

1	2	3	4	5	6	7
89.	शेर खां पुत्र अमीर खां फदालियान्	89	7–6×10–3 फीट	1.25 पै०	1.9.39	31.3.63
90.	नूर मोहम्मद पुत्र करीम खां	90	15×10 फीट	1.50 ,,	3.11.39	31.8.59
91.	कल्लम बेग पुत्र मो० बेग टेलर	91	10×8 फीट	0.33 ,,	1.9.39	–
92.	मु. छोटी चूड़ी वाली जोजे अाहमद बक्ष	92	11–10×8 ¼ फीट	0·81 ,,	1.9.39	31.3.63
93.	अधीराज पुत्र लेखराज सिंधी	93	20–2×30–2 फीट 6704 गज	34.00 रु.	1.4.51	31.3.68
94.	मोहम्मद पुत्र मुराद खां	94	3×2 ½ मु. साढ़े सात गज	0.47 पैसे	1.7.40	–
95.	मोहम्मद यासीन – गुलाब खां	95	4×13 ⅓ फीट	0.47 ,,	1.12.40	–
96.	गोपीचंद – राधावल्लभ महाजन	96	11×9 फीट	0.56 ,,	1.12.40	31.3.72
97.	मांग्या पुत्र मुन्ना	97	19 ¼×19 ⅓ फीट	3.06 ,,	1.3.41	–
98.	वजीर पुत्र नबीबक्ष जैर	98	14×15 फीट	1.00 ,,	1.9.40	31.3.68
99.	रमजानी – राजू	99	39×11 फीट घर	1.50 ,,		31.3.58
100.	भूरा – चमन	100	घर 1,14×12½ फीट	0.50 ,,		31.8.59
101.	बिज्या – लादू	101	10×7=11×13 17×12 फीट	1.50 ,,		31.8.59
102.	पीरबक्ष	102	20×11 फीट घर–1	0.30 ,,		31.8.58

1	2	3	4	5	6	7
103.	अ. रहमान पुत्र मुनीर खां मुदस्या	103	11 × 8–3 फीट 3 × 4 गज	1.50 पं०	1.7 41	31.3.73
104.	नजीर खां पुत्र मोहम्मद खां	104	16 × 4 फीट	0 59	जून 1941	31.3.68
105.	अमीर खां उर्फ छीतर खां पुत्र मोहम्मद खां	105	$13\frac{1}{3}$ × 22 फीट	2.69 ,,	22.11.41	31.3,68
106.	मंगा लाल पुत्र गणेश बरवा	106	37 × $16\frac{1}{4}$ फीट	5.53 ,,	1.9.47	
107.	असगर अली–अमर अली	107	20 × 18 फीट जिसके 44 गज	3.44 ,,	29.6.46	31.3.68
108.	यासीन पुत्र मोहम्मद खां	108	$8\frac{1}{4}$ × 26–2 फीट	1.72	1.2.42	31.8.60
109.	भौंर्या – अभयचंद	109	$16\frac{1}{3}$ × $13\frac{1}{3}$ फीट	2.00	1.3.42	31.8.59
110.	गुलाब खां पुत्र हमाम खां	110	$16\frac{1}{2}$ × $19\frac{1}{4}$ फीट	2.62	1.3.42	
111.	नाजिम हुसैन पुत्र सुजात अमीर	111	34 × $19\frac{1}{4}$ फीट	5.50	1.9.41	
112.	कल्लन खां पुत्र मुन्ने खां	112	11 × 11= 16 × 20 फीट	3.66 ,,	27.3.42	31.3.67
113.	मांगीलाल पुत्र नन्दराम नायक	113	$16\frac{1}{2}$ × $16\frac{1}{2}$ फीट	2.62 ,,	1.9.44	31.3.68
114.	भौंर्या – काना तेली	114	13–6 × 10 फीट 15 गज	1.17	1.6.49	31.3.68
115.	गोपी – मूलचन्द	115	$18\frac{1}{3}$ × 12 फीट	1.75	15.7.42	31.3.72
116.	महादेव – नारी लाल	116	12 × 4 फीट	3.00	15.6.42	31.3.63

1	2	3	4	5	6	7
117.	अब्दुल गफूर – कादर खां	117	20 × 25 1/3 82 गज	7.00	1.8.42	31.3.73
118.	नन्ना उर्फ मुमताज अली पुत्र कर्जेन्द अली	118	20–2 × 28–2 फीट 9–1 × 28–2 104 गज	6.95		31.3.71
119.	मु. रहीमन बेवा पुत्र मुनीर खां	119	21–4 × 16–8फीट,40गज	3.12	3.9.49	
120.	खुदादाद खां–भोलादाद खां–बजीर खां	120	30½ × 6 = 26½ 45 गज	2 96	1–9–43	31–3–64
121.	आनिया – लाला कैसली	121	13 × 15 = 13 × 6 फीट जिसके 36 गज	1.12	1–9–43	31–3–64
122.	कल्लू खां — इलाही खां	122	33 × 4 फीट	12.00 रुपये	15–2–44	31–3–68
123.	सुज्य — हाना नायक	123	35 × 11 फीट	3.19 पैसे	1–9–43	31–3–68
124.	नाजिम हुसैन – खुजात अली	124		5.31 ,,	1–3–40	31–8–59
125.	हजारी लाल पुत्र भूरामल	125	22–9 × 21 फीट	2.25	23–6–44	31–3–65
126.	मोहम्मद खां पुत्र मुराद खां	126	9–9 × 13–9 फीट	1.11 ,,	3–8–44	
127.	मांगीलाल पुत्र सुवा	127		3.00	1–9–44	
128.	इब्राहिम पुत्र रहीम खां	128	11 × 11 = 11–3 × 15 –3 फीट	2.44	1–12–44	31–3–68

1	2	3	4	5	6	7
129.	निजामुद्दीन पुत्र हुसैन बक्ष	129	44×26½ फीट जिसके 154 गज	9.62	1–3–45	31–3–68
130.	रोशन लाल पुत्र बलदेव कलाल	130	23×18–3= 24×8 फीट जिसके 85 मु. गज	5.31	1–2–45	
131.	लक्ष्मीनारायण—चन्दर बरमी	131	22×11 फीट जिसके 32 गज	2.00	1–5–45	31–8–59
132.	महबूब खां पुत्र मोहम्मद खां	132	24×56–6 फीट जिसके 151 गज	11.80	3–1–47	
133.	ग्यारसी लाल पुत्र श्योचंद	133	39–3×8 फीट जिसके 36 गज 11 गिरह्	2.30	1–9–46	31–3–62
134.	गुलाब पुत्र चांद खां	134	29–9×20–3 फीट 30–3×8– जिसके 80 गज	6.25	1–2–47	31–8–59
135.	अजीम खां पुत्र निजामुद्दीन खां	135	18×14 फीट जिसके 28 गज	2.19	10–4–47	31–3–69
136.	कल्याण सिंह पुत्र बालाबक्ष	136	बरामदा 10–8–9 +40–1×9 फीट जिसके 50 गज 12 गिरह्	65.70	1–9–47	

1	2	3	4	5	6	7
137.	श्री किशन पुत्र गोविन्द नारायण	137	चबूतरा 20×2–9 फीट जिसके 6 गज 2 गिरह	0–39 पैसे	1–9–47	
138.	गुलाम खां पुत्र चांद खां	138	जीना 9×6, जिसके 6 गज	0–62 पैसे	1–9 48	
139.	मु. श्रमीरन जोजे अलादीन	139	बरामदा 79–5×5–9 111–9×9=39–10 ×9–4 फीट जिसके 207	12–97	1–7–48	
140.	सेठी चांदमल पुत्र जेके बारजैन	140	9–9×8–2 जिसके 8 गज साड़े तेरह गिरह	1–12	1–9–47	
141.	बन्शीधर पुत्र चिमनलाल अग्रवाल	141	13–8×4 फीट जिसके 6 गज 2 गिरह	0–39	1–9–46	31–3–68
142.	माधो नारायण पुत्र ज्वालाप्रसाद कायस्त	142				
143.	श्री माधो गोपीनाथ मंचम मन्दिर हरिनारायण ब्राह्मण	143	चबूतरा 35–9×9 फीट 14–5×9 फीट 11×16 जिसके 57 गज	3–61		20–11–48
144.	सूरजनारायण पुत्र शिवनारायण कायस्थ	144	8×18–2 फीट जिसके 16 गज 2 गिरह	1–02 पैसे	1–9–48	
145.	चांद नारायण पुत्र मनोहरलाल पालीवाल	145	34–3×9 फीट जिसके 34 गज 5 गिरह	4–30	1–9–48	

1	2	3	4	5	6	7
146.	गुलाम मोहम्मद पुत्र चांद खां	146	8–3 × 16½ फीट जिसके 16 गज	1–25	1–2–46	
147.	मन्ना नाथ पुत्र गौरीनाथ जोशी	147	चबूतरा 34–9 × 6–5 फीट जिसके 21 गज 4 गिरह	1–33	1–9–48	31–8–59
148.	मो. अली पुत्र आजो नजीरुद्दीन	148	19–9 × 42–6 फीट साढ़े इकतालीस × 4¾ × ½ फीट जिसके 106 गज	8–28 पैसे	1–9–49	31–3–62
149.	मुफीक अहमद अमदाजी पुत्र मो. इब्राहीम	149	23¼ × 54½ फीट जिसके 142–5 गज	11–16	1–3–49	31–8–58
150.	लक्ष्मीनारायण पुत्र पन्नालाल सैनी	150	8–3 × 23–3 फीट जिसके 22 मु. गज	1–72	9–3–49	31–3–70
151.	शकूर पुत्र मुनीर	151	15 × 33 = 33 × साढ़े छः फीट जिसके 66 मु. गज	5–16	1–5–49	—
152.	आनन्दी लाल पुत्र राम लाल बंजारा	152	13–6 × 19 फीट जिसके 29 गज	2–27	1–3–49	
153.	श्रवण पुत्र गणेश व छोटेलाल पुत्र जमन	153	33 × 35½ फीट मु. 94 गज	7–34	1–3–49	31–3–64

1	2	3	4	5	6	7
154.	अ: गनी पुत्र बजीम बक्ष	154	चबूतरा 34 फीट 10 इंच 4 फीट 7 इंच मु. 17 गज 12 गिरह	1–11	21–10–46	—
155.	सैयद इरसाद अली पत्र मंझरअली	155	27–8 × 7–8 फीट जिसके 23 गज 10 गिरह	1–48	31–3–48	
156.	महादेव गोपी नाथ मूलचंद भौरीलाल	156	बरामदा 36 × 9 × 18–10 × 9 फीट जिसके 54 गज 13 गिरह	3–44	29–3–48	
157.	सत्यनारायण पत्र गणेश नारायण	157	17–6 × 89 फीट जिसके 17 गज	1–06	29–4–50	
158.	मु. अ. सैयद सौदागर	158	बरामदा 26–0 × 6 फीट जिसके 18 गज	2–25	26–5–50	31–3–61
159.	भूराराम पुत्र भीमाराम गूर्जर	159	30 × 30 फीट जिसके 100 गज	7–61	1–2–50	31–3–62
160.	राधागोविन्द पुत्र श्री किशनचन्द ब्राह्मण	160	2–6 × 22 फीट जिसके 6 गज 2 गिरह	0–78 पैसे	1–6–50	31–3–68
161.	प्रह्लाद–सीताराराम पुत्र श्री सूरजमल	161	चबूतरा 28 × 3 फीट जिसके 1 गज 6 गिरह	0–59 पैसे	1–6–46	—
162.	रहमान बक्स पुत्र अलाबक्स	162	बरामदा 5–6 × 3–9 फीट जिसके 2 गज 5 गिरह	0–31 पैसे	1–9–50	—

1	2	3	4	5	6	7
163.	कादरबक्ष पुत्र खुदाबक्ष पानीगर	163	बरामदा 20×5–3 फीट जिसके 11 गज 11 गिरह	1–53 पैसे	1–6–50	31–8–59
164.	बन्सीधर पुत्र चिमनलाल अग्रवाल	154	चबूतरा 22–6×4–6 फीट 9–9×4–5 फीट 16 गज 2 गिरह	1·02 पैसे	1–2–51	—
165.	हरीनारायण पुत्र दूलजी ब्राह्मण	165	बरामदा 11×7–4 फीट जिसके 1 गज	0–56 पैसे	1–7–52	—
166.	गोपीचन्द पुत्र कन्हैयालाल सेन	166	51×6–3 फीट जिसके 46 गज 2 गिरह	2–92 पैसे	1–2–52	—
167.	गुलाब नौजे मालीराम नायक	167	24×10 फीट जिसके 27 गज	13–50 पैसे	15–8–51	31–8–61
168.	मु. मुरीबंध छोटे लाल	168	17–3×3–2×2–3	0–37 पैसे	1–9–48	—
169.	लादू पुत्र भाग्या खुमार	169	48–6×21–9 जिसके 117.3 गज	58–62 पैसे	28–12–53	31–3–68
170.	बशीर पुत्र बुल्ला खां	170	9.9 फीट जिसके 7 गज	3–08 पैसे	1–4–53	31–8–59
171.	गणेश पुत्र रामचन्द्र खुमार	171	8×8 फीट जिसके 6 गज	3–00 रु०	1–4–53	31–8–59
172.	भोदू पुत्र गुमाजी कुमार	172	17×17 फीट जिसके 25 गज	12–50 पैसे	1–4–53	31–3–68
173.	नारायण पुत्र गणेश खुमार	173	16×11 फीट जिसके	11–50 पैसे	1–4–53	31–8–59
174.	भैरम पुत्र महादेव खुमार	174	22 गज			

Page No 357

1	2	2	4	5	6	7
175.	डालू पुत्र गोदू खुमार	175	12×12 फीट जिसके 13 गज	6-50 पैसे	1-4-53	31-3-65
176.	छाजु पुत्र श्री ग्यारसा खुमार	176	11×11 फीट जिसके 11 गज	5-50 पैसे	1-4-53	31-3-63
177.	नानगराम पुत्र श्री चौथू खुमार	177	8×8 फीट जिसके 6 गज	3-00 रु०	1-4-53	31-3-68
178.	कालू पुत्र श्री चौथू खुमार	178	8×8 फीट जिसके 6 गज	3-00 रु०	1-4-53	31-8-58
179.	देवीया पुत्र कुशला कोली	179	$7\frac{1}{3}$×$10\frac{1}{4}$×15-9×9-9 जिसके 26 गज	13-00 रु०	4-12-50	31-8-60
180.	पूरा पुत्र कुशला कोली	180	30×$10\frac{1}{2}$ फीट जिसके 35 गज	17-50 पै०	4-12-50	31-8-60
181.	बीज्या पुत्र पीरग्यां कोली	181	$37\frac{1}{2}$×10-3 फीट जिसके 43 गज	21-50 पैसे	4-12-50	31-8-58
182.	अ० सलाम पुत्र अ० कादर	182	18-4×7=21×3 फीट जिसके 22 मु. गज	1-37 पैसे	5-8-53	—
183.	फतेह मो० पुत्र बदरूद्दीन	183	20×20 फीट यानी 943 व 15 जिसके 39 गज	19-50 पैसे	16-4-54	31-3-72
184.	मन्नानाथ पुत्र गोरीनाथ जोगी	184	चबूतरा 34-9×1 फीट जिसके 4 गज	2-00 रु०	22-2-54	31-8-59
185.	सत्यनारायण पुत्र राम प्रताप	185	1-6×10-4 फीट जिसके 2 गज	1-00 रु०	22-4-54	31-3-62
186.	पुरुषोतम पुत्र राधेलाल	186	बरामदा 10×7-4 फीट जिसके 1 मु. गज	4-50 पैसे	25-3-53	—

1	2	2	4	5	6	7
187.	हरीनारायण पुत्र नाथूलाल	187	चबूतरा 14–8×3–6 जिसके 6¼ गज	3–12 पैसे	5–3–53	31–3–68
188.	लिखमीचन्द पुत्र श्रवणलाल राम प्रताप पुत्र हरिनारायण	188	बरामदा 57×9–6 फीट जिसके 60.2 मु. गज	30–09 ,,	8–6–54	
189.	राधेश्याम छोटेलाल पुत्र रामचन्द्र	189	बरामदा 22–10–6–9 फीट जिसके 17.1 मु. गज	2–14 ,,	8–7–54	31–8–59
190.	चेतुमल पुत्र टहलेराम सिंधी	190	20–6×10=28–9 ×11 6×3=10–3 ×11 फीट जिसके 75 गज	37–50 ,,	26–11–52	31–3–64
191.	गोविन्द नारायण पुत्र नन्दकिशोर शर्मा	191	11×2–6 फीट जिसके 2.7 मु. गज	0–19 ,,	1–12–54	31–3–68
192.	महादेव कन्हैयालाल	192	11–6×9 फीट जिसके 11½ मु. गज	1–44 ,,	1–11–54	—
193.	फूल्या पुत्र बालू धोबी	193	चबूतरा 24×10 फट जिसके 27 गज,	1–69 ,,	7–9–54	31–3–68
194.	बजीर खां पुत्र नबीबक्स	194	9–6×8 फीट जिसके 2 गज	4–50 ,,	1–4–54	—
195	श्र० लतीफ पुत्र श्री चांद खां	195	बरामदा 31×5 फीट जिसके 17–2 गज	01–09 ,,	1–2–55	—
196.	रमजानी पुत्र छुट्टा	196	15–3×23=4–4 =6×8–3 फीट जिसके 43½ गज	21–75 ,,	1–2–53	—

1	2	7	4	5	6	7
197.	श्योनाथ सिह पुत्र दुलानामनु	197	10–3 × 9–9 फीट जिसके 11.1 गज	0–72 पैसे	1-4–55	—
198.	करीम बक्ष पुत्र अलीबक्ष	198	17 × 8–11 फीट जिसके 16.8 गज	8–50 ,,	1–8–54	31–3–70
199.	बदरी पुत्र गणेश महरा	199	9–3 × 13 फीट जिसके 13–3 गज	6–75 ,,	1–10–53	31–8–59
200.	बदरी पुत्र गणेश मेहरा	200	चबूतरा व जीना 5–9 × 11–6 फीट जिसके 7½ गज	00–47 ,,	1–4–55	31–3–66
201.	मो० इब्राहिम पुत्र अलादीन	201	26 × 6–11 फीट 20–7–6 फीट जिसके 34–6 गज	2–10 ,,	1–12–55	30–8–60
202.	भीमशंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण	202	13–6 × 7–9 फीट 12–6 × 7–9 फीट जिसके 23 गज	1–44 ,,	2–12–54	31–8–59
203.	भीमशंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण	203	बरामदा 10–1 × 3–3 जिसके 4 गज 37–2 × 37–2 × 2 × 7 जिसके 11 गज	1–31 ,,	26–2–55	31–8–59
204.	आसनदास पुत्र घुलाराम सिंघी	204	टीन 8 × 3 फीट जिसके 3 गज	1–50 ,,	2–6–52	31–8–59
205.	मैन्या पुत्र रूडा कोली	205	18 × 10–6 = 19 × 10–6 फट जिसके 42 मु. गज	21–00 रु०	1–7–54	21–5–60

1	2	3	4	5	6	7
206.	रामकिशोर शर्मा एडवोकेट	206	5×5 फीट जिसके 3 गज	1–50 पैसे	17–11–54	31–8–57
207.	ग्यारसीलाल पुत्र श्योजीलाल तम्बोली	207	बरामदा 6–11×6–3 फीट जिसके 5 गज	0–31 ,,	14–5–56	31–3–62
208.	दामोदर पुत्र नारायण गूर्जर	208	30×15 फीट जिसके 50 गज	25–00 रु०	1–4–53	31–8–57
209.	बालू पुत्र मोती कोली	209	15×10¼ फीट जिसके 17 गज	8–50 पैसे	1–12–50	31–4–62
210.	सदीक पुत्र फैज मो०	210	चबूतरा 28×5 फीट जिसके 15 गज 1 गिरह	0–98 ,,	1–2–50	31–8–59
211.	मजूर ग्रहमद सदीक पुत्र हाफीज	211	65×29 जिसके 210 गज	16–41 ,,	1–12–52	31–8–59
212.	मुनीर मो० पुत्र ग्रलाबक्ष	212	14 फीट 9 इंच×18 रकबा 29½ गज	14–75 ,,	1–8–60	31–3–64
213.	पूरण पुत्र भूरा खटीक	213	18×9 जिसका रकबा 18 मु. गज	9–00 रु०	23–2–61	31–3–71
214.	करीम बक्ष पुत्र ग्रलीबक्स	214	24–9 इंच ×11 फीट 13 फीट 6 इंच×3 फीट	20–52 पैसे	20–4–60	31–3–62
215.	मुनीर मो० पुत्र ग्रजाबक्ष	215	11–3 इंच ×4 फीट 41 गज			

1	2	३	4	5	6	7
			18+5 फट जिसके मु. 10 गज	5--00 रु०	1--3--62	31--3--64
216.	अ० गफूर पत्र रहीम उल्ला	216	11--4+10--6 फट जिसके 13 गज	6--07 पैसे	—	31--3--63
217.	रेवाचन्द पत्र बसन्त दास सिंधी	217	35+32 फट =125 वर्गगज	15--60 पैसे	—	31--3--72

परिशिष्ट 21

चौकड़ी रामचन्द्र जी ठिकाना अचलपुरा के किरायेदारान की सूची

क्र.सं.	नाम व पता	डिमांड खाता	पैमाइश भूमि	दर	तारीख मंजूरी	मुद्दत किराया
1.	श्री राधा गोविन्द पुत्र किशन चन्द दायमा ठिकाना अचरोल	160	6 गज 2 गह	14 आने साल	16.1.50	31.3.68
2.	श्री बशीर पुत्र बुल्ला खां	169	48--6×21--9=117.31 मु. गज	58 रु० 62 पैसे साल	29.12.53	31.3.68
3.	श्री देब्या पुत्र कुशला कोली	179	$7\frac{1}{2}$×$10\frac{1}{4}$ व 15--9×9 ×9=26 मु. गज	13 रु० साल	11 2.53	31.8.60
4.	श्री मुरा पुत्र कुशला कोली	180	30×$10\frac{1}{2}$=35 मु. गज	17 रु० 50 पैसे साल	11.2.53	31.8.60
5.	श्री बीज्या पुत्र पीरम्या कोली	181	37--5×10--3=43 मु. गज	21 रु० 50 पैसे साल	11.2.53	31.8.58
6.	श्री नैन्या पुत्र रोड़ा कोली	205	18×10-61 42 मु. मज 18×10=61	21 रु० साल	23.5.57	31 8.60
7.	श्री दामोदर पुत्र नारायण गुजर	208	30×15= 50 मु. गज	25 रु० साल	11.11.54	31.8.57
8.	श्री बालु पुत्र मोती कोली	209	15×$10\frac{1}{2}$=17 मु. गज	8 रु० 50 पैसे साल	11.11.54	31.8.57

'परिशिष्ट घ'

किरायानामा

किरायानामा लिखदिया..किराये दार बहक ....मालिक दुकान/जमीन जो की आप' की.... .... दुकान/जमीन वाके...........................चौकड़ी................मोहल्ला.................. में स्थित है जिसकी तफसील नीचे लिखी हुई है जो रुपये .... माहवार में...............................11 माह की मयाद के लिए आपसे किराये लिया. जिसकी स्वीकृत प्रशासक/प्रसिडेन्ट/कमिश्नर, म्युनिसिपल कौंसिल, जयपुर में दिनांक ... .दी है । किराया महिने की महिने जमा कराकर रसीद लेता रहूंगा । 11 महिने उपरान्त किरायेदारी स्वतः समाप्त हो जावेगी और मयाद किरायेदारी खत्म होने पर मैं दुकान/जमीन खाली करके कौंसिल को संभला दूंगा । मयाद समाप्त होने पर अगर मैं दुकान/जमीन खाली करके नगर पालिकाको न संभला दूं तो बिना इत्तला दिये कौंसिल को जमीन/दुकान खाली कराने का हक होगा । किराया हर माह पेशगी अदा करता रहूंगा । दुकान/जमीन पर किसी प्रकार की कोई पक्की तामीर नहीं करूंगा, कच्चे मकान भी म्युनिसिपल कौंसिल की स्वीकृति के बिना नहीं बनाऊंगा ।स्वीकृति मिलने पर यदि कच्चा मकान बनाऊंगा तो मियाद किरायेदारी समाप्त होते ही कच्चे मकान अपने कब्जे से सफे हटाकर जमीन/दुकान खाली कर दूंगा । दुकान/जमीन में न कोई साझेदार रखूंगा और न दीगर शख्स को अपनी तरफ से किरायेदार रखूंगा । दुकान/जमीन में मैं खुद कारोबार करूंगा/रखूंगा अगर म्युनिसिपल कौंसिल 11 माह के अन्दर भी दुकान/जमीन खाली कराना चाहे तो एक माह पेशतर इत्तला मिलने पर बिना उज्र खाली कर दूंगा । अगर दोराने किरायेदारी में खाली करना चाहूं तो एक माह की इत्तला देकर खाली कर दूंगा । किराया अदायगी के मुत्ताबिक जमानत नामा म्युनिसपल कौंसिल के हक में लिखबाकर दे दिया है । जमीन/दुकान जो किराये पर दी गई है उसका नक्शा किराये नामे के साथ संलग्न है जो इस किरायेनामे का एक जूज समझा जावेगा । जमीन/दुकान खाली करते समय किसी प्रकार का कोई मुआवजा तलब नहीं करूंगा ।

(364)

लिहाजा ये किरायेनामा मैंने अपनी राजी खुशी होसहवास की दुरुस्ती से ऊपर लिखी गई तमाम शर्तों को मंजूर करते हुये स्टाम्प......................कीमती का आपके हक में लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरते काम आवे।

नोटः इस किरायेनामे के छपे हुए फार्म के साथ

स्टाम्प कीमती......................शामिल है। दि०.......................

तफसील जायदाद जो किराये पर ली है।

गवाह नं० 1––

गवाह नं० 2–– ह० किरायेदार ह० मालिक

परिशिष्ट–22

अतारांकित प्रश्न संख्या 203 की सूची

कार्यालय नगरपालिका, डूंगरपुर (राजस्थान)

अतिक्रमण सम्बन्धी सूची सन् 1981 तक की

क्र० सं०	प्रारम्भिक तिथी	नाम व पता
1	2	3
1.	1–8–80	श्री गंगाराम/गणेश लाल
2.	27–6–81	श्री रामा भोई मालीवाड़ा
3.	27–6–81	श्री सादक अली अब्दुल अली
4.	25–6–81	श्री अब्दुल रहमान/सदु खाँ
5.	27–6–81	श्री मकबुल हुसैन मुसलमान
6.	26–6–81	श्री मणीबाई मोगा जी
7.	3–7–81	श्री मोहम्मद हुसैन मुनफर हुसैन
8.	30–11–81	श्री प्रेम चन्द जेवर चन्द
9.	22–11–81	श्री फकीरा कुमार
10.	1–12–80	श्री मुनेश्वरी सुशील चन्द
11.	1–12–80	श्री हीरालाल चौबिसा
12.	5–8–81	श्री नानु/गट्टू
13.	10–12–81	श्री कोदर/कचरू
14.	4–12–81	श्री नाथु कालु बासड
15.	10–12–81	श्री लाला हीरा
16.	10–12–81	श्री बीजीया/भीखीया बांसड
17.	10–12–81	श्री भगवान सोफा
18.	10–12–81	श्री नाना/धुला
19.	10–12–81	श्री वाला बासड

366

1	2	3
20.	10–12–81	श्री हीरा/खाती
21.	17–8–81	श्री मोहम्मद सलीम मोहम्मद खाँ
22.	1–12–80	श्री अमृत लाल दाडमचन्द
23.	4–8–80	श्री सुशीलचन्द सज्जन लाल
24.	27–6–81	श्री भवरी हेमा हरिजन
25.	27–6–81	श्री गटटू लालाजी प्रजापत
26.	25–6–81	श्री बशीर खां पन्ने खाँ
27.	25–6–81	श्री ईश्माइल खाँ मोहम्मद खाँ
28.	27–6–81	श्री गट्टूडी बाबूलाल
29.	27–6–81	श्री अब्दुल रहमान मोहम्मद हुसैन
30.	25–6–81	श्री इश्त्याक हुसैन
31.	27–6–81	श्री फारूक अली अहमद अली
32.	28–11–80	श्री कचरू थावरा
33.	26–6–81	श्री अब्दुल नइस अब्दुल सतार
34.	1–12–80	श्री गजानन्द पन्नालाल
35.	26–6–81	श्री सिकन्दर खाँ ईसमाइल खाँ
36.	13–7–81	श्री अजीम खाँ पातेला
37.	26–6–81	श्री कल्लुखाँ वार्ड नम्बर 2
38.	26–6–81	श्री मोम्मद ईशाक मोम्मद चौहान
39.	26–6–81	श्री मो० जुम्मेखाँ मिस्त्री घाटी
40.	25–6–81	श्री काले खां अजीम खाँ
41.	26–6–81	श्री मोहम्मद हुसैन जी घाटी
42.	5–12–81	ज्ञजश्री टाकीज
43.	21–7–81	श्री लवजी वालाजी
44.	12–5–81	श्री वशीर खाँ काले खाँ
45.	18–12–81	श्री शंकर चालुव मार
46.	12–10–81	श्री पी० एच० ई० डी०, डूंगरपुर

367

1	2	3	4
47.	10-11-80	श्री गजेन्द्र कुमार सोहन लाल	
48.	12-11-81	श्री कल्याण सिंह लक्ष्मण सिंह	
49.	26-11-81	श्री सिकन्दर खाँ मोहल्ला घाटी	
50.	8-10-80	श्री इश्त्याक हुसैन उमरखाँ-जी	
		अतिक्रमण सूची वर्ष 1982 तक की	
1.	1-2-82	श्री गजानन्द चोबिसा भू० स० अधि०	
2.	11-2-82	श्री हीरा चमार बराई माता	
3.	11-2-82	श्री शंकर लालु चमार	
4.	1-2-82	श्री प्रेमशंकर रचोबिसा, अध्यापक	
5.	11-2-82	श्री अब्दुल रजाम इब्राहीम जी	
6.	13-2-82	श्री खुबचन्द उदयलाल चौबिसा	
7.	11-2-82	श्री सरीफा अब्दुल रहमान	
8.	12-2-82	श्री धन्ना नाथा	
9.	13-2-82	श्री शंकर रूपा आदिवासी	
10.	1-2-82	श्री चम्पालाल कृष्ण लाल	
11.	13-2-82	श्री भोगीलाल मदनलाल	
12.	14-4-82	श्रीमती शायरी अमरजी, विजयगंज	
13.	11-4-82	श्री नाथु कुरजी कागरसीवाला	
14.	15-5-82	श्री सिकन्दर खाँ उमर खाँ पातेला	
15.	15-4-82	श्री धुलजी ओकारजी गर्ग	
16.	15-4-82	श्री खुदा बक्स मोम्हमद बक्स	
17.	15-4-82	श्री हरदील अजीज नसरुद्दीन	
18.	15-4-82	श्री मेफूज हुसैन अब्दुल लतीफ	
19.	15-4-82	श्री नुर आलम आजाद खाँ	
20.	15-4-82	श्री मुकरम अली जहुर अली	
21.	15-4-82	श्री वक्तराम किशनलाल	

1	2	3
22.	15-4-82	श्री अजीज खाँ रसुल खाँ
23.	,,	श्री कचरू मगला चमार
24.	,,	श्री सफी मोहम्मद नियाज मोहम्मद
25.	,,	श्री इनौशुद्दीन अब्दुल रहमान
26.	,,	श्री तुलसीराम लक्ष्मीचन्द
27.	,,	श्री देवराम हरीराम
28.	,,	श्री रतना थावरा
29.	,,	श्री मुमताज हुसैन नुर मोहम्मद
30.	15-4-82	श्री मोहम्मद इलियास मोहम्मद ईशाक
31.	,,	श्री रामजी दौलाजी
32.	16-4-82	श्री मोहम्मद हनीफ शाह मोहम्मद
33.	,,	श्री मणीलाल चुन्नीलाल
34.	,,	श्री सतार खाँ मोहम्मद खाँ
35.	,,	श्री जमाल खाँ मोलदार खाँ
36.	,,	श्री सेहबास खाँ सदागुल खाँ
37.	,,	श्री इब्राहीम खाँ मोहम्मद खाँ
38.	,,	श्री सेरदात खाँ सदागुल खाँ
39.	,,	श्री दीनमोहम्मद खाँ गुलाब खाँ
40.	15-5-82	श्री नारायण लाल रतना जी
41.	,,	श्री प्रभुलाल भैरा जी
42.	,,	श्री हमीरचन्द कस्तुरचन्द
43.	15-4-82	श्री मांगीलाल तेजा जी
44.	14-5-82	श्री जलील अहमद अकबर खाँ
45.	14-4-82	श्री हसीनुद्दीन मसनुद्दीन
46.	15-5-82	श्री अब्दुल खाँ कालेखां
47.	20-3-82	श्री तुलसी राम दासजी हरिजन
48.	27-6-82	श्री हरीश रामा हरिजन

Page No 369

369

1	2	3
49.	27-6-82	श्री धापू पिता मगन प्रजापत
50.	,,	श्री मुनेश्वर खाँ कालेखाँ
51.	5-6-82	श्री रूपलाल उदयलाल
52.	27-5-82	श्री गुलाम मोहम्मद फैजूखाँ
53.	8-6-82	श्री अब्दुल मजीद अनवर खाँ
54.	19-7-82	श्री बल्लभ राम पाटीदार
55.	,,	श्री प्रेम प्रकाश जी
56.	,,	श्री वीर भद्रसिंह सज्जनसिंह
57.	,,	श्री रामलाल बद्रीलाल लबाना
58.	24-7-82	श्री अशोक कुमार आशाराम
59.	,,	श्री पिनुमल सिन्धी
60.	2-8-82	श्री जमना लाल रामेश्वर
61.	20-8-82	श्री याकुब हुसैन बशीर खाँ
62.	25-8-82	श्री मणीलाल चुन्नीलाल
63.	13-9-82	श्री सादक अली तैयब अली
64.	14-9-82	श्री मदन लाल मित्तल
65.	25-9-82	श्री गमीरचन्द्र वेणीचन्द्र
66.	,,	श्री रामेश्वरलाल प्रतापीलाल
67.	,,	श्री त्रिलोकचन्द किस्तुरचन्द
68.	30-9-82	श्री नशीर हुसैन असफर अली
69.	14-10-82	श्री पुरुषोतमलाल वालजी
70.	,,	श्री तुलसीराम कुरजी
71.	2-11-82	श्री सज्जनहुसैन बाकरअली
72.	,,	श्रीमती हुसैना बेवा अहमद खाँ
73.	,,	श्रीमती उनीस मोहम्मद रहमत खाँ
74.	,,	श्री हीरालाल/कमल जी
75,	3-11-82	श्री जामसिंह मुकरसिंह

370

1	2	3
76.	3-11-82	श्री मो० रफीक मा० हनी f
77.	2-11-82	श्री बनवारी लाल मेहता
78.	3-11-82	श्री बसेचन्द जडावचन्द
79,	3-12-82	श्री अशोक कुमार घुलजी
80.	19-8-82	श्री जीवराज विरचन्द महाजन
81.	18-2-82	श्री गोवरधन लाल कोदर जी कुम्हार
82.	,,	श्री शंकरलाल मूलचन्द
83.	,,	श्री रमेश प्रेमजी पंचाल
48.	,,	श्री नाथूसिह देवीसिह
85.	,,	श्री पर्वतसिह देवीसिह
86.	,,	श्री खातु श्याम जी
87.	,,	श्र हजारी चुन्नीलाल मिस्त्री
88.	,,	श्री उरजन लाल कोदरजी
89.	,,	श्री कल्याण/लक्ष्मणसिंह
90.	,,	श्री रमण लाल पुन्जी लाल
91.	,,	श्री केवीलाल कुबेर जी लोहार
92.	,,	श्री शंकर दौला खटीक
93.	,,	श्री मोहब्बत सिह राजेन्द्र सिह
94.	,,	श्री रामा मोहन खटीक
95.	,,	श्री दाडमचन्द नाथु जी व शंकर बलमा जी
96.	18-2-82	श्री मोहनसिह लालसिह राजपूत
97.	,,	श्री लालसिह शिव सिह
98.	,,	श्री प्रताप अमरा जी खटीक
99.	,,	श्री जीतमल शंकर लाल धोबी
100.	,,	श्री गट्टू नाथु जी कागदी वाला

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका, डूंगरपुर (राजस्थान)

परिशिष्ट–23

अतारांकित प्रश्न संख्या 204 की सूची

भाग । (ख) 185

राजस्थान राज पत्र अक्टूबर 3, 19 74

भाग । (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं ।

नगर आयोजना विभाग (ग्रुप–2)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त, 22/1974

संख्या एफ 6 (7) न आ .171:–चूंकि नगर सुधार प्रन्यास, बीकानेर के आवेदन पर राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि नगर सुधार अधिनियम 1959 के आधीन बीकानेर नगर के आबादी क्षेत्र के सुधार कार्य के प्रयोजनार्थ (आदेश गृह निर्माण) जयनारायण व्यास योजना बीकानेर के प्रयोनार्थ भूमि की आवश्यकता है ।

अत: एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे दिये गये विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है ।

और चूंकि उक्त भूमि के मालिकों अथवा उन व्यक्तियों को जो राज्य सरकार की सम्पत्ति में उक्त भूमि में हित रखते हों उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) के अधनी नोटिस दिया गया था कि निर्धारित अवधि के भीतर यह कारण बतादें कि उक्त क्यों न आवप्त करली जावे

एतदद्वारा यह और सूचित किया जाता है कि इस सूचना पत्र के राजस्थान रोज पत्र में प्रकाशित होने की तारीख पर और से उक्त भूमि राज्य सरकार के समस्त प्रभारी से मुक्त होकर पूर्णत: निहित होगी ।

(372)

(विवरण निम्न सूची के अनुसार)

क्रम सं०	भूमि जहाँ स्थित है	तहसील	खसरा नं.	रकबा बी वि वि	नाम खातेदार काबिज अथवा मालिक भूमि	रकबा जो अवाप्त किया बी वी वी
1	2	3	4	5	6	7
1.	बीकानेर	बीकानेर	317183	2 0 0	श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री इलाही बख्श, मुसलमान जोइया सा० बीकानेर	2-0 0
2.	"	"	302183	4 1 80	श्री अनील कुमार पुत्र श्री किसन लाल सालेजा सा० बीकानेर	4-1 8 0
3.	"	"	311583	3 0 0	श्री कालूराम पुत्र श्री सावत-राम अग्रवाल सा० बीकानेर	5 0 0
4.	"	"	334184	10 0 0	श्रीमती गुलाम कवंर पुत्री श्री नारायण सिंह राजपूत सा०	1 0 0 0
5.	"	"	306183	2 5 0 0	श्रीमती आशा देवी पत्नि 2 5 0 0 श्री रामचन्द्र पुरोहित, बीकानेर	
6.	"	"	237183	2 0 0	श्री गोरधन लाल पुत्र रामलाल सोनार सा० बीकानेर	2 0 0

Page No 373

(373)

1	2	3	4	5	6	7
7.	बीकानेर	बीकानेर	289183	3 1 5 0	श्री भंवर सिंह द्वारा पुत्र राम सोनार सा० बीकानेर।	3 1 5 0
8.	बीकानेर	बीकानेर	318183	2 0 0	श्री मनवीबख्श पुत्र बरेखां मुसलमान सा०. बीकानेर।	2 0 0
9.	,,	,,	322183	2 0 0	श्री नारायण सिंह पुत्र बनेसिंह पुरोहित साकिन बीकानेर	2 0 0
10,	,,	,,	83 मिन	0 3 0	श्री मुस्मात नाथीदुलारे- 0 3 0 रूपा माली साकिन बीकानेर	
11.	,,	,,	303183	5 2 0	श्री पकंज पुत्र कान्तिलाल कास सोंमेरा साकिन 5 2 0 बीकानेर	
12.	,,	,,	312173	3 0 0	श्रीमती भवी जोजे नवल किशोर ब्राह्मण साकिन बीकानेर	3 0 0
13.	,,	,,	291183	2 0 0	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपीकिशन पारीक साकिन बीकानेर	2 0 0
14.	,,	,,	293173	2 0 0	श्रीमती लक्ष्मीदेवी जोजे वल्लभदास एवं श्रीमती चन्दा देवी जोजे लाजपत फान साकिन, बीकानेर	2 0 0

(374)

1	2	3	4	5	6	7
15.	बीकानेर	बीकानेर	331183 331183	11 0 0 3 0 0 14-0 0	श्री शिवरतन पुत्र रामचन्द्र पुरोहित सा० बीकानेर श्रीमती सावित्री पुत्री तुलसीराम ब्राह्मण सा= बीकानेर	1 0 0
16.	,,	,,	288 083	2 0 0	श्री नत्थजी, रामबक्स 2 0 0 पूनमचन्द एवं गोपाल-राम पुत्र श्री जोराराम कोम सुधार साकिन बीकानेर	
17.	,,	,,	318183	4 0 0	श्री सम्सुद्दीन पुत्र श्री निजामुद्दीन रसूल बक्स रमजान खाँ साकिन बीकानेर।	4 0 0
18.	,,	,,	313183	3 0 0	श्रीमती सुशीला श्रीमती चन्दादेवी जोजे लाजपत भान साकिन बीकानेर	3 0 0
19.	,,	,,	83 मीन	1 1 0 0	श्रीमती सुशील कवंर मेजर हिम्मतसिंह राजपूत सा० बीकानेर	11 0 0
20.	,,	,,	310183	3 0 0	श्री मोहन लाल पुत्र दुलाचन्द पुरोहित सा० बीकानेर	3 0 0

1	2	1	4	5	9	
21.	बीकानेर	बीकानेर	290183	2 1 5 0	श्रीमती कमला जोजे रामकिशन पुरोहित सा० बीकानेर	2 1 5 0
22.	"	"	333183	8 0 0	श्री मनोहरसिंह पुत्र सिंह राजपूत सा० बीकानेर	
23.	बीकानेर	बीकानेर	320183	3 0 0	श्री मान सिंह पुत्र दीपसिंह राजपूत सा० बीकानेर	3 0 0
24.	"	"	321383	6 0 0	श्री विजयकुमार पुत्र ओमप्रकाश सा० बीकानेर	6 0 0
25.	"	"	321182	2 0 0	श्री गोविन्द स्वरूप एडल मकान नं. 446 राजभवन बापू नगर आमेर	2 0 0
26.	"	"	309183	5 0 0	श्रीमती शुकत लाजी जोजे महावीर प्रसाद सा० बीकानेर	5 0 0
27.	"	"	314183	2 0 0	श्री हीरालाल पुत्र हजारी लाल सेवग सा० बीकानेर	2 0 0
28.	"	"	307......	1 0 0 0	श्री गोपाल पुत्र चान्दरतन पुरोहित सा० बीकानेर	1 0 0 0

1	2	3	4	5
29.	बीकानेर	बीकानेर	316183	1 0 0 0 श्रीमती मंजला जोजे 1 0 0 0 श्री एस बी पुरोहित सा० बीकानेर
30.	,,	,,	326183 330183	2 0 0 श्री हुलोरीराम पुत्र 3 0 0 करनाम शर्मा सा० 5 0 5 0 ——— बीकानेर 5 0 0 ———
31.	,,	,,	308183 328183 286183	1 5 0 0 श्री रामचन्द्र पुत्र 31 1 0 0 8 1 1 0 पुरोहित सा० बीकानेर 8 0 0 27 बीघा ——— श्रीमती तारा पत्नि बिहारी 31 0 0 लाल चोधरी सा० बीकानेर 2 बीघा 20 बिस्वा भीतमाल राठी बल्द नापासार 2 बीघा
32.	,,	,,	314183	4 0 0 श्री कनीया पुत्र रामरतन माली साकिन बीकानेर 2 बीघा 5बिस्वा श्री मनर म्रली पुत्र बरने खाँ पवार बीकानेर 4 5 0
33.	,,	,,	2983	8 1 0 0 श्री ठाकुर सिंह पुत्र धर्मसिंह बंगेरापाक 8 1 0 0 बीकानेर
34.	,,	,,	327183	2 0 0 श्री विजयसिंह पुत्र चिमन सिंह राजपूत द्वारा चन्दन सिंह सा० बीकानेर 2 0 0

Page No 377

(377)

1	2	3	4	5	6	7
35.	बीकानेर	बीकानेर	83 मील	9 1 2 0	श्री सर्व श्री मोहम्मद हमीद वल्द नसरूद्दीन सा० इस्लाम वल्द गुलाम रसूल माली सा० बीकानेर के द्वारा श्री रामचन्द्र स्टाम्प से श्रीमती तारादेवी विजयसिंह सा०	9 1 20
36.	बीकानेर	बीकानेर	329183 83 मिन	5 0 0 3 0 0 ---- 8 0 0	श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नि हरकृष्णा मूधड़ा श्रीमती प्रेमलता पत्नि धर्म प्रकाश गुप्ता श्री सम्पतलाल पुत्र श्री रामलाल छाजेड़ा श्री भारतमल पुत्र श्री दूली चन्द राठी सा० बीकानेर	8 0 0
37.	,,	,,	294183	24 12 0	सर्व रणछोड़ वल्द रूपामाली वल्द राजसिंह पुत्र समरसिंह राजपूत खीवसिंह पुत्र अमृत सहित चम्पालाल पुत्र पुरनीराम रमण वल्द पदिमा जाट मोहनलाल वल्द अर्जन दास स्वामी सरारूद्दीन वल्द माजी खाँ परिहार एवं भूमिसिंह पुत्र मोहनसिंह सा० बीकानेर	24 12 0

राज्यपाल महोदय आज्ञा से
तेज कुमार
शासन सचिव

(378

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

अग्रहायण 12 सोमवार, शाके 1901 दिसम्बर 3, 1979

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि
कार्यालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान जयपुर

नोटिस

दिनांक अक्टूबर, 16 1979

विषय:—राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 52 (2) के अन्तर्गत बीकानेर के सुधार प्रयोजनार्थ ट्रान्सपोर्ट नगर योजना की भूमि अवाप्ति की सूचना।

चूंकि निम्नलिखित भूमि को बीकानेर शहर की ट्रान्सपोर्ट योजना के लिए अवाप्ति किया जाना अपेक्षित है।

अत: राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 526 की उपधारा (2) प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतद्द्वारा यह नोटिस उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित भूमि से संबधित समस्त मालिकों एवं उसमें हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैं कि यदि नीचे के विवरणिका में वर्णित अवाप्ति के बारे में उन्हें कोई आपत्ति हो तो वे इस नोटिस के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 (तीस) योम के भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर दें।

नगर सुधार भाग न्यास बीकानेर के कार्यालय में उक्त भूमि के नक्शों का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र. सं.	भूमि जहां स्थित है	नाम तहसील	भूमिधारी व हितधारियों के नाम मय पिता के	खसरा नं.	रकबा बी.	रकबा वि.	विशेष विवरण
1.	गंगाशहर	बीकानेर	आबादी भूमि	36	24	12	

1	2		3			
						4
2.	किसमीदेसर	बीकानेर	आराजीराज/	509/190	4	18
3.	"	"	बिशना वल्द पन्ना कोम माली सा० देह गैर खातेदार	674/190	16	11
4.	"	"	शिखचन्द वल्द जसकरण कोम बोथरा सा० गंगाशहर खातेदार	675/190	9	15
5	"	"	भंवर लाल, पूनमचन्द नेमचन्द, जेठमल, पिसरान चतुर्भुज व हि० 4/5 हि० व तिलोकचन्द केशर, मोहन तारा, पिसरान गंगाराम व हि0 1/5 हि० कोम माली सा० देह खातेदार.	676/190	17	10
6.	"	"	आबादी रिफाएग्राम	494/189	5	6
7.	"	"	आबादी रिफाएग्राम	381/195	8	11
				408/190	8	11
				451/155	8	5
				506/165	8	0
				507/190	10	0
8.	"	"	आराजीराज	382/195		10
9,	किसमीदेसर	बीकानेर	रामदेव वल्द टिकराम कोम माली, सा० देह खातेदार	406/194/2	4	14
10.	"	"	आबादी रिफाएग्राम	375/194	4	13

Page No 380

(380)

1	2		3		4	
11.	किसमीदेसर	बीकानेर	फताराम, काशीराम मेघाराम , मुरलीराम, पिसराम डूंगरराम सा० किसमीदेसर मुस्मात रम्भा पुत्रीं डूंगर पत्नी रामजी सा० मन्नालाल मु० किशनी पुत्री डूंगर वरिम खुमाराम सा० देह सुजान देसर खातेदार	647/191	8	3
12.	,,	,,	केशरा वल्द सुगना कौम माली सा० देह खातेदार	677/191/1	5	17

आज दिनांक 16–10–1979 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

(क्रमांक 1/भ०अ०/79)

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से
सरवरचन्द भण्डारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार सूची संख्या-3

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (ग्रुप-3) विभाग

शुद्धि पत्र

क्रमांक एं(8–5) (55) नविग्रा/3/79 जयपुर दिनांक 25-2-81

इस विभाग की अधिसूचना सम संख्यक दिनांक 10 दिसम्बर, 1980 जो कि राजस्थान राजपत्र भाग 6 (ख) के अंक दिनांक 18 दिसम्बर, 1980 में प्रकाशित हुई है तथा जो ट्रान्सपोर्टनगर निर्माण योजना बीकानेर के संबंध में है को निम्नप्रकार पढ़ा जावे :—

(1) क्रम संख्या एक के कालम नं. 5 में 16 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर 16 बीघा 11 बिस्वा व कालम नं. 6 में किशना के स्थान पर बिशना पढ़ा जावे।

(2) क्रम संख्या 3 के कालम नं. 6 में श्री भंवर लाल, पूनमचन्द, नेमीचन्द, जेठाराम पुत्र चतुर्भुज 4/5 हिस्सा व त्रिलोकचन्द ईसर, मोहनलाल पुत्र गंगाराम 1/5 हिस्सा पढ़ा जावे।

(3) क्रम सं. 4 के कालम संख्या 4 में खसरा नं. 461/194 के स्थान पर खसरा नं. 406/194/2 पढ़ा जावे तथा कालम संख्या 6 में श्री रामदेव पुत्र हीकूराम के स्थान पर श्री रामदेव पुत्र टीकूराम पढ़ा जावे।

(4) क्रम संख्या 7 के कालम संख्या 4 में खसरा नं. 677/191 के स्थान पर खसरा नं. 677/191/1तथा कालम संख्या 5 में 15 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 5 बीघा 17 बिस्वा पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह०

(ए एल बेदी)

उपशासन सचिव

प्रतिलिपः—

1. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक को इस शुद्धिपत्र को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्राधिकरण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
2. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त शुद्धिपत्र को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर अंक की एक प्रति इस विभाग को भी भेजने की व्यवस्था करें।
3. विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग सी–79 तिलक नगर जयपुर को उनके पत्र संख्या 2311 दिनांक 6–1–81 के क्रम में प्रेषित है।
4. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर

ह० उपनगर नियोजक

(सचिवालय)

Page No 382

(382)

परिशिष्ट–24

अतारांकित प्रश्न संख्या 208 की सूचना

परिशिष्ट–1.

बल्ब 60 वाट के

1.4.80 से 31.3.83 तक क्रय किये

नाम वस्तु	तादाद	क्रय दिनांक	प्रयोजन	क्रय प्रक्रिया
1	2	३	4	5
बल्ब 60 वाट के	600	9.4.80	स्ट्रीट लाइट हेतु	सीमित निविदा
,,	10000	7.5.80	,,	खुली निविदा
,,	10080	7.7.80	,,	सहकारी खरीद
,,	70	11 10.80	,,	एकल निविदा
,,	70	14.10.80	,,	,,
,,	58	18.10.80	,,	,,
,,	70	21.10.80	,,	,,
,,	70	27.10.80	,,	,,
,,	510	2.11.80	,,	,,
,,	2500	14.11.80	,,	खुली निविदा
,,	65	8.12. 80	,,	एकल निविदा
,,	5000	15.12.80	,,	खुली निविदा
,,	5000	24.2.81	,,	,,
,,	2500	31.3.81	,,	,,
,,	2500	9.5.81	,,	,,
,,	5000	9.7.81	,,	,,
,,	5000	25.8.81	,,	,,
,,	500	21.10.81	,,	सीमित निविदा
,,	9500	2.11.81	,,	खुली निविदा
,,	490	5.3.82	,,	सीमित निविदा
,,	450	13.3.82	,,	,,
,,	500	23.2.82	,,	,,
,,	5000	31.3.82	,,	खुली निविदा

1	2	3	4	5
बल्व 60 वाट के	1200	16.2.82	स्ट्रीट लाइट हेतु	सीमित निविदा
,,	250	30.6.82	,,	एकल निविदा
,,	250	19.7.82	,,	,,
,,	250	20.7.82	स्ट्रीट लाइट हेतु	एकल निविदा
,,	250	30.7.82	,,	,,
,,	250	7.8.82	,,	,,
,,	250	11.8.82	,,	,,
,,	15000	18.8.82	,,	खुली निविदा
,,	1150	1.3.83	,,	सीमित निविदा
,,	5000	19.3.83	,,	खुली निविदा
		बल्व 100 वाट के (1.4.80 से 31.3.83 तक)		
,,	48	24.4.80	,,	एकल निबिदा
,,	54	26.6.80	,,	,,
,,	50	11.11.80	,,	,,
,,	48	18.11.80	,,	,,
,,	51	25.3.81	,,	,,
,,	51	27.5.81	,,	,,
,,	45	2.9.81	,,	,,
,,	365	19.10.81	,,	सीमितनिविदा
,,	415	3.3.82	,,	,,
,,	500	10.6.82	,,	,,
		बल्ब 200 वाट के		
बल्ब 200 वाट	26	9.6.80	,,	एकल निविदा
,,	12	4.5.81	,,	,,
,,	52	3.11.81	,,	,,
		बल्ब 500 वाट के		
बल्ब 500 वाट के	8	12.11.81	,,	एकल निविदा
,,	6	24.11.81	,,	,,
		बल्ब 1000 वाट के		
बल्ब 1000 वाट के	4	3.5.81	,,	एकल निविदा

1	2	3	4	5
बल्ब 1000 वाट के	3	3.5.81	स्ट्रीट लाइट हेतु	एकल निविदा
,,	3	24.11.82	,,	,,
		एम०वी० लैम्प 125 वाट		
एम०वी० लैंप 125 वाट	200	30.6.80	स्ट्रीट लाइट हेतु	खुली निविदा
,,	100	30.3.82	,,	,,
		एम०वी० लैम्म 250 वाट		
एम०वी० लैम्प 250 वाट	50	30.6.80	,,	खुली निविदा
		ट्यूब राड़ 40 वाट		
ट्यूब राड़ 40 वॉट	500	2.7.80	,,	खुली निविदा
,,	1000	21.7.80	,,	,,
,,	11	6.11.80	,,	एकल निविदा
,,	11	14.11.80	,,	,,
,,	11	24.11.80	,,	,,
,,	11	25.12.80	,,	,,
,,	150	22.1.81	,,	खुली निविदा (मूल निर्माता से)
,,	250	22.1.81	,,	,,
,,	100	17.2.81	,,	,,
,,	500	30.3.81	,,	खुली निविदा
,,	250	9.5.81	,,	सीमित निविदा
,,	10	7.6.81	,,	एकल निविदा
,,	10	11.6.81	,,	,,
,,	250	9.7.81	,,	खुली निविदा
,,	10	31.7.81	,,	एकल निविदा
,,	10	2.8.81	,,	,,
,,	80	4.8.81	,,	सीमित निविदा
,,	500	14.8.81	,,	खुली निविदा
,,	250	4.9.81	,,	उपभोक्ता भण्डार
,,	100	12.9.81	,,	,,
,,	100	22.9.81	,,	,,

1	2	3	4	5
,,	150	3.10.81	स्ट्रीट लाइट हेतु	उपभोक्ता भण्डार
,,	1000	21.10.81	,,	खुली निविदा
,,	10	8.2.82	,,	एकल निविदा
,,	85	9.2.82	,,	सीमित निविदा
,,	8	20.2.82	,,	एकल निविदा
		ट्यूब राड़े 40 वाट		
ट्यूब राड़े 40 वाट	85	1.3 82	स्ट्रीट लाइट हेतु	सीमित गिविदा
,,	500	25.3.82	,,	खुली निविदा
,,	500	10.5.82	,,	,,
,,	150	30.6.82	,,	,,
,,	1000	18.8.82	,,	खुली निविदा
,,	39	22.10.82	,,	एकल निविदा
,,	39	4.11.82	,,	,,
,,	39	12.11.82	,,	,,
,,	39	14.11.82	,,	,,
,,	39	17.11.82	,,	,,
,,	39	26.11.82	,,	,,
,,	39	10.12.82	,,	,,
,,	400	24.12.82	,,	,,
,,	39	4.1.83	,,	,,
,,	38	15.2.83	,,	,,
,	36	21.2.83	,,	,,
,,	38	2.3.83	,,	,,
,,	39	14·3.83	,,	,,
,,	500	19.3.83	,,	खुली निविदा
		ट्यूब राड़ 20 वॉट		
ट्यूब राड़ 20 वाट	200	14.8.81		सीमित निविदा
	200	2.11.81	,,	,,
		ट्यूब रोड 20 वॉट		
ट्यूब रोड़ 20 वॉट	250	21.7.80	,,	खुली निविदा
,,	200	4.8.81	,,	,,
,,	200	5.11.81	,,	,,

(386)

परिशिष्ट 2

बदली किये गये सामान

नाम वस्तु	बदली की गई तादाद	दिनांक से	दिनांक तक
बल्ब 60 वाट	33,329	1-4-80 से	31-3-81 तक
,,	31,108	1-4-81 से	31-3-82 तक
,,	25,360	1-4-82 से	31-3-83 तक

80 वाट मर्करी बल्ब

मरकरी बल्ब 80 वाट	18 नग	1-4-79 से	31-3-83 तक

125 वाट मर्करी बल्ब

1. 125 बल्ब वाट मरकरी बल्ब	103 नग	1-4-80 से	31-3-81 तक
2. ,, 117	,,	1-4-81 से	31-3-82 तक
3. ,, 119	,,	1-4-82 से	31-3-83 तक

250 वाट मर्करी बल्ब

1. 250 वाट मरकरी बल्ब	4 नग	1-4-80 से	31-3-81 तक
2. ,,	7 नग	1-4-81 से	31-3-82 तक
3. ,,	10 नग	1-4-82 से	31-3-83 तक

एम एल एल 160 वाट

एम एल एल 160 वाट के	9 नग	1-4-80 से	31-3-81 तक
,,	8 नग	1-4-81 से	31-3-82 तक
,,	4 नग	1-4-82 से	31-3-83 तक

Page No 387

(387)

1	2	3	4
		बल्ब 40 वाट के	
बल्ब 40 वाट के	1186 नग		1-4-79 से 31-3-83 तक
		बल्ब 100 वाट के	
बल्ब 100 वाट के	229 नग		1-4-80 से 31-3-81 तक
	644 नग		1-4-81 से 31-3-82 तक
	649 गन		1-4-82 से 31-3-83 तक
		ट्यूब राड 40 वाट के	
नाम वस्तु		बदली की गई तादाद	दिनांक से दिनांक तक
ट्यूब राड 40 वाट		3113	1-4-80 से 31-3-81 तक
,,		3753	1-4-81 से 31-3-82 तक
,,		3137	1-4-82 से 31-3-83 तक

नगर परिषद, अजमेर

परिशिष्ट 3

दिनांक 1-4-80 से दिनांक 31-3 83 तक विद्युत विभाग नगर परिषद अजमेर द्वारा निम्न प्रकार से राशि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को जमा कराई गई:-

1-4-80 से 31-381 तक

अप्रैल 80	3153-6-37
मई 80	24290-35
जून 80	42851-88
जुलाई 80	26002-88
अगस्त 80	25999-30
सितम्बर 80	27894-79
अक्टूबर 80	77591-94
नवम्बर 80	32319-44
दिसम्बर 80	36800-08
जनवरी 1981	70119-27
फरवरी 81	50568-35
मार्च 81	54337-69
योग	500312-34

1-4-81 से31-3-82 तक

अप्रैल 1981	23947-93
मई 81	40143-63
जून 81	29660-77
जुलाई 81	21849-40
अगस्त 81	36244 19

Page No 389

389

सितम्बर 81	93506–17
अक्टूबर 81	78360–44
नवम्बर 81	67460–84
दिसम्बर 81	72615–67
जनवरी 82	35571–35
फरवरी 82	52744–22
मार्च 82	44184–77
योग	596288–78

1–4–82 से 31–3–83 तक

अप्रेल 1982	55144–97
मई 82	29512–67
जून 82	26884–42
जुलाई 82	22825–82
अगस्त 82	89361–06
सितम्बर 82	23764–19
अक्टूबर 82	70486–30
नवम्बर 82	49100–27
दिसम्बर 82	29952–89
जनवरी 1983	75491–24
फरवरी 83	28089–99
मार्च 83	64662–93
योग	565277–75

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 211 की सूची

क्र. सं.	किस्म मदिरा	दिनांक 6.2.79 से 10.4.80 तक आबकारी कर सहित	दिनांक 11.4.80 से 18.8.81 तक आबकारी कर सहित	दिनांक 19.8.81 से अब तक आबकारी कर-सहित।
1	2	3	4	5
1.	केसर कस्तूरी	रु० 24.45 प्रति बल्क लीटर	रु० 25.48 बल्क लीटर	रु० 30.00 प्रति बल्क लीटर
2.	गुलाब	रु० 10.60 प्रति बल्क लीटर	रु० 14.96 प्रति बल्क लीटर	रु० 14.40 प्रति बल्क लीटर
3.	सादा	रु० 7.35 प्रति बल्क लीटर	रु० 12.53 प्रति बल्क लीटर	रु० 10.40 प्रति बल्क लीटर
4.	60 यू. पी.	रु० 3.65 प्र. ब. ली.		रु० 6.00 प्रति बल्क लीटर।

परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची

मैसर्स: अग्रवाल आइस फैक्ट्री, फालना को किये गये भुगतान का वर्षवार विवरण :—

वर्ष	राशि (रुपये)
1981–19821	52,800
1982–83	57,293
1983–84	26,850

392

परिशिष्ट 27

अतारांकित प्रश्न संख्या 215 की सूची

मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समिति क्षेत्र में जून, 1980 से जुलाई, 1983 तक गठित ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की सूची :—

नाम समिति

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन

1. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सेवाज ।
2. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मुसालिया ।

परिशिष्ट 28

अतारांकित प्रश्न संख्या 216 की सूचना

प्रपत्र "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा ऋण के विरुद्ध भुगतान की गई किश्तों का विवरण

क्र सं.	ऋण के विरुद्ध किश्त भुगतान बकाया होने की तिथि		किश्त की भुगतान की तिथि	भुगतान की गई राशि रु.
1.	प्रथम किश्त	81–82	4.2.81	5 लाख
2.	द्वितीय किश्त	82–83	2.12.81	2 लाख
			19.3.82	4 लाख
3.	तृतीय किश्त	83–84	3.3.83	7 लाख
4.	चतुर्थ किश्त	84–85	16.8.83	7 लाख

(394)

प्रपत्र "ब"

मण्डी प्रांगण रामगजमण्डी में निर्मित दुकान एंव गोदामों का विवरण

क्र० सं०	किरायेदार का नाम	साइज	किराया	विषेश विवरण
1.	मैसर्स धन्ना लाल केशरीलाल	125×25	900/-	
2.	,, धन्ना लाल केशरीलाल	,,	900/-	
3.	,, मांगी लाल रमेश कुमार एण्ड को	,,	900/-	
4.	,, श्यामसुन्दर सत्यनारायण	,,	809/-	कमरा खाली
5.	,, ओसवाल ट्रेडर्स	,,	900/-	
6.	,, सोबलिया ट्रेडिंग कं०	,,	900/-	
7.	,, परमानन्द विष्णुकुमार	,,	900/-	
8.	,, मंगलजी छोटेलाल	,,	900/-	
9.	,, लुहाड़िया ट्रेडर्स	,,	809/-	कमरा खाली
10.	,, लुहाड़िया ट्रेडर्स	,,	809/-	कमरा खाली
11.	,, गजेन्द्र कुमार एंड ब्रादर्स	,,	809/-	कमरा खाली
12.	,, सरदारमल एंड सन	,,	900/-	
13	,, देवीलाल हर प्रसाद	,,	900/-	
14.	,, दिलीपकुमार एंड सन्स	,,	908/-	
15.	खाली	,,	—	
16.	मैसर्स अमर चन्द पूनमचन्द	,,	900/-	
17.	,, बागना ट्रेडर्स	,,	809/-	कमरा खाली
18.	,, खाली	,,	—	
19.	मैसर्स बद्रीप्रसाद एंड कं०	,,	475/-	केवल गोदाम
20.	,, सांवला ट्रेडर्स	,,	900/-	
21.	,, महेन्द्र कुमार एंड कं०	,,	475/-	केवल दुकान
22.	,, पाटनी ब्रादर्स कं०	,	809/-	कमरा खाली

1	2	3	4
23. मैसर्स	पाटनी ब्रादर्स कं०) फुल	125×25	625/– गोदाम एवं कमरा
23. ,,	पाटनी ब्रादर्स) सेट	,,	334/– दुकान प्लेटफार्म
24. ,,	गोरधनलाल, ओंकारलाल	100×25	850/–
25. ,,	ओमप्रकाश रामचन्द एण्ड कं०	,,	346/– केवल गोदाम
26. ,,	ओम आयल मिल	,,	504/– दुकान प्लेटफार्म
27. ,,	रामदयालनारायणसिंह एण्ड कं०	,,	850/– कमरा
28. ,,	ओमप्रकाश रामचन्द एण्ड कं०	,,	503/– सी वलाम विद-आउट कमरा
29. ,,	जुलानिया ब्रादर्स) फुल	,,	253/– दुकान प्लेट फार्म
29. ,,	रामकुमार बालचन्द) सेट	,,	250/– केवल गोदाम
30. ,,	मन्नालाल दौलतलाल) फुल	,,	253/– दुकान प्लेट फार्म
30. ,,	चुन्नीलाल मन्नालाल) सेट	,,	250/– केवल गोदाम
31. ,,	महावीर प्रसाद फूलचन्द) फुल	,,	253/– दुकान प्लेट फार्म
31. ,,	शंकरलाल माणकचन्द) सेट	,,	250/– केवल गोदाम
32. ,,	प्रभूलाल लक्ष्मीनारायण	,,	503/–
33. ,,	मोहनलाल मदनलाल	,,	503/–
34. ,,	मदनलाल रमेशचन्द	,,	503/–
35. ,,	नटवरलाल चुन्नीलाल	,,	503/–
36. ,,	जीवराज बजरंगलाल	,,	503/–
37. ,,	कृष्ण गोपाल वृजमोहन	,,	503/–
38. ,,	रामनाथ रामदयाल	,,	503/–
39. ,,	लालचन्द सुरेन्द्र कुमार) फुल	,,	253/– दुकान प्लेट फार्म
49. ,,	सुरेन्द्र कुमार एण्डकं०) सेट	,,	250/– केवल गोदाम
40. ,,	महेन्द्र कुमार एण्ड कं०	100×25	503/–
41. ,,	शेरसिंह यशवन्तसिंह	,,	503/–
42. ,,	जगदीशचन्द राधेश्याम	,,	503/–
43. ,,	विनोदकुमार एण्ड सन्स	,,	503/–

Page No 396

(396)

1	2	3	4
44.	मैसर्स नरेन्द्र कुमार एण्ड कं०	100×25	503/–
45.	,, वीरेन्द्र कुमार राजकुमार एण्ड कं०	,,	503/–
46.	,, गिरिराजप्रसाद गोपालदास	,,	503/–
47.	,, अग्रवाल ट्रेडिंग कं०	,,	503/–
48.	,, राजकुमार जैन एण्ड ब्रादर्स	,,	503/–
49.	,, भंवरलाल सोहनलाल एण्ड कं०	,,	503/–
50.	,, सन्तोषकुमार एण्ड कं०	,,	503/–
51	,, उत्तमसिंह एण्ड कं०	,,	503/–
52.	,, बाबूलाल हीरालाल	,,	503/–
53.	,, अगरचन्द पूनमचन्द	,,	850/–
54.	,, हुकमचन्द शंकरलाल एण्ड कं०	,,	850/–
55.	,, खाली	,,	—
56.	मैसर्स राधाकिशन महेश कुमार	,,	850/–
57.	,, पाटीदार ब्रादर्स	,,	850/–
58.	,, देवीलाल हरप्रसाद एण्ड कं.	,,	850/–
59.	,, श्यामसुन्दर सत्यनारायण	,,	850/–
60.	,, खाली	,,	—
61.	मैसर्स परमानन्द विष्णु कुमार	,,	850/–
62.	,, शंकरलाल प्रेमचन्द	,,	850/–
63.	, वाणिज्यकर विभाग, रामगंजमंडी	,,	823/-81
64.	,, ज्ञानचन्द सुरेन्द्र कुमार	,,	850/–
65.	,, ओमप्रकाश एण्ड कं.	,,	850/–
66	,, हीरालाल प्रकाशचन्द	,,	850/–
67.	,, चन्द्रशेखर विष्णु कुमार		850/–
68.	,, रामसुख रामकरण) फुल	,,	334/– दुकान प्लेट फार्म
68.	,, सुरेशचन्द गोरधनलाल) सेट	,,	516/-गोदाम एवं कमरा

1	2	3	4
69.	मैसर्स एन. आर. जोरजी	100×25	850/–
70.	,, सेठी एण्ड सन्स	,,	850/–
71.	,, भोलाराम जगन्नाथ	,,	850/–
72.	,, कन्हैयालाल इन्दरमल	,,	850/–
73.	,, ताराचन्द एण्ड सन्स	,,	850/–
74.	,, राजमल पदमकुमार	,,	850/–
75.	,, जगदीश चन्द राधेश्याम	60×25	680/–
फुटकर दुकान : —			
1.	मैसर्स अशोककुमार राजकुमार	10×20	65/–
2.	,, रामगंजमंडी को—आपरेटिव सोसायटी रामगंजमण्डी	,,	65/–
3.	,, रामनारायण बद्रीलाल	,,	65/–
4.	,, राधेश्याम रामगोपाल	,,	65/–
5.	,, फूलचन्द रामेश्वर	,,	65/–
6.	,, नेमीचन्द मोहनलाल	10×20	65/–
7.	,, गुप्ता जनरल स्टोर	,,	65/–
8.	,, शेरसिंह यशवन्तसिंह	,,	65/-
9	,, एस. के. एण्ड कं.	,,	65/-
10	,, एस. के. एण्ड कं.	,,	65/-

बैंक भवन :—

1. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, रामगंजमण्डी 910/-

राज्य सरकार के आदेशानुसार पूर्व में शाप कम गोदामों का आवंटन पार्ट्स में किया गया था जिसके किराये के निर्धारण लागत के आधार पर अधिशासी अभियन्ता

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कोटा द्वारा निम्न प्रकार किया गया था :—

गोदाम नं० 1 से 23 तक	गोदाम 475/- रु० आवासीय कमरा 150/- रु० दुकान प्लेट फार्म 334/-रु०
गोदाम नं० 53 से 74 एवं 24 से 27 तक	गोदाम 346/-रु० आवासीय कमरा 170/- रुपये दुकान प्लेट फार्म 334/- रु०
गोदाम नं० 28 से 52 तक	गोदाम 250/- दुकान प्लेट फार्म 253/- रु० आवासीय कमरा नहीं बनाया गया है।

परिशिष्ट 29

अतारांकित प्रश्न संख्या 220 की सूची

कृषि उपज मण्डी समिति, सोजतरोड में वर्ष जून, 1980 से जुलाई, 1983 तक स्वीकृत व अन्य प्रारम्भ किए गए विकास

कार्यों की सूची

स्वीकृत कार्य (वर्ष 1980-81)	प्रारम्भ किए गए कार्य
1. दुकानों के सामने ए.सी. सीट शेड कम गोदाम 25 × 80 10 नम्बर	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2. दुकानों के सामने ए.सी. सीट शेड दुकाने कम गोदाम 25 × 10 पर 5 नम्बर	कार्य पूर्ण हो चुका है।
3, साइकिल स्टेण्ड	मण्डी समिति यह कार्य कराना नहीं चाहती है।
4. पशु चिकित्सालय भवन	मण्डी समिति यह कार्य कराना नहीं चाहती है।
5 पोस्ट आफिस भवन	मंडी समिति यह कार्य कराना नहीं चाहती है।
वर्ष 1981-82	
6. चार दीवारी	प्रगति पर है
7. ग्रामीण गोदाम (250 एम.टी.)	लगभग पूर्ण हो चुका है।
वर्ष 1982-83	
8. आंतरिक सड़कें	प्रगति पर है।

N80

9. नीलाम चबूतरा	प्रगति पर है।
10. प्याऊ	प्रगति पर है।
11. शौचालय (डब्लू.सी.यूरिनल)	प्रगति पर है।
12. जानवरों की पानी की खेली	प्रगति पर है।

अन्य विकास कार्य

13. धाकड़ी से धाकड़ी बोर्ड तक 4 किमी. की सड़क बनाई गई हैं।

14. ग्रामीण मंडी हेतु ग्राम चण्डावल में भूमि का पट्टा प्राप्त हो चुका है। तथा ग्राम जोजावर में भूमि आवंटन के प्रयास किए जा रहे हैं।

कृषि उपज मण्डी समिति, रानी में वर्ष जून, 1980 से जुलाई, 1983 तक स्वीकृत व प्रारम्भ किए गए विकास कार्यों की सूची–

स्वीकृत कार्य (वर्ष 1981–82)	**प्रारम्भ किए गए कार्य**
1. ग्रामीण गोदाम 150 मैं. टन	लगभग पूर्ण हो चुका है।
2. खुदरा दुकानें 12 नम्बर	कार्य पूर्ण है।
3. दुकान मय प्लेटफार्म बिना गोदाम के 10 नम्बर	पूर्ण हो चुका है।
4. 20 नम्बर दुकान मय गोदाम मय प्लेटफार्म सहित	प्रगति पर है।
वर्ष 1982–83	
5. जल व्यवस्था	प्रगति पर है।
6. दुकान मय प्लेटफार्म 10 नम्बर	मंडी समिति यह कार्य नहीं कराना चाहती।
7. नीलाम चबूतरा	प्रगति पर है।

अन्य कार्य

1. खिवाड़ा से लिवास होकर पिलावणी धानेणी तक 3 कि. मी.

2. जदाली से नादाना (भाटान) तक डामर की सड़क 2 कि. मी.

परिशिष्ट 30

अतारांकित प्रश्न संख्या 222 की सूची

जिला जयपुर की तहसील चौमू में संचालित आयुर्वेद औषधालयों व चिकित्सालयों को उपलब्ध करायी गयी औषधियों के मूल्य एवं स्वीकृत औषध बजट का विवरण

(रुपयों में)

क्र.सं.	औषधालय का स्थान	स्वीकृत औषध बजट				औषध वितरण		
		1980–81	1981-82	1982-83	1983-84	1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	खेजरोली	18500	23950	19500	21000	18439.40	2596.50	8703.60
2.	चौमू	6500	9000	13200	9900	6504.10	2911.10	6197.50
3.	अमरपुरा	3700	4500	2700	4300	1947.90	1181.20	882.00
4.	अनन्तपुरा	4300	3700	3900	3500 (3500)	3954.05	2372.00	1698.70
5.	आष्टीकलां	3600	3900	3800	4100	2150.70	323.00	472.80
6.	इटावा भोपजी	4300	5500	2800	6400	4290.20	1761.20	1681.90
7.	उदयपुरिया	6400	4900	2300	7500	4886 50	797.010	1865.20
8.	किशनमानपुरा	2900	3300	3500	3400	1801.90	485.00	846.60
9.	गोविन्दगढ़	8900	6000	5700	6400	4488.50	1230.00	4620.00
10.	घिनोई	2000	3000	3300	3700	2002.90	1241.50	2713.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	चारणवास	5500	6000	5000	4000	2024.75	543.60	1495.10
12	चीथवाड़ी	9000	10000	5200	6100	7201.60	2734.50	1720.30
13,	तीगरिया	3300	3400	3500	2300	2139.60	682.00	800.90
14.	ढोढ़सर	5900	3700	3900	5000	1643.65	323.00	1440.70
15.	निवाणा	4300	4300	4800	6500	2844.30	2015.10	2156.30
16.	नांगला भरड़ा	3000	3700	3400	2700	2982.70	323 00	517.30
17.	नांगल गोविन्दगढ़	3200	3000	2900	4800	2316.00	323.00	744.20
18.	घोवौलाई	3100	4300	4500	2000	3198.80	670.00	2600.00
19.	भूतेड़ा	2000	3300	3400	3000	2000.70	323.00	899.30
20.	सिगोदकलां,	4600	3000	3400	3200	3344.80	547.00	684.50
21.	हाथमोदा	2900	6000	2800	2000	1241.70	323.00	1980.50
22.	हस्तेड़ा	4100	3700	3500	3000	1420.75	323.00	1200.10
23.	लोहरवाड़ा	2000	1900	1700	2000	1694.00	323.00	1416.30
24.	सामोद	5500	4900	7700	8400	2881.60	902.50	349.20
25.	मन्डा भिन्डा	2700	2200	2400	2400	1295.80	323.00	1713.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	महारकलां	5100	4000	4700	4500	1135.80	2115.80	1089.00
27.	मलिकपुर (तोरण)	5900	7000	4500	5100	2924.60	668.50	2500.70
28.	मोरिजा	5200	3400	4000	6700	1405.60	1043.40	2164.00
29.	बांसा	4700	5700	5700	5700	3967.65	1484.20	2978.60
30.	सिगोद खुर्द	3400	3500	3400	3200	2815.45	282.00	1813.90
31.	डोला का वास (रामसिंहपुरा)		2200	2000	2000	—	1118.40	541.80

परिशिष्ट 31

अतारांकित प्रश्न संख्या 224 की सूची

निदेशक, सतर्कता (वन) विभाग, जयपुर से प्राप्त प्रस्तावित विभागीय जांच की सूची

क्र. सं.	आरोपित अधिकारी का नाम व पद	सतर्कता विभाग द्वारा की गई सिफारिश का क्रमांक एवं दिनांक	आरोप पत्र जारी किये गये का क्रमांक एवं दिनांक	धारा 15 व 17
1.	2.	3	4	5
1.	श्री के. सी. शर्मा क्षेत्रीय ,, श्योकरण सिंह, स. वनपाल	एफ. 85/ परि/निसव/77/918 दिनांक 19.8.82	आरोप पत्र निदेशक सतर्कता (वन) जयपुर द्वारा दिनांक 19.5.82 को जारी किये गये।	17
2.	श्री वृज बिहारी शर्मा क्षेत्रीय . ,, रामजीलाल स. वनपाल	एफ. परि/निसव/79/ 852 दिनांक 13.7.79	इस कार्यालय के ज्ञापन पत्र संख्या एफ 18 (19) 79/जांच/मुवस/3050–69 दि. 26.8.82 से आरोप व अभियोग पत्र जारी किये गये।	16
3.	श्री एस. पी टंडन क्षेत्रीय ,, भंवर सिंह स. वनपाल ,, दान सिंह वन रक्षक	एफ 68/ परि/निसव/80/127 दिनांक 29.4.81	मुख्य वन संरक्षक के ज्ञापन पत्र संख्या एफ 11(28) 80/जांच/मुवस/2823–25 दिनांक 17.8.81	16
1.	श्री ओंकारलाल बेजरिया क्षेत्रीय	एफ 76 परि/निवस/79/453 दिनांक 21.4.80	मुख्य वन संरक्षक के पत्र सं. एफ 18 (3) 80/ जांच/मुवस/3199 दि. 16 8.80	17

1	2	3	4	5
5.	श्री महेन्द्र सिंह क्षेत्रीय	एफ 29/परि/निसव/80/196 दिनांक 17.2.81	मुख्य वन संरक्षक के पत्र सं. 18 (11)81/जांच/ मुवस 1780 दिनांक 8.4.81	17
6.	श्री दुर्गा सिंह राव उप क्षेत्रीय ,, रामेश्वर प्रसाद उप क्षेत्रीय	राज्य सरकार के पत्र सं. एफ 16 (44) राज-8–81 दिनांक 10.7.81	मुख्य वन संरक्षक के ज्ञापन पत्र संख्या एफ 10(26) 81/जांच/मुवस/4580 दि. 16.9.81	16
7.	श्री राम सिंह क्षेत्रीय	एफ 83/परि/निसव/77/333 दि. 22.3.79	मुख्य वन संरक्षक के पत्र सं. एफ 18(25)79/जांच/ मुवस 9103 दिनांक 10.9.79	17
8.	डी. एस. श्रीवास्तव स.व.प्र. श्री आर. के. क्षेत्रपाल उ.व.सं. ,, दुर्गाशंकर भारद्वाज क्षेत्रीय ,, राधाकिशन, क्षेत्रीय ,, शिवलहरी वरिष्ठ लिपिक	राज्य सरकार के पत्र सं. 18 (7) राज 8/81 दि. 28.2 81 से सेवा सम्बन्धी सूचना चाही जाने पर वन कार्यालय के पत्र सं. 10 (6) 81/जांच/मुवस/231 दि. 14.5.81 से भिजवाई गयी।	कार्मिक विभाग के ज्ञापन पत्र सं. एफ 1 (69) का/क-3/81 दि. 18.3.82 से आरोप व अभिकथन पत्र जारी किये गये।	16
9.	श्री जे.पी. भाटी, क्षेत्रीय ,, प्रेमचन्द सहायक वनपाल ,, अश्विनी कुमार, वनपाल	राज्य सरकार के पत्र सं.16 (20) राज.8/81 दिनांक 10.6,81 से निदेशक, सतर्कता (वन) की रिपोर्ट मय प्रारूपों के प्राप्त हुई।	मुख्य वन संरक्षक के ज्ञापन पत्र सं. 11 (45) 80/जांच/मुवस 1802-4 दिनांक 26.6.82	16
10.	श्री मधुसूदन तिवाड़ी, क्षेत्रीय	एफ 19/निसव/परि/77/278 दि. 20.2.81	मुख्य वन संरक्षक के पत्र सं. 18 (60) 80/जांच/ मुवस/2799 दि. 17.8 81 से नोटिस दिया गया।	17

1	2	3	4	5
11.	श्री वीरेन्द्रनाथ सक्सेना क्षेत्रीय	एफ 45/परि/81/2194 दि. 29.8.81	मुदत पद संरक्षक राज. जयपुर के ज्ञापन पत्र सं. 18 (107) 81/जांच/मुवस/1268 दि. 17.6.82 से आरोप पत्र, अभिकथन पत्र जारी किये गये ।	16
12.	श्री रविकुमार शर्मा, क्षेत्रीय ,, रतनलाल, वन रक्षक	एफ 22/परि/82/506/दि. 17.4.82	इस कार्यालय के पत्र सं. 18 (70) 82/जांच/मुवस/1273 दिनांक 17.6.82 से नोटिस दिया गया ।	17
13.	श्री वीरेन्द्रनाथ सक्सेना क्षेत्रीय ,, मुरलीधर, वनपाल ,, वंशीधर, वनपाल	एफ निसव/156/81/दि. 16.1.82	मु.व.सं. के ज्ञापन पत्र सं. 18(1)82/जांच/मुवस/3464-66 दिनांक 5.3.82 से आरोप पत्र, अभिकथन पत्र जारी किये गये ।	16
14.	श्री सत्यनारायण सिंह, उप क्षेत्रीय श्री विजय सिंह, वनपाल	एफ 19/परि/निसव/82/407 दि. 21.3.83	इस कार्यालय के पत्र सं. 18(17)83/जांच/मुवस/2004-8 दिनांक 22.4.83 से नोटिस दिया गया ।	17
15.	श्री मोहनलाल शर्मा, क्षेत्रीय ,, मेघ, सहायक वनपाल	राज्य सरकार के पत्र सं. 16 (52) राज-8/78 दि. 10.12.79 से जांच प्रतिवेदन एवं आरोप पत्रों के प्रारूप प्राप्त हुए ।	इस कार्यालय के ज्ञापन पत्र सं. 18(22)79/जांच/मुवस/2812-15 दिनांक 17.6.81 से आरोप व अभिकथन पत्र जारी किये गये ।	16
16.	श्री वीरेन्द्रनाथ सक्सेना, क्षेत्रीय ,, मोहम्मद सिद्दिक, स. वनपाल, लक्ष्मणसिंह, स.वनपाल	एफ 98/परि/निसव/80 दि. 18.3.81	मु.व.सं. के पत्र सं. 18(70)81/जांच/मुवस/8387-93 दिनांक 18.5.81 से नोटिस दिया गया ।	17

1	2	3	4	5
17.	श्री मेरूलाल जैन, क्षेत्रीय	17/परि/निसव/80/560 दि. 13.5.80	मु.व.सं. के पत्र सं. 18(27)80/जांच/मुवस/ 2244 दि. 7.6.81	17
18.	श्री विजयकुमार मित्तल क्षेत्रीय ,, राधेश्याम, वनपाल	प. 8/परि/निसव/82	मु.व.सं. के पत्र सं. 18(20)82/जांच/मुवस दिनांक 14.7.82 से आरोप व अभिकथन पत्र जारी किये गये।	16
19.	श्री रामप्रसाद सिंघल, क्षेत्रीय ,, नाथूराम, वनरक्षक	एफ 8/परि/निसव/83/796 दि. 19.6.83	मु.व.सं. के पत्र संख्या 18(48) 83/जांच/मुवस/ 5056-59 दि. 30.7.83 से नोटिस दिया गया।	17
20.	श्री बृजबिहारी शर्मा, क्षेत्रीय	प. 45 परि/निसव/79	मु.व.सं. के ज्ञापन पत्र सं. एफ 18(3)79/4162 दिनांक 6.6.83 से आरोप व अभिकथन पत्र जारी किये गये।	16
21.	श्री बी. के. पुरी, उ.व.सं. व अन्य	एफ 14/परि/निसव/78/1166 दि. 1.9.78	राज्य सरकार के ज्ञापन पत्र सं. 1(2) का/क-3/70 दि. 28.2.78 से आरोप व अभिकथन पत्र जारी किये गये।	16
22.	श्री जालिमसिंह, क्षेत्रीय श्री सरदारसिंह, स. वनपाल	एफ 13/निसव/परि/77/839 दि. 3.9.79	मु.व.सं. के शपथ पत्र सं. 11(25)77/जांच/मुवस/ 3996-97 दि. 19.10.82 से आरोप पत्रादि जारी हुयें।	16

1	2	3	4	5
23.	श्री जी. एस. गुप्ता, स.द.प्र.	एफ 8/डी.वी.एफ./77/759 दि. 6.6.78	कार्मिक विभाग के ज्ञापन पत्र सं. 1 (27) का/क-3 78 दि. 5.5.79 से आरोप व अभिकथन पत्र जारी किये गये।	16
24.	श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, उ.व.सं. ,, रामवतार शर्मा, वनपाल ,, केशरीचन्द, वनरक्षक	एफ/डी.वी./78/714 दि. 5.5.78	कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 1(58)का/क-3/81 दिनांक 30.4.82	17
25.	श्री हुरिसिंह, वनपाल ,, ओमप्रकाश शर्मा, वनरक्षक	5/परि/निसद/79/749 दि. 31.7.79	निदेशक सतर्कता (वन) के पत्र सं. 749 दिनांक 31.7.79.	17
26.	श्री हजारीलाल, वनपाल ,, ग्यारसीलाल, वनरक्षक	एफ/4/परि/निसव/315 दि. 16.3.79	स.व.प्र. दो के ज्ञापन पत्र सं. 2(20) 79/5555 दि. 1.7.79 से आरोप पत्र जारी किये गये।	16
27.	श्री सुरेन्द्रसिंह, वनपाल	राज्य सरकार के पत्र सं. 16 (10) राज-8/79 दि. 31.5.79 से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मु.स.व.प्र. भरतपुर को उसके स्तर से आरोप पत्र जांच करने के निर्देश दिये।	मु.व.सं. भरतपुर के ज्ञापन पत्र सं. 5902 दि. 4.9.79 से आरोप पत्र जारी किये गये।	16
28.	श्री गोपालसिंह, क्षेत्रीय	एफ 15/80/2119 दि. 7.8.81	मु.व.सं. के पत्र सं. 19(13(83/423/डी. दि. 3.8.81 से नोटिस दिया।	17

1	2	3	4	5
29.	श्री नरेन्द्रसिंह, वनपाल	निसव/परि/8/79/923 दि. 8.9.80	मु.व.सं. प्रा. भरतपुर के ज्ञापन पत्र सं. 983 दि. 31.1.81 से आरोप पत्र जारी किये गये।	16
30.	श्री भगतराज जैन, क्षेत्रीय ,, महावीर प्रसाद, वनपाल	एफ/निसव/परि/44/82/1109 दि. 6.8 82	निदेशक व.वि. जोधपुर के ज्ञापन पत्र सं. 10112 दि. 24.9.82 से आरोप पत्र जारी किये गये।	16
31.	श्री अतरसिंह, अपर मु.व.सं.	4/परि/81/1820 दि. 22.11.82	कार्मिक विभाग के ज्ञापन पत्र सं. 1(27)का/क-3/82 दि. 30.8.82 से आरोप पत्र जारी किये गये।	8
32.	श्री सुभाष चन्द गुप्ता	39/79/2592 दि. 27.11.84	उ.व.स. सीकर के दिनांक जून 83 के स.व.सं. सीकर का जांच अधिकारी नियुक्त किया।	

(411)

परिशिष्ट 32

अतारांकित प्रश्न संख्या 228 की सूची

राजस्थान में 1.4.83 से 31.7.83 तक स्वीकृत सड़कों की सूची एवं वर्ष 1983–84 के सम्भावित व्यय का विवरण।

सड़क का नाम	जिला	स्वीकृत लागत	वर्ष 83–84 में संभावित व्यय
1	2	3	4
1. विलेज रोड नं 12 (लिंक रोड बिलोजनं ।। से परसाना–गोमावली)	गंगानगर	126.70 लाख	58.11 लाख
2. विलेज रोड नं. 14(11 1/2 एनडी से 12एसएलडी)	,,	73.13 ,,	34.00 ,,
3. विलेज रोड नं.18(18.50 जानकीदास वाली से गोमावती)	,,	95.86 ,,	44.00 ,,
4. विलेज रोड नं 15 (गोमावती से 3 जेडएम)	,,	29.25 ,,	13.00 ,,
5. विलेज रोड नं 16 (कूपली से भामसर)	,,	59.59 ,,	29.00 ,,
6. विलेज रोड नं 8 (लिंक रोड सन्तासर से एम डी)	बीकानेर	34.13 ,,	16.00 ,,

परिशिष्ट 33

अतारांकित प्रश्न संख्या 237 की सूची

सूची मुलजिमान जो दिनांक 4.8.83 को नगर परिषद जोधपुर के झगड़े में दो पाये गये :–

1. श्री माणकलाल पुत्र श्री मोहयलाल ओसवाल नि. जोधपुर।
2. श्री भगवती उर्फ भगतसिंह पुत्र श्री मांगीलाल हरिजन, नि. जोधपुर
3. ,, बन्नू खां उर्फ बनूड़ा पुत्र श्री गुलाम रसूल नि. जोधपुर
4. ,, मोहन सिंह पुत्र श्री बखतावर सिंह
5. ,, अरूण कुमार पुत्र श्री लालसिंह सांखला, नि. जोधपुर
6. ,, महावीर सिंह पुत्र श्री पन्ने सिंह, सोलंकी, नि. जोधपुर
7. ,, नरेश दयाल पुत्र श्याम सुन्दर लाल माथुर, नि. जोधपुर
8. ,, ओम प्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल हरिजन, नि. जोधपुर
9. ,, मोहम्मद सफी पुत्र श्री मोहम्मद बख्श मुसलमान, नि. जोधपुर
10. ,, छोटू खां पुत्र श्री अब्दुल शकूर मुसलमान, नि. जोधपुर
11. ,, रोशन लाल पुत्र श्री आनन्द किशोर माथुर, नि. जोधपुर
12. ,, राजू उर्फ राजेश पुत्र श्री जबलसिंह राजपूत, नि. जोधपुर
13. ,, अहसान अली उर्फ पापा पुत्र श्री फैयाज मुसलमान, नि. जोधपुर
14. ,, मदन लाल पुत्र श्री जीवन राम हरिजन, नि. जोधपुर
15. ,, दीन मोहम्मद उर्फ इल्म मोहम्मद पुत्र श्री जहूर मोहम्मद मुसलमान, जोधपुर
16. ,, भूरया उर्फ मोहम्मद रफीक पुत्र श्री भूरेखां मुसलमान, नि. जोधपुर

धारा 151 जा.फौ. के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों की सूची :–

1. श्री माणकमल (ऊपर वर्णित क्रम सं. 1).
2. श्री राजू उर्फ राजेश (ऊपर वर्णित क्रम. सं. 12).
3. श्री अहसान अली (ऊपर वर्णित क्रम सं. 13).
4. श्री मदन लाल (ऊपर वर्णित क्रम सं. 14).